वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

TEXTILES COMMITTEE
(Government of India, Ministry of Textiles)

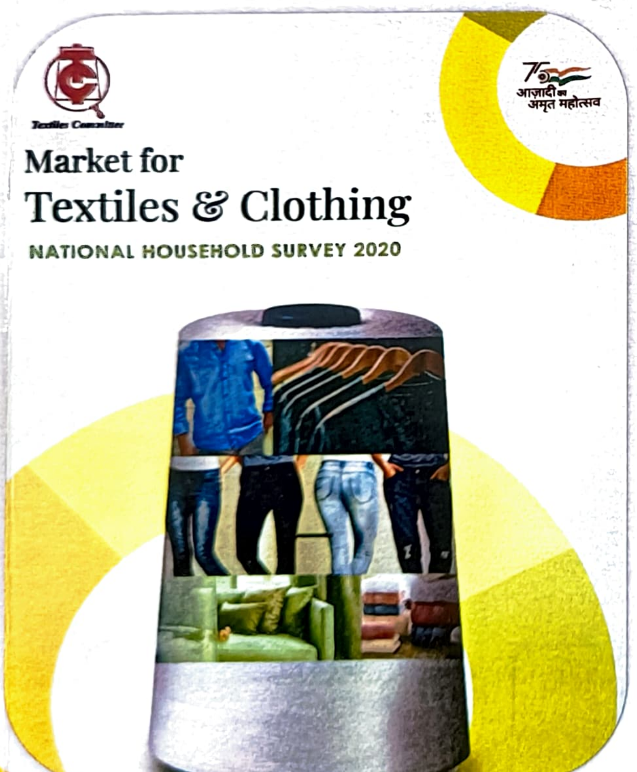

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT 2023-2024

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

वार्षिक प्रतिवेदन
2023-2024

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

पी.बालू रोड, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई – 400 025

टेलीफोन :022-66527507

ई मेल : secy.tc@nic.in; secytc@gmail.com

वेब साइट: www.textilescommittee.nic.in

वस्त्र समिति वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24

विषय-सूची

भाग- I: संगठनात्मक ढांचा और वित्त

1.0 वस्त्र समिति कार्यालय

मुख्यालय, मुंबई

वस्त्र समिति, पी. बालू रोड, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई-400 025.
टेली. नं.: 022-66527507; ईमेल: secy.tc@nic.in;
वेब पेज: www.textilescommittee.nic.in

क्षेत्रीय कार्यालय

1. वस्त्र समिति, अंकुर, दीनबाई टावर के सामने, मिर्जापुर रोड, लाल दरवाजा, अहमदाबाद - 380 001.
   टेली. नं. 079-25507612, ईमेल:abd.tc@nic.in.

2. वस्त्र समिति, एफकेसीसीआई, डब्ल्यूटीसी बिल्डिंग, पहली मंजिल, केम्पे गौड़ा रोड, बेंगलुरु - 560 009
   टेली. नं. 080-22261401, 22208010, ईमेल:blr.tc@nic.in

3. वस्त्र समिति, द्वारा - विवर्स सर्विस सेंटर, प्लॉट नंबर. ए/407, शहीद नगर, भुवनेश्वर -751 007
   टेली. नं. 0674-2548303, ई मेल: bbs.tc@nic.in

4. वस्त्र समिति, दूसरी मंजिल, तमिलनाडु अर्बन हैबिटैट डेवलपमेंट बोर्ड काम्प्लेक्स, 130, आर. के. मठ रोड, मैलापुर, चेन्नई – 600 004.
   टेली. नं. 044-24640740, 24610887, 24615901 ईमेल: chennai.tc@nic.in

5. वस्त्र समिति, राज चेम्बर्स, 978-ए, थाडगम रोड, कोयम्बटूर - 641 002
   टेली. नं. 0422-2473094, 2472689 ईमेल: cbe.tc@nic.in

6. वस्त्र समिति, ऑफिस न. 52, IV फ्लोअर, मरीन ड्राइव कमर्शियल काम्प्लेक्स (जीसीडीए), शंमुघम रोड, कोचीन - 682 031 टेली. नं. 0497-2706390.

वस्त्र समिति

7 वस्त्र समिति, साई राम काम्प्लेक्स, डोअर नम्बर 25-1-9, मस्तान दरगा के पास, जी.टी.रोड, गुंटूर - 522 004
टेली. नं.0863-2218951 ईमेल: gnt.tc@nic.in

8. वस्त्र समिति, पहली मंजिल यूएनआई बिल्डिंग, डी. नंबर 10-1-1200, एसी गार्ड्स, मसाब टैंक रोड, हैदराबाद-500 004
टेली. नं. 040-23327153 ईमेल: hyd.tc@nic.in

9. वस्त्र समिति, हॉल नंबर 1, वार्ड नंबर 10, राजाराम स्टेडियम, शिवाजी पुताला के पास, इचलकरंजी- 416 115
टेली. नं.0230-2420838 ईमेल: ichl.tc@nic.in

10. वस्त्र समिति, एन/एस/ओ/2, एनजी आर - 1, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर-302 015
टेली. नं.0141-2743456, 51052234, 4052664 ईमेल: jpr.tc@nic.in

11. वस्त्र समिति, द्वारा - विवर्स सर्विस सेंटर, यूएनडीपी परियोजना परिसर, बघे अली मर्दन खान, नौशेरा, श्रीनगर-190 011 (जम्मू और कश्मीर)
टेली. नं.0194-2411043

12. वस्त्र समिति, प्लेटिनम केंद्र, दूसरी मंजिल, बैंक रोड, कन्नूर-670 001
टेली. नं.0497-2706390 ईमेल: kannur.tc@nic.in

13. वस्त्र समिति, 117/48, सर्वोदय नगर, तल मंजिल और पहली मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, कानपुर-670 001
टेली. नं. 0512-2212548, 22440066 ईमेल: kanpur.tc@nic.in

14. वस्त्र समिति, केवीआर कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, 21-जे, 80 फीट रोड, करूर-639 002
टेली. नं. 04324-274871, 238610 ईमेल: krr.tc@nic.in

15. वस्त्र समिति, ब्लॉक जी. एन. प्लॉट-38/3, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700 091
टेली. नं. 033-46021338, 46021339 ईमेल: kol.tc@nic.in

16. वस्त्र समिति, सोना कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, जी.टी. रोड, मिलर गंज, लुधियाना - 141 003
टेली. नं.. 0161-2530135, 2530165 ईमेल: ldh.tc@nic.in

17. वस्त्र समिति, अपेरल हाऊस, पाँचवी मंजिल, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर – 44, गुडगाव -122 003 (हरियाणा)
टेली. नं. 0124-2544201, 2544202, 2522204 ईमेल:ndl.tc@nic.in

18. वस्त्र समिति, बृंदावन, पहली मंजिल, 744, डब्ल्यूएचसी रोड, धर्मपेठ, नागपुर-440 010
टेली. नं. 0712-2561564 ईमेल: ngr.tc@nic.in

19. वस्त्र समिति, ब्लॉक नंबर 2(ए), दूसरी मंजिल, रेशम भवन, लाल दरवाजा, सूरत - 395 003
टेली. नं. 0261-2423167 ईमेल: surat.tc@nic.in

20. वस्त्र समिति, प्लाट नं 8 और 9, थिरुवीका नगर, पहली मंजिल, कॉलेज रोड, तिरुपुर-641 602
टेली. नं.0421-2202500, 2201402, 2237935 ईमेल: tpr.tc@nic.in

21. वस्त्र समिति, नंबर-52, पहली मंजिल, पटेल नगर, मिंट हाउस, नदेसर, वाराणसी-221 002
टेली. नं.0542-2500616 ईमेल: var.tc@nic.in

22. वस्त्र समिति, 57/14, मुनियासामीपुरम II, न्यू कॉलोनी, तूतीकोरिन-628 003
टेली. नं.0461-2323384 ईमेल: tctuticorin@gmail.com

23. वस्त्र समिति, तल मंजिल, पोर्ट यूजर बिल्डिंग, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकारण, (जेएनपीए), न्हावा सेवा, नवी मुंबई-400 707
टेली. नं. 022-27240020 ईमेल: tclabjnpt@gmail.com

वस्त्र समिति

2.0 वस्त्र समिति की संरचना

1.	अध्यक्ष **(सुश्री रचना शाह),** सचिव, वस्त्र मंत्रालय उद्योग भवन **नई दिल्ली-110 011**	:	अध्यक्ष
2.	वस्त्र आयुक्त, **(सुश्री रूप राशि),** न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48, न्यू मरीन लाइन्स, **मुंबई - 400 020**	:	उपाध्यक्ष
3.	संयुक्त सचिव / आर्थिक सलाहकार, **(श्री राजीव सक्सेना),** भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, **नई दिल्ली - 110 011**	:	सदस्य
4.	उप सचिव, **(श्री धीरेन्द्र कुमार),** आंतरिक वित्त विंग, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, **नई दिल्ली - 110 011**	:	सदस्य
5.	सचिव, **(श्री सत्य प्रकाश वर्मा),** वस्त्र समिति, पी. बालू रोड, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, **मुंबई - 400 025**	:	सदस्य सचिव
6.	अध्यक्ष, **(श्री राकेश मेहरा),** भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ छठी मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखंभा रोड, **नई दिल्ली - 110 001**	:	सदस्य

7.	अध्यक्ष, **(डॉ.एस.के. सुंदररामन),** साऊथर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन, 41, रेस कोर्स, **कोयम्बटूर - 641 018**	:	सदस्य
8.	अध्यक्ष, **(श्री विश्वनाथ आर. अग्रवाल)**, पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पीडीईएक्ससीआईएल), जीसी-2, भूतल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खेरानी रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), **मुंबई - 400 072**	:	सदस्य
9.	अध्यक्ष, **(श्री सुनील पटवारी)**, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, इंजीनियरिंग केंद्र, पांचवीं मंजिल, 9, मैथ्यू रोड, **मुंबई - 400 004**	:	सदस्य
10.	अध्यक्ष, **(श्री भद्रेश एम दोधिया),** सिंथेटिक्स और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, रेशम भवन, चर्चगेट, **मुंबई - 400 020**	:	सदस्य
11.	अध्यक्ष, **(श्री एम. संकर),** वस्त्र मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, 53, मित्तल चेम्बर्स, 5वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, **मुंबई - 400 021**	:	सदस्य
12.	प्रधान सचिव, **(श्री चंद्रजीत बनर्जी),** भारतीय उद्योग परिसंघ, 23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, **नई दिल्ली - 110 003**	:	सदस्य

वस्त्र समिति

13.	अध्यक्ष, **(श्री नरेन्द्र गोयंका),** परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, अपैरल हाउस, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 44, **गुड़गांव - 122 003**	:	सदस्य
14.	अध्यक्ष, **(श्री रोमेश खजुरिया)**, ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद, 614, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग, 21, बाराखंबा रोड, **नई दिल्ली - 110 001**	:	सदस्य
15.	अध्यक्ष, **(श्री भरत टी. गांधी),** फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री, ससमीरा, तीसरी मंजिल, ससमीरा मार्ग, **वर्ली, मुंबई - 400 025**	:	सदस्य

3.0 संगठन चार्ट

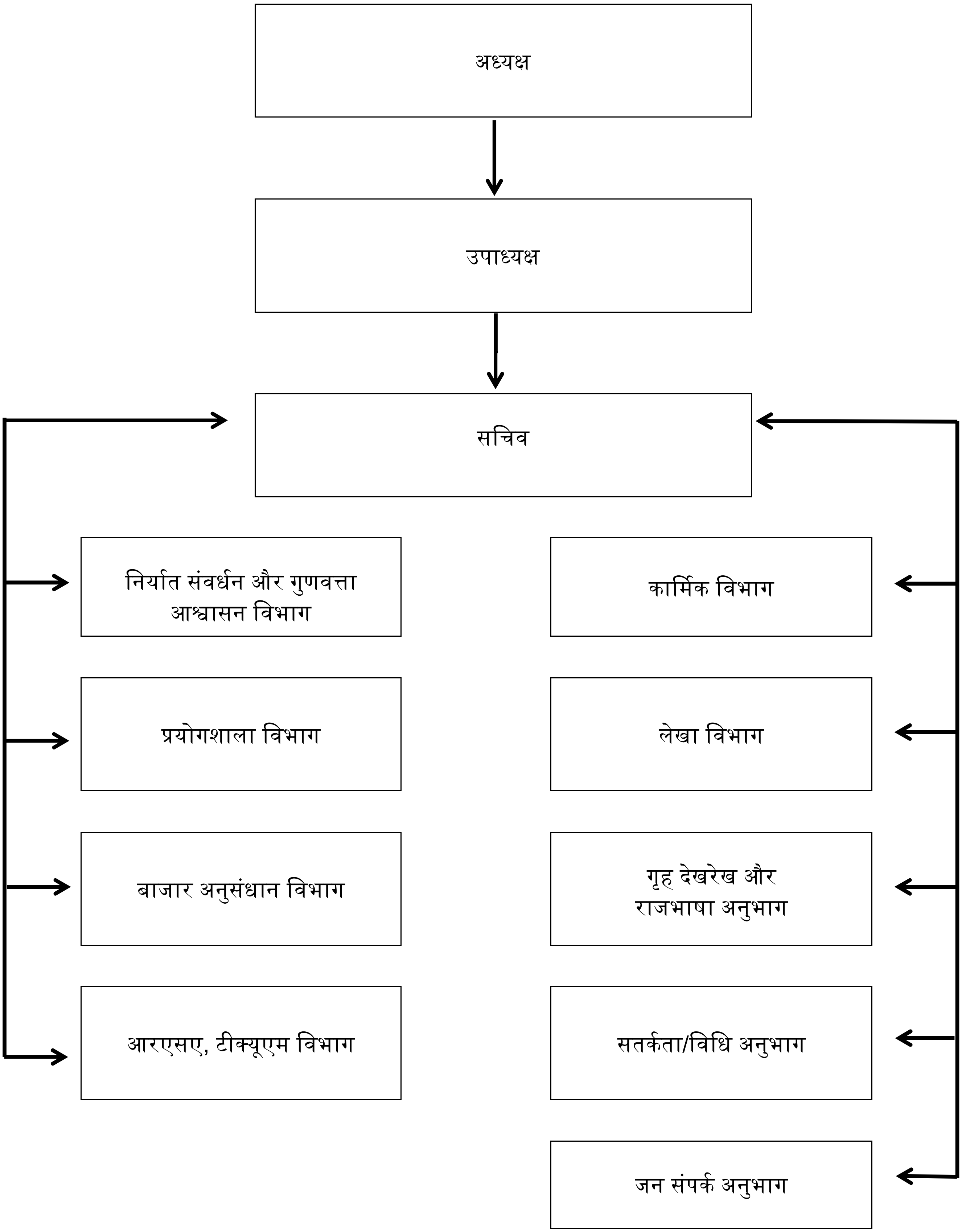
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सचिव
निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन विभाग
प्रयोगशाला विभाग
बाजार अनुसंधान विभाग
आरएसए, टीक्यूएम विभाग
कार्मिक विभाग
लेखा विभाग
गृह देखरेख और राजभाषा अनुभाग
सतर्कता/विधि अनुभाग
जन संपर्क अनुभाग

वस्त्र समिति

4.0 स्थापना, संगठन और ढांचा

4.1 स्थापना:

गणतंत्र के अपने 14 वें वर्ष में संसद ने वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) अधिनियमित किया, जिसे 3 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 4 दिसंबर 1963 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। वस्त्र समिति ने, एक संगठन के रूप में 22 अगस्त 1964 से काम करना शुरू किया। अधिनियम की धारा 3 के आधार पर, वस्त्र समिति एक सांविधिक निकाय है, जिसका क्रमिक उत्तराधिकार है। वस्त्र समिति भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

4.2 कार्य:

वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक खपत और निर्यात दोनों उद्देश्यों के लिए वस्त्र और वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। वस्त्र समिति को, वस्त्र और वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अपने मुख्य उद्देश्य के परिणाम के रूप में, अधिनियम की धारा 4 के तहत निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

i) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करना, ईसमें सहायता करना और प्रोत्साहित करना
ii) वस्त्र, वस्त्र मशीनरी और पैकिंग सामग्री के लिए मानक विनिर्देश स्थापित करना
iii) टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना
iv) गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करना
v) वस्त्र और वस्त्र मशीनरी के निरीक्षण और परीक्षण की व्यवस्था करना
vi) वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देना
vii) आंकड़े एकत्र करने के लिए और
viii) वस्त्र और वस्त्र मशीनरी आदि से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना

4.3 प्रबंधन

समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। वस्त्र समिति का प्रबंधन 29 सदस्यों वाली एक समिति द्वारा किया जाता है, जैसा कि वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) और वस्त्र समिति नियम, 1965 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष शामिल है, एक उपाध्यक्ष, जो वस्त्र आयुक्त (पदेन) होता है और एक सचिव, जो सदस्य सचिव के रूप में संगठन का मुख्य कार्यकारी होता है। विभिन्न वस्त्र संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 अन्य पदेन सदस्य हैं, और 14 अन्य सदस्य वस्त्र क्षेत्र के लगभग सभी हितों का

प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति की वर्तमान संरचना पृष्ठ 4 पर 2.0 में दी गई है, जो 24 मार्च, 2024 तक वैध है।

4.4 मुख्यालय और अन्य कार्यालय:

4.4.1 समिति का मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख वस्त्र निर्माण/निर्यात केंद्रों में 23 अन्य कार्यालय हैं | वस्त्र समिति के अखिल भारतीय कार्यालयों में 17 अत्याधुनिक वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 11 इको पैरामीटर परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। अधिकांश प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं और इसलिए वस्त्र व्यापार और उद्योग को प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं।

4.4.2 मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और जयपुर में स्थित कार्यालय समिति के अपने परिसर में हैं। शेष कार्यालय किराए के मकान में हैं।

4.5 कार्यात्मक विभाग:

4.5.1 वस्त्र समिति के कार्यों को निम्नलिखित विभागों/अनुभागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है :-

1. निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन विभाग
2. प्रयोगशाला विभाग
3. बाजार अनुसंधान विभाग
4. आरएसए, टीक्यूएम विभाग
5. कार्मिक विभाग
6. लेखा विभाग
7. गृह देखरेख और राजभाषा विभाग
8. सतर्कता/विधि अनुभाग
9. जनसंपर्क अनुभाग

4.5.2 उपरोक्त विभागों के अलावा, वस्त्र समिति के पास मुंबई में एक अच्छी तरह से स्थापित पुस्तकालय भी है, जिसमें वस्त्र पर तकनीकी किताबें और मैनुअल हैं और वस्त्र पत्रिकाओं और पत्रिकाओं की सदस्यता भी लेते हैं। नियमित गतिविधियों के अलावा, वस्त्र समिति, वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के समय-समय पर दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी लागू कर रही है। वर्तमान में, समिति हैंडलूम मार्क योजना, इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) योजना, जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों की स्टार श्रेणी को कार्यान्वित कर रही है और समर्थ योजना के लिए संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) के रूप में नियुक्त की गई है।

वस्त्र समिति

5.0 विभागवार कार्य

5.1 निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन विभाग

5.1.1 यह विभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

(ए) अधिनियम की धारा 4 (2) (ए) के तहत वस्त्र उद्योग में तकनीकी अध्ययन आयोजित करना

(बी) अधिनियम की धारा 4 (2) (बी) के तहत वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देना

(सी) अधिनियम की धारा 4 (2) (सी) के तहत कपड़ा और पैकिंग सामग्री के लिए मानक विनिर्देशों को स्थापित करना, अपनाना और पहचानना

(डी) अधिनियम की धारा 4 (2) (डी) के तहत वस्त्रों पर आवेदन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करना; तथा,

(ई) अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) के तहत वस्त्र और पैकिंग सामग्री के निरीक्षण और जांच प्रदान करना।

5.1.2 अधिनियम की धारा 4 (2) (जे) के तहत:

(ए) राष्ट्रीय फाइबर नीति के तहत स्पेशलिटी फाइबर के लिए 8 अंकों का आईटीसी एचएस कोड निर्दिष्ट करना

(बी) तकनीकी विनियमों पर राय प्रदान करना

5.1.3 अधिनियम की धारा 4 (2) (जे) के तहत:

(ए) जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों की स्टार रेटिंग का निर्माण और कार्यान्वयन

(बी) हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के लिए स्टार रेटिंग योजना तैयार करना

(सी) हस्तशिल्प मार्क योजना का निर्माण

5.2 प्रयोगशाला विभाग

5.2.1 प्रयोगशाला विभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

(ए) अधिनियम की धारा 4 (2) (ए) के तहत वस्त्र उद्योग में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना

(बी) अधिनियम की धारा 4 (2) (सी) के तहत वस्त्रों के लिए मानक विनिर्देशों को स्थापित करने या अपनाने या पहचानने में सहायता प्रदान करना

(सी) अधिनियम की धारा 4 (2) (एफ) के तहत वस्त्रों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं और परीक्षण गृहों की स्थापना करना

(डी) अधिनियम की धारा 4 (2) (जी) के तहत प्रयोगशालाओं और परीक्षण गृहों में वस्त्र परीक्षण प्रदान करना;

5.3 बाजार अनुसंधान विभाग

5.3.1 बाजार अनुसंधान विभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

(ए) अधिनियम की धारा 4 (2) (ए) के तहत वस्त्र उद्योग और वस्त्र मशीनरी में आर्थिक अनुसंधान करना, सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना

(बी) अधिनियम की धारा 4 (2) (बी) के तहत वस्त्र और वस्त्र मशीनरी के निर्यात को बढ़ावा देना और उस उद्देश्य के लिए प्रचार करना

(सी) अधिनियम की धारा 4 (2) (सी) के तहत वस्त्रों के लिए मानक विनिर्देशों को स्थापित करने या अपनाने या पहचानने में सहायता प्रदान करना

(डी) अधिनियम की धारा 4 (2) (एच) के तहत वस्त्र उद्योग के विकास के लिए (i) वस्त्र निर्माताओं और डीलरों (ii) वस्त्र मशीनरी के निर्माताओं और (iii) कोई अन्य व्यक्ति से आंकड़े एकत्र करना,

(ई) अधिनियम की धारा 4 (2) (आई) के तहत वस्त्र उद्योग के विकास और वस्त्र मशीनरी के उत्पादन से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना;

(एफ) ऐसे अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना जो अधिनियम की धारा 4 (2) (जे) के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं।

5.3.2 अधिनियम की धारा 4 (2) (आई) के तहत:

(ए) उद्योग विशिष्ट अध्ययन, जनगणना और सर्वेक्षण आयोजित करके क्षेत्र के क्षेत्रीय डेटाबेस का निर्माण करना

(बी) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों में बाजार संभावित अध्ययन करना

5.3.3 अधिनियम की धारा 4 (2) (जे) के तहत:

(ए) 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' योजना का कार्यान्वयन करना

(बी) वस्त्र क्षेत्र में मार्केट इंटेलिजेंस (एमआईटी) और बीआईएस द्वारा विकसित मानकों और तकनीकी विनियमों (टीआर) के निर्माण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) की तैयारी और अधिसूचना।

(सी) वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करना जिसमें टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाएं (एनटीबी), क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) आदि के मुद्दे शामिल हैं।

(डी) क्षेत्र विशिष्ट और उत्पाद स्तर प्रतिस्पर्धात्मकता अंतरराष्ट्रीय बाजार में 8 और 10 अंकों के एच एस लाइन आधार पर विश्लेषण करना

(ई) भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) अधिनियम, व्यापार चिह्न अधिनियम, आदि के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण से संबंधित गतिविधियां

(एफ) ब्रांड प्रमोशन, बाजार लिंकेज, उत्पाद की ट्रेसेबिलिटी और जीआई पंजीकृत उत्पादों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए जीआई पश्चात पहल करना।

(जी) व्यापार संबंधी क्षमता निर्माण (टीआरसीबी) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रतिस्पर्धात्मकता आदि सहित वस्त्र मूल्य श्रृंखला (टीवीसी) के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण।

5.3.4 इस विभाग के पास वस्त्र उद्योग और व्यापार पर अनुसंधान और अध्ययन आयोजित करने का समृद्ध अनुभव है। इस विभाग में वस्त्र व्यापार, वैश्वीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी), क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) आदि के मुद्दों पर शोध में विशेषज्ञता रखने वाले शोधकर्ताओं और सांख्यिकीविदों द्वारा काम किया जाता है।

5.3.5 वस्त्रों की घरेलू खपत/मांग पैटर्न पर किए गए प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं में से एक "राष्ट्रीय गृहपरिवार सर्वेक्षण: वस्त्र और परिधान बाजार (एमटीसी)" कहा जाता है। प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति खपत, कुल मांग के रुझान और क्षेत्रीय और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, फाइबर, यार्न और उत्पादों आदि के आधार पर बाजार के आकार जैसे प्रमुख चर के आधार पर वस्त्रों की मांग पैटर्न का अनुमान लगाया गया है। यह देश में इस तरह की एकमात्र रिपोर्ट उपलब्ध है।

5.3.6 बाजार अनुसंधान विभाग की कुछ उपलब्धियां:

(ए) पूरे देश में अंकटाड परियोजना "वस्त्र और वस्त्र क्षेत्र के लिए व्यापार और वैश्वीकरण पर रणनीतियां और तैयारी" को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया।

(बी) पिछले पंद्रह वर्षों के दौरान देश भर में आईपीआर संरक्षण पर 300 से अधिक व्यापार संबंधित क्षमता निर्माण (टीआरसीबी) कार्यशालाओं / सम्मेलनों का आयोजन किया।

(सी) दक्षिण अफ्रीका में लखनऊ चिकन क्राफ्ट का बाजार संभावित अध्ययन पूरा किया।

(डी) भारत के वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग पर जनगणना

(ई) भारतीय परिधान उद्योग में तकनीकी जनशक्ति और प्रशिक्षण आधारभूत संरचना पर अध्ययन

(एफ) भारत में कपास जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों की जनगणना।

(जी) भारत हथकरघा ब्रांड योजना को लागू करने के एक हिस्से के रूप में, 1786 आवेदकों से संबंधित 1998 उत्पादों को वर्ष 2015 में इसकी स्थापना के बाद से पंजीकृत किया गया

है। 2023-24 के दौरान, 133 आवेदकों से संबंधित 136 उत्पादों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

(एच) राजस्थान में पायलट आधार पर भारतीय ऊन क्षेत्र पर अध्ययन।

(आई) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारत सरकार के सहयोग से भारतीय जूट उद्योग और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ इसके संबंधों के आकलन पर अध्ययन।

(जे) भारत में मानव निर्मित फाइबर वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन: अंतराल की पहचान करने के लिए रोडमैप,उपायों का सुझाव।

(के) रोजगार और आय सृजन पर वस्त्र क्षेत्र की पहल के प्रभाव का आकलन।

(एल) जीआई के माध्यम से देश के क्लस्टर आधारित अद्वितीय वस्त्रों और हस्तशिल्प उत्पादों की आईपीआर सुरक्षा के लिए एक इको-सिस्टम विकसित करना और राज्य सरकार, केंद्र सरकार एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से पोस्ट जीआई पहल शुरू करना।

5.4 टीक्यूएम विभाग

5.4.1 यह विभाग निम्नलिखित कार्य करता है :

अधिनियम की धारा 4 (2) (डीए) के तहत गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करना;

5.4.2 अधिनियम की धारा 4 (2) (जे) के तहत:

(ए) आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना

(बी)आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, सामाजिक उत्तरदायित्व (एसए) 8000 मानकों, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आकलन श्रृंखला (ओएचएसएएस) 18001, ऑडियो-विजुअलएड्स, मॉडलमैनुअल, आदि के कार्यान्वयन में परामर्श सेवाएं तथा,

(सी) कुल गुणवत्ता प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

5.5 कार्मिक विभाग

5.5.1 यह विभाग सभी कार्मिकों और अन्य स्थापना संबंधी मामलों, वस्त्र समिति की बैठकों आदि का कार्य करता है।

वस्त्र समिति

5.5.2 सरकार ने वस्त्र समिति का 25.03.2022 से दो साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया था।

5.5.3 वर्ष 2023-24 के दौरान सुश्री रूप राशि वस्त्र आयुक्त और वस्त्र समिति की पदेन उपाध्यक्ष के पद पर बनी रहीं।

5.5.4 श्री एस. पी. वर्मा ने वर्ष 2023-24 तक वस्त्र समिति के सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

5.5.5 वस्त्र समिति, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य वेतन और भत्तों का पालन करती है। इसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन नियमों को भी अपनाया है। यह टीए/डीए, छुट्टी, अवकाश यात्रा रियायत आदि के संबंध में केंद्र सरकार के नियमों का पालन करती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए, वस्त्र समिति ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम को अपनाया है।

5.5.6 वस्त्र समिति केंद्र सरकार के लिए लागू आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / विकलांग व्यक्तियों और अन्य श्रेणियों के लिए भर्ती में आरक्षण प्रदान करती रही है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर भी बनाए रखा जाता है और सभी भर्ती रोस्टर के अनुसार की जाती है।

5.6 लेखा विभाग

5.6.1 यह विभाग निम्नांकित कार्य करता है :

(ए) बजट और वित्तीय योजना

(बी) वेतन और विभिन्न अन्य भुगतानों का आहरण और संवितरण

(सी) वस्त्र समिति अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार विभिन्न लेखा पुस्तकों का रखरखाव और अंतिम लेखा तैयार करना

(डी) वस्त्र समिति अधिनियम की धारा 13 (2) और (3) के अनुसार नियामक सीएजी लेखा परीक्षा के साथ समन्वय

(ई) अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वस्त्र निधि का प्रबंध करना

(एफ) अधिनियम की धारा 5ए के अनुसार उपकर का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण

(जी) वस्त्र समिति उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उत्पन्न होने वाली कानूनी चुनौतियों से निपटना

(एच) जीपीएफ/सीपीएफ ट्रस्ट के तहत फंड और निवेश का प्रबंधन

(आई) विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के तहत निधियों का प्रबंधन

(जे) समय-समय पर संबंधित अधिकारियों को विभिन्न बयानों / रिपोर्टों और सूचनाओं संकलन प्रस्तुत करना।

5.7 गृह देखरेख और राजभाषा विभाग

5.7.1 गृह देखरेख विभाग कार्यालय और आवासीय आवास के अधिग्रहण और रखरखाव, फर्नीचर, फिक्स्चर, स्टेशनरी की खरीद और आपूर्ति, अप्रचलित वस्तुओं के निपटान आदि को संभालता है। गृह देखरेख विभाग स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन करता है और अपने मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी स्वच्छता अभियान चलाता है।

5.7.2 राजभाषा अनुभाग कार्यालय में राजभाषा अधिनियम के तहत निर्धारित दैनिक कामकाज में हिंदी के कार्यान्वयन का कार्य संभालता है।

5.8 सतर्कता / विधि अनुभाग

5.8.1 यह अनुभाग वस्त्र समिति के कर्मचारियों के आचरण और अनुशासन से संबंधित मामलों को संभालता है।

5.9 जनसंपर्क अनुभाग

5.9.1 यह अनुभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य करता है:

(ए) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता

(बी) वस्त्र उद्योग और अन्य संबंधित संगठनों के लिए प्रशिक्षण हॉल, बोर्ड कक्ष और सभागार की बुकिंग।

(सी) वस्त्र समिति की गतिविधियों को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।

(डी) वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल कार्य।

6.0 संसाधन, जनशक्ति, वित्त, विधि और लेखा

6.1 समिति का मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख वस्त्र निर्माण/निर्यात केंद्रों में 23 अन्य कार्यालय हैं | वस्त्र समिति के अखिल भारतीय कार्यालयों में 17 अत्याधुनिक वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 11 इको पैरामीटर परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इस प्रकार उद्योग को प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए उसके पास एक अच्छी तरह से विस्तारित बुनियादी ढांचा है।

6.2 कर्मचारी संख्या

समिति में योग्य तकनीकी अधिकारी और अन्य सहायक लिपिकीय कर्मचारी हैं। 31 मार्च, 2022 को स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	ग्रुप	तकनीकी	गैर-तकनीकी	कुल
1.	ए	70	10	80
2.	बी	136	20	156
3.	सी	59	221	280
कुल		**265**	**251**	**516**

6.3 वित्त: एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि

वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की स्थापना करते हुए वस्त्र समिति कार्यालय ने इसे अपने उद्देश्य के लिए वस्त्र और वस्त्र मशीनरी के निर्माण पर उपकर (सेस) लगाने और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क और शुल्क लगाने के माध्यम से आवश्यक धन एकत्र करने में सक्षम बनाया। तद्नुसार, वस्त्र समिति अपने बजट का आवंटन सरकार से उपकर के उदग्रहण एवं संग्रहण दिनांक 01.04.1975 से 31.05.2007 तक प्राप्त कर रही थी। तथापि, सरकार द्वारा वस्त्र और वस्त्र मशीनरी पर सेस ड्यूटी में 01.06.2007 से छूट दी गई थी। इसके बाद, इसका खर्च भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और वस्त्र समिति द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के माध्यम से उत्पन्न आंतरिक राजस्व के माध्यम से किया जाता रहा है।

6.4 सरकार से प्राप्त अनुदान (सहायता)

(लाख रु में)

2023-24	2022-23
5480.00	**5979.00**

6.5 आंतरिक राजस्व

वर्तमान में समिति निरीक्षण और प्रमाणन सेवाओं, प्रयोगशाला परीक्षण, टीक्यूएम परामर्श, बाजार अनुसंधान गतिविधियों, विभिन्न योजनाओं/हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन आदि के माध्यम से आंतरिक राजस्व अर्जित करती है।

वर्ष	2023-24	2022-23
राशि लाख रु में	3893.88	2827.79

6.6 व्यय:

6.6.1 समिति का व्यय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधियों से और आंशिक रूप से समिति के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है। समिति का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च है और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। समिति का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखों के साथ संसद के समक्ष रखा जाता है।

6.6.2 बजट व्यय और वास्तविक व्यय नीचे दर्शाया गया है:

क्र सं.	विवरण	2023-24	2022-23
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बजटीय व्यय	8220.00	10425.00
2.	वास्तविक व्यय	7878.39	7892.64

नोट: सरकार से प्राप्त राशि के बीच का अंतर और व्यय, समिति की आंतरिक प्राप्ति द्वारा पूरा किया गया था।

6.6.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने वर्ष 2023-24 के लिए समिति के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और उनकी अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट क्रमशः **परिशिष्ट I और परिशिष्ट II** में देखी जा सकती है। सीएजी ने वर्ष 2012-13 में अपनी लेखापरीक्षा के दौरान देखा था कि 2002-03 से 2011-12 की अवधि के लिए आयकर के भुगतान के लिए देनदारी मौजूद है, क्योंकि वस्त्र समिति की आय को आयकर अधिनियम, 1961 के दायरे से बाहर नहीं किया गया है। 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में लेखापरीक्षा अवलोकन में इसे दोहराया गया था। छूट प्रदान करने का मामला वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से राजस्व विभाग के साथ उठाया गया है और प्रक्रियाधीन है।

6.7 **कानूनी गतिविधियाँ**: वस्त्र समिति का विधि अनुभाग कानूनी मामलों / अदालती मामलों आदि को संभालने में विभिन्न विभागों की सहायता करता है।

वस्त्र समिति

6.8 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय:

वस्त्र समिति ने कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करने और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत किसी भी उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। वस्त्र मंत्रालय के मार्गदर्शन में वस्त्र समिति द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान / योग / खेल में कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं के साथ-साथ आम जनता की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है |

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अंतर्गत, इस अवधि के लिए अपेक्षित विवरण निम्नानुसार हैं:

दर्ज मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	1

विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम की धारा 33 के तहत कोटा के अंतर्गत समूह 'ए', 'बी', 'सी' में विभिन्न पदों पर विभिन्न विकलांग व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

ग्रुप	स्वीकृत कर्मचारी	विकलांग व्यक्ति संख्या
ग्रुप ए	80	1
ग्रुप बी	156	1
ग्रुप सी	280	2

7.0 सतर्कता गतिविधियां

7.1 समिति के कर्मचारियों से संबंधित सभी सतर्कता मामलों पर वस्त्र समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए समिति में वर्ष 1981 में अलग सतर्कता अनुभाग की स्थापना की गई।

7.2 सतर्कता अनुभाग, सतर्कता, सार्वजनिक सेवा में दक्षता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों सहित सतर्कता से संबंधित सभी मामलों पर सरकार और सीवीसी द्वारा जारी विभिन्न नीतियों, निर्देशों और आदेशों और दिशानिर्देशों को लागू करता है।

7.3 वस्त्र समिति की भूमिका नियामक से सुविधाकर्ता में बदलने के कारण, संगठन में सतर्कता संवेदनशील गतिविधियों में काफी कमी आई है।

7.4 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, वस्त्र समिति ने 30.10.2023 से 05.11.2023 तक मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का विषय था “भ्रष्टाचार को ना कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें”।

7.5 वर्तमान में बड़ी/छोटी कार्यवाही का विवरण;

(ए) वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान एकत्रित सेवा शुल्क के दुरुपयोग की जांच के लिए वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालय, नारायणा, नई दिल्ली में गठित प्रारंभिक जांच दल (पीआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर, मामला 23.12.2016 को केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है। सीबीआई ने इस संबंध में 20.12.2017 को एफआईआर संख्या आरसी-डीएआई-2017-ए-0040 दर्ज किया है और सीबीआई जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की गई है। मामला 1 ग्रुप बी कर्मचारी और 2 ग्रुप सी कर्मचारियों के खिलाफ विचाराधीन है। उपरोक्त के अलावा, सीबीआई ने एक ग्रुप बी कर्मचारी के खिलाफ मामूली दंड की सिफारिश की और विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है।

(बी) एक ग्रुप-ए कर्मचारी को सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत आरोप पत्र दिया गया था और जांच पूरी हो गई है। आरोपी अधिकारी से जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन/उत्तर प्राप्त हुआ। मामला प्रगति पर है।

भाग - II : वर्ष 2023-24 के दौरान विभागों का कार्य निष्पादन

8.0 निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन (ईपीक्यूए) विभाग का कार्य निष्पादन:

8.1 निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन विभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

i) अधिनियम की धारा 4(2)(ए) के तहत वस्त्र उद्योग में तकनीकी अध्ययन आयोजित करना

ii) अधिनियम की धारा 4(2)(बी) के तहत वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देना

iii) अधिनियम की धारा 4(2)(सी) के तहत वस्त्र और पैकिंग सामग्री के लिए मानक विनिर्देशों की स्थापना, स्वीकार और मान्यता प्रदान करना

iv) अधिनियम की धारा4(2)(डी) के तहत वस्त्रों पर लागू किए जाने वाले गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करना

v) अधिनियम की धारा 4(2)(डीए) के तहत वस्त्रों पर लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करना

vi) अधिनियम की धारा 4(2)(ई) के तहत वस्त्रों की पैकिंग में प्रयुक्त वस्त्रों और पैकिंग सामग्री के निरीक्षण और परीक्षण की व्यवस्था करना

vii) वस्त्र उद्योग के विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देना और ऐसे अन्य मामलों के लिए व्यवस्था प्रदान करना जो केंद्र सरकार द्वारा क्रमशः अधिनियम की धारा 4(2)(आई)और 4(2)(जे) के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं।

8.2 इस विभाग का प्रमुख एक निदेशक है, इनको मुख्यालय, मुंबई और अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात प्रशासनिक कर्मचारियों के अलावा संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों और गुणवत्ता आश्वासन अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अधिकारी योग्य टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट हैं।

8.3 निर्यात संवर्धन में सहायता के लिए गुणवत्ता निरीक्षण करने के अलावा, विभाग विभिन्न एकपक्षीय/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों/योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकतानुसार निर्यातकों को निम्नलिखित अधिमान्य और गैर-अधिमान्य प्रमाणपत्र भी जारी करता है।

8.3.1 अधिमान्य प्रमाणपत्र:

ए) **अधिमानो की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) के तहत मूल प्रमाण पत्र:** अधिमानो की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) की योजना के तहत, समिति निर्यातकों को वस्त्र और वस्त्र वस्तुओं के लिए फॉर्म-ए में जीएसपी प्रमाणपत्र जारी करती है। वस्त्र समिति द्वारा 1971 से जीएसपी की योजना के अंतर्गत मूल प्रमाण जारी किया जाता रहा है। यह प्रमाणपत्र आयातकों को आयात करते समय शुल्क अधिमानो का दावा करने में सक्षम बनाता है।

बी) **वस्त्र और मेड-अप के लिए पंद्रह व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति का प्रमाण पत्र:** वस्त्र समिति भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (आईजेसीईपीए) के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा वस्त्र और मेड-अप के निर्यात के लिए राजपत्र अधिसूचना संख्या 59/2009-2014 (आरई-2013) दिनांक 15.05.2014 के तहत वस्त्र और मेड-अप के निर्यात के लिए उत्पत्ति का प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने के लिए अधिकृत है। इसके बाद, डीजीएफटी ने सार्वजनिक सूचना संख्या 67/2015-2020 दिनांक 30.03.2016 के तहत वस्त्र समिति को वस्त्र और मेड-अप के लिए ग्यारह और व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है। डीजीएफटी के विभिन्न सार्वजनिक नोटिसों के अनुसार, वस्त्र समिति वस्त्र और मेड-अप के लिए 15 (पंद्रह) एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के लिए उत्पत्ति के प्रमाण पत्र जारी करती है। सभी सीओओ डीजीएफटी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से जारी किए जा रहे हैं।

8.3.2. मूल प्रमाण पत्र (गैर-अधिमान्य): वस्त्र समिति को जुलाई 2005 से मूल प्रमाण पत्र (गैर-अधिमान्य) जारी करने के लिए भी अधिकृत किया गया है ताकि निर्यातक निर्यात की गई सामग्री के मूल देश को स्थापित कर सकें।

8.3.3 हथकरघा प्रमाणपत्र: विकसित देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के तहत, समिति समिति हथकरघा वस्त्र वस्तुओं का सीमित निरीक्षण करने के बाद हथकरघा और कुटीर उद्योग प्रमाण पत्र जारी कर रही है।

8.3.4 आयात कोटा की निगरानी:

i) **आईएसएफटीए के तहत टैरिफ दर कोटा प्रमाणपत्र (टीआरक्यूसी):** भारत सरकार ने आईएसएफटीए के तहत श्रीलंका से रेडीमेड कपड़ों के आयात के लिए कोटा की निगरानी के लिए वस्त्र समिति को अधिकृत किया है। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते

(आईएसएफटीए) के तहत टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) पर श्रीलंका से भारत में परिधान वस्तुओं के आयात के लिए प्रक्रियात्मक व्यवस्था के अनुसार, वस्त्र कोटा बोर्ड और वाणिज्य विभाग को श्रीलंका से भारत में परिधान वस्तुओं के निर्यात के लिए कोटा और मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है और भारत के मामले में वस्त्र समिति को टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) मापदंडों की निगरानी के लिए नामित किया गया है।

ii) **भारत- नेपाल व्यापार संधि के तहत नेपाल से ऐक्रेलिक यार्न का आयात:** भारत-नेपाल व्यापार संधि के तहत नेपाल से ऐक्रेलिक यार्न के आयात की प्रक्रिया के अनुसार वस्त्र समिति को भारत में ऐक्रेलिक यार्न के आयात के लिए निगरानी एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है।

8.3.5 **वस्त्रों का वर्गीकरण:** वस्त्र समिति वस्त्र उद्योग एवं व्यापार को सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एच.एस. कोड) के तहत वस्त्र एवं वस्त्र वस्तुओं के वर्गीकरण पर सेवाएं प्रदान करती है। यह सेवा मुख्य रूप से वस्त्र निर्यातकों, आयातकों और भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती है।

8.3.6 **पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स):** यूरोपीय संघ, स्विटजरलैंड और नॉर्वे ने माल की उत्पत्ति को प्रमाणित करने के लिए 'पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स सिस्टम)' नामक एक स्व-प्रमाणन योजना शुरू की है, जो जीएसपी के तहत मूल प्रमाण पत्र फॉर्म-ए की जगह लेगी। इस योजना के तहत, आरईएक्स पंजीकरण संख्या वाले निर्यातक चालान जैसे वाणिज्यिक दस्तावेज़ पर यूरोपीय संघ, स्विटजरलैंड और नॉर्वे को निर्यात किए जा रहे अपने माल के "मूल पर विवरण" को स्वयं प्रमाणित करते हैं। आरईएक्स सिस्टम को भारत में डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 51/(2015-2020) के माध्यम से 01.01.2017 से शुरू किया गया था।

भारत सरकार ने वस्त्र समिति को पंजीकरण के लिए स्थानीय प्रशासकों में से एक के रूप में और वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों को आरईएक्स सिस्टम के तहत वस्त्र और मेड अप के निर्यातकों को पंजीकृत करने के लिए स्थानीय उपयोगकर्ता (पंजीकरण प्राधिकरण) के रूप में नामित किया है। तदनुसार, वस्त्र समिति ने परिपत्र संख्या ए-869 एवं व्यापार नोटिस दिनांक 16.01.2017 के तहत स्व-प्रमाणन सुविधा का लाभ उठाने के लिए वस्त्र एवं मेड-अप के निर्यातकों को आरईएक्स प्रणाली के तहत पंजीकृत करने की सेवाएं शुरू कर दी हैं।

मार्च 2024 तक 6250 निर्यातकों को आरईएक्स के तहत पंजीकृत किया गया है।

8.4 2023-24(अप्रैल 2023 से मार्च 2024) और 2022-23(अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के दौरान ईपीक्यूए विभाग द्वारा की गई गतिविधियों को नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं	विवरण	2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)
1.	आईएसओ-17020 के तहत गुणवत्ता निरीक्षण (लोंट संख्या)	846	464
2.	(एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए) के तहत किए गए भौतिक सत्यापन की संख्या	1511	1276
3.	जारी किए गए जीएसपी प्रमाणपत्रों की संख्या	11578	13764
4.	जारी किए गए मूल प्रमाणपत्रों की संख्या (गैर-अधिमान्य)	7785	10598
5.	जारी किए गए एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए प्रमाणपत्रों की संख्या	35665	25798
6.	हथकरघा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए करघा मूल के लिए सीमित निरीक्षण के तहत जांच की गई लॉट की संख्या	67	56
7.	जारी किए गए हथकरघा और अन्य विशेष प्रमाणपत्रों की संख्या	141	136
8.	एचएसकोड, विवरण आदि के लिए वर्गीकृत नमूनों की संख्या	3946	3232
9.	पंजीकृत नए निर्यातकों की संख्या	698	831
10.	नवीकृत पंजीकरणों की संख्या	2414	2270
11.	मूल के रिक्त प्रमाण पत्र की बिक्री (गैर-अधिमान्य) प्रपत्र	2170	3128
12.	सीओओ (एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए) की बिक्री	0	50
13.	द्विपक्षीय समझौते के तहत रिक्त प्रमाणपत्रों की बिक्री	198	241
14.	आईएसएफटीए के तहत आरएमजी के आयात कोटा की निगरानी के लिए टीआरक्यूसी पर समर्थन	455	775
15.	भारत-नेपाल व्यापार संधि (मीट्रिक टन में) के तहत ऐक्रेलिकयार्न के आयात कोटा की निगरानी के लिए टीआरक्यूसी पर समर्थन)	3491	4605
16.	जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों की रेटिंग के लिए पंजीकृत इकाइयों की संख्या	14	28
17.	हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के लिए रेटिंग योजना तैयार करना	एक परियोजना	एक परियोजना
18.	हस्तशिल्प मार्क योजना तैयार करना	एक परियोजना	एक परियोजना
19.	खादी मार्क योजना- खादी उद्योग का सत्यापन	एक परियोजना	एक परियोजना
20.	विभिन्न टीयूएफएस के तहत कपड़ा इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण	189	308
21.	ऊपर क्र. सं.1 से 20 में गतिविधियों के लिए उत्पन्न कुल राजस्व (करोड़ रुपये में)	**9.37**	**7.71**

वस्त्र समिति

8.5 निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता आश्वासन विभाग द्वारा वर्ष अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान अर्जित सेवा-वार राजस्व नीचे दिखाया गया है:

ईपीक्यूए विभाग द्वारा सेवा-वार राजस्व अर्जन
(अप्रैल 2023 से मार्च 2024)

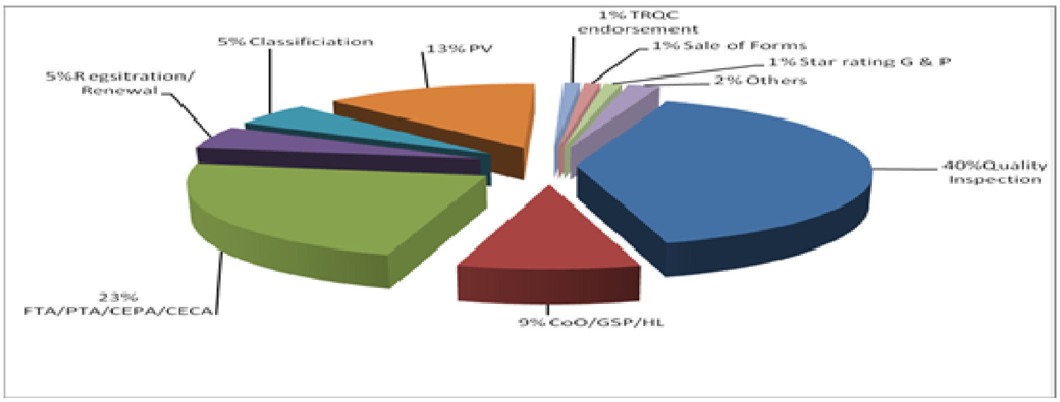

कुल राजस्व संग्रह में गुणवत्ता निरीक्षण का योगदान (40%) है, विभिन्न एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईए के तहत उत्पत्ति के प्रमाण पत्र जारी करने का योगदान (23%) है, और जीएसपी/सीओओ(एनपी)/हैंडलूम प्रमाणपत्रों का योगदान (9%) है। जबकि पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क से राजस्व संग्रह का योगदान (5%) है, वर्गीकरण का योगदान (5%) है, जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों का मूल्यांकन (1%) है, विभिन्न रिक्त प्रमाणपत्रों की बिक्री (1%) है, और अन्य सेवाएँ जैसे टीआरक्यूसी एंडोर्समेंट, पोस्ट वेरिफिकेशन विजिट (आरईएक्स), एनएसआईसी, हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के लिए रेटिंग योजना आदि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान कुल राजस्व का (2%) है।

8.6 ईपीक्यूए विभाग द्वारा 2018-19 से 2023-24 तक अर्जित किया राजस्व निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है:

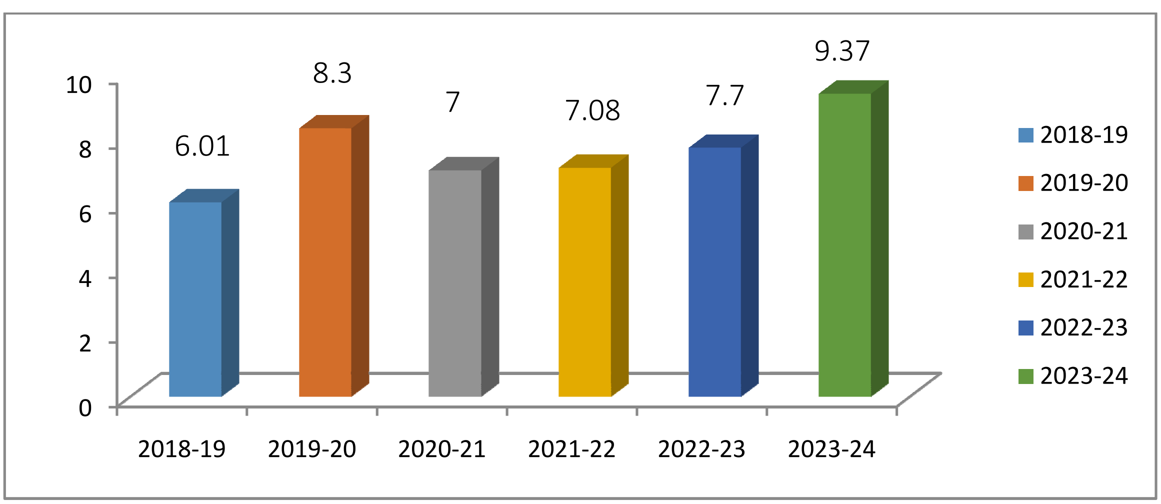

उपरोक्त चार्ट 2018-19 से 2023-24 तक ईपीक्यूए विभाग के राजस्व संग्रह में रुझान दर्शाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में विभाग के राजस्व सृजन में रुझान क्रमशः (+) 1.14% (2021-22), (+) 8.90% (2022-23) और (+)21.69% (2023-24) है।

8.7 विकासात्मक गतिविधियाँ:

8.7.1 जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों के मूल्यांकन और श्रेणीकरण पर योजना:-

वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.4.2008 के पत्र के माध्यम से "जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों के मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण" का कार्य वस्त्र समिति को सौंपा गया था। इकाइयों का मूल्यांकन नवंबर 2009 से शुरू हुआ। श्रेणीकरण के लिए 1274 इकाइयों को पंजीकृत किया गया तथा 1239 इकाइयों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है।

मार्च 2024 तक मूल्यांकन और श्रेणीकरण की स्थिति के आंकड़े

नामांकित आवेदन	1274
मूल्यांकन की गई इकाइयों की संख्या	1239
श्रेणीकृत(रेटेड) इकाइयों की संख्या	1239
5 स्टार रेटेड इकाइयां - 85	
4 स्टार रेटेड इकाइयां - 221	
3 स्टार रेटेड इकाइयां - 345	
2 स्टार रेटेड इकाइयां - 414	
एक स्टार रेटेड इकाइयां - 53	
एक स्टार (सीमित अवधि के लिए) - 78	
अनंतिम रूप से रेटेड इकाइयों की संख्या- 43	

8.7.2 हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के लिए श्रेणीकरण योजना

ए) वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने वस्त्र समिति से हस्तनिर्मित कालीन उद्योगों के लिए 50 लाख रुपये के शुल्क पर एक रेटिंग योजना तैयार करने का अनुरोध किया। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) से 25,00,000/- रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त हुई।

बी) तदनुसार, वस्त्र समिति ने प्रमुख कालीन केंद्रों पर एक अध्ययन किया, हाथ से बने कालीन उद्योगों के लिए एक रेटिंग योजना तैयार की और उसे विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को सौंप दिया।

सी) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने पत्र संख्या: के-12012/4/11/2016-17/आर एंड डी दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से पूर्ण की गई गतिविधियों के लिए दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में 18,94,500/- रुपये की मंजूरी दी थी। तदनुसार, उक्त राशि 2023-24 की अवधि के दौरान वस्त्र समिति को प्राप्त हुई।

8.7.3 हैंडीक्राफ्ट मार्क योजना:

ए) माननीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08.11.2016 को हैंडीक्राफ्ट मार्क के लिए हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित हैंडीक्राफ्ट मार्क पर आगे का कार्य वस्त्र समिति द्वारा नॉलेज पार्टनर के रूप में अखिल भारतीय कारीगरों और शिल्प,वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एआईएसीए) और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स (ईपीसीएच) के सहयोग से किया जाएगा।

बी) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने वस्त्र समिति से प्रथम चरण में ब्लॉक प्रिंट, जयपुर के ब्लूपॉटरी, पिलाखुआ और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी और पत्थर की नक्काशी के चार उत्पादों के लिए हैंडीक्राफ्ट मार्क के कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्ताव/ कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया।

सी) तदनुसार, वस्त्र समिति ने पहले चरण में उक्त चार उत्पादों के लिए हैंडीक्राफ्ट मार्क योजना तैयार करने के लिए एक अवधारणा प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

डी) तत्पश्चात, 23.03.2018 को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वस्त्र समिति पिलखुआ और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी के चार शिल्प के बजाय एक शिल्प के लिए हैंडीक्राफ्ट मार्क की अवधारणा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

ई) तदनुसार वस्त्र समिति ने 14,96,594/- रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ पिलाखुआ और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी के लिए हैंडीक्राफ्ट मार्क योजना तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा अनुमोदित किया गया।

एफ) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय से रु. 7,48,297/- प्राप्त हुए हैं, जो कि हैंडीक्राफ्ट मार्क के लिए योजना तैयार करने के लिए रु.14,96,594/- की स्वीकृति राशि की पहली किस्त है।

जी) संबंधित शिल्प में अपेक्षित ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की पहचान ज्ञान भागीदारों के परामर्श से की गई थी।

एच) 09.10.2018 से 12.10.2018 तक पिलखुवा, सहारनपुर और नई दिल्ली में विशेषज्ञों के साथ आयोजित हस्तशिल्प मार्क योजना के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक अध्ययन किया गया।

आई) इसके बाद, हैंडीक्राफ्ट मार्क योजना की अवधारणा के लिए ज्ञान भागीदारों और विशेषज्ञों के साथ 08.01.2019 को एक विचार मंथन का आयोजन किया गया।

जे) प्रारंभिक अध्ययन और मंथन सत्र के दौरान चर्चा के आधार पर हैंडीक्राफ्ट मार्क योजना का मसौदा तैयार किया गया है और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को प्रस्तुत किया गया।

8.7.4 खादी मार्क : केआई का सत्यापन

ए) भारत सरकार ने भारत में खादी और खादी उत्पादों के उत्पादन, बिक्री या व्यापार को विनियमित करने के लिए खादी मार्क विनियम, 2013 (इसके बाद "उक्त नियमों" के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित किया है।

बी) उक्त विनियम किसी भी व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्थानों द्वारा खादी या खादी उत्पादों के रूप में किसी भी रूप या तरीके से बिना खादी मार्क टैग या उक्त नियमों के तहत जारी किए गए लेबल के बिना वस्त्रों की बिक्री पर रोक लगाते हैं।

सी) व्यक्तियों द्वारा उत्पादित या बेचे या व्यापार किए जा रहे उत्पाद (विनियमों में परिभाषित) को खादी या खादी उत्पाद के रूप में प्रमाणित करने के लिए, खादी मार्क पंजीकरण जारी करने से पहले खादी और खादी उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया और परीक्षण का सत्यापन करने आदि के लिए वस्त्र समिति केवीआईसी द्वारा उत्पादन,गोदाम या बिक्री आउटलेट के स्थान को सत्यापित करने के लिए एकमान्यता प्राप्त एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इस संबंध में वस्त्र समिति ने खादी मार्क योजना के तहत विभिन्न गतिविधियो को लागू करने केलिए 1 मार्च, 2019 को केवीआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया।

डी) समझौता ज्ञापन के अनुरूप वस्त्र समिति ने खादी उत्पादन इकाइयों का दौरा हाथ कताई, हाथ की बुनाईऔरप्राकृतिक फाइबर के उपयोग का पता लगाया। कपास, रेशम या ऊन या तो अकेले या ऐसे रेशों के उपयुक्त मिश्रण में सत्यापन करके सत्यापन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और चलाने के लिए शुरू किया। अब तक वस्त्र समिति ने 511 खादी संस्थानों का सत्यापन किया है और उसके अनुसार नमूने लिए जाते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है |

ई) सत्यापन यात्राओं के दौरान वस्त्र समिति के अधिकारी खादी संस्थानों के उत्पादन और बिक्री के आधार पर खादी मार्क लेबल पात्रता का आकलन करते हैं। सत्यापन के दौरान खादी संस्थान से यादृच्छिक(रँडम) रूप से नमूने लिए जाते हैं और आवश्यक मापदंडों के लिए वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है।

एफ) एमओयू मार्च 2024 तक समाप्त हो गया और इसे आगे नवीनीकृत नहीं किया गया। एमओयू अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवा के लिए केवीआईसी से 6,58,56,927/- रुपये का शेष भुगतान अभी भी प्राप्त होना बाकी है।

8.8 एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत एम एंड एसएमई के पंजीकरण के लिए निरीक्षण एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ पैनल बनाना

एमएसएमई मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), ऐसे एमएसई के माध्यम से सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को पंजीकृत करता है। एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत एमएंडएसई को पंजीकृत करने के लिए, एनएसआईसी की सूचीबद्ध निरीक्षण एजेंसियों द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। वस्त्र समिति को अखिल भारतीय आधार पर वस्त्र और परिधान क्षेत्र में एमएंडएसई का भौतिक निरीक्षण करने के लिए एक एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2023-24 की अवधि के लिए 07 इकाइयों का भौतिक निरीक्षण किया गया।

8.9 विभिन्न टीयूएफएस के तहत वस्त्र इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण:

ए) वस्त्र मंत्रालय की प्रमुख योजना अर्थात प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और इसके अंतर्गत, संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र वस्त्र इकाइयों को सब्सिडी दी जाती है। सरकार द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा विकसित प्रोटोकॉल के अनुसार एमटीयूएफएस, आरटीयूएफएस और आरआरटीयूएफएस के लाभार्थियों का सत्यापन और निरीक्षण करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित करने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी)में वस्त्र समिति/केंद्रीय रेशम बोर्ड से लिए गए वस्त्र पृष्ठभूमि वाले एक तकनीकी अधिकारी और बैंकों और उद्योग संघों से एक अधिकारी शामिल होंगे।

बी) संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) के संचालन के लिए वस्त्र समिति के चुने गए तकनीकी अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया गया। 2023-24 की अवधि के लिए 189 संयुक्त निरीक्षण किए गए। किए जाने वाले भौतिक निरीक्षण से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए, स्थानीय जेआईटी के लिए प्रति व्यक्ति-दिन 10,000/- रुपये प्लस जीएसटी और बाहरी जेआईटी के लिए प्रति व्यक्ति-दिन 15,000/- रुपये प्लस जीएसटी की दर से शुल्क स्वीकृत किया गया। 01.04.2023 से 31.03.2024 तक कुल 243 मानव-दिवसों का उपयोग किया गया।

8.10 राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी) की सीएसएपीएम योजना के तहत कोर मशीनरी निर्माताओं का डी-नोवा पंजीकरण:

ए) एनजेबी के अनुरोध के आधार पर, वस्त्र समिति (टीसी) एनजेबी, कोलकाता के जूट विविध उत्पादों के लिए सीएसएपीएम (संयंत्र और मशीनरी योजना के अधिग्रहण के लिए पूंजीगत सब्सिडी) के तहत कोर मशीनरी निर्माताओं / विक्रेताओं के डी-नोवा पंजीकरण का कार्य लेने के लिए सहमत हो गई है।

बी) स्थानीय इकाइयों के सत्यापन के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 + जीएसटी, जहां कोई दौरा शामिल नहीं है और उन इकाइयों के सत्यापन के लिए प्रति व्यक्ति रु 15,000 + जीएसटी जहां यात्रा शामिल है, शुल्क निर्धारित किए गए थे।

सी) कोलकाता में कक्षा सत्र सहित सीएसएपीएम योजना के तहत विक्रेताओं के डी-नोवा पंजीकरण के संबंध में 14 अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 06.04.2022 से 08.04.2022 तक निर्धारित किया गया था।

डी) 31 मार्च 2024 तक 11 इकाइयों का सत्यापन पूरा हो चुका है।

ई) इसके बाद, एनजेबी ने वस्त्र समिति (टीसी) से सीएसएपीएम योजना के तहत तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट(टीएआर) तैयार करने का अनुरोध किया है, तदनुसार, अब तक 13 टीएआर पूरे हो चुके हैं।

8.11 जापानी शैली के निरीक्षण पर वस्त्र समिति के अधिकारियों का प्रशिक्षण

ए) मैसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर, जापान के सहयोग से 'औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में जापान-भारत साझेदारी' के तहत एसोसिएशन ऑफ द ओवरसीज टेक्निकल को-ऑपरेशंस एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप (एओटीएस) ने 'जापानी शैली निरीक्षण' पर वस्त्र समिति के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित की थी।

बी) प्रशिक्षण का पहला बैच 10 से 13 जनवरी 2023 तक मुंबई में बीस अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था, प्रशिक्षण का दूसरा बैच 20 फरवरी 2023 को कोलकाता में चार अधिकारियों के लिए और 22 फरवरी 2023 को बारह अधिकारियों के लिए तिरुपुर में तीसरा बैच आयोजित किया गया था।

सी) नवंबर 2023 में, वस्त्र समिति ने एओटीएस, जापान के सहयोग से वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के परिसर में जापानी शैली के निरीक्षण केंद्र की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए व्यापार और उद्योग के हितधारकों के साथ क्षे.का. कोलकाता में एक परामर्श बैठक आयोजित की।

वस्त्र समिति

डी) एओटीएस, जापान ने 29.01.2024 से 30.01.2024 तक मुंबई में वस्त्र समिति के अधिकारियों के लिए जापानी शैली के निरीक्षण और सुई का पता लगाने के तरीकों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इसके अलावा, एओटीएस, जापान के सहयोग से वस्त्र समिति ने एच/एल क्लस्टरों सहित जापानी प्रतिनिधिमंडल के लिए उद्योग के दौरे की व्यवस्था की और पीपीपी मोड के तहत क्षे.का. कोलकाता के परिसर में जापानी शैली के निरीक्षण केंद्र की स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिए 01.02.2024 से 07.02.2024 तक कोलकाता में दूसरे हितधारक परामर्श बैठक की व्यवस्था की।

9.0 प्रयोगशाला विभाग का कार्य निष्पादन:

9.1 वस्त्र समिति की प्रयोगशालाएं

9.1.1 वस्त्र समिति अपनी 17 प्रयोगशालाओं के माध्यम से वस्त्र व्यापार और उद्योग के लिए विनियामक और गैर-विनियामक परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रही है, जिसमें भारत भर के महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों में 11 इको-प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

9.1.2 प्रयोगशाला की स्थापना 1969 में मुंबई में वस्त्र समिति के मुख्यालय में की गई थी। इसके बाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कन्नूर, चेन्नई, कोयंबटूर, कोच्चि, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जेएनपीटी, कानपुर, करूर, कोलकाता, लुधियाना, मदुरै (पीपीपी मोड के तहत), दिल्ली (एनसीआर), पानीपत और तिरुपुर में महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों पर 18 और प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं। प्रधानमंत्री की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत, 2017 के दौरान जेएनपीटी और कोच्चि में दो प्रयोगशालाएँ खोली गईं। हालाँकि, गैर-प्रदर्शन और व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक होने के कारण, पानीपत और कोच्चि की प्रयोगशालाएँ बंद कर दी गईं। बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली (एनसीआर), कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, करूर, मुंबई और तिरुपुर की प्रयोगशालाएँ आईएसओ/आईसी-17025 के अनुसार एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। बेंगलुरु, कन्नूर, चेन्नई, जयपुर, जेएनपीटी, कोलकाता, लुधियाना, करूर, मुंबई, दिल्ली (एनसीआर) और तिरुपुर स्थित प्रयोगशालाओं में इको-परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

9.1.3 वर्ष 2004 के दौरान, वस्त्र समिति क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै के सभी उपकरण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत वस्त्र परीक्षण और विकास केंद्र (टीटीडीसी) को सौंप दिए गए थे। इसके तहत, सभी आवर्ती खर्चों को मदुरै और उसके आसपास के विभिन्न वस्त्र संघों वाले ट्रस्ट द्वारा वहन किया गया था। केंद्र द्वारा उत्पन्न लाभ को वस्त्र समिति और ट्रस्ट के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।

9.1.4 प्रयोगशाला विभाग की संगठनात्मक संरचना में एक निदेशक (प्रयोगशालाएँ) शामिल हैं जिनकी सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी, कनिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी और अन्य प्रशासनिक कर्मचारी हैं।

9.1.5 वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं ने सीआरपीएफ के लिए सूती टी-शर्ट, भारत सरकार के रक्षा (सेना) के आयुध सेवा महानिदेशालय के लिए ट्रैकसूट और महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद, मुंबई के तहत सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म विनिर्देश तैयार करने में सहायता की है।

वस्त्र समिति

9.2 वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं का 2023-24 के दौरान कार्य निष्पादन:

9.2.1 **परीक्षण गतिविधियाँ**: प्रयोगशालाएं राज्य, केन्द्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे, राइट्स एवं सीमा शुल्क, आयातकों, निर्यातकों, निर्माताओं, व्यापारियों और वस्त्र उद्योग से जुड़ी अन्य एजेंसियों जैसे सरकारी संगठनों की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, ताकि मुख्य रूप से वाणिज्यिक परीक्षण योजना के तहत अनुसूचित सेवा शुल्क लगाकर वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

9.2.2 वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं को विभिन्न स्रोतों से परीक्षण के लिए वस्त्र के नमूने प्राप्त होते रहे हैं। नमूने मुख्य रूप से दो श्रेणियों जैसे गैर-नियामक और नियामक के तहत प्राप्त होते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल राजस्व के संदर्भ में वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं का कार्य निष्पादन जिसमें पिछले वर्ष (2022-23) के कार्य निष्पादन के मुकाबले विनियामक और गैर-विनियामक दोनों शामिल हैं,निम्नानुसार है:

(लाख रु में)

क्र. सं.	प्रयोगशाला	उपलब्धि 2023-24	उपलब्धि 2022-23	(%) परिवर्तन (+/-)
1	अहमदाबाद	11.39	9.23	23.40
2	बंगलुरू	101.08	82.81	22.06
3	कन्नूर	4.47	20.64	**-78.34**
4	चेन्नई	145.62	101.89	42.92
5	कोइम्बतुर	133.37	91.13	46.35
6	गुन्तुर	11.00	3.55	209.86
7	हैदराबाद	47.33	77.00	**-38.53**
8	जयपुर	30.76	18.14	69.57
9	कानपूर	53.20	50.27	5.83
10	करुर	10.08	10.17	**-0.88**
11	कोलकाता	69.09	40.20	71.87
12	लुधियाना	42.40	38.34	10.59
13	मुंबई(मुख्यालय)	219.20	116.25	88.56
14	जेएनपीटी	519.14	312.77	65.98
15	नई दिल्ली(एनसीआर)	151.01	150.18	0.55
16	तिरुपुर	64.26	68.36	**-6.0**
	कुल	**1613.40**	**1190.93**	**35.47**

प्रयोगशाला विभाग और टीटीडीसी मदुरै द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नमूनों के परीक्षण से प्राप्त राजनिस्व निम्नानुसार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	2023-24 के दौरान प्राप्त राजस्व (लाख रु. में)
1	इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी)	15.67
2	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	शून्य
3	टीटीडीसी मदुरै (पीपीपी आधारित मॉडल)	11.53
	कुल	**27.20**

9.2.3 प्रयोगशालाओं द्वारा 2023-24 के दौरान कुल 1613.40 लाख रुपये (केवीआईसी और आईएचबी को छोड़कर) राजस्व अर्जित किया गया, जो 2022-23 के दौरान अर्जित 1190.93 लाख रुपये के राजस्व से 35.47% अधिक है। कन्नूर, हैदराबाद, करूर और तिरुपुर को छोड़कर सभी प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन सकारात्मक रहा। नकारात्मक प्रदर्शन वाली प्रयोगशालाओं को अपने राजस्व सृजन में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

9.2.4 **भारत हथकरघा ब्रांड:** हथकरघा उत्पादों में गुणवत्ता सुनिश्चित करके हथकरघा क्षेत्र के लिए एक प्रीमियम ब्रांड को बढ़ावा देने और बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए उच्च-स्तरीय उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के एक हिस्से के रूप में, माननीय प्रधान मंत्री ने 7 अगस्त 2015 को "भारत हथकरघा ब्रांड" योजना शुरू की थी। 'भारत हथकरघा ब्रांड' हस्तनिर्मित उत्पादों की तलाश करने वाले उच्च-स्तरीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता, सामाजिक और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पर आधारित है। वस्त्र समिति प्रयोगशालाएँ हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण कर रही हैं। एक बार जब उत्पाद सभी गुणवत्ता मापदंडों का अनुपालन करता है, तो वस्त्र समिति द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 2023-24 के दौरान प्रयोगशालाओं ने 294 नमूनों का परीक्षण किया है और परीक्षण शुल्क के रूप में 13.23 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

9.2.5 **खादी मार्क के लिए खादी के नमूनों का परीक्षण:** वस्त्र समिति प्रयोगशालाएँ खादी मार्क के लिए खादी उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खादी नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। 2023-24 के दौरान प्रयोगशालाओं ने 1578 नमूनों का परीक्षण किया है और परीक्षण शुल्क के रूप में 21.49 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

9.2.6 राजस्व के हिस्से के साथ प्रयोगशाला का कार्य निष्पादन: 2023-24 के दौरान उत्पन्न कुल राजस्व के प्रतिशत हिस्से के रूप में प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिखाया गया है।

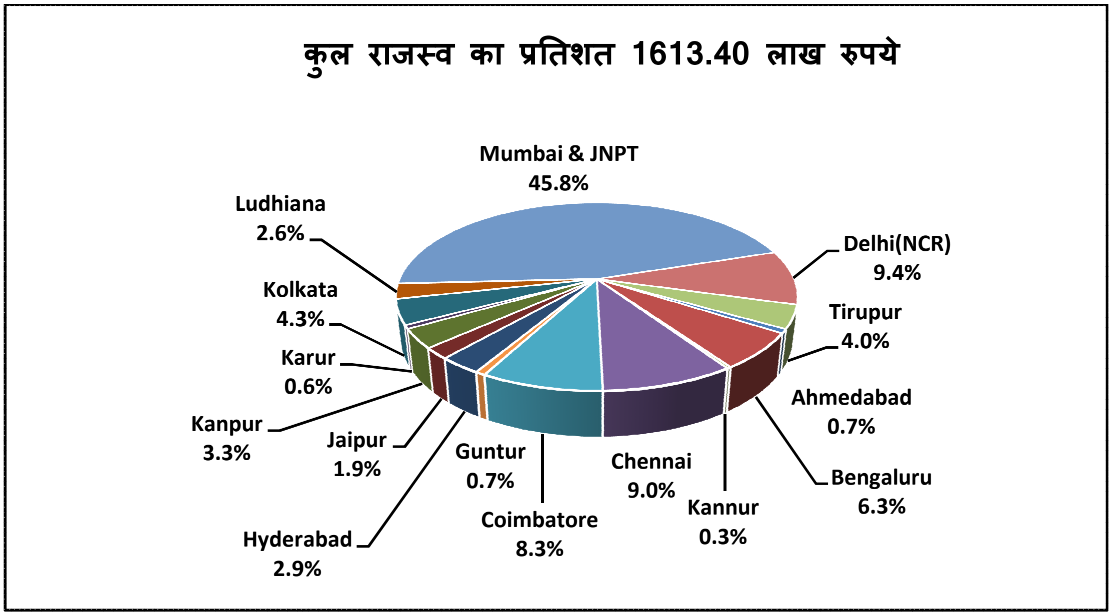

वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं द्वारा गैर-विनियामक और विनियामक परीक्षण के माध्यम से 2023-24 के दौरान उत्पन्न कुल राजस्व 1613.40 लाख रुपये (केवीआईसी और आईएचबी को छोड़कर) है। मुंबई और जेएनपीटी प्रयोगशालाएँ 45.8% के योगदान के साथ कुल राजस्व में हिस्सेदारी के मामले में शीर्ष पर हैं, इसके बाद दिल्ली-एनसीआर (9.4%), चेन्नई (9.0%), कोयंबटूर (8.3%), बेंगलुरु (6.3%), कोलकाता (4.3%), तिरुपुर (4.0%), कानपुर (3.3%), हैदराबाद (2.9%), लुधियाना (2.6%), जयपुर (1.9%) हैं। अहमदाबाद, गुंटूर, करूर और कन्नूर में प्रयोगशालाओं का राजस्व योगदान 1% से कम है जैसा कि ऊपर पाई चार्ट में दिखाया गया है।

9.2.7 राजस्व में वृद्धि: 2004-05 से 2023-24 की अवधि के दौरान वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं द्वारा गैर-नियामक और नियामक परीक्षण के संदर्भ में उपलब्धि नीचे दर्शाई गई है:

- **गैर-नियामक परीक्षण से अर्जित राजस्व**

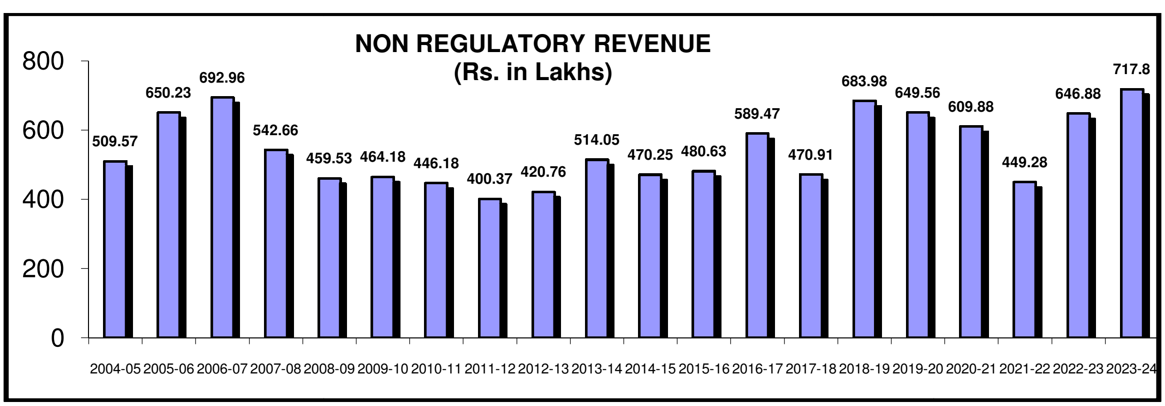

- **नियामक परीक्षण से अर्जित राजस्व :**

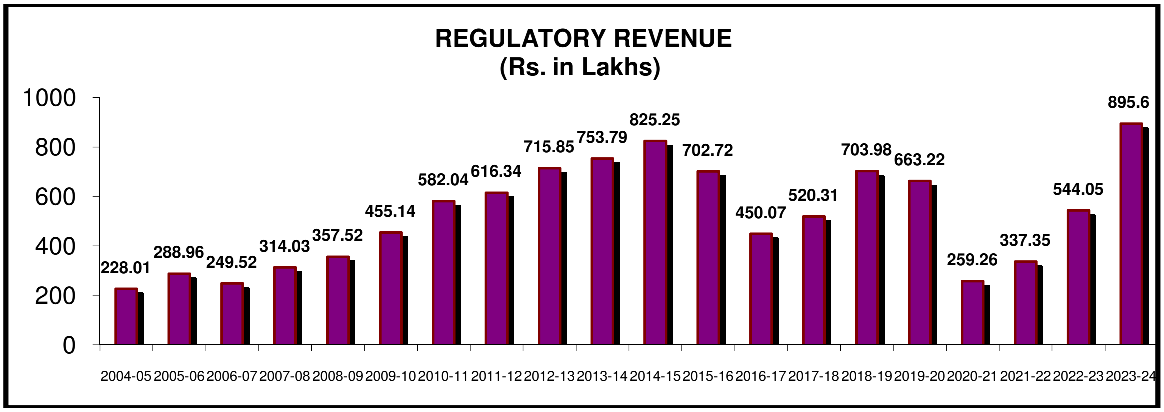

- **गैर-नियामक और नियामक परीक्षण से अर्जित राजस्व:**

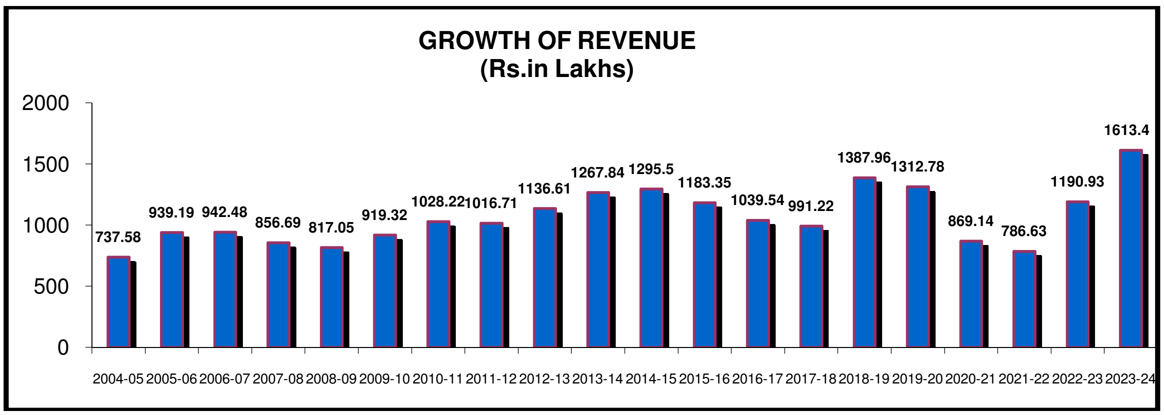

9.2.8 नमूनों की मात्रा और परीक्षण किए गए मापदंडों के संदर्भ में प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन: 2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष 2022-23 के प्रदर्शन के मुकाबले नमूनों के मामले में प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन और विनियामक और गैर-नियामक दोनों सहित परीक्षण मापदंडों की संख्या निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	प्रयोगशालाएं	परीक्षित नमूने			परीक्षित पैरामीटर		
		2023-24	2022-23	% परिवर्तन (+/-)	2023-24	2022-23	% परिवर्तन (+/-)
1	अहमदाबाद	387	305	26.89	789	336	134.82
2	बेंगलुरु	3811	2958	28.84	18897	18764	0.71
3	कन्नूर	1122	1443	**-22.25**	3145	5208	-39.61

वस्त्र समिति

क्र.सं.	प्रयोगशालाएं	परीक्षित नमूने			परीक्षित पैरामीटर		
		2023-24	2022-23	% परिवर्तन (+/-)	2023-24	2022-23	% परिवर्तन (+/-)
4	चेन्नई	3214	2987	7.60	11532	10986	4.96
5	कोयंबटूर	8027	7455	7.67	35442	35013	1.22
6	गुंटूर	3353	892	275.90	6339	2532	150.35
7	हैदराबाद	3783	3690	2.52	8045	16872	-52.32
8	जयपुर	1782	1523	17.01	10994	5829	88.61
9	कानपुर	2655	2048	29.64	17594	14646	20.13
10	करूर	1352	1428	**-5.32**	3240	3581	-9.52
11	कोलकाता	3135	1983	58.09	13347	11623	14.83
12	लुधियाना	2382	1728	37.85	9483	7984	18.78
13	मुंबई	9831	6401	53.59	33754	24676	36.78
14	जेएनपीटी	7779	7520	3.44	90663	67869	33.58
15	दिल्ली(एनसीआर)	5392	4220	27.77	8319	9168	-9.26
16	तिरुपुर	4008	4458	-10.09	14319	12356	15.89
	कुल	**62013**	**51039**	**21.50**	**285902**	**247443**	**15.54**

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या में कुल मिलाकर 21.5% की वृद्धि है।

9.3 अन्य गतिविधियां:

9.3.1 वस्त्र परीक्षण पर प्रशिक्षण: वस्त्र समिति की प्रयोगशालाएँ वस्त्र व्यापार एवं उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थानों के लाभ के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान वस्त्र परीक्षण पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कुल 143 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 0.98 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई।

9.3.2 प्रत्यायन: बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली (एनसीआर), कानपुर, करूर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई और तिरुपुर में वस्त्र समिति की प्रयोगशालाएं एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। 2023-24 के दौरान, चेन्नई, लुधियाना, करूर, कोलकाता और तिरुपुर में 4 प्रयोगशालाओं का पुनर्मूल्यांकन ऑडिट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (बोर्ड: एनएबीएल) द्वारा किया गया था और आईएसओ/आईईसी 17025-2017 के अनुसार मान्यता जारी रखने

की सिफारिश की गई थी। इसके बाद, मुंबई प्रयोगशाला ने डेस्कटॉप निगरानी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की और मान्यता स्थिति को जारी रखने के लिए एनएबीएल द्वारा इसकी सिफारिश की गई।

9.3.3 प्रयोगशाला प्रबंधन प्रणाली पर परामर्श: प्रयोगशाला, प्रयोगशाला प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स व्हाइट गोल्ड कॉटन टेस्टिंग लेबोरेटरी, अहमदाबाद को आईएसओ/आईईसी-17025:2017 के अनुसार प्रयोगशाला मान्यता के लिए परामर्श प्रदान कर रही है।

9.3.4 बीआईएस बैठकों में भागीदारी: वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रयोगशाला के अधिकारियों ने वस्त्र और वस्त्र लेखों से संबंधित नए उत्पाद/पद्धति मानकों के निर्माण और मौजूदा मानकों की समीक्षा के लिए बीआईएस द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लिया। मेडिटेक अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी वस्त्र, परीक्षण के रासायनिक तरीके, ऊन, ऊनी उत्पाद और वस्त्र फर्श कवरिंग, औद्योगिक कपड़े, जूट के लिए डिजिटल ग्रेडिंग उपकरण, परीक्षण के भौतिक तरीके, वस्त्र विशेष रसायन और रंग पदार्थ आदि। वर्ष 2023-24 के दौरान, बेंगलुरु, कन्नूर, चेन्नई, कोयंबटूर, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, करूर, कोलकाता, लुधियाना, दिल्ली (एनसीआर), मुंबई और तिरुपुर की प्रयोगशालाओं को बीआईएस-प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस) के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

9.3.5 प्रवीणता परीक्षण में भागीदारी: प्रवीणता परीक्षण अंतर-प्रयोगशाला तुलनाओं के माध्यम से पूर्व-स्थापित मानदंडों के लिए प्रतिभागी के प्रदर्शन का मूल्यांकन है। यह विशिष्ट परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला की तकनीकी क्षमता का आकलन करने का एक तरीका है। आईएसओ/आईईसी 17025-2017 और एनएबीएल 163 की आवश्यकता के अनुसार, सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए 2 साल की पीटी योजना के अनुसार कम से कम एक बार मैकेनिकल और केमिकल पैरामीटर के दायरे में शामिल सभी मापदंडों के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त पीटी (आईएसओ/आईईसी 17043 के अनुसार) के माध्यम से अंतर-प्रयोगशाला प्रवीणता परीक्षण (आईएलपीटी) कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है।

तदनुसार, परिणामों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए 8 वस्त्र समिति, प्रयोगशालाओं ने यांत्रिक योजना में और 4 वस्त्र समिति, प्रयोगशालाओं ने एसएएसएमआईआरए द्वारा आयोजित रासायनिक योजना में भाग लिया है और सभी प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

9.3.6 वस्त्र समिति और मैसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर, जापान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) : माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 2 सितंबर, 2020 को आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, 27 जनवरी, 2021 को वस्त्र समिति और मेसर्स निसेनकेन गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र, जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर

हस्ताक्षर किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी वस्त्रों सहित वस्त्र और लेख क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिए गुणवत्ता और अनुपालन से संबंधित सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र समिति, भारत और मेसर्स निसेनकेन गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र, जापान के बीच साझेदारी व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। यह समझौता ज्ञापन परीक्षण, निरीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और परामर्श के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्रों में सहयोगी प्रयासों के माध्यम से दोनों देशों के वस्त्र व्यापार और उद्योग को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 6 (समयावधि, समाप्ति और संशोधन) के अनुसार, दोनों देशों के वस्त्र व्यापार और उद्योग की सेवा के लिए समान शर्तों पर यह अवधि स्वचालित रूप से अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है।

9.3.7 **भारत टेक्स 2024 के दौरान वस्त्र समिति (टीसी) और एनबीआरआई, लखनऊ के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए:** 28 फरवरी, 2024 को "कपास परीक्षण के लिए आनुवंशिक मार्करों के विकास" के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), वस्त्र मंत्रालय और वस्त्र समिति के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य सूती वस्त्र के विभिन्न चरणों यानी छोटे और लंबे स्टेपल फाइबर, यार्न, ग्रे फैब्रिक, बिना ब्लीच वाले फैब्रिक, ब्लीच वाले फैब्रिक, मुद्रित फैब्रिक, तैयार रंगे कपड़े पर परिपक्व सूती फाइबर और सूती वस्त्र के नमूनों से जीनोमिक डीएनए निष्कर्षण प्रोटोकॉल का मानकीकरण करना है ताकि प्रतिबंधित किस्मों जैसे पीआईएमए, जीआईजेडए आदि में अंतर किया जा सके।

9.3.8 **व्यापार करने में आसानी:** प्रयोगशालाएँ माल की शीघ्र निकासी के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर सीमा शुल्क से प्राप्त नमूनों की रिपोर्ट करने के लिए सभी उपाय करती हैं। आयात खेपों को मंजूरी देने के लिए टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए व्यापार करने में आसानी पहल के तहत जेएनपीटी में प्रयोगशाला खोली गई थी। मुंबई और जेएनपीटी की प्रयोगशालाओं ने सीमा शुल्क के राष्ट्रीय समय रिलीज अध्ययन 2024 में भाग लिया, जो व्यापार सुविधा समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुशंसित माल की रिहाई का एक प्रदर्शन माप उपकरण है।

ए) जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) सॉफ्टवेयर आईसीएस को एफएसएसएआई के अनुरूप एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और वाणिज्य विभाग के लॉजिस्टिक्स विभाग के परामर्श से मेसर्स लॉजिसॉफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ताकि आयातित माल के जोखिम कारक का आकलन करने के बाद आयात खेपों की शीघ्र निकासी की जा सके। आईसीएस सॉफ्टवेयर को डीओसी द्वारा अभी लॉन्च किया जाना है।

10. बाजार अनुसंधान विभाग का कार्य निष्पादन:

10.1 बाजार अनुसंधान विभाग, वस्त्र और परिधान (टीएंडसी) क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का डेटाबेस तैयार करने और क्षेत्रीय और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण करने के लिए टेक्सटाइल इकोनॉमिक रिसर्च (टीईआर) करने में सबसे आगे रहा है। विभाग वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), डब्ल्यूटीओ वार्ता, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) अद्वितीय उत्पादों की सुरक्षा, क्षेत्र, एमएसएमई के डेटाबेस निर्माण से संबंधित मुद्दों पर व्यापक शोध करता है, साथ ही नियमित आधार पर घरेलू मांग अनुमान अध्ययन यानी "वस्त्र और परिधान के लिए बाजार" प्रकाशित करता है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलावों को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने वस्त्र बाजार आसूचना (एमआईटी), तकनीकी विनियमन (टीआर), प्रतिस्पर्धात्मकता विश्लेषण, भारत के निर्यात पर गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) और व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के प्रभाव पर अनुसंधान, व्यापार सुविधा, वस्त्र मूल्य श्रृंखला (टीवीसी) से संबंधित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) / क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) / व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (सीईपीए) आदि पर अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहल की है।

10.2 गतिविधियों की प्रगति:

10.2.1 वस्त्र और वस्त्र बाजार सर्वेक्षण (एमटीसी): यह 1969 से निरंतर आधार पर विभाग द्वारा संचालित प्रमुख अनुसंधान परियोजना है। राष्ट्रीय स्तर का नमूना सर्वेक्षण घरेलू मांग पर डेटा उत्पन्न करता है और प्राथमिकता पैटर्न में रुझान की निगरानी करता है। उपभोक्ता रिपोर्ट "वस्त्र और वस्त्र के लिए राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण बाजार (एमटीसी) 2024" तैयार की है।

10.2.2 भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) अधिनियम के माध्यम से आईपीआर सुरक्षा: वस्त्र समिति वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकरण के माध्यम से देश में अद्वितीय वस्त्रों और हस्तनिर्मित उत्पादों की आईपीआर सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने में सबसे आगे है। 2023-24 के दौरान पंजीकरण की सुविधा के लिए गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

ए) जीआई अधिनियम, 1999 के भाग-ए के तहत वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादों के पंजीकरण की सुविधा के लिए, वस्त्र समिति ने 7 राज्यों - आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल में उत्पादों के अध्ययन और दस्तावेजीकरण का आयोजन किया है।

बी) इसके अतिरिक्त ग्यारह उत्पादों के लिए दस्तावेजीकरण अध्ययन किए गए, जिनमें केरल के मन्नार के धातु शिल्प, पंजाब के अमृतसर शॉल, तमिलनाडु के सुविन कॉटन, गुजरात

के रबारी कढ़ाई, महाराष्ट्र की बंजारा कढ़ाई, महाराष्ट्र का गोंड प्रिंट, झारखंड के करमुला के जनजातीय आभूषण, ओडिशा की मयूरबांज साड़ी, झारखंड की करणी शॉल, झारखंड के जनजातीय आभूषण और बेंत व बांस शिल्प, गुजरात के भुज की तांबे की घंटी शामिल हैं।

सी) ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कवर किए गए उत्पाद क्लस्टर हैं कांतिलो, मन्नार, झाबुआ, अलीराजपुर, जोधपुर, मनियाबांधा, ढेंकेनाल और पालघर।

डी) 12 उत्पादों के जीआई आवेदन दायर किए गए हैं।

क्रम. सं.	उत्पाद	राज्य
i)	मन्नार के धातु शिल्प	केरल
i)	किल्लीमंगलम कोरा घास मैट	केरल
iii)	रबारी कढ़ाई	गुजरात
iv)	बुधनी लैकर वेयर खिलौने	मध्य प्रदेश
v)	कुप्पदम धोती	आंध्र प्रदेश
vi)	आशावली साड़ी	गुजरात
vii)	जामदानी साड़ी	पश्चिम बंगाल
viii)	कांटिलो पीतल और बेल मेटल शिल्प	ओडिशा
ix)	पलक्कड़ के थोलपावकुथु	केरल
x)	आदिवासी फूटा साड़ी	ओडिशा
xi)	जगतसिंहपुर कॉटन साड़ी	ओडिशा
xii)	बंजारा कढ़ाई और दर्पण कार्य	महाराष्ट्र

ई) एक उत्पाद अर्थात माहेश्वरी साड़ी उत्पाद के लिए 45 अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए भाग-बी पंजीकरण के माध्यम से पोस्ट जीआई पहल की गई।

एफ) इस अवधि के दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा के बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण के लिए नाबार्ड हरियाणा और निर्यात संवर्धन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश को दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। ओडिशा के तीन हथकरघा उत्पादों के लिए जीआई अधिनियम के भाग-बी के अंतर्गत पोस्ट जीआई पहल के लिए सिडबी और नाबार्ड ओडिशा को दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

जी) जीआई टैग वाले वस्त्रों और वस्त्र शिल्प का संग्रह, "विरासत से विकसित भारत" नामक एक कॉफी टेबल बुक तैयार की गई और 28 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार की माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना वी जरदोश द्वारा इसका विमोचन किया गया।

एच) इस अवधि के दौरान, सात उत्पादों अर्थात् गुजरात के कच्छ रोगन शिल्प, कच्छ बंधनी और गरचोला शिल्प, आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोशिया लेस, उत्तर प्रदेश के रामपुर का पैच वर्क और डुंगरिया कोंध शॉल, ओडिशा के लांजई सौरा की पेंटिंग को जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है।

10.2.3 भारत हथकरघा ब्रांड: "शून्य दोष उत्पाद और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव" पर आधारित "मेक इन इंडिया" ब्रांड विकास के लिए राष्ट्र को माननीय प्रधान मंत्री के स्पष्ट आह्वान से प्रेरणा लेते हुए, वस्त्र मंत्रालय ने भारत हथकरघा ब्रांड (आईएचबी) योजना के माध्यम से आला बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च मूल्य वर्धित, अद्वितीय हथकरघा उत्पादों को अलग पहचान देने और ब्रांड बनाने के लिए एक कार्यक्रम पेश किया है। यह ग्राहकों की सर्वोत्तम संतुष्टि के लिए यार्न, बुनाई डिजाइन और अन्य ब्रांड मापदंडों के संदर्भ में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने 7 अगस्त 2015 को पहले हथकरघा दिवस के अवसर पर भारत हथकरघा ब्रांड योजना का शुभारंभ किया है। **2023-24 के दौरान, योजना के तहत 295 नमूनों के पंजीकरण के लिए 255 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 133 आवेदकों के 136 उत्पाद योजना के तहत पंजीकृत किए गए।** ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन आदि की स्थिति प्रदान करने के लिए योजना के तहत भुगतान-गेट-वे के साथ एक समर्पित वेबसाइट भी विकसित और होस्ट की गई है।

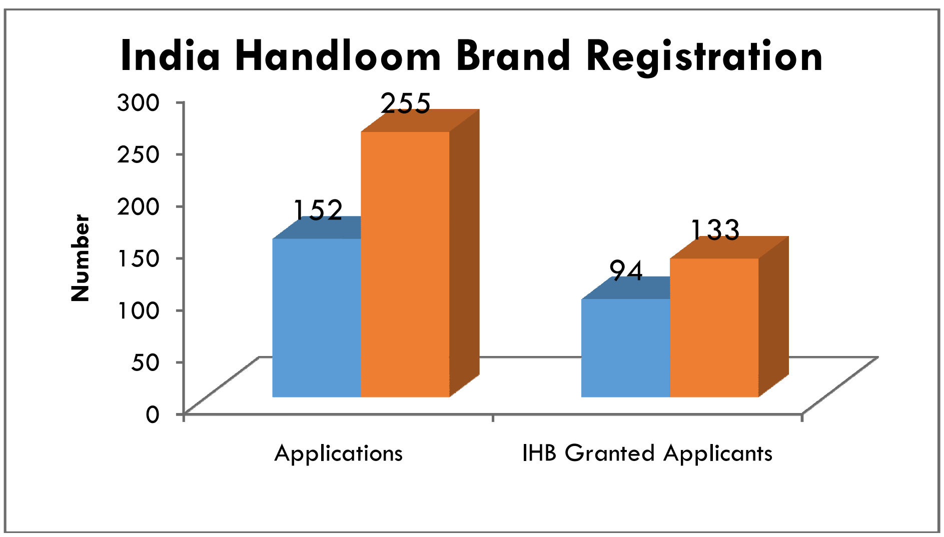

वस्त्र समिति

10.2.4 वस्त्रों में बाजार आसूचाना (एम आई टी):

(ए) एमआईटी टीएंडसी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है और उत्पादन, घरेलू मांग, निर्यात और आयात, मूल्य और इसके तंत्र, प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी, लागत बेंचमार्किंग, सरकारी नीति तंत्र, कर संरचना, एनटीबी, टीबीटी, क्यूसीओ, आरटीए/पीटीए, बुनियादी ढांचे और उद्योग के हितधारकों और नीति निर्माताओं के लिए अन्य संबंधित मुद्दों पर मैक्रो और माइक्रो अनुसंधान और प्रसार स्तर की जानकारी का कार्य करता है। वस्त्र उद्योग में बाजार खुफिया (एमआईटी) के एक भाग के रूप में, विभाग ने निम्नलिखित कार्य सफलतापूर्वक किए हैं।

(बी) भारत में मानव निर्मित फाइबर वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन: अंतराल की पहचान करने के लिए रोडमैप उपाय सुझाना:

श्रम पर स्थायी समिति को प्रस्तुत करने के लिए एमएमएफ क्षेत्र पर पृष्ठभूमि नोट तैयार किया गया है और मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

(सी) रोजगार और आय सृजन पर वस्त्र क्षेत्र की पहल के प्रभाव का आकलन:
अंतिम रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को भेज दी है |

(डी) व्यापार और प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट तैयार की गई:

ए) 2022 के लिए यूएसए के लिए देश रिपोर्ट तैयार की गई है।

बी) टी एंड ए सेक्टर के लिए यूरोपीय संघ के बाजार पर देश रिपोर्ट तैयार की गई है।

सी) टैरिफ, गैर टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) आदि के संदर्भ में क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई बाधाओं के संबंध में उत्पादन, व्यापार, प्रतिस्पर्धात्मकता, समग्र और उत्पाद स्तर पर फाइबर परिदृश्य सहित मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके एमएमएफ टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला (टीवीसी) पर अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अध्ययन में घरेलू मूल्य श्रृंखला का भी मानचित्रण किया गया और मैक्रो एंड प्रोडक्ट स्तर (8 अंक एचएस स्तर) पर भारत से उत्पन्न उत्पादों की बाजार क्षमता का अनुमान लगाने के अलावा निर्यात स्थलों पर जोर देने के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला से इसके जुड़ाव कीजांच की गई। अध्ययन में 2030 तक वैश्विक बाजार परिदृश्य और व्यापार और उद्योग और नीतिगत मामलों के लिए भविष्य का अवलोकनप्रदान करने के लिए एमएमएफ टीवीसी में भारत की स्थिति का भी अनुमान लगाया गया।

10.2.5 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) तकनीकी विनियम/क्यूसीओ का विकास एवं कार्यान्वयन:

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) उत्पादों और उत्पाद श्रेणियों के लिए गुणवत्ता मानक स्थापित करने के लिए विनियामक उपाय हैं। ये आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि उत्पाद देश में निर्मित, आयात, संग्रहीत या बेचे जाने से पहले कुछ निर्धारित गुणवत्ता, सुरक्षा

और प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्यूसीओ का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन में गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा देना और घरेलू बाजार में गुणवत्ता वाले उत्पाद का आयात करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू ग्राहकों को आवश्यक मानकों को पूरा करने वाले गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुँच हो।

ए) कालीनों पर 2 मानकों, 3 सूती परिधान मानकों, विस्कोस स्पन यार्न पर सिफारिशें मंत्रालय को भेजी गईं।

बी) (i) सिंथेटिक फाइबर के बुने हुए और क्रोकेटेड कपड़ों और (ii) विस्कोस रेयान कट स्टेपल (स्पन) यार्न के संबंध में डब्ल्यूटीओ के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और टीबीटी अधिसूचना वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

सी) साड़ी, शर्टिंग और सूटिंग पर 3 बीआईएस मानकों की समीक्षा के लिए 26 जुलाई, 2023 को कपास और एमएमएफ वस्त्रों पर तकनीकी विनियमों के संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई।

डी) 7 उत्पादों पर तकनीकी विनियमों के विकास पर मानक विकसित करने और टिप्पणियां प्रदान करने के लिए बीआईएस को पत्र भेजा गया।

ई) विस्कोस स्टेपल फाइबर क्यूसीओ, 2022 के संबंध में भारत की प्रतिक्रिया पर इंडोनेशिया की टिप्पणी पर जवाब वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया।

एफ) (i) आईएस 15852:2009 (2012 और 2014 में संशोधित) "वस्त्र-वर्दी के लिए पॉलिएस्टर मिश्रित बुना शर्टिंग" और (ii) आईएस 15853:2009 (2012 और 2014 में संशोधित) "वस्त्र-वर्दी के लिए पॉलिएस्टर मिश्रित बुना सूटिंग" पर कार्य समूह की बैठक आयोजित करने के लिए गतिविधियाँ शुरू की गईं।

जी) (i) लाइफजैकेट और व्यक्तिगत फ्लोटिंग डिवाइस, (ii) चिकित्सा उपयोग के लिए डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक कपड़े और (iii) चिकित्सा उपयोग के लिए मास्क पर टीबीटी अधिसूचना पर टिप्पणियों का पत्र वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया।

एच) एचएसएन कोड 540233 अर्थात पॉलिएस्टर ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई) पर बीआईएस प्रमाणीकरण पर टिप्पणियों को अग्रेषित करने वाला पत्र वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया।

10.2.6 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर गठित टीबीटी पर कोर समिति को भागीदारी और टिप्पणियां प्रस्तुत करना।

10.2.7 परियोजना प्रस्तावों की तैयारी:

ए) विद्युतकरघा क्षेत्र पर आधारभूत अध्ययन करने के लिए कार्यक्षेत्र और उद्देश्य, संदर्भ की शर्तें, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली से युक्त संकल्पना नोट तैयार कर मसौदा प्रश्नावली के साथ वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया। उप महानिदेशक के सुझाव पर विद्युतकरघा उद्योगों का

आधारभूत अध्ययन करने के लिए तकनीकी समिति (कार्य समूह) के गठन पर कार्यालय ज्ञापन तैयार किया गया।

बी) सीडब्ल्यूडीबी को भेजे गए प्रस्तावों जैसे (i) भारतीय ऊन क्षेत्र पर व्यापक अध्ययन और वैश्विक बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के संबंध में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और (ii) कालीन मार्क के विकास पर तकनीकी समिति के समक्ष मूल्यांकन के लिए प्रस्तुतियां तैयार की गई थीं।

सी) कालीन मार्क पर संशोधित प्रस्ताव सीडब्ल्यूडीबी को सौंपा गया।

डी) भारत के वस्त्र मशीनरी उद्योग का आधारभूत और अंतराल विश्लेषण अध्ययन करने के लिए कार्यक्षेत्र और उद्देश्य, संदर्भ की शर्तें, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली से युक्त संकल्पना नोट तैयार कर मंत्रालय को भेजा गया।

ई) टिकाऊ और परिपत्र टीवीसी के आधारभूत अध्ययन के संचालन के लिए कार्यक्षेत्र और उद्देश्य, संदर्भ की शर्तें, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली से युक्त अवधारणा नोट वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

10.2.8 वस्त्र उद्योग में स्थायित्व और चक्रीयता

ए) स्थायित्व और चक्रीयता पर यूरोपीय संघ के विनियमों पर डेटाबेस तैयार किया गया।

बी) भारत टेक्स 2024 के दौरान, वस्त्र समिति, नवी मुंबई नगर निगम, एसबीआई फाउंडेशन लिमिटेड, आईडीएच इंडिया हब प्राइवेट लिमिटेड और टिस्सर आर्टिसन ट्रस्ट ने 28 फरवरी, 2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य टीवीसी के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए वस्त्र और परिधान (टी एंड ए) क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने के लिए "पोस्ट-उपभोक्ता वस्त्रों के प्रबंधन के माध्यम से वस्त्र मूल्य श्रृंखला (टीवीसी) में स्थायित्व और चक्रीयता नामक पायलट परियोजना" शुरू करना है। वस्त्र अपशिष्ट को पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग के माध्यम से धन में बदलने के लिए ग्रासिम लिमिटेड और रिलायंस लिमिटेड के साथ आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए।

सी) फाइबर के आधार पर कपड़ों को अलग करने की तकनीक की पहचान की।

डी) मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के विकास के लिए हितधारकों के साथ तीन बैठकें आयोजित कीं।

10.2.9 संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए)

ए) तीसरे पक्ष की एजेंसी के माध्यम से "समर्थ योजना के समवर्ती मूल्यांकन" पर अध्ययन का संचालन किया गया।

बी) परामर्श एजेंसी द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए 19 दिसंबर 2023, 28 दिसंबर, 2024 और 27 मार्च 2024 को तीन पीएम एंड ईसी बैठकें आयोजित की गईं।

10.2.10 मंत्रालय के साथ पत्राचार: मुद्दों पर जवाब तैयार करना।

10.2.10.1 घरेलू वस्त्र उद्योग

i. फ्लायर्स/पम्फलेट के लिए वस्त्र मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर संक्षिप्त जानकारी तैयार की गई।
ii. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई पर जवाब मंत्रालय को भेजा गया।
iii.मेड इन इंडिया ब्रांडिंग पर जानकारी तैयार की गई।
iv.वस्त्र आयुक्त के कर्तव्यों के पुन: असाइनमेंट पर हमारी टिप्पणियों से संबंधित पत्र मंत्रालय को भेजा गया।

10.2.10.2 संसद प्रश्न

यह विभाग संगठन के लिए संसदीय प्रश्नों के उत्तर भी तैयार कर रहा है।

• 31 संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए इनपुट मंत्रालय को भेजे गए।

10.2.10.3 द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मुद्दे

i. द्वितीय भारत-बेलारूस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) पर उत्तर तथा संभावित एजेंडा बिन्दु तैयार कर वस्त्र मंत्रालय को भेजे गए।
ii. वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की ब्राजील, पेरू और चिली की यात्रा के लिए चर्चा बिन्दुओं और मुद्दों पर पत्र वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया।
iii. टीआरक्यूसी के तहत परिधान कोटा से संबंधित भारत-श्रीलंका एफटीए पर इनपुट प्रस्तुत करने वाला पत्र तथा वस्त्र मंत्रालय को एक नोट भेजा गया।
iv.भारत और नेपाल के बीच आईजीएससी 2024 पर उत्तर वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

10.2.11 अन्य गतिविधियाँ

विश्व कैफे सत्र के एक भाग के रूप में, बीकेसी, मुंबई में 81 वें आईसीएसी प्लेनरी के तत्वावधान में, 4 दिसंबर 2023 को “फैशन डिज़ाइन और संचार द्वारा संचालित कपास और स्थिरता” पर एक गोलमेज इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया और चर्चाओं का सारांश तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया।

वस्त्र समिति

11.0 टीक्यूएम विभाग का कार्य निष्पादन :

11.1 परामर्श सेवाएं:

वस्त्र समिति आईएसओ-9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ-14000 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, एसए-8000 (सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएएस 18000 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला) में मामूली शुल्क के आधार पर वस्त्र इकाइयों को परामर्श प्रदान कर रही है। समिति डब्ल्युआरएपी, बीएससीआई, सी-टीपीएपी और एसईडीईएक्स जैसी प्रणाली की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए उद्योग को परामर्श भी प्रदान करती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान वस्त्र समिति ने आईएसओ 9000 के लिए 1 इकाई, परियोजना के लिए 2 इकाई और पोस्ट सर्टिफिकेशन सेवाओं के तहत 3 इकाइयों को परामर्श दिया है। परामर्श सेवाओं से उत्पन्न राजस्व 2,92,500/- रुपये है।

11.2 हैंडलूम मार्क योजना:

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा हैंडलूम मार्क (एचएलएम) योजना के कार्यान्वयन के लिए वस्त्र समिति को कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) नियुक्त किया गया है। एचएलएम योजना 28.06.2006 को शुरू की गई थी। योजना के अनुसार वस्त्र समिति इस योजना के तहत हथकरघा बुनकरों, मास्टर बुनकरों और समितियों को पंजीकृत करती है और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार लेबल जारी करती है। वस्त्र समिति ने एचएलएम की गतिविधियों जैसे पंजीकरण, सत्यापन, लेबल जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को नए क्यूआर कोड वाले एचएलएम जारी किए जा रहे हैं।

हैंडलूम मार्क योजना से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

11.2.1 पंजीकरण और लेबल बिक्री:

क्र.सं.	हैंडलूम मार्क		अप्रैल 2023 से मार्च 2024
1.	आवंटित पंजीकरण		744
2.	बेचे गए लेबल		3,15,52,782
3.	प्रचारात्मक गतिविधियाँ	क्लस्टर स्तरीय संगोष्ठी	0
		अंतर्निहित हथकरघा	7423
		एक्सपो	6
		आयोजित प्रशिक्षण	0

11.3 जूट मार्क इंडिया योजना:

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी) ने 9 जुलाई 2022 को "जूट मार्क इंडिया" (जेएमआई) योजना शुरू की है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की वस्त्र समिति पूरे भारत में जेएमआई योजना को लागू करती है। जेएमआई योजना पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम 50% जूट फाइबर वाले जूट उत्पादों पर जेएमआई लेबल का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। अद्वितीय क्यूआर कोडित जेएमआई लेबल जूट और जूट विविध उत्पादों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है। इन लेबलों का उपयोग न केवल जूट उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि खरीदारों के लिए एक आश्वासन के रूप में भी किया जा सकता है। निर्माण, शिल्प (कारीगर) से जुड़े सभी लोग, कारीगर, शीर्ष सहकारी समितियां और विकास निगम, व्यापारी, खुदरा विक्रेता, निर्माता निर्यातक, व्यापारी निर्यातक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रायोजित निकाय, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), व्यक्तिगत उद्यमी आदि जेएमआई योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान वस्त्र समिति ने जेएमआई योजना के तहत 81 संस्थाओं को पंजीकृत किया है।

डिजिटलीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वस्त्र समिति द्वारा विकसित जेएमआई योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल 28 फरवरी, 2024 को भारत टेक्स 2024 के दौरान माननीय वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था और अब यह चालू है। इस योजना के तहत, ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्यूआर-कोडेड लेबल जारी किए जाते हैं।

वस्त्र समिति

12.0 संसाधन सहायता एजेंसी(आरएसए):

12.1 पाठ्यक्रम सामग्री विकास और प्रशिक्षण:

(i) इस विभाग को वस्त्र मंत्रालय से दिनांक 24 मार्च, 2023 को एक पत्र (श्रीमती रचना शाह, सचिव (वस्त्र) डीओ पत्र) संख्या डी.ओ.सं. एच-2011/2/2014-एसडीई (खंड-IV)/ईएंडपी प्राप्त हुआ, जिसमें सामान्य मानदंड समिति के तत्वावधान में सरकारी वित्त पोषित अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों के लिए लागत मानदंडों पर साक्ष्य तैयार करने पर विचार किया गया। इस संबंध में, आरएसए ने प्रमुख आईपी से उनके विचार पूछे और इसे प्राप्त करने के बाद, आरएसए ने 6 अप्रैल, 2023 को ईमेल के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय को इनपुट प्रस्तुत किए हैं।

(ii) वस्त्र मंत्रालय के निर्देश और एमओ संख्या 11/4/2023 के अनुसार, आरएसए ने मौजूदा सॉफ्ट स्किल कोर्स के संशोधित संस्करण के साथ-साथ 'टेक्सटाइल वैल्यू चेन में स्थिरता की ओर कदम' का एक नया सामान्य पाठ्यक्रम विकसित कर पत्र संख्या 600/सीएटी/17/171/एमओटी/2018-वॉल्यूम II(1) दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के माध्यम से भेजा है।

(iii) वस्त्र मंत्रालय ने आरएसए को उच्च/दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता/हाइब्रिड मोड की आवश्यकता/कम मांग या कोई मांग नहीं/किसी भी संशोधन पर पाठ्यक्रमवार विश्लेषण करने का निर्देश दिया। तदनुसार, आरएसए ने सभी हितधारकों/आईपी के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित कीं और निम्नलिखित पत्रों का संदर्भ देकर एमओटी को इनपुट प्रदान किए।

क्र. सं.	पत्र संख्या	आरएसए उत्तर पत्र संख्या	मामले से संबंधित
i.	सं.11/06/2018-ISDS दिनांक 11.04.2023	सं..600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II 20.04.2023	पाठ्यक्रम-वार विश्लेषण - पाठ्यक्रमों में कोई परिवर्तन/विलय, हाइब्रिड/ मिश्रित शिक्षा की आवश्यकता, मध्यावधि विकास
ii.	सं.11/06/2018-ISDS दिनांक 26.06.2023	सं..600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II दिनांक 08.07.2023	पाठ्यक्रम-वार विश्लेषण - कम मांग या कोई मांग नहीं (आरएसए ने 63 पाठ्यक्रमों को छोड़ने का सुझाव दिया)
iii.	सं.11/06/2018-ISDS दिनांक 04.08.2023, फा.सं.21/01/2021-	सं. 600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II(1) दिनांक 12.02.2024	11.07.2023 को आयोजित ईसी निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (कौशल अंतर अध्ययन, पाठ्यक्रम-वार

	SAMARTH dated 25.08.2023 और सं.. 11/06/2018-ISDS दिनांक 02.02.2024,		विश्लेषण, उच्च-स्तरीय/ दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों की आवश्यकता, विलय आदि)

(iv) आरएसए को 5 नए पाठ्यक्रमों (वित्तीय वर्ष 2022-23) के संरेखण के संबंध में एनसीवीईटी से 27 अप्रैल, 2023 की तारीख वाला एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें एनसीवीईटी ने सुझाव दिया है कि आरएसए एनसीवीईटी को शुरू में एक आशय पत्र भेज सकता है, जिसमें एबी मान्यता प्राप्त करने की मांग की जा सकती है, उसके बाद एनसीवीईटी के एबी दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन किया जा सकता है या आरएसए एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त एबी के माध्यम से अपनी योग्यता ला सकता है।

(v) आरएसए ने वस्त्र मंत्रालय के निर्देशानुसार स्थिरता (सॉफ्ट स्किल – भाग-I और भाग-II) पर नए विकसित मॉड्यूल में आवश्यक परिवर्तन शामिल किए हैं। इसे वस्त्र मंत्रालय के साथ पत्र संख्या 600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II(1) दिनांक 04 मई, 2023 के माध्यम से साझा किया गया है।

(vi) आरएसए ने स्थिरता पर एक नया पाठ्यक्रम मॉड्यूल "टेक्सटाइल स्क्रैप से टिकाऊ उत्पादों का निर्माण" विकसित किया है और इसे आगे के आवश्यक निर्देशों के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ पत्र संख्या 600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II(1) दिनांक 16 जून, 2023 के माध्यम से साझा किया गया है।

(vii) आरएसए को केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) से दिनांक 11 जुलाई, 2023 को पत्र संख्या सीडब्ल्यूडीबी/एचआरडी-जनरलमैटर्स/2023-24/787 प्राप्त हुआ है, जिसमें समर्थ के तहत ऊन क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विकास के बारे में बताया गया है। इस उत्तर में आरएसए ने सीडब्ल्यूडीबी को दिनांक 20 जुलाई, 2023 को पत्र संख्या समर्थ/आरएसए-कैट/18/2018(3) भेजा है, जिसमें आरएसए ने समर्थ के तहत ऊन क्षेत्र में पहले से विकसित पाठ्यक्रमों की सूची साझा की है।

(viii) आरएसए ने 03 आरएसए पाठ्यक्रमों के लिए लागत श्रेणी को अंतिम रूप देने के संबंध में दिनांक 03 अगस्त, 2023 को एक बैठक आयोजित की। अनुमोदन के बाद, आरएसए ने 03 अगस्त, 2023 को ईमेल के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय के साथ लागत श्रेणी साझा की।

(ix) पीएमयू ने 22 अगस्त, 2023 को समर्थ के तहत आरएसए द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों की उपलब्धता के बारे में आरएसए के साथ एक ऑनलाइन बैठक निर्धारित की। चर्चा के अनुसार

वस्त्र समिति

आरएसए ने एनक्यूआर (राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर) वेबसाइट पर अद्यतन बनाम पुराने पाठ्यक्रमों की सूची और उनकी उपलब्धता की स्थिति एमओटी/पीएमयू के साथ साझा की थी।

(x) आरएसए ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए टीओटी प्रशिक्षण के लिए उठाए गए चालान के विरुद्ध टीओटी एजेंसियों को 80,36,980/- रुपये का टीओटी प्रशिक्षण भुगतान जारी किया (एटीडीसी को 36,50,920/- रुपये और गुनिना सॉल्यूशन को 43,86,060/- रुपये जारी किए गए)।

(xi) आरएसए ने 18.10.2023 को टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल (टीएससी) के नए विकसित 2 एनओएस अर्थात 'वोवन फैब्रिक टेस्टिंग - फिजिकल' और 'वीविंग प्रोसेस इवैल्यूएशन' पर सत्यापन और टिप्पणियां प्रदान कीं।

(xii) आरएसए ने ईपीसीएच (जिसे पहले हटा दिया गया था) द्वारा अनुरोध किए गए 3 एचसीएसएससी पाठ्यक्रमों को शामिल करने के बाद 114 आरएसए पाठ्यक्रमों (प्रवेश स्तर) की संशोधित सूची एमओटी और पीएमयू को साझा की।

(xiii) आरएसए को टीओटी (सीईटी, सीएनटी, री-टीओटी और सीटी) के लिए उम्मीदवारों के कुल 1017 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई और पात्र उम्मीदवारों को टीओटी के लिए नामित किया गया।

(xiv) आरएसए ने इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में टीओटी के लिए कुल 107 बैच (94 सीएनटी, 07 सीईटी और 6 सीटी बैच) आयोजित किए हैं। कुल 925 प्रशिक्षकों को मान्यता प्रदान की गई है तथा उन्हें टीओटी प्रमाण-पत्र वितरित किए गए हैं।

(xv) आरएसए ने इस वर्ष संबंधित आईपी को कुल 1128 टीओटी प्रमाण-पत्र वितरित किए हैं।

(xvi) आरएसए को विभिन्न आईपी से 39 कौशल परियोजनाओं के लिए उप-एजेंसी (एसए) खाता विवरण प्राप्त हुआ।

(xvii) आरएसए ने पीएफएमएस के साथ बैंक लिंकिंग के लिए 43 आईपी का विवरण एसबीआई बैंक को भेजा।

(xviii) आरएसए को एमओटी से आईपी के लिए सीएनए खाते में 98,17,62,335.00 रुपये का नया अनुदान प्राप्त हुआ।

(xix) आरएसए ने संशोधित प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त 299 निकासी पत्रों के के कारण सीएनए खाते से 136,80,03,269.00 रुपये की निकासी की अनुमति दी। तदनुसार, आवश्यक कदम उठाए गए।

(xx) आरएसए ने पीएफएमएस के साथ एसए खाते को जोड़ने और मैप करने के लिए सीएनए के मुद्दों को हल करने के लिए कार्यान्वयन भागीदारों (आईपी) और एसबीआई के साथ समन्वय किया।

12.2 आकलन और प्रमाणन

(i) समर्थ योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान आरएसए की पैनलबद्ध मूल्यांकन एजेंसियों ने प्रवेश स्तर के 1,28,514 प्रशिक्षुओं और अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग के प्रशिक्षण के बाद के 5475 प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया।

(ii) आरएसए ने 4 ऑनलाइन और 32 ऑफलाइन टीओए और सीईपी आयोजित किए और इन सीईपी के माध्यम से 445 मूल्यांकनकर्ताओं को मान्यता दी गई।

(iii) आरएसए ने विभिन्न आरओटीसी के माध्यम से मूल्यांकन स्थान पर 101 आकस्मिक निरीक्षण किए। आरएसए ने भारत भर में विभिन्न वस्त्र समिति क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र के बुनियादी ढांचे का 955 भौतिक सत्यापन किया।

(iv) सत्यापन के लिए कुल 806 प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किए गए।

(v) आरएसए ने समर्थ योजना के तहत उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत चालान के लिए वर्ष 2023-2024 में मूल्यांकन एजेंसियों को 7,54,70,805.49/- रुपये का भुगतान जारी किया।

(vi) आरएसए ने अनुमोदित प्रोटोकॉल के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुपालन के लिए नमूना आधार पर 1022 बैचों का सत्यापन किया।

(vii) आरएसए ने 97,238 प्रशिक्षुओं के 5105 चालान मूल्यांकन शुल्क संसाधित किए, जिनमें 23958 प्रशिक्षु अनुसूचित जाति, 9501 प्रशिक्षु अनुसूचित जनजाति और 63779 प्रशिक्षु सामान्य श्रेणी के हैं।

(viii) आरएसए ने अपनी सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से योजना के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 16 एए पर जुर्माना लगाया।

(ix) आरएसए ने पत्र संदर्भ समर्थ/आरएसए-एएसी/06/2018(5) दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कार्य योजना वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत की।

(x) वस्त्र मंत्रालय ने संदर्भ संख्या 01/29/2013-टीपी(पीटी) दिनांक 16 अगस्त, 2023 के माध्यम से आरएसए को निर्देश दिया कि सीएनए प्रणाली के कार्यान्वयन से पहले जारी की गई धनराशि का अप्रयुक्त शेष योजना के सीएनए खाते में जमा किया जाना है। तदनुसार आरएसए ने 1,09,48,096/- रुपये (आरएसए कार्य योजना 2021-22 का अप्रयुक्त शेष) और 11,78,560.57/- रुपये (मूल्यांकन शुल्क रिलीज से अप्रयुक्त शेष) सीएनए खाते में स्थानांतरित कर दिया है और इसे वस्त्र मंत्रालय को ईमेल दिनांक 22.08.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है।

(xi) वस्त्र मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एफ.सं. 01/29/2013-टीपी.पी. दिनांक 31 अगस्त, 2023 के माध्यम से रुपये 1,09,48,096/- की राशि की मंजूरी के लिए सूचित किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरएसए कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रयुक्त राशि रुपये 1,09,48,096/- को पुनः आवंटित करके कुल स्वीकृत धनराशि 2,95,67,731/- रुपये के हिस्से के रूप में स्वीकृत की गई। तदनुसार, आरएसए ने आरएसए कार्य योजना 2022-23 के लिए सीएनए खाते (खाता संख्या: 41225382614, खाता नाम: टेक्सटाइल्स समिति समर्थ सीएनए) से

1,09,48,096/- रुपये की राशि वस्त्र समिति मुख्य खाते (खाता संख्या: 10865756128) में स्थानांतरित कर दी।

(xii) वस्त्र मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एफ.सं. 01/29/2013-टीपी(वी)(26) दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 द्वारा 2,95,67,731/- रुपये की कुल स्वीकृत धनराशि के भाग के रूप में 1,86,19,635/- रुपये की धनराशि स्वीकृत करने के लिए सूचित किया गया है। तदनुसार, आरएसए ने आरएसए कार्य योजना 2022-23 के अंतर्गत सीएनए खाते (खाता संख्या: 41225382614, खाता नाम: टेक्सटाइल्स कमेटी समर्थ सीएनए) से 1,86,19,635/- रुपये की धनराशि टेक्सटाइल्स कमेटी मुख्य खाते (खाता संख्या: 10865756128) में स्थानांतरित कर दी है।

(xiii) आरएसए ने दिनांक 08 दिसंबर, 2023 के पत्र समर्थ/आरएसए-एएसी/24/2018 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समर्थ के तहत आरएसए की गतिविधियों के लिए वस्त्र मंत्रालय स्वीकृति हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया।

(xiv) वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 13.10.2023 के ईमेल के माध्यम से मूल्यांकन एजेंसियों को मूल्यांकन शुल्क जारी करने के लिए स्वीकृति संख्या 01/29/2013-टीपी(IIIA)(20) दिनांक 29.09.2023 के हेतु 7,36,85,439/- रुपये की मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रालय ने दिनांक 18.10.2023 के ईमेल के माध्यम से 1.50 लाख रुपये की अप्रयुक्त शेष राशि को पुनः सौंपने की जानकारी दी। 18 अक्टूबर 2023 को पत्र संदर्भ 01/29/2013-टीपी के माध्यम से आरएसए को 11,78,561/- का भुगतान किया गया। इसके साथ ही मूल्यांकन शुल्क के संवितरण के लिए आरएसए के पास जारी करने के लिए उपलब्ध कुल राशि 7,48,64,000/- रुपये है।

(xv) आरएसए ने मूल्यांकन एजेंसियों को मूल्यांकन शुल्क के संवितरण के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी संदर्भ संख्या 01/29/2013-टीपी (IIIC) (20) दिनांक 29.09.2023 और संख्या 01/29/2013-टीपी दिनांक 18.10.2023 के अनुसार एमओटी मंजूरी आदेश के लिए पत्र संदर्भ संख्या SAMARTH/RSA-AAC/29/2022(1) दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

(xvi) वस्त्र मंत्रालय ने अपने पत्र 25/04/2022-समर्थ दिनांक 19 जनवरी, 2024 के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में कौशल अंतर अध्ययन आयोजित करने का कार्य आरएसए, वस्त्र समिति को सौंपा है।

(xvii) वर्ष 2023-24 के दौरान अधिकार प्राप्त समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इसका विवरणनिम्नानुसार है:

क्र.सं.	आरएसए के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति(इसी) के निर्णय	आरएसए द्वारा की गई कार्रवाई
i	अधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 27.04.2023 कार्य बिंदु: ईसी ने वस्त्र समिति को एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने तथा अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हितधारकों के साथ परामर्श करके पाठ्यक्रमों	आरएसए ने समर्थ के तहत पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के विश्लेषण के संबंध में दिनांक 05 जुलाई, 2023 को ऑनलाइन बैठक आयोजित की और पाठ्यक्रमों की कोई मांग नहीं होने के संबंध में सर्वेक्षण के रूप में डेटा एकत्र किया। तदनुसार, आरएसए ने वस्त्र मंत्रालय को दिनांक 08

	की समीक्षा करने का निर्देश दिया। ईसी ने आरएसए को तीन सप्ताह के भीतर नए सूचीबद्ध आईपी के प्रशिक्षण केंद्रों का भौतिक सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया।	जुलाई, 2023 को एक पत्र संख्या 600/कैट/17/171/एमओटी/2018-वॉल्यूम-II(1) भेजा है, जिसमें आरएसए ने 63 अपनाए गए पाठ्यक्रमों के बारे में सूचित किया है, जिनकी कोई मांग नहीं है, उन्हें छोड़ा जा सकता है। आरएसए ने ईसी के निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर भौतिक सत्यापन गतिविधि पूरी की।
ii	अधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 11.07.2023 कार्य बिंदु: ईसी ने आरएसए को एनसीवीईटी मानदंडों के अनुरूप उद्योग के परामर्श से उच्च स्तरीय और लंबी अवधि के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता की पहचान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उद्योग की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रमों के विलय/संशोधन की संभावना, तकनीकी वस्त्रों में नए पाठ्यक्रम और मध्यम प्रबंधन स्तर के पाठ्यक्रमों की डिजाइनिंग की संभावना पर आरएसए द्वारा विचार किया जा सकता है।	आरएसए ने पत्र संख्या 600/कैट/17/171/एमओटी/2018-वॉल्यूम-II(1) दिनांक 12 फरवरी, 2024 के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय को सूचित किया कि (i) आरएसए ने उक्त 63 पाठ्यक्रमों को छोड़ दिया है। जिनकी कोई ऑनलाइन बैठक आयोजित नहीं की गई है। (ii) आरएसए ने दिनांक 05 जुलाई, 2023 को समर्थ के तहत पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के विश्लेषण के संबंध में ऑनलाइन बैठक की और पाठ्यक्रमों की कोई मांग नहीं होने के संबंध में सर्वेक्षण के रूप में डेटा एकत्र किया।
iii	अधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 19.02.2024 अधिकार प्राप्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र समिति को कौशल अंतर अध्ययन आयोजित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।	यह प्रक्रियाधीन है।

13.0 राजभाषा गतिविधियाँ:

13.1 हिंदी बैठकें: वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई की चार हिंदी त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और हिंदी के कार्यान्वयन के लिए अनुशंसित निर्णयों पर कार्रवाई की गई।

13.2 हिंदी कार्यशालाएं: अनुवाद टूल कंठस्थ, 2.0 पर दिनांक 15-12-2023 को अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के 50 अधिकारी/कर्मचारी सम्मलित हुए थे।

13.3 हिंदी पखवाड़े का आयोजन: सितंबर माह में 16 से 30 सितम्बर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं–हिंदी टंकण, हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण, हिंदी पत्र लेखन एवं हिंदी अनुवाद, हिंदी भाषण आयोजित की गईं और सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किये गये।

13.4 अनुवाद

i) 'Sustainability and Circularity in Textile Value Chain' नामक पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया गया।

ii) वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2022-23, जिसमें लेखा विभाग के विवरण सहित 100 से अधिक पृष्ठ शामिल हैं, हिंदी में अनुवाद किया गया है |

iii) इसके अलावा, नियमित कार्य का अनुवाद, अनुभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अन्य सामग्री का समय-समय पर अनुवाद किया गया।

13.5 वस्त्र मंत्रालय द्वारा राजभाषा निरीक्षण

वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 14-06-2023 को मुख्यालय, मुम्बई का राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान बताए गए मुद्दों पर कार्रवाई की गई और मंत्रालय को अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट भेजी गई।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना को भेजी गई निरीक्षण रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया, जिसका राजभाषा निरीक्षण दिनांक 06-04-2023 को किया गया था।

13.6 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा 12-09-2023 को वस्त्र समिति, मुंबई का राजभाषा निरीक्षण किया गया इस दौरान, उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत "ध्यान देने योग्य बिंदु" दस्तावेज पर तुरंत करवाई की गई और इसकी अनुवर्ती करवाई रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय को प्रेषित गई।

13.7 सम्मेलन/संगोष्ठी में सहभागिता

i) दिनांक 3-10-2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया गया।

ii) दिनांक 18-10-2023 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लिया गया।

iii) दिनांक 31-10-2023 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित विशेष बैठक में भाग लिया गया।

iv) 29-11-2023 को नई दिल्ली में आयोजित अनुवाद टूल कंठस्थ, 2.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया।

13.8 अन्य गतिविधियां:

(i) वस्त्र मंत्रालय द्वारा अपेक्षित विभिन्न रिपोर्ट और जानकारी तैयार कर समय-समय पर अग्रेषित की गई है।

(ii) हिंदी कार्यों के लिए जांच बिंदु बनाए गए।

(iii) वस्त्र समिति के विभिन्न कंप्यूटरों पर हिंदी सॉफ्टवेयर स्थापित किये गये थे ।

(iv) मुख्यालय, मुंबई के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को समय-समय पर उनके दैनिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन किया गया।

वस्त्र समिति

14.0 विधि अनुभाग :

14.1 वस्त्र समिति का विधि अनुभाग, वस्त्र समिति के विरुद्ध दायर विभिन्न न्यायालय मामलों में वस्त्र समिति और भारत सरकार के हितों का बचाव करता है। अब तक, दो मेस्से प्रॉफिट सूट (मुंबई), वर्ली, मुंबई में परिसर खाली करने के लिए एक किरायेदारी और बेदखली सूट वस्त्र समिति के खिलाफ दायर किए गए हैं। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय में 1 सेवा मामला, सीएटी में 7 सेवा मामले, 4 सेवा मामले, संपत्ति से संबंधित 2 अवमानना याचिका और बॉम्बे उच्च न्यायालय में 1 रिट याचिका, श्रम न्यायालय में 1 सेवा मामला वस्त्र समिति के विधि अनुभाग द्वारा लडे जा रहे हैं। इसके अलावा लेखा विभाग द्वारा संचालित उपकर संग्रह से संबंधित मामले हैं, जो विभिन्न कानूनी मंचों पर चल रहे हैं।

14.2 वर्ष 2023-2024 के दौरान, उच्च न्यायालय में 1 सेवा मामले से संबंधित रिट याचिका का निपटारा किया गया है।

भाग - III: वर्ष 2023-24 के कार्य निष्पादन और मुख्य बिंदुओं का सारांश

(लाख रूपये में)

I	राजस्व संग्रह			
क्र.सं	स्रोत / राजस्व का प्रकार		अप्रैल 2023 - मार्च 2024	अप्रैल 2022 - मार्च 2023
1	उपकर (वस्त्र मंत्रालय को प्रेषित)		**3.71**	**2.62**
आंतरिक प्राप्तियां				
क्र.सं.		**लेखा शीर्ष**	**2023-2024**	**2022-2023**
ए		**सेवा शुल्क**		
1		**निर्यातक को प्रमाणन**		
	ए	पंजीकरण	46.27	48.45
	बी	जी.एस.पी. सेवा शुल्क	0.00	83.98
	सी	उत्पत्ति का प्रमाण पत्र (एनपी)/सत्यापन	695.40	346.56
	डी	अन्य प्रमाणन प्रभार हथकरघा	0.80	0.85
	ई	ऐक्रेलिकयार्न/इंडो नेपाल संधि/बांग्लादेश/श्रीलंका पर प्रमाणन शुल्क	0.00	0.00
	एफ	रेटिंग शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, पंजीकरण शुल्क, निगरानी शुल्क, जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों का नवीनीकरण और पुनरीक्षण शुल्क	11.70	15.75
	जी	आईएसडीएस घटक-II के तहत उम्मीदवार के लिए सहायता और प्रमाणन	0.00	0.00
	एच	भारत हथकरघा पंजीकरण शुल्क	2.52	1.67
	आई	हैंडलूम मार्क योजना	0.00	0.00
	जे	उत्पादन क्षमता मूल्यांकन	5.10	3.70
		उप कुल:	**761.79**	**500.96**
2		**गुणवत्ता निरीक्षण**		
	ए	गुणवत्ता मूल्यांकन	122.99	201.77
	बी	बुना हुआ परिधान/आरएमजी प्रमाणीकरण का वर्गीकरण	0.00	3.71
		उप कुल:	**122.99**	**205.48**
3		**प्रयोगशाला परीक्षण**		
	ए	नमूना परीक्षण शुल्क	1604.57	1213.80
	बी	प्रयोगशाला परामर्श शुल्क	1.01	0.50
		उप कुल:	**1605.58**	**1214.30**
4.		**टीक्यूएम**		
	ए	आईएसओ 9000 परामर्श	2.43	4.12
	बी	आईएसओ 14000 परामर्श	0.00	0.00
	सी	एसए 8000 परामर्श	0.00	0.00
	डी	ओएचएसएएस 18001	0.00	0.00
		उप कुल:	**2.43**	**4.12**

वस्त्र समिति

5		**बाजार अनुसंधान अध्ययन**	**153.14**	**35.42**
6		**प्रकाशनों की बिक्री**		
	ए	वस्त्र समिति प्रकाशन	0.10	3.33
		उप कुल:	**0.10**	**3.33**
7		**प्रशिक्षण**	**0.00**	**1.65**
		उप कुल:	**0.00**	**1.65**
8		**फार्मों की बिक्री**		
	ए	जी.एस.पी.	0.28	0.93
	बी	हथकरघा	0.00	0.00
	सी	उत्पत्ति का प्रमाणन (एनपी)	0.00	0.00
	डी	अन्य	0.00	0.00
		उप कुल:	**0.28**	**0.93**
		ए का कुल	**2646.30**	**1966.19**
बी		**एफ.डी.आर.पर ब्याज**	634.92	425.03
		बी का कुल	**634.92**	**425.03**
सी		**वसूली योग्य**		
	ए	वसूली योग्यअग्रिम	0.64	1.68
	बी	किराए से ऋण/अग्रिम की वापसी	0.00	0.00
		सी का कुल	**0.64**	**1.68**
डी		**विविध आय**		
	ए	अन्य प्राप्तियां	8.30	21.34
	बी	बीमा दावा	0.00	0.00
	सी	स्वयं की संपत्ति से आय	0.00	0.00
	डी	हैंडलूम मार्क योजना	144.11	152.56
	ई	टीटीडीसी मदुरै	11.54	6.00
	एफ	टीआरक्यूसी	9.71	13.86
		डी का कुल	**173.66**	**193.76**
ई	ए	आईएसडीएस	0.00	0.00
	बी	आरएसए	325.63	240.72
	सी	हाथ से बना कालीन	0.00	0.00
	डी	विज्ञापन से आय	1.50	0.25
	ई	जूट मार्क योजना	111.22	0.16
		ई का कुल	**438.35**	**241.13**
		ए + बी + सी + डी + ई का कुल योग	**3893.88**	**2827.79**

II.	परामर्श सेवाएं				
क्र.सं.	निम्नंकित के कार्यान्वयन के लिए परामर्श	अप्रैल 2023 से मार्च 2024		अप्रैल 2022 से मार्च 2023	
		नया	प्रमाणित	नया	प्रमाणित
1.	आईएसओ 9000	1	0	2	0
2.	आईएसओ 14000	0	0	0	0
3.	एसए 8000	0	0	0	0
4.	ओएचएसएएस 18001	0	0	0	0
5.	परियोजना	2	0	4	0
	कुल	3	0	6	0

III.	हैंडलूम मार्क		
क्र.सं.	विवरण	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अप्रैल 2022 से मार्च 2023
1.	पंजीकरण की संख्या	744	928
2.	बेचे गए लेबलों की संख्या (पीटीएल)	3,15,52,782	1,07,54,338
3.	हथकरघा अंतर्निहित	7423	5489
4.	क्लस्टर स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम	0	5
5.	एक्सपो	6	8

IV	जूट मार्क			
क्र.सं.	विवरण		अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अप्रैल 2022 से मार्च 2023
1	आवंटित पंजीकरण संख्या		81	11
2.	बेचे गए लेबल		0	0
3	प्रोमोशनल सक्रियता	**जागरूकता बैठक**	**0**	1

V	निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन		
	आरईएक्स के तहत पंजीकृत निर्यातकों की संख्या: 6250		
क्र.सं.	विवरण	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अप्रैल 2022 से मार्च 2023
1.	आईएसओ-17020 के तहत गुणवत्ता निरीक्षण (लॉट संख्या)	846	464
2.	(एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए) के तहत किए गए भौतिक सत्यापन की संख्या	1511	1276
3.	जारी किए गए जीएसपी प्रमाणपत्रों की संख्या	11578	13764

वस्त्र समिति

4.	जारी किए गए मूल प्रमाणपत्रों की संख्या (गैर-अधिमान्य)	7785	10598
5.	जारी किए गए एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए प्रमाणपत्रों की संख्या	35665	25798
6.	हथकरघा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए करघा मूल के लिए सीमित निरीक्षण के तहत जांच की गई लॉट की संख्या	67	56
7.	जारी किए गए हथकरघा और अन्य विशेष प्रमाणपत्रों की संख्या	141	136
8.	एचएसकोड, विवरण आदि के लिए वर्गीकृत नमूनों की संख्या	3946	3232
9.	पंजीकृत नए निर्यातकों की संख्या	698	831
10.	नवीकृत पंजीकरणों की संख्या	2414	2270
11.	मूल के रिक्त प्रमाण पत्र की बिक्री (गैर-अधिमान्य) प्रपत्र	2170	3128
12.	सीओओ (एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए) की बिक्री	0	50
13.	द्विपक्षीय समझौते के तहत रिक्त प्रमाणपत्रों की बिक्री	198	241
14.	आईएसएफटीए के तहत आरएमजी के आयात कोटा की निगरानी के लिए टीआरक्यूसी पर समर्थन	455	775
15.	भारत-नेपाल व्यापार संधि (मीट्रिक टन में) के तहत ऐक्रेलिकयार्न के आयात कोटा की निगरानी के लिए टीआरक्यूसी पर समर्थन)	3491	4605
16.	जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों की रेटिंग के लिए पंजीकृत इकाइयां	14	28
17.	हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के लिए रेटिंग योजना तैयार करना	एक परियोजना	एक परियोजना
18.	हस्तशिल्प मार्क योजना तैयार करना	एक परियोजना	एक परियोजना
19.	खादी मार्क योजना- खादी उद्योग का सत्यापन	एक परियोजना	एक परियोजना
20.	विभिन्न टीयूएफएस के तहत कपड़ा इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण	189	308
21.	ऊपर क्र. सं.1 से 20 में गतिविधियों के लिए उत्पन्न कुल राजस्व (करोड़ रुपये में)	**9.37**	**7.71**

VI	**बाजार अनुसंधान अध्ययन/सर्वेक्षण/जनगणना:**	
क्र.सं.	**सर्वेक्षण/अध्ययन**	**स्थिति**
1. **नई पहल**		
i.	**वस्त्र आसूचना बाजार (एमआईटी):** वस्त्र उद्योग के लिए उत्पाद स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता पर डेटा अंतर को दूर करने के लिए वस्त्र समिति ने वस्त्र आसूचना बाजार (एमआईटी) की शुरुआत की है।	**ए.** एमआईटी टी एंड सी सेक्टर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है और उत्पादन, घरेलू मांग, निर्यात और आयात, मूल्य और इसके तंत्र, प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी, लागत बेंचमार्किंग, सरकारी नीति तंत्र, कर संरचना, आरटीए/पीटीए, बुनियादी ढांचे और उद्योग के हितधारकों और नीति निर्माताओं को अन्य संबंधित मुद्दों पर मैक्रो स्तर की जानकारी प्रदान करता है।

		(i) वस्त्रों में स्थिरता और परिपत्रता को बढ़ाना – यूएनईपी परियोजना • यूएनईपी को अंतिम पर्याप्त और वित्तीय रिपोर्ट भेजी गई और परियोजना पूरी की गई। (ii) अध्ययन का आयोजन "रोजगार और आय के सृजन पर वस्त्र क्षेत्र की पहल के प्रभाव का आकलन" • अध्ययन में दिए गए विकास दरों पर एक नोट बनाम पीएलएफएस अनुमान तैयार किए गए। **बी.** उपभोग के बाद के वस्त्रों के प्रबंधन के माध्यम से वस्त्र मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और परिपत्रता। i. स्थिरता और चक्रियता पर यूरोपीय संघ के विनियमों पर डेटाबेस तैयार किया गया। ii. भारत टेक्स 2024 के दौरान, वस्त्र समिति, नवी मुंबई नगर निगम, एसबीआई फाउंडेशन लिमिटेड, आईडीएच इंडिया हब प्राइवेट लिमिटेड और टिस्सर आर्टिसन ट्रस्ट ने 28 फरवरी, 2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य टीवीसी के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए वस्त्र और परिधान (टीएंडए) क्षेत्रों के योगदान को मजबूत करने के लिए "उपभोक्ता के बाद के वस्त्रों के प्रबंधन के माध्यम से वस्त्र मूल्य श्रृंखला (टीवीसी) में स्थिरता और चक्रियता" नामक पायलट परियोजना शुरू करना है। कपड़ा अपशिष्ट को पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग के माध्यम से धन में परिवर्तित करने के लिए ग्रासिम लिमिटेड और रिलायंस लिमिटेड के साथ आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। iii. फाइबर के आधार पर कपड़ों को अलग करने की तकनीक की पहचान की गई। iv. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के विकास की प्रक्रिया शुरू की गई।
2.	**परियोजना प्रस्ताव की तैयारी**	**पावरलूम क्षेत्र पर आधारभूत अध्ययन** i. पावरलूम क्षेत्र पर आधारभूत अध्ययन करने के लिए कार्यक्षेत्र और उद्देश्य, संदर्भ की शर्तें, दृष्टिकोण और

		कार्यप्रणाली से युक्त अवधारणा नोट तैयार किया गया और वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया। अध्ययन के तहत उपयोग की जाने वाली प्रश्नावली का प्रारूप तैयार किया गया। ii. वस्त्र मंत्रालय के सुझाव के अनुसार, पावरलूम उद्योगों के आधारभूत अध्ययन के आयोजन के लिए तकनीकी समिति (कार्य समूह) के गठन पर मसौदा कार्यालय ज्ञापन तैयार किया गया। **भारतीय ऊन और पश्मीना चिह्न का विकास** iii. सीडब्ल्यूडीबी को भेजे गए प्रस्तावों पर प्रस्तुतियाँ जैसे (i) भारतीय ऊन क्षेत्र पर व्यापक अध्ययन और वैश्विक बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति और (ii) कालीन चिह्न का विकास तकनीकी समिति के समक्ष मूल्यांकन के लिए तैयार किया गया था। iv. दो प्रस्तावों अर्थात (i) भारतीय ऊन चिह्न का विकास तथा (ii) पश्मीना चिह्न के विकास के लिए केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड से स्वीकृति आदेश प्राप्त हुआ। सीडब्ल्यूडीबी द्वारा अपेक्षित पूर्व रसीदें तथा अन्य संबंधित दस्तावेज सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत किए गए। v. भारतीय ऊन चिह्न के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का प्रारूप तैयार किया गया। **वस्त्र मशीनरी उद्योग का आधारभूत एवं अंतराल विश्लेषण अध्ययन** vi. भारत के वस्त्र मशीनरी उद्योग का आधारभूत एवं अंतराल विश्लेषण अध्ययन करने के लिए कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य, संदर्भ की शर्तें, दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली से युक्त अवधारणा नोट तैयार किया गया तथा मंत्रालय को भेजा गया। vii. भारत के वस्त्र मशीनरी उद्योग का आधारभूत एवं अंतराल विश्लेषण अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव पर प्रारूप प्रस्तुति तैयार की गई तथा व्यापार डेटा संकलित किया गया।

		स्थिरता एवं चक्रियता टीवीसी का आधारभूत अध्ययन viii. स्थिरता एवं चक्रियता टीवीसी का आधारभूत अध्ययन करने के लिए कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य, संदर्भ की शर्तें, दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली से युक्त अवधारणा नोट तैयार किया गया।
3.	**मानकों और तकनीकी विनियमों का विकास और क्यूसीओ की अधिसूचना:**	i. कालीनों पर 2 मानकों, सूती परिधानों के 3 मानकों, विस्कोस स्पन यार्न पर सिफारिशें मंत्रालय को भेजी गईं। ii. (i) सिंथेटिक फाइबर के बुने हुए और क्रोकेटेड कपड़ों और (ii) विस्कोस रेयान कट स्टेपल (स्पन) यार्न के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और साथ ही डब्ल्यूटीओ के लिए टीबीटी अधिसूचना वस्त्र मंत्रालय को सौंपी गई। iii. साड़ी, शर्टिंग और सूटिंग पर 3 बीआईएस मानकों की समीक्षा के लिए 26 जुलाई, 2023 को कपास और एमएमएफ वस्त्रों पर तकनीकी विनियमों के संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। iv. 7 उत्पादों पर तकनीकी विनियमों के विकास पर मानक विकसित करने और टिप्पणियां प्रदान करने के लिए बीआईएस को पत्र भेजा गया। v. विस्कोस स्टेपल फाइबर क्यूसीओ, 2022 के संबंध में भारत की प्रतिक्रिया पर इंडोनेशिया की टिप्पणी पर जवाब वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया। vi. (i) IS 15852:2009 (2012 और 2014 में संशोधित) "वस्त्र-यूनिफॉर्म के लिए पॉलिएस्टर मिश्रित बुना शर्टिंग" और (ii) IS 15853:2009 (2012 और 2014 में संशोधित) "वस्त्र-यूनिफॉर्म के लिए पॉलिएस्टर मिश्रित सूटिंग" पर कार्य समूह की बैठक आयोजित करने के लिए गतिविधियाँ शुरू की गईं। vii. (i) लाइफजैकेट और व्यक्तिगत फ्लोटिंग डिवाइस, (ii) चिकित्सा उपयोग के लिए डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक कपड़े और (iii) चिकित्सा उपयोग के लिए मास्क पर टीबीटी अधिसूचना पर MoT को भेजी गई टिप्पणियों का पत्र।

		viii.एचएसएन कोड 540233 अर्थात पॉलिएस्टर ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई) पर बीआईएस प्रमाणन पर टिप्पणियों को अग्रेषित करने वाला पत्र वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया।
4.	**भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) अधिनियम के माध्यम से आईपीआर संरक्षण**	i. बरगढ़ के हथकरघा कारीगरों के लिए पोस्ट जीआई पहल के रूप में पार्ट-बी जीआई पंजीकरण शुरू करने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ii. जीआई और पोस्ट जीआई गतिविधियों को शुरू करने के लिए वस्त्र समिति(टीसी) और कुटीर और ग्रामीण उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। iii. जीआई टैग वाले वस्त्रों और वस्त्र शिल्प का एक संग्रह "विरासत से विकसित भारत" नामक एक कॉफी टेबल बुक तैयार की गई और 28 फरवरी, 2024 को भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम के दौरान जारी की गई।

VII.	**संसाधन सहायता एजेंसी (समर्थ)**		
क्र.सं.	**विवरण**	**संचयी (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)**	**समग्र**
1	विकसित पाठ्यक्रमों की संख्या	0	80
2	अपनाए गए पाठ्यक्रमों की संख्या (प्रवेश स्तर)	0	34
3	अपनाए गए पाठ्यक्रमों की संख्या (अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग)	0	6
4	आयोजित किए गए टीओटी बैचों की संख्या	107	409
5	मान्यता प्राप्त टीओटी प्रशिक्षकों की संख्या	925	3562
6	आयोजित किए गए टीओए की संख्या	37	248
7	मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या	364	4186
8	किए गए मूल्यांकन की संख्या (प्रवेश स्तर)	128560	270104
9	प्रशिक्षण के बाद किए गए मूल्यांकन की संख्या (अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग)	5475	17077
10	आयोजित किए गए पीवी की संख्या	794	3664
11	पीवी के लिए आवंटित टीसी की संख्या	806	4537
12	पाठ्यक्रमों की संख्या के लिए मूल्यांकन कतार सेट	6	128
13	प्राप्त राशि (सीएटी) रु.	64,03,800	3,07,15,760
14	प्राप्त राशि (एएसी) रु.	21,75,340	2,18,23,080
15	पैनल में शामिल टीओटी एजेंसी की संख्या	0	4

16	पैनल में शामिल एए की संख्या	0	35
17	मूल्यांकन की सरप्राइज चेक की संख्या	101	394
18	एए को जारी किया गया मूल्यांकन शुल्क रु.	7,54,70,805.49	15,41,56,643.5
19	आईपी और आरएसए एस्क्रो से सीएनए को अप्रयुक्त शेष राशि रु.	4,73,79,822.77	55,82,50,738.06
20	एमओटी से आईपी के लिए सहायता में नया अनुदान रु.	98,17,62,335.00	1,19,52,99,956.00
21	निकासी सीमा प्रस्तावित रु.	1,36,80,03,269.00	1,68,89,63,102.00

VIII	**भुगतान प्राप्त - संसाधन सहायता एजेंसी (समर्थ)**		
क्र.सं.	**सेवा**	**मात्रा**	**कुल मूल्य @ रु.**
टीओटी			
1	सीएनटी प्रत्यायन शुल्क - नया (5000+जीएसटी)	981	57,87,900
2	सीएनटी प्रत्यायन शुल्क - नया (5000+जीएसटी के बिना)	04	20,000
3	सीईटी प्रत्यायन शुल्क (2000+जीएसटी)	17	40,120
4	पुनर्मूल्यांकन शुल्क - (2000+जीएसटी)	99	2,33,640
5	आईपी स्थानांतरण प्रत्यायन शुल्क (1000+जीएसटी)	73	86,140
6	सीटी प्रत्यायन शुल्क (अपस्किलिंग)- नया (12000+जीएसटी)	15	2,12,400
7	एमटी नवीनीकरण प्रत्यायन शुल्क (1000+जीएसटी)	20	23,600
मूल्यांकन एवं प्रमाणन			
1	मूल्यांकनकर्ता प्रत्यायन (2000+जीएसटी)	634	14,96,240
2	मूल्यांकनकर्ता प्रत्यायन (2000+जीएसटी)	11	25,960
3	उप क्षेत्र का जोड़ (1000+जीएसटी)	40	47,200
4	पैनेल नवीनीकरण शुल्क (15000 +जीएसटी)	35	6,19,500
		कुल	**85,92,700**

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

TEXTILES COMMITTEE

(GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF TEXTILES)

वार्षिक लेखा

ANNUAL ACCOUNTS
2023-2024

पी. बालू रोड, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025
P. Balu Road, Prabhadevi Chowk, Prabhadevi, Mumbai – 400 025
ई-मेल/e-mail: secy.tc@nic.in वेबसाईट/Website: www.textilescommittee.nic.in

विषय सूची

वर्ष 2023-2024 के लिए वस्त्र समिति का वार्षिक लेखा

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
तुलन पत्र
31-03-2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
कॉर्पस/कैपिटल फंड और देयताएं			
कॉर्पस / पूंजीगत निधि	1	90,42,98,523.73	1,09,36,51,026.00
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/अक्षय निधियां	3	18,67,74,678.64	14,05,29,723.00
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	1,66,92,411.00	1,84,34,782.00
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	7	46,13,36,639.27	15,07,31,849.00
उपकर खाता समापन शेष		9,410.00	10,000.00
कुल		**1,56,91,11,662.64**	**1,40,33,57,380.00**
संपत्तियां			
अचल संपत्तियां	8	9,15,80,983.00	9,67,11,864.00
अचल संपत्तियां (परियोजनाएं)		1,66,92,411.00	1,84,34,782.00
निवेश - निर्धारित/अक्षय निधियों से	9	77,42,575.00	73,77,992.00
निवेश - अन्य	10	-	-
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम, आदि	11	1,45,30,95,693.64	1,28,08,32,742.00
विविध व्यय		-	-
(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)			
कुल		**1,56,91,11,662.64**	**1,40,33,57,380.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	25		

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस.चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
आय और व्यय लेखा
31-03-2024 को समाप्त वर्ष

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
आय			
बिक्री और सेवाओं से आय	12	32,35,95,387.72	23,64,63,970.00
अनुदान / सब्सिडी	13	54,70,00,000.00	59,69,00,000.00
शुल्क / सदस्यता	14	2,42,500.00	5,76,900.00
निवेश से आय (निर्धारित/अनुदान निधि से। निधियों को निधियों में स्थानांतरित किया गया)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	9,600.00	3,32,900.00
अर्जित ब्याज	17	6,35,56,407.00	4,40,07,759.00
अन्य आय	18	19,83,772.42	27,12,215.00
तैयार माल और कार्य-प्रगति के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	19	-	-
आस्थगित ऋण आय (परियोजनाएं)	8	31,32,053.00	33,98,741.00
कुल(ए)		**93,95,19,720.14**	**88,43,92,485.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	1,07,10,34,297.43	70,54,23,807.00
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि।	21	6,98,22,391.46	6,20,67,685.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग)	8	88,30,524.00	98,84,522.00
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग) - (परियोजनाएं)		31,32,053.00	33,98,741.00
कुल(बी)		**1,15,28,19,265.89**	**78,07,74,755.00**
शेष व्यय पर आय का अधिक होना (ए-बी)		(21,32,99,545.75)	10,36,17,730.00
पूर्व अवधि आइटम		2,04,86,517.25	-
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण		-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण		-	-
शेष राशि अधिशेष होने के नाते / (घाटा) कॉर्पस / पूंजीगत निधि में ले जाया गया		(19,28,13.028.50)	10,36,17,730.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	25		

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
प्राप्तियां एवं अदायगियां लेखा
31.03.2024 को समाप्त वर्ष

(राशि रु.में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	अदायगियां	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
I. प्रारंभिक शेष राशि			**I. व्यय**		
ए) हाथ में नकद	46,600.00	-	ए) स्थापना व्यय	74,81,93,782.43	70,17,33,905.00
बी) बैंक शेष			बी) प्रशासनिक व्यय	6,06,89,049.46	5,77,55,893.00
i) भारतीय स्टेट बैंक (मुख्य खाता 10865756128)	6,95,89,274.00	5,00,20,074.00			
ii) भारतीय स्टेट बैंक (उपकर खाता 10865756151)	10,000.00	10,000.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों में से किए गए भुगतान**	-	-
iii) क्षेत्रीय कार्यालयों के पास शेष राशि	42,16,440.43	-			
			III. किए गए निवेश और जमा		
II. प्राप्त अनुदान			ए) निर्धारित/अक्षय निधियों में से	-	-
ए) भारत सरकार से	54,70,00,000.00	59,69,00,000.00	बी) स्वयं की निधियों में से (निवेश - अन्य)	74,15,00,000.00	42,05,00,000.00
i) भारत सरकार से आवर्ती अनुदान (वेतन और सामान्य)	-	-	सी) अन्य जमा-अन्य/ईएमडी	-	-
ii) पूंजीगत संपत्ति का निर्माण - टीआईईएस	-	-	डी) अन्य जमा-किराया	1,39,568.00	1,90,472.00
iii) पूंजीगत संपत्ति का निर्माण	-	-	ई) अन्य जमा-बिजली	28,000.00	2,74,244.00
III. निम्न से निवेश पर आय			**IV.नियत संपत्तियों तथा पूंजी पर खर्च जारी हैं**		
ए) निर्धारित / अक्षय निधि	-	-	ए) नियत संपत्तियों की खरीद	37,16,577.00	31,49,945.00
बी) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)	-	-	बी) पूंजी पर खर्च जारी हैं	-	2,51,60,000.00
IV. प्राप्त ब्याज			**V. अधिशेष धन / ऋण की वापसी**		
ए) बैंक में जमा पर	6,81,72,842.00	4,25,02,884.00	ए) भारत सरकार	-	-
बी)ऋण तथा अग्रिम	-	1,68,217.00	बी) राज्य सरकार	-	-
V. अन्य आय			**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**	-	-
ए) शुल्क तथा परामर्श	2,42,500.00	5,76,900.00			
बी) सेवाओं से आय	35,11,92,782.38	23,95,30,977.00	**VII. अन्य अदायगियां**	7,53,35,212.12	15,08,44,146.00
VI. उधार की राशि	-	-	**VIII.अंत शेष**		
			a) हाथ में रोकड (क्षे. का.)	45,600.00	-
VII. अन्य प्राप्तियां	67,44,29,367.05	49,94,98,827.00	**b) बैंक शेष**		
			i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मुख्य खाता 10865756128)	8,25,52,528.74	6,95,89,274.00
			ii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (उपकर खाता 10865756151)	9,410.00	10,000.00
			iii) क्षेत्रीय कार्यालयों के पास शेष राशि	26,90,078.11	-
कुल	**1,71,48,99,805.86**	**1,42,92,07,879.00**	**कुल**	**1,71,48,99,805.86**	**1,42,92,07,879.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति भविष्य निधि, मुंबई
प्राप्तियां और अदायगियां लेखा
31-03-2024 को समाप्त वर्ष

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)		अदायगियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022 -23)
प्रारंभिक शेष	1,65,87,777.31	61,34,481.51		अग्रिम	1,84,73,000.00	1,24,16,000.00
अभिदान	2,64,57,700.00	3,08,37,500.00		अंतिम समायोजन	7,59,59,490.00	5,65,45,373.00
समिति अंशदान	-	-		निवेश	20,23,45,162.54	-
निवेश पर ब्याज	2,28,66,201.58	2,00,35,789.80		बैंक कमीशन	21,202.38	-
परिपक्व निवेश	24,40,13,576.00	2,85,41,379.00		निवेश पर प्रीमियम	21,81,598.00	-
				उपार्जित ब्याज का भुगतान	13,48,029.46	-
				अंत शेष :	95,96,772.51	1,65,87,777.31
कुल	**30,99,25,254.89**	**8,55,49,150.31**		**कुल**	**30,99,25,254.89**	**8,55,49,150.31**

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति भविष्य निधि, मुंबई
आय और व्यय लेखा
31-03-2024 को समाप्त वर्ष

(राशि रु. में)

व्यय	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)	आय	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)
अभिदान पर ब्याज	1,65,23,109.00	1,95,26,120.00	**ब्याज**		
अंशदान पर ब्याज	-	-	ए) बचत बैंक खाता	3,67,549.00	2,77,911.00
बैंक कमीशन प्रभार	21,202.38	-	बी) सरकारी प्रतिभूतियां	2,24,30,674.78	1,96,89,901.00
निवेश पर प्रीमियम	21,81,598.00	-	सी) डाक घर जमा	-	-
उपार्जित ब्याज का भुगतान	13,48,029.46	-	डी) विशेष जमा	67,977.80	67,977.80
			ई) निवेश के स्वत: नवीनीकरण पर ब्याज	-	-
			जोडा :- 2023-24 के लिए अर्जित ब्याज	28,65,281.00	5,69,857.00
			घटाया :- 2022-23 के लिए अर्जित ब्याज	5,69,857.00	9,26,613.33
अधिशेष :	50,87,686.74	1,52,913.47	घाटा :	-	-
(व्यय पर आय)			*(आय पर व्यय)*		
कुल	**2,51,61,625.58**	**1,96,79,033.47**	**कुल**	**2,51,61,625.58**	**1,96,79,033.47**

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति भविष्य निधि, मुंबई
तुलन पत्र
31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

देयताएं	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)	संपत्तियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)
अभिदान :			1] **निवेश :**		
प्रारम्भिक शेष	27,73,23,315.00	29,59,21,068.00	प्रारम्भिक	25,91,27,667.00	28,76,69,046.00
जोडा: वर्ष के दौरान			जोडा : वर्ष के दौरान बनाया गया	20,23,45,162.54	-
1) अभिदान	2,64,57,700.00	3,08,37,500.00	जोडा : सावधि जमा का स्वत: नवीनीकरण	-	-
2) ब्याज	1,65,23,109.00	1,95,26,120.00	घटाया : वर्ष के दौरान परिपक्व	24,40,13,576.00	2,85,41,379.00
			[1]	**21,74,59,253.54**	**25,91,27,667.00**
घटाया:					
1) अग्रिम	1,84,73,000.00	1,24,16,000.00	**2] वस्त्र समिति का अंधदान:** [2]	**-**	**-**
2) अंतिम समायोजन	7,59,59,490.00	5,65,45,373.00	(ब्याज सहित)		
[ए]	**22,58,71,634.00**	**27,73,23,315.00**	3] निवेश पर अर्जित ब्याज	28,65,281.00	5,69,857.00
वस्त्र समिति का अंशदान :					
प्रारम्भिक शेष	-	-	[3]	**28,65,281.00**	**5,69,857.00**
जोडा : 1) वर्ष के लिए अंशदान	-	-			
2) वर्ष के लिए ब्याज	-	-			
घटाया : 1) वष के दौरान अंतिम समायोजन	-	-			
			4] वस्त्र समिति से देय अभिदान	-	-
[बी]	**-**	**-**			
			5] अंत शेष :		
आय और व्यय खाता :			बैंक में रोकड [4]	**95,96,772.51**	**1,65,87,777.31**
प्रारम्भिक शेष	(10,38,013.69)	(11,90,927.16)			
जोडा /(घटाया): वर्तमान वर्ष अधिशेष / (घाटा)	50,87,686.74	1,52,913.47			
[सी]	**40,49,673.05**	**(10,38,013.69)**			
कुल ([ए]+[बी]+[सी])	**22,99,21,307.05**	**27,62,85,301.31**	**कुल ([1]+[2]+[3]+[4])**	**22,99,21,307.05**	**27,62,85,301.31**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
संसाधन सहायता एजेन्सी (आरएसए)

प्राप्ति और अदायगी लेखा

31.03.2024 को समाप्त वर्ष

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)	अदायगियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)
प्रारम्भिक शेष :			***पाठ्यक्रम सामग्री की छपाई द्वारा***	-	-
बैंक में शेष	2,59,03,984.00	11,21,67,251.00			
			अनुसंधान और अध्ययन :		
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	6,18,93,337.00	-	1) कार्यशाला/सेमिनार	-	-
प्राप्त ईएमडी	-	-	2) कौशल अंतर विश्लेषण का आयोजन	-	-
रद्दीकरण के कारण भुगतान की प्रत्यावर्तित प्रविष्टि	-	-	3) मूल्यांकन और प्रमाणन	6,07,920.00	6,53,26,228.00
विभिन्न अग्रिमों की वापसी	786.00	9,367.00	4) परामर्श	-	1,00,00,000.00
वस्त्र समिति मुख्य खाते से प्राप्त करने के लिए (समायोजन)	-	-			
अग्रिम की वापसी के लिए (टेक्सटाइल इंडिया)	-	-	***सलाहकार और तकनीकी और सहायक कर्मचारियों के लिए संसाधन द्वारा***	13,32,183.00	19,50,446.00
हितधारकों की बैठक-समर्थ की प्रतिपूर्ति हेतु	-	-			
मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण की वापसी हेतु	-	13,66,169.00	***पाठ्यक्रम विकास और अपनाने की लागत***	-	70,18,000.00
-					
-			***प्रशिक्षण और अन्य आवर्ती व्यय***		
			1) यात्रा, आवास, बोर्डिंग	5,45,442.00	3,18,460.00
			2) आरएसए कार्मिकों को प्रशिक्षण	-	-
			3) सम्मेलन/संगोष्ठी/बैठक में सहभागिता	-	-
			4) जनशक्ति संसाधनों की भरती	27,98,740.00	29,15,991.00
			5) आकस्मिक व्यय अर्थात कार्यालय स्टेशनरी, रखरखाव, गृह देखरेख आदि.	39,007.00	1,09,678.00
			कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों	-	-
			कार्यालय उपकरण		
			1) फोटोकॉपियर मशीन	-	-
-			**ईएमडी पर वापसी**	-	-
-					
-			***स्टेकहोल्डर्स मीटिंग-समर्थ के व्यय द्वारा***	7,32,256.00	-
-			-		
-			***भारत सरकार को वापसी***	1,21,26,657.00	-
-					
-			**अंत शेष :**		
			बैंक में रोकड	6,96,15,902.00	2,59,03,984.00
कुल (पूर्णांकित)	**8,77,98,107.00**	**11,35,42,787.00**	**कुल (पूर्णांकित)**	**8,77,98,107.00**	**11,35,42,787.00**

ह/-
(वेंकट. रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों का आकलन और श्रेणीकरण

प्राप्ति और अदायगी लेखा

31.03.2024 को समाप्त वर्ष

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)	अदायगियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022 -23)
प्रारम्भिक शेष :			बैंक प्रभार	-	649.00
बैंक में शेष	27,312.00	27,961.00	व्यय की प्रतिपूर्ति (वस्त्र समिति के मुख्य खाते में राशि का अंतरण)	-	-
जी एंड पी इकाइयों से प्राप्त शुल्क (मूल्यांकन, पंजीकरण, नवीनीकरण और निगरानी)	-	-	वस्त्र समिति को हस्तांतरण मुख्य खाता (सेवा कर और जी एंड पी शुल्क आदि के लिए समायोजन प्रविष्टि होने के नाते)	-	-
सावधि जमा परिपक्व	-	-			
सावधि जमा ब्याज पर	-	-			
विविध आय	-	-	एसबीआई में सावधि जमा	-	-
			विज्ञापन व्यय	-	-
विभिन्न अग्रिमों की वापसी	-	-	मुद्रण और स्टेशनरी	-	-
बाउंस चेक की प्राप्ति	-	-	प्रदर्शनी व्यय	-	-
			यात्रा और वाहन	-	-
			विविध व्यय	-	-
			कार्यक्रम व्यय	-	-
			वस्त्र समिति मुख्य खाता को अंतरण (भारत सरकार का हिस्सा होने के कारण)	-	-
			वस्त्र समिति को मुख्य खाता को शुल्क का स्तानांतरण	-	-
			विशेषज्ञ के लिए आइटम	-	-
			वेबसाइट विकास व्यय	-	-
			सावधि संपत्ति कम्प्यूटर हार्ड	-	-
			टीडीएस भुगतान	-	-
			चेक बाउन्स रिवर्स	-	-
			अंत शेष :		
			बैंक में रोकड	27,312.00	27,312.00
कुल (पूर्णांकित)	**27,312.00**	**27,961.00**	**कुल (पूर्णांकित)**	**27,312.00**	**27,961.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
एकीकृत कौशल विकास योजना
प्राप्ति और अदायगी लेखा
31.03.2024 को समाप्त वर्ष

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)	अदायगियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022 -23)
प्रारम्भिक शेष :			प्रशासनिक ओवरहेड्स	-	-
बैंक में शेष	35,56,202.00	46,83,769.00	फर्नीचर और फिक्चर	-	-
भारत सरकार (वस्त्र मंत्रालय) से प्राप्त अनुदान	-	-	इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रानिक उपकरण	-	-
प्राप्त प्रशिक्षण शुल्क	-	-	लॉजिस्टिक	-	-
विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अग्रिम वापसी			प्रिन्टिंग व्यय	-	-
	-	-	पाठ्यक्रम विकास	-	-
एनआईसीएसआई से वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं के लिए भुगतान की गई शेष राशि की वापसी के लिए	62,913.00	-	अन्य/विडीयो कान्फ.	-	11,26,918.00
सुरक्षा जमा किराए की वापसी			किराया व्यय	-	-
	-	-	वस्त्र समिति मुख्य खाते के साथ विविध समायोजन		
टीडीएस की वापसी	-	-		-	-
वस्त्र समिति मुख्य खाता और आरएसए खाते के साथ समायोजन			वस्त्र समिति मुख्य खाता (सेवा कर समायोजन)	-	-
	-	-	बैंक प्रभार	-	649.00
मुख्यालय से प्राप्त अग्रिमों की वापसी	-	-	प्रशिक्षक और सहायक कर्मचारी वेतन	-	-
रद्द किए गए चेक की वापसी	-	-	आकस्मिकता और विविध	-	-
			विज्ञापन खर्च	-	-
			बाउन्स हुए चेक के रिवर्स	-	-
			अंत शेष सी/एफ		
			बैंक में शेष	36,19,115.00	35,56,202.00
कुल (पूर्णांकित)	**36,19,115.00**	**46,83,769.00**	**कुल (पूर्णांकित)**	**36,19,115.00**	**46,83,769.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्या लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय))
एकीकृत कौशल विकास योजना - टीएक्ससी/वीसी
प्राप्ति और अदायगी लेखा
31.03.2024 को समाप्त वर्ष

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	**वर्तमान वर्ष (2023-24)**	**पिछला वर्ष (2022-23)**	**अदायगियां**	**वर्तमान वर्ष (2023-24)**	**पिछला वर्ष (2022-23)**
प्रारम्भिक शेष	**1,27,29,606.00**	**1,27,30,255.00**	***विभिन्न शीर्षों के तहत पीएससी को अंतरण***		
ढांचागत सुविधा की वापसी के लिए (पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया)	-	-	1) कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	-	-
बैंक शुल्क की वापसी	3,245.00	-	2) परामर्श सेवाएं	-	-
			3) इलेक्ट्रीक /इलेक्टॉनिक उपकरण	-	-
			4) फर्नीचर और फिक्चर	-	-
			5) इन्फ्रा सुविधा का संशोधन	-	-
			6) संयंत्र और मशीनरी	-	-
			7) मुद्रण और स्टेशनरी	-	-
			8) नवीनीकरण और रखरखाव	-	-
			9) टेलीफोन खर्च	-	-
			10)प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	-
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	-	-	भारत सरकार को धन वापसी द्वारा	1,27,32,851.00	-
			बैंक प्रभार	-	649.00
			अंत शेष :		
			बैंक में रोकड	**-**	**1,27,29,606.00**
कुल (पूर्णांकित)	**1,27,32,851.00**	**1,27,30,255.00**	**कुल (पूर्णांकित)**	**1,27,32,851.00**	**1,27,30,255.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

वस्त्र समिति सीएनए

प्राप्ति और अदायगी लेखा

31.03.2024 को समाप्त वर्ष

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)	अदायगियां	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पिछला वर्ष (2022-23)
प्रारम्भिक शेष :	**1,54,738.00**	**-**	वस्त्र समिति मुख्य खाते को अंतरण	-	47,29,00,000.00
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	-	47,29,00,000.00			
प्राप्त ब्याज	-	1,54,738.00	भारत सरकार को धन वापसी द्वारा	1,54,738.00	-
			अंत शेष :		
			बैंक में रोकड	**-**	**1,54,738.00**
कुल (पूर्णांकित)	**1,54,738.00**	**47,30,54,738.00**	**कुल (पूर्णांकित)**	**1,54,738.00**	**47,30,54,738.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
तुलनपत्र और आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-2024	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूंजीगत निधि :		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1,09,36,51,026.00	89,77,79,899.00
जोड:		
i) कॉर्पस/पूंजी निधि में योगदान	-	-
ii) आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय (व्यय) का शेष	(19,28,13,028.50)	10,36,17,730.00
iii) प्रतिनियुक्तिकर्ता का पेंशन योगदान	-	2,14,769.00
iv) पिछले वर्ष के लिए समायोजन प्रविष्टि	-	10,00,00,000.00
v) भवन (स्वामित्व फ्लैट) पर मूल्यह्रास के लिए समायोजन प्रविष्टि	-	15,26,736.00
vi) इनपुट टैक्स क्रेडिट (कैश लेजर)	34,60,526.23	41,28,559.00
vii) टीटीडीसी मदुरै के लिए समायोजन प्रविष्टि	-	12,85,032.00
viii) एनपीएस बकाया के लिए समायोजन प्रविष्टि	-	1,39,049.00
कुल (ए)	90,42,98,523.73	1,10,86,91,774.00
कटौतियाँ:		
i) पिछली अवधि के लिए समायोजन प्रविष्टि	-	1,47,80,500.00
ii) भवन (स्वामित्व फ्लैट) पर मूल्यह्रास के लिए समायोजन प्रविष्टि	-	2,60,248.00
कुल (बी)	-	1,50,40,748.00
वर्ष के अंत में शेष (ए-बी)	**90,42,98,523.73**	**1,09,36,51,026.00**

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-2024	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 2 :- आरक्षण और अधिशेष	-	-
कुल	-	-

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
निधि वार ब्यौरा
अनुसूची 3 : निर्धारित निधि

विवरण	जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों का आकलन और श्रेणीकरण	एकीकृत कौशल विकास योजना	एकीकृत कौशल विकास योजना टीएक्ससी/वीसी	वस्त्र समिति आरएसए	हैंडलूम मार्क योजना	कोचीन बंदरगाह पर प्रयोगशाला	जेएनपीटी मुंबई में प्रयोगशाला	बाजार अन्य सर्वेक्षण पश्मीना	बाजार सर्वेक्षण ऊल मार्क
ए) निधियों का प्रारंभिक शेष	74,05,304.00	35,56,202.00	1,27,29,606.00	2,59,03,984.00	39,72,130.00	3,65,882.00	3,53,266.00	-	-
बी)निधियों में जोडा									
i) दान/अनुदान	-	-	-	6,18,93,337.21	-	-	-	5,00,000.00	5,00,000.00
ii)निधियों के कारण निवेश से आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अन्य जोडा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) एनआईसीएसआई से धन वापसी	-	62,913.00	-	-	-	-	-	-	-
बी) हितधारकों की बैठक-समर्थ की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) बैंक ब्याज	3,64,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) बैंक प्रभार वापसी			3,245.00						
कुल (ए+बी)	**77,69,887.00**	**36,19,115.00**	**1,27,32,851.00**	**8,77,97,321.21**	**39,72,130.00**	**3,65,882.00**	**3,53,266.00**	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**
सी) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय									
i) पूंजीगत व्यय									
अचल संपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल(i)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ii) राजस्व व्यय									
वेतन, मजदूरी, भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
किराया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	60,54,761.57	1,05,016.00	-	-	-	-
मुख्य खाता में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार को अधिशेष / शेष राशि की वापसी	-	-	1,27,32,851.00	1,21,26,657.00	-	-	-	-	-
कुल (ii)	**-**	**-**	**1,27,32,851.00**	**1,81,81,418.57**	**1,05,016.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (सी)	**-**	**-**	**1,27,32,851.00**	**1,81,81,418.57**	**1,05,016.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के अंत में निवल शेष (ए+बी-सी)	**77,69,887.00**	**36,19,115.00**	**-**	**6,96,15,902.64**	**38,67,114.00**	**3,65,882.00**	**3,53,266.00**	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस.चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
निधिवार ब्योरा
अनुसूची 3 - निर्धारित निधि

विवरण	स्वच्छता कार्य योजना	पूंजीगत अनुदान का सृजन (संबंधों के तहत प्रयोगशाला आधुनिकीकरण)	जूट मार्क इंडिया	वस्त्र समिति सीएनए	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
ए) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	7,15,00,000.00	1,45,88,611.00	1,54,738.00	14,05,29,723.00	23,97,32,924.00
बी)निधियों में जोडा						
i) दान/अनुदान	10,00,000.00	-	-		6,38,93,337.21	47,39,00,000.00
ii)निधियों के कारण निवेश से आय	-	-	-	-	-	3,64,583.00
iii) अन्य जोडा					-	-
ए) एनआईसीएसआई से धन वापसी	-	-		-	62,913.00	-
बी) हितधारकों की बैठक-समर्थ की प्रतिपूर्ति	-	-		-	-	-
सी) बैंक ब्याज	-	1,70,17,565.00	-		1,73,82,148.00	1,54,738.00
डी) बैंक प्रभार वापसी						
कुल (ए+ बी)	**10,00,000.00**	**8,85,17,565.00**	**1,45,88,611.00**	**1,54,738.00**	**22,18,71,366.21**	**71,41,52,245.00**
सी) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय						
i) पूंजीगत व्यय						
अचल संपत्तियाँ	34,132.00	-	14,02,750.00	-	**14,36,882.00**	**17,13,308.00**
अन्य	-	-	-		**-**	-
कुल (i)	**34,132.00**	**-**	**14,02,750.00**	**-**	**14,36,882.00**	**17,13,308.00**
ii) राजस्व व्यय						
वेतन, मजदूरी, भत्ते आदि	-	-	-		-	-
किराया	-	-	-		-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	9,65,868.00	-	620.00	-	71,26,265.57	9,90,09,214.00
मुख्य खाता में स्थानांतरित	-	-	15,19,294.00	-	15,19,294.00	47,29,00,000.00
भारत सरकार को अधिशेष / शेष राशि की वापसी	-	-	-	1,54,738.00	2,50,14,246.00	-
कुल (ii)	**9,65,868.00**	**-**	**15,19,914.00**	**1,54,738.00**	**3,36,59,805.57**	**57,19,09,214.00**
कुल (सी)	**10,00,000.00**	**-**	**29,22,664.00**	**1,54,738.00**	**3,50,96,687.57**	**57,36,22,522.00**
वर्ष के अंत में निवल शेष (ए+बी-सी)	**-**	**8,85,17,565.00**	**1,16,65,947.00**	**-**	**18,67,74,678.64**	**14,05,29,723.00**

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस.चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 4 :- सुरक्षित ऋण और उधार	-	-
अनुसूची 5 :- असुरक्षित ऋण और उधार	-	-

अनुसूची 6 :- आस्थगित ऋण देयताएं		
ए) पूंजी उपकरण और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
बी) अन्य:		
i) अचल संपत्तियां (परियोजनाएं)	1,66,92,411.00	1,84,34,782.00
कुल	**1,66,92,411.00**	**1,84,34,782.00**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 7 - वर्तमान देनदारियां और प्रावधान		
ए. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृति		
i) उपकर संग्रहण को उपकर खाते में अंतरित किया जाएगा	61,55,527.00	61,55,527.00
ii) बयाना राशि जमा	55,89,549.00	85,67,067.00
2. विविध लेनदार		
i) माल और सेवाओं के लिए	98,062.90	-
3. प्राप्त अग्रिम		
i) सेवाओं के लिए ग्राहकों से अग्रिम	56,18,989.22	-
ii) कार्यान्वयन भागीदार (आरएसए) संग्रह	-	24,61,100.00
iii) शाखा एवं प्रभाग से आर.ओ. को प्रतिपूर्ति	34,723.00	-
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
i) सुरक्षित ऋण / उधार	-	-
ii) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
5. सांविधिक देयताएं :		
i) व्यावसायिक कर देय	65,708.00	40,308.00
ii) समूह बीमा योजना	53,628.00	7,028.00
iii) जीएसटी देय	48,78,589.00	57,35,784.00
iv) टीडीएस देय	15,60,348.15	-
6. अन्य चालू देयताएं		
i) लाइसेंस शुल्क	13,384.00	3,540.00
ii) कार्यालय सह प्रयोगशाला भवन के खाते में प्रतिधारण धन	3,59,035.00	18,98,354.00
iii) ग्राहक को देय एनपीएस का अंशदान	-	5,81,985.00
iv) संपदा प्रबंधक (जीपीआरए)	18,144.00	18,144.00
कुल - ए	**2,44,45,687.27**	**2,54,68,837.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
बी. प्रावधान		
1. कराधान के लिए	-	-
2. ग्रेच्युटी	3,41,51,108.00	21,59,355.00
3. अधिवर्षिता / पेंशन	29,36,48,099.00	2,47,93,024.00
4. संचित अवकाश नकदीकरण	2,99,33,454.00	22,60,022.00
5. व्यापार वारंटी / दावे	-	-
6. बकाया अन्य:	-	
i) वेतन (डीए बकाया सहित) और मजदूरी	2,06,81,875.00	2,85,00,224.00
ii) नई पेंशन योजना में अंशदान	6,83,706.00	13,98,470.00
iii) सेवानिवृत्ति पर कम्यूटेशन	21,39,618.00	-
iv) किराया और कर (जल शुल्क सहित)	39,48,648.00	20,39,702.00
v) बिजली	11,43,461.00	6,31,323.00
vi) टेलीफोन और डाक	1,61,882.00	1,86,753.00
vii) मुद्रण और स्टेशनरी	2,688.00	12,30,161.00
viii) मेस्ने प्रॉफिट	-	1,41,06,000.00
ix) संपत्ति कर	4,15,00,674.00	3,77,00,990.00
x) यात्रा और वाहन	8,83,759.00	19,37,142.00
xi) मरम्मत और रखरखाव	4,65,420.00	5,87,814.00
xii) प्रयोगशाला की मान्यता	-	1,88,473.00
xiii) उपभोज्य, रसायन और कांच के बने पदार्थ	58,347.00	33,743.00
xiv) वाहन चलाना और रखरखाव	60,549.00	41,050.00
xv) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	36,916.00
xvi) छुट्टी यात्रा रियायत	58,097.00	2,99,494.00
xvii) संपर्क अधिकारियों को मानदेय	17,54,400.00	8,13,500.00
xviii) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	-	25,41,232.00
xix) ट्यूशन फीस	28,00,000.00	30,00,000.00
xx) लेखापरीक्षा शुल्क	2,10,400.00	1,60,000.00
xxi) सेमिनार शुल्क	-	7,791.00
xxii) प्रत्यायन निरीक्षण योजना	-	1,15,273.00
xxiii) अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान (प्रतिनियुक्ति)		4,94,560.00
xxiv) जीपीएफ कर्मचारी अंशदान और अग्रिम वसूली देय	19,00,600.00	-
xxv) बेनेवोलंट निधि अंशदान देय	540.00	-
xxvi)कर्मचारियों से सोसायटी ऋण वसूली देय	4,21,423.00	-
xxvii)कर्मचारी भुगतान द्वारा सोसायटी सदस्यता	2,21,000.00	-
xxviii)एलआईसी देय	61,204.00	
कुल(बी)	43,68,90,952.00	12,52,63,012.00
कुल(ए+बी)	46,13,36,639.27	15,07,31,849.00

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

तुलन पत्र के लिए अनुसूचियां:
अनुसूची सं. 8: अचल संपत्तियां

(राशि रु. में)

क्र.सं.	विवरण	दर	सकल ब्लॉक				विवरण					शुद्ध ब्लॉक	
			1/4/2023 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान जोडा	वर्ष के दौरान कटौती	31/3/2024 के अंत में	1/4/2023 को प्रारंभ	1/4/2023 को प्रारंभ शेष (शुद्ध ब्लॉक)	वर्ष के दौरान जोडा	वर्ष के दौरान कटौती	31/3/2024 के अंत में	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(ए)													
1	भूमि (फ्रीहोल्ड)	0%	18,43,366.00	15,91,050.00	-	34,34,416.00	-	-	-	-	-	**34,34,416.00**	**18,43,366.00**
2	भवन (स्वामित्व वाले फ्लैट)	5%	61,78,117.00	-	-	61,78,117.00	39,83,415.00	1,09,735.00	-	-	40,93,150.00	**20,84,967.00**	**21,94,702.00**
3	भवन (फ्रीहोल्ड)	10%	19,11,04,129.00	-	-	19,11,04,129.00	16,48,09,991.00	26,29,414.00	-	-	16,74,39,405.00	**2,36,64,724.00**	**2,62,94,138.00**
4	मोटर कार और अन्य वाहन	15%	36,05,152.00	-	-	36,05,152.00	29,77,435.00	94,158.00	-	-	30,71,593.00	**5,33,559.00**	**6,27,717.00**
5	फर्नीचर और फिक्चर	10%	10,60,34,403.00	1,90,719.00	-	10,62,25,122.00	9,08,34,585.00	15,19,982.00	19,840.00	-	9,23,74,407.00	**1,38,50,715.00**	**1,51,99,818.00**
6	प्रयोगशाला उपकरण	15%	30,17,62,404.00	14,59,837.00	-	30,32,22,241.00	28,12,24,438.00	30,80,695.00	2,06,319.00	-	28,45,11,452.00	**1,87,10,789.00**	**2,05,37,966.00**
7	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	40%	2,50,10,169.00	1,70,603.00	-	2,51,80,772.00	2,32,54,542.00	7,02,251.00	59,376.00	-	2,40,16,169.00	**11,64,603.00**	**17,55,627.00**
8	इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रानिक उपकरण	10%	2,99,41,188.00	2,84,633.00	31,956.00	3,01,93,865.00	2,69,55,572.00	2,99,554.00	56,140.00	15,022.00	2,72,96,244.00	**28,97,621.00**	**29,85,616.00**
9	पुस्तकालय पुस्तकें	40%	1,33,92,482.00	19,735.00	-	1,34,12,217.00	1,32,79,568.00	45,166.00	7,894.00	-	1,33,32,628.00	**79,589.00**	**1,12,914.00**
	कुल (वर्तमान वर्ष) (पूर्णांकित)		**67,88,71,410.00**	**37,16,577.00**	**31,956.00**	**68,25,56,031.00**	**60,73,19,546.00**	**84,80,955.00**	**3,49,569.00**	**15,022.00**	**61,61,35,048.00**	**6,64,20,983.00**	**7,15,51,864.00**
	कुल (पिछला वर्ष) (पूर्णांकित)		67,65,86,785.00	31,49,945.00	8,65,320.00	67,88,71,410.00	59,82,35,739.00	90,90,876.00	7,93,646.00	8,00,715.00	60,73,19,546.00	7,15,51,864.00	
(बी) पूंजीगत कार्य प्रगति पर :													
1	पूंजीगत कार्य प्रगति पर (भवन)		2,51,60,000.00	-	-	2,51,60,000.00	-	-	-	-	-	**2,51,60,000.00**	**2,51,60,000.00**
	कुल (बी)		2,51,60,000.00	-	-	2,51,60,000.00	-	-	-	-	-	**2,51,60,000.00**	**2,51,60,000.00**
	कुल (ए+बी)		70,40,31,410.00	37,16,577.00	31,956.00	70,77,16,031.00	60,73,19,546.00	84,80,955.00	3,49,569.00	15,022.00	61,61,35,048.00	**9,15,80,983.00**	**9,67,11,864.00**
(सी) परियोजनाएं:													
1	प्रयोगशाला कोचीन		1,93,11,329.00	-	-	1,93,11,329.00	1,06,29,284.00	12,48,233.00	-	-	1,18,77,517.00	**74,33,812.00**	**86,82,045.00**
2	प्रयोगशाला जेएनपीटी		1,93,19,154.00	-	-	1,93,19,154.00	1,08,68,536.00	12,56,610.00	-	-	1,21,25,146.00	**71,94,008.00**	**84,50,618.00**
3	हैंडलूम मार्क योजना का कार्यान्वयन		79,43,048.00	-	-	79,43,048.00	73,53,862.00	2,35,674.00	-	-	75,89,536.00	**3,53,512.00**	**5,89,186.00**
4	स्वच्छता कार्य योजना		8,29,009.00	34,132.00	-	8,63,141.00	2,20,060.00	60,895.00	1,707.00	-	2,82,662.00	**5,80,479.00**	**6,08,949.00**
5	जूट मार्क योजना		1,29,980.00	13,55,550.00	-	14,85,530.00	25,996.00	41,594.00	2,87,340.00	-	3,54,930.00	**11,30,600.00**	**1,03,984.00**
	कुल (वर्तमान वर्ष) (पूर्णांकित)		**4,75,32,520.00**	**13,89,682.00**	**-**	**4,89,22,202.00**	**2,90,97,738.00**	**28,43,006.00**	**2,89,047.00**	**-**	**3,22,29,791.00**	**1,66,92,411.00**	**1,84,34,782.00**
	कुल (पिछला वर्ष) (पूर्णांकित)		**4,58,19,212.00**	**17,13,308.00**	**-**	**4,75,32,520.00**	**2,56,98,997.00**	**32,48,047.00**	**1,50,694.00**	**-**	**2,90,97,738.00**	**1,84,34,782.00**	

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 9 - निर्धारित और अक्षय निधियों से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य:		
क) जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों का आकलन और श्रेणीकरण	73,77,992.00	70,13,409.00
जोड़ें: स्वतः नवीनीकृत ब्याज राशि	3,64,583.00	3,64,583.00
कुल	77,42,575.00	73,77,992.00

अनुसूची 10 - निवेश - अन्य	**-**	**-**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 11-वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि		
ए. वर्तमान संपत्तियां:		
1. इन्वेंटरी:		
ए) स्टोर और पुर्जे	-	-
बी) ढीले उपकरण	-	-
ग) व्यापार में स्टॉक	-	
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर है	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार / प्राप्य:		
ए) विविध देनदार	10,40,835.21	-
3. हाथ में नकद शेष		
क्षे.का. में छोटी नकद	45,600.00	46,600.00
4. बैंक में शेष :		
ए) अनुसूचित बैंक:-		
चालू खातों पर		
भारतीय स्टेट बैंक (मुख्य खाता 10865756128)	8,25,52,528.74	6,95,89,274.00
भारतीय स्टेट बैंक (उपकर खाता 10865756151)	9,410.00	10,000.00
भारतीय स्टेट बैंक (जी एंड पी 31671502745)	27,312.00	27,312.00
भारतीय स्टेट बैंक (आईएसडीएस 31685564897)	36,19,115.00	35,56,202.00
भारतीय स्टेट बैंक (आईएसडीएस टीएक्ससी-वीसी A/c 32383907616)	-	1,27,29,606.00
भारतीय स्टेट बैंक (आरएसए खाता)	6,96,15,902.64	2,59,03,984.00
भारतीय स्टेट बैंक सभी व.स.क्षे.का.	26,90,078.11	-
बचत खातों पर		
भारतीय स्टेट बैंक सीएनए(41698590259)	-	1,54,738.00
ऑन डिपॉजिट अकाउंट्स (मार्जिन मनी सहित)		
भारतीय स्टेट बैंक	1,26,49,09,848.00	1,15,05,91,596.00
बी) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:		
चालू खातों पर	-	-
जमा खातों पर	-	-
बचत खातों पर	-	-
5. डाकघर बचत खाते	-	-
कुल (ए)	1,42,45,10,629.70	1,26,26,09,312.00

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढाण्डा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
बी. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
ए) कर्मचारी		
i) एल टी सी अग्रिम	1,04,029.00	-
ii) दौरा अग्रिम	5,91,515.00	-
iii) स्कूटर	-	-
iv) गृह निर्माण	-	-
v) कंप्यूटर	-	-
vi) कार	-	-
vii) अनुभागों को अन्य अग्रिम	8,87,000.00	-
2. नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:		
ए) प्रीपेड खर्च		
i) प्रीपेड व्यय (एएमसी)	-	-
ii) प्री-पेड बीमा	64,703.00	10,961.00
बी) प्राप्य खाते		
i) संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए)	8,85,000.00	-
ii) जीएसटी टीडीएस प्राप्य	2,73,649.00	-
iii) अग्रिम पर कर - जीएसटी	12,31,499.50	-
iv) समूह बीमा योजना	11,400.00	12,800.00
v) जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट	70,25,231.00	21,47,291.00
vi) हितधारकों की बैठक-समर्थ	-	5,37,256.00
vii) टीटीडीसी मदुरै	8,00,000.00	12,85,032.00
viii) एनपीएस बकाया की वसूली	1,156.00	1,39,049.00
ix) टीडीएस प्राप्य	23,30,546.44	-
कुल (बी)	**1,42,05,728.94**	**41,32,389.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
सी) सुरक्षा जमा:		
i) कार्यालय आवास के लिए		
- काकड़ चैंबर	18,750.00	18,750.00
- क्रिस्टल बिल्डिंग	62,929.00	62,929.00
- अंधेरी कार्यालय	-	4,650.00
- क्षेत्रीय कार्यालय (किराया)	61,81,575.00	36,18,812.00
ii) प्राधिकरणों के साथ		
- टेलीफोन विभाग	59,677.00	1,78,705.00
- बीईएसटी	7,18,738.00	3,81,466.00
- बिजली विभाग	9,26,597.00	10,66,405.00
- रेलवे प्राधिकरण	5,000.00	5,000.00
- बम्बई उप. बिजली	600.00	600.00
- बीएमसी (वायु प्रदूषण)	8,000.00	8,000.00
- गैस प्राधिकरण	77,200.00	81,297.00
iii) अन्य जमाएँ		
- पेट्रोल जमा	46,852.00	16,852.00
- फैक्स के लिए जमा	1,300.00	1,300.00
- सुरक्षा	1,92,910.00	20,80,257.00
- बयाना राशि	-	6,32,250.00
3. उपार्जित आय		
ए) निर्धारित/ अक्षय निधि से निवेश पर	-	-
बी) निवेश पर- एफडीआर	60,79,207.00	59,33,768.00
सी) ऋण और अग्रिम पर	-	-
डी) अन्य	-	-
कुल (बी)	2,85,85,063.94	1,82,23,430.00
कुल (ए + बी)	**1,45,30,95,693.64**	**1,28,08,32,742.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31.03.2023 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय	**-**	**-**
2. सेवाओं से आय		
i) प्रमाणन/सलाह के लिए सेवा शुल्क	1,33,49,213.00	2,20,18,726.00
ii) प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क/परामर्श शुल्क	16,05,58,469.42	12,14,30,468.00
iii) प्रपत्रों की बिक्री	28,090.00	93,429.00
iv) जीएसपी का समर्थन	-	83,97,758.00
v) गैर अधिमान्य जीएसपी/ सत्यापन/ प्रशिक्षण सेवाओं का समर्थन	6,95,40,437.27	3,46,55,524.00
vi) बाजार अनुसंधान अध्ययन/सर्वेक्षण	1,53,13,796.00	35,41,696.00
vii) पंजीकरण शुल्क	46,27,299.60	48,45,380.00
viii) स्वयं की संपत्ति से आय	-	-
ix) हैंडलूम मार्क योजना	1,44,10,490.93	1,52,55,519.00
x) जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रीज योजना से शुल्क	11,70,000.00	15,75,000.00
xi) इंडिया हैंडलूम ब्रांड से शुल्क	2,52,000.00	1,67,000.00
xii) संसाधन सहायता एजेंसी	3,25,63,300.00	2,40,72,420.00
xiii) विज्ञापन से आय	1,50,000.00	25,000.00
xiv) उत्पादन क्षमता आकलन	5,10,000.00	3,70,000.00
xv) जूट मार्क योजना	1,11,22,291.50	16,050.00
कुल	32,35,95,387.72	23,64,63,970.00

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी		
1) केंद्र सरकार	54,70,00,000.00	59,69,00,000.00
2) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
3) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय	-	-
4) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
5) अन्य	-	-
कुल	54,70,00,000.00	59,69,00,000.00

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान		
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / सदस्यता	-	-
3. संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	-	1,65,000.00
4. परामर्श शुल्क	2,42,500.00	4,11,900.00
5. अन्य	-	-
कुल	2,42,500.00	5,76,900.00

ह/-	ह/-	ह/-
(वेंकट रमण जी.)	**(सुनील एस. चौहान)**	**(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)**
लेखा अधिकारी	**मुख्य लेखा अधिकारी**	**सचिव**
वस्त्र समिति	**वस्त्र समिति**	**वस्त्र समिति**

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 15 - निवेश से आय (निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय को निधियों में अंतरित किया गया)	**-**	**-**

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	9,600.00	3,32,900.00
3. अन्य	-	-
कुल	**9,600.00**	**3,32,900.00**

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमा पर:		
ए) अनुसूचित बैंकों के साथ	6,34,92,257.00	4,38,39,542.00
बी) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
सी) संस्थानों के साथ	-	-
डी) अन्य	-	-
2. बचत खाते:		
ए) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
बी) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
सी) डाकघर बचत खाते	-	-
डी) अन्य	-	-
3. ऋण पर:		
ए) कर्मचारी/कर्मचारी		
i) स्कूटर	-	-
ii) गृह निर्माण	55,510.00	1,22,239.00
iii) कंप्यूटर	2,993.00	11,548.00
iv) कार	-	34,430.00
बी) अन्य	5,647.00	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	6,35,56,407.00	4,40,07,759.00

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 18 - अन्य आय		
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
ए) स्वयं की संपत्ति	-	3,361.00
बी) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
2 अपशिष्ट, स्क्रैप और अन्य वस्तुओं का निपटान	2,68,815.61	-
3. गेस्ट हाउस किराया	90,000.00	-
4. अवशेष (वस्त्र) नमूनों के मोल	2,64,706.16	-
5. टीटीडीसी मदुरै	11,53,661.65	-
6. कर्मचारियों से वसूली	2,00,918.00	-
7. विविध	5,671.00	27,08,854.00
कुल	19,83,772.42	27,12,215.00

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 19 :- समाप्त स्टॉक में वृद्धि / (कमी) माल और कार्य प्रगति पर है	**-**	**-**

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय		
i) वेतन एवं मजदूरी	30,17,96,772.43	32,13,69,821.00
ii) भत्ते और बोनस	-	-
iii) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
iv) सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ	75,01,64,419.00	35,97,92,251.00
v) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	44,65,087.00	56,38,578.00
vi) अवकाश यात्रा रियायत	10,57,784.00	42,24,421.00
vii) कर्मचारी कल्याण व्यय	75,643.00	1,58,552.00
viii) नई पेंशन योजना	97,82,642.00	1,00,81,141.00
ix) अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान (प्रतिनियुक्ति)	-	11,34,043.00
x) ट्यूशन फीस	28,00,000.00	30,15,000.00
xi) व्यवसाय कर (रोजगार पर कर-उपयुक्त)	1,250.00	10,000.00
xii) एलटीसी पर अवकाश नकदीकरण	8,90,700.00	-
कुल	**1,07,10,34,297.43**	**70,54,23,807.00**

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
1)बिजली और पावर	79,55,656.54	76,76,695.00
2) किराया दरें और कर (जल शुल्क सहित)	2,04,62,149.44	1,71,14,440.00
3)संपत्ति कर (बीएमसी)	-	-
4) बीमा प्रीमियम	20,242.00	14,012.00
5) कार्यालय उपकरण की मरम्मत एवं रखरखाव	23,33,019.08	14,96,326.00
6) वाहन चलाना एवं रखरखाव	5,89,196.34	7,24,751.00
7) डाक शुल्क, टेलीफोन और संचार	17,52,510.49	15,69,958.00
8) मुद्रण एवं स्टेशनरी	52,69,100.43	32,64,827.00
9) यात्रा एवं वाहन	84,27,013.00	73,37,664.00
10) सॉफ्टवेयर विकास शुल्क	48,080.92	1,13,209.00
11) व्यावसायिक शुल्क	7,06,911.00	12,41,669.00
12) राष्ट्रभाषा (हिन्दी) का कार्यान्वयन	4,76,294.00	66,056.00
13) कार्यालय भवन का नवीनीकरण/रखरखाव	5,99,159.67	22,41,012.00
14) विविध	82,304.82	20,79,041.00
15) सेमिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण	3,74,633.00	8,96,682.00
16) विज्ञापन, प्रचार एवं मेले	23,388.32	2,54,322.00
17) उपभोग्य वस्तुएं, रसायन और कांच के बर्तन	13,61,012.23	7,79,585.00
18) लैब का प्रत्यायन	18,46,602.43	10,27,488.00
19) माल ढुलाई एवं अग्रेषण एवं पैकिंग शुल्क	-	2,26,670.00
20) अन्य सर्वेक्षण/अध्ययन	-	7,79,597.00
21) संपर्क अधिकारियों को मानदेय	61,88,545.00	47,25,475.00
22) जीआई पंजीकरण	1,56,923.00	10,54,867.00
23) वस्तु एवं सेवा कर	45,924.00	21,29,461.00
24) वेबसाइट का खर्च	1,74,873.00	2,46,535.00
25) प्रत्यायन निरीक्षण योजना	1,88,975.40	4,63,113.00
26) रिवर्स चार्ज पर जीएसटी	47,133.00	1,35,805.00
27) संपत्ति कर	38,67,744.00	37,89,590.00
28) अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	10,832.00	42,713.00
29) ऑडिट शुल्क	5,22,444.00	5,76,122.00
30) बाहर से लैब परीक्षण	4,02,904.03	-
31) बैंक शुल्क	24,254.26	-
32) परियोजना कार्य - एमआर यूएनईपी	2,35,000.00	-
33)आरएसए टीओटी शुल्क खाता	45,86,960.00	-
34)बैठक व्यय	2,13,086.00	-
35)आतिथ्य व्यय	3,95,335.06	-
36)आकस्मिक व्यय	4,34,185.00	-
कुल	**6,98,22,391.46**	**6,20,67,685.00**

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31.03.2024 तक

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सीडी आदि पर व्यय	-	-
अनुसूची 23 - ब्याज	-	-

ह/-
(वेंकट रमण जी.)
लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी
वस्त्र समिति

ह/-
(कार्तिकेय ढ़ाण्ड़ा)
सचिव
वस्त्र समिति

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची-24):

1. **लेखांकन प्रथा:**

❖ वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति का पालन करते हुए, जब तक कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों के समान प्रारूप में अन्यथा न कहा गया हो, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के तहत ऐतिहासिक लागत प्रथा और गोइंग कंसर्न अवधारणा के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. **निवेश:**

❖ भारतीय स्टेट बैंक, वर्ली (एन), मुंबई में सावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है।

❖ संगठन द्वारा किसी भी व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया जाता है।

❖ निवेश का मूल्यांकन लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

3. **अचल संपत्तियाँ:**

❖ अचल संपत्तियों को उनकी मूल लागत पर बताया गया है जिसमें भाड़ा, शुल्क, सीमा शुल्क और अधिग्रहण तथा स्थापना कम संचित मूल्यह्रास से संबंधित अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं।

❖ जो संपत्तियां अनुपयोगी/बेकार या उपयोग में नहीं होती हैं, उनका निपटान संगठन के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही किया जाता है।

❖ संपत्तियां संगठन की बजटीय मंजूरी से अर्जित की जाती हैं।

❖ सरकारी अनुदानों से सृजित अचल संपत्तियों को लेखा मानक-12 (सरकारी अनुदानों का लेखा) के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है।

4. **मूल्यह्रास:**

❖ अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास ह्रासमान शेष पद्धति के अनुसार लगाया जाता है और मूल्यह्रास की नवीनतम निर्धारित दरों को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लिया गया है। मूल्यह्रास की गणना करते समय आयकर अधिनियम के नियम 5 पर विचार किया गया है।

❖ यदि संपत्ति संबंधित वर्ष के 30 सितंबर को या उससे पहले अधिग्रहित की जाती है तो निर्धारित दर का 100% और यदि 30 सितंबर के बाद अधिग्रहित की जाती है तो निर्धारित दर का 50% मूल्यह्रास लगाया जाता है।

❖ रु. 5000/- या उससे कम लागत वाली अचल संपत्तियों पर पूर्ण मूल्यह्रास का प्रावधान लगाया जाता है।

❖ सरकारी अनुदान से सृजित अचल संपत्तियों के उचित मूल्य का पता लगाने के लिए एएस-12 के तहत निर्धारित लेखांकन व्यवहार का पालन किया गया है।

5. <u>सरकारी अनुदान:</u>

- संगठन के व्यय से संबंधित सरकारी अनुदान को प्राप्ति के आधार पर संगठन के खातों की पुस्तकों में शामिल किया जाता है ।

6. <u>विदेशी मुद्रा लेनदेन:</u>

- विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग के लेन-देन, यदि कोई हों, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब किए जाते हैं।

7. <u>सेवानिवृत्ति लाभ:</u>

- समय-समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधान, वस्त्र समिति के सभी पूर्णकालिक और नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे। सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, कम्यूटेशन की गणना केंद्र सरकार के नियमों (एफआर और एसआर) के अनुसार की जाती है।

8. <u>राजस्व मान्यता:</u>

- बैंक के पास सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर देय होने पर हिसाब में लिया जाता है और इसे संगठन की आय के रूप में मान्यता दी जाती है। पुरानी छोड़ी गई संपत्तियों/वस्तुओं आदि की बिक्री का लेखा-जोखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है और बिक्री से होने वाले लाभ/हानि का लेखा आय-व्यय खाते में किया जाता है।

9. <u>लीज:</u>

- लीज रेंटल लीज शर्तों के संदर्भ में खर्च किए जाते हैं।

<u>लेखांकन की मूल बातें:</u>

- समिति 1973 में यथा संशोधित वस्त्र समिति अधिनियम 1963 की धारा 13(1) के अनुसरण में लेखा पुस्तकों अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता तथा तुलन पत्र का रखरखाव करती है।
- समिति केंद्र सरकार का अनुसरण कर रही है। कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, टीए/डीए आदि के संबंध में नियम (एफआर और एसआर)।
- समिति अपने कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए समय-समय पर संशोधित वस्त्र समिति कर्मचारी (चिकित्सा लाभ) विनियम, 1968 (2000 में नवीनतम संशोधन) का पालन करती है।

- ❖ सचिव, उपाध्यक्ष और समिति के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन के आधार पर समिति द्वारा प्रकृति में पूंजी और राजस्व की विभिन्न वस्तुओं की खरीद की जाती है।
- ❖ वस्त्र समिति द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान और समिति के संशोधित अनुमान वस्त्र समिति नियम 1965 के नियम 29 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए मंत्रालय को भेजे जाते हैं।
- ❖ समिति की आंतरिक प्राप्तियों को बजटीय अनुदान में समायोजित किया जा रहा है क्योंकि यह बजटीय सहायता का एक अभिन्न अंग है।
- ❖ समिति सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित भविष्य निधि विनियम के अनुसार भविष्य निधि खाता और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव कर रही है।
- ❖ भविष्य निधि का पैसा सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार समय-समय पर निवेश किया जा रहा है।
- ❖ समिति ने वस्त्र समिति अधिनियम और उपकर नियमों की धारा 5ए(1) के तहत प्रावधान के अनुसार सरकारी राजस्व के रूप में वस्त्र और वस्त्र मशीनरी विनिर्माताओं से उपकर एकत्र किया और इसे भारत की समेकित निधि में भेज दिया गया है। हालांकि, सरकार ने सभी वस्त्र और वस्त्र मशीनरी विनिर्माताओं को अधिसूचना संख्या 12020/2/2002-ए और एमएमटी 1 जून, 2007 के तहत, जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग II- खंड-3-उप खंड- (ii) संख्या 657 दिनांक 1 जून, 2007 में प्रकाशित है, उपकर लगाने से छूट दी है।

- ❖ **अनुसूची -25: आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर नोट (उदाहरण)**
- ❖ **आकस्मिक देनदारियाँ:**

1. इकाई के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया 841.24 लाख रुपये [मध्यावधि लाभ (189.69 लाख रुपये + 651.55 लाख रुपये)] विवादित मांग है।
2. ग्रेटर मुंबई नगर निगम के मूल्यांकन और संग्रह विभाग ने वर्ष 1998 से 2020 तक वस्त्र समिति कार्यालय, पी. बालू रोड, प्रभादेवी, मुंबई 400025 केसंबंध में कुल 33.89 करोड़ रुपये की बकाया संपत्ति का बिल जारी किया था। इसके बाद हर साल 1.04 करोड़ रुपये की राशि कुल बकाया राशि के साथ जोड़ी जाती है और सीएजी ऑडिट की सलाह के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के शीर्षक के तहत दिखाई जाती है। तदनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लेखा पुस्तकों में 37.36 करोड़ रुपये की राशि दिखाई गई। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल राशि 38.40 करोड़ रुपये (37.36 +1.04) होगी, जिसे आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया गया है।

3. सीएजी ने वर्ष 2012-13 में अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाया था कि आयकर अधिनियम 1961 के दायरे से वस्त्र समिति की आय को छूट न दिए जाने के कारण 2002-03 से 2011-12 की अवधि के लिए आयकर के भुगतान के लिए देयता मौजूद है। 2017-18 में लेखापरीक्षा अवलोकन में भी यही दोहराया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन प्राप्त होने पर एक पेशेवर सीए फर्म, मुंबई को नियुक्त किया गया और उनकी राय के अनुसार वस्त्र समिति ने समय-समय पर वस्त्र मंत्रालय के समक्ष आयकर से छूट आय का मुद्दा उठाया है। मंत्रालय ने इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है तथा आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए दिनांक 24.12.2024 को एक अनुस्मारक पत्र वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया है।

4. लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार, एक एक्चुअरी फर्म को नियुक्त किया गया है और उनकी गणना (लेखा मानक-15- संशोधित 2005) के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए पेंशन और पेंशनरी टर्मिनल लाभों के संबंध में चालू देयता का प्रावधान लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है। एक्चुअरी द्वारा गणना की गई पेंशन और पेंशनरी लाभों की गैर-चालू देयता को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाने के लिए नीचे दिया गया है।

क्र.सं	**गैर-वर्तमान देयता का विवरण**	**राशि**
1	पेंशन	2,99,35,69,122.00
2	ग्रच्युटी	14,44,82,128.00
3	छुट्टी का नकदीकरण	9,13,34,383.00
	कुल	**3,22,93,85,633.00**

ह/-

(सुनील एस.चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

लेखों पर टिप्पणियाँ: 2023-24 (अनुसूची-25):

ए) तुलन पत्र का भाग बनाने वाली टिप्पणियाँ:

I) वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची - 7)

ए . वर्तमान देयताएं:

- क्र.सं.ए.1.(ii) और ए.6.(ii) के तहत दर्शाई गई बयाना राशि और प्रतिधारण राशि मुख्य रूप से क्रमशः वस्त्र समिति के मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रयोगशाला उपकरणों और कार्यालय भवन के लिए प्रतिधारण राशि से संबंधित है।
- क्र.सं.ए.5 (i और ii), ए.6 (i और iv) में दर्शाई गई राशि वस्त्र समिति के कर्मचारियों से संबंधित है और इसका भुगतान 2024-25 के दौरान किया जाएगा।
- माल एवं सेवा कर: क्र.सं. ए.5.(iii) के अंतर्गत 48,78,589/- रुपए की राशि दर्शाई गई है, जिसका भुगतान 2024-25 के दौरान किया जाएगा।
- स्रोत पर कर कटौती: क्र.सं. ए.5.(iv) के अंतर्गत 15,60,348.15 रुपए की राशि दर्शाई गई है, जिसका भुगतान 2024-25 के दौरान किया जाएगा।
- सेवाओं के लिए ग्राहकों से अग्रिम राशि: क्र.सं. ए.3.(i) के अंतर्गत 56,18,295.22 रुपए की राशि दर्शाई गई है, जिसके लिए आगामी वर्षों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- **प्रविष्टियों क अनुसूची संख्या 7-ए 1 (ii) एवं 6 (ii) के अंतर्गत दर्ज किया गया है:**

लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार चालू देयता के संबंध में समिति के वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृश्य दर्शाने के लिए, निम्नलिखित शीर्षों के संबंध में आवश्यक संकलन/समाधान किया गया है और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखा पुस्तकों में दिखाया गया है:

क्र.सं.	वर्तमान देयता शीर्ष	विवरण	लेखांकन उपचार के माध्यम से की गई सुधार प्रविष्टियाँ
1	कार्यालय-सह-प्रयोगशाला भवन के लिए प्रतिधारण राशि	15,39,319/- रुपए की राशि (वित्त वर्ष 2004-05 में मेसर्स एनसेंबल, मुंबई को वापस किए गए 10,12,011/- रुपए और वित्त वर्ष 2007-08 में भवन निर्माण के लिए मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता को वापस किए गए 5,27,308/- रुपए) वास्तव में कार्यालय-सह-प्रयोगशाला भवन के लिए प्रतिधारण धन से संबंधित है। इस राशि को कार्यालय भवन पर प्रतिधारण धन के देयता पक्ष से घटाकर हिसाब में लिया जाना चाहिए था, लेकिन गलती से चालू परिसंपत्तियों के सुरक्षा जमा शीर्ष के तहत दर्ज किया गया। अब वही राशि कार्यालय-सह-प्रयोगशाला भवन के लिए प्रतिधारण धन से काटी गई है और वही राशि चालू परिसंपत्तियों के तहत सुरक्षा जमा से काटी गई है।	चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत सुरक्षा जमा से 15,39,319 रुपये की कटौती की जाती है तथा वर्तमान देयता के अंतर्गत प्रतिधारण सह कार्यालय भवन से भी इतनी ही राशि की कटौती की जाती है।
2	विक्रेता से बयाना राशि जमा	5,93,000/- रुपये (6,32,250 (-) 39,250 रुपये) की राशि विक्रेताओं को ईएमडी की वापसी के भुगतान से संबंधित है, जो अनजाने में चालू परिसंपत्तियों के तहत ईएमडी में ले ली गई थी, जिसे अब वर्तमान देनदारियों के विक्रेताओं से ईएमडी शीर्षक के तहत काट लिया गया है।	वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत ईएमडी से 5,93,000 रुपये की कटौती की जाती है तथा विक्रेताओं से ईएमडी के अंतर्गत देयताओं से भी इतनी ही राशि की कटौती की जाती है।

बी. प्रावधान :

- अनुसूची 7.बी.(2),(3),(4),(6)(i,ii,,iii,xxiv,xxv,xxvi, xxvii) में ग्रेच्युटी, सुपरएनुएशन/पेंशन, संचित छुट्टी नकदीकरण, वेतन एवं मजदूरी, नई पेंशन योजना में अंशदान, सेवानिवृत्ति पर कम्यूटेशन, जीपीएफ कर्मचारी अंशदान एवं देय अग्रिम वसूली, देय परोपकारी(Benevolent) निधि अंशदान, कर्मचारियों से देय सोसायटी ऋण वसूली, कर्मचारी द्वारा देय सोसायटी अंशदान शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय 2023-24 से संबंधित हैं और 2024-25 के दौरान भुगतान किए जाएंगे।
- किराया, बिजली, टेलीफोन, मुद्रण और स्टेशनरी, टीए/डीए, संपर्क अधिकारी को मानदेय, मरम्मत/रखरखाव, उपभोग्य सामग्रियों, रसायन और कांच के बने पदार्थ, कर्मचारी कल्याण व्यय आदि शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची 7.बी.(6)(iv से vii, x, xi, xiii, xvii) में दिखाए गए व्यय 2023-24 से संबंधित हैं और 2024-25 के दौरान भुगतान किए जाएंगे।
- वस्त्र समिति, मुंबई कार्यालय के लिए 2013-14 से 2023-24 तक अनुसूची 7.बी.(6)(ix) में संपत्ति कर का प्रावधान किया गया है।

II) संपत्तिः

1) अचल संपत्ति (अनुसूची - 8):

- अचल सम्पत्ति अनुसूची 8(ए) और अचल सम्पत्ति (प्रगतिशील पूंजीगत कार्य) अनुसूची 8(बी) के अंतर्गत क्रमशः 6,64,20,983/- रुपए और 2,51,60,000/- रुपए दर्शाए गए हैं।
  सकल ब्लॉक से संचित मूल्यह्रास घटाने के पश्चात निर्धारित प्रारूप के अनुसार, विभिन्न पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध ब्लॉक के रूप में अनुसूची 8(सी) के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों (परियोजनाओं) में 1,66,92,411/- रुपए की राशि दर्शाई गई है।

2) निवेश - निर्धारित/ अक्षय निधि से (अनुसूची-9):

- लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार, जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयों के मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग के लिए 77,42,575/- रुपए (73,77,992/- रुपए + 3,64,583/- ब्याज राशि स्वतः नवीनीकृत) की सावधि जमा राशि के लिए "निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से" के अंतर्गत एक अलग अनुसूची संख्या 9 प्रदान की गई है। निर्धारित निधि (अनुसूची-3) के साथ बैलेंस शीट में समान राशि शामिल की गई है। वर्ष के दौरान शेष निर्धारित निधियों से कोई नया निवेश नहीं किया गया है।

3) **चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-**11):

- ❖ 1,45,31,05,317.64 रुपये का ब्यौरा संबंधित शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- ❖ **<u>प्रविष्टियों को अनुसूची संख्या 11 (बी-2(सी)-i,ii और iii) के अंतर्गत लेखांकित किया गया है:</u>**

लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार चालू परिसंपत्तियों के कुछ शीर्षों के संबंध में समिति के वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृश्य दर्शाने के लिए, निम्नलिखित शीर्षों के संबंध में आवश्यक संकलन/समाधान किया गया है और तदनुसार लेखा पुस्तकों 2023-24 में दर्शाया गया है:

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्तमान परिसंपत्ति शीर्ष</th><th>विवरण</th><th>लेखांकन उपचार के माध्यम से की गई सुधार प्रविष्टियाँ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कार्यालय आवास (अंधेरी कार्यालय)</td><td>किराया अनुबंध से पता चलता है कि आवास 1550/- प्रति माह किराए पर लिया गया था। इसलिए तीन महीने का किराया 4,650/- रुपये आता है, जिसे अनजाने में व्यय के बजाय चालू परिसंपत्तियों के तहत दर्ज किया गया था।</td><td>पूंजी निधि एवं चालू परिसंपत्तियों से क्रमशः 4,650/- रुपये की कटौती.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्षेत्रीय कार्यालय किराया</td><td>क्षेत्रीय कार्यालयों के किराया जमा से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज/रिकॉर्ड एकत्रित और संकलित कर लिए गए हैं और किराया जमा शीर्षक के अंतर्गत राशि 61,81,575/- रुपए आती है।
सारांश:
<table>
<tr><td>किराया जमा (ए)</td><td>36,18,812.00</td></tr>
<tr><td>जोड़ें: वास्तव में यह किराया सुरक्षा जमा है, जिसे गलती से सुरक्षा जमा में ले लिया गया था, अब इसे किराया जमा के साथ जोड़कर ठीक किया गया है (बी)</td><td>(+)3,48,028.00</td></tr>
<tr><td>जोड़ें: 23-24(सी) में भुगतान किया गया कोयंबटूर किराया जमा</td><td>(+)1,39,568.00</td></tr>
<tr><td>घटाएँ: पानीपत कार्यालय किराया जमा प्राप्त (डी)</td><td>(-)1,89,846.00</td></tr>
<tr><td>जोड़ें: यह राशि चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत किराया जमा में जोड़ी जाती है, क्योंकि पहले अनजाने में यह राशि किराया भुगतान के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत दर्ज हो गई थी। (ई)</td><td>(+)22,65,013.00</td></tr>
<tr><td>क्षेत्रीय कार्यालय किराया जमा कुल
(एफ=एबी+सी-डी+ई)</td><td>61,81,575.00</td></tr>
</table></td><td>पूंजी निधि शीर्ष और किराया जमा की चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत 22,65,013/- रुपए जोड़े गए हैं।

सुरक्षा जमा से 3,48,028/- रुपये की कटौती की जाती है और इसे चालू परिसंपत्तियों के किराया जमा के तहत जोड़ा जाता है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	वर्तमान परिसंपत्ति शीर्ष	विवरण	लेखांकन उपचार के माध्यम से की गई सुधार प्रविष्टियाँ
3	टेलीफोन विभाग	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से जाँच करने पर पता चला कि टेलीफोन जमा की कुल राशि 1,78,705/- रुपये के बजाय 59,677/- रुपये होनी चाहिए। पहले अनजाने में 1,19,028/- रुपये (1,78,705 (-) 59,677/- रुपये) की राशि प्रशासनिक व्यय के तहत बुक करने के बजाय चालू परिसंपत्तियों के तहत बुक की गई थी।	पूंजी निधि और चालू परिसंपत्तियों से क्रमशः 1,19,028 रुपये कम किये गये।
4	बीईएसटी	बेस्ट बिल, मुंबई से पता चलता है कि सुरक्षा जमा राशि 7,18,738.00 रुपये होनी चाहिए (मुख्यालय, मुंबई के लिए 7,13,658 रुपये + पूनम अपार्टमेंट, मुंबई के लिए 5,080 रुपये)। पहले अनजाने में 3,37,272 रुपये की जमा राशि बेस्ट जमा के बजाय क्षे.का. के लिए बिजली विभाग के साथ जमा राशि के शीर्ष के तहत दर्ज की गई थी। इसलिए, बेस्ट जमा के शीर्ष के तहत 3,37,272 रुपये जोड़कर और आरओ के बिजली जमा से समान राशि घटाकर सुधार प्रविष्टि की जाती है। **सारांश:** रु.3,81,466.00 + रु. 3,37,272.00=रु.7,18,738.00	बेस्ट डिपॉजिट के तहत रु. 3,37,272/- जोड़े गए हैं और क्षे.का. की बिजली जमा से समान राशि को घटाया गया है।
5	बिजली विभाग(क्षे.का.)	मार्च 2024 तक सभी क्षे.का. की बिजली जमा राशि 9,26,597.00 रुपये पाई गई। पहले अनजाने में 3,37,272 रुपये बेस्ट डिपॉजिट, मुंबई के बजाय क्षे.का. के साथ बिजली जमा के तहत दर्ज किए गए थे। 169464/- रुपये अनजाने में बिजली जमा क्षे.का. के तहत चालू परिसंपत्तियों के बजाय प्रशासनिक व्यय के तहत दर्ज किए गए थे। इसलिए, अब क्षे.का. के बिजली जमा में 1,69,464/- रुपये जोड़े गए हैं। **सारांश:** रु.10,66,405 (-) रु.3,37,272 + रु.1,69,464+ 28,000(JNPT) = रु. 9,26,597.00	बेस्ट डिपॉजिट के तहत 3,37,272/- रुपए जोड़े गए हैं और क्षे.का. की बिजली जमा से इतनी ही राशि घटाई गई है। वर्तमान परिसंपत्तियों और पूंजी निधि दोनों में 1,69,464/- रुपए की वृद्धि हुई है।
6	गैस प्राधिकरण	कुल गैस जमा 81,297/- रुपये के स्थान पर 77,200/- रुपये होना चाहिए। पहले अनजाने में 4,097/- रुपये (81,297 रुपये (-) 77,200 रुपये) की राशि प्रशासनिक व्यय के स्थान पर चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्ज कर दी गई थी।	वर्तमान परिसंपत्तियों और पूंजी निधि दोनों से 4097/- रुपये कम कर दिए गए हैं।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्तमान परिसंपत्ति शीर्ष</th><th>विवरण</th><th>लेखांकन उपचार के माध्यम से की गई सुधार प्रविष्टियाँ</th></tr>
<tr><td>7</td><td>पेट्रोल जमा</td><td>इससे पहले अनजाने में पेट्रोल जमा से संबंधित 30,000/- रुपये की राशि को 2020-21 के दौरान प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे वास्तव में पेट्रोल जमा की चालू परिसंपत्तियों के तहत दर्ज किया जाना आवश्यक था। अब इसे ठीक कर दिया गया है।</td><td>चालू परिसंपत्तियों और पूंजी निधि दोनों में 30,000/- रुपये की वृद्धि की गई है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>सुरक्षा जमा राशि</td><td>20,80,257/- रूपये की सुरक्षा जमा राशि का विवरण।
<u>सारांश</u> :
<table>
<tr><td>सुरक्षा जमा (ए)</td><td>20,80,257.00</td></tr>
<tr><td>घटाएँ: कार्यालय सह प्रयोगशाला भवन की वास्तविक प्रतिधारण राशि जो पहले सुरक्षा जमा में गलती से ले ली गई थी (बी)</td><td>(-)15,39,319.00</td></tr>
<tr><td>कुल सी=ए-बी)</td><td>5,40,938.00</td></tr>
<tr><td>घटाएँ: यह राशि किराया जमा के अंतर्गत जोड़ी गई है जिसे गलती से सुरक्षा जमा में ले लिया गया था (डी)</td><td>(-)3,48,028.00</td></tr>
<tr><td>मुंबई प्रयोगशाला चलाने के लिए किराया जमा और जल कनेक्शन जमा के अलावा सुरक्षा जमा (रु.65,000+ रु..27,910+ रु.1,00,000= रु.1,92,910)
कुल (ई=सी-डी)</td><td>1,92,910.00</td></tr>
</table></td><td>चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत सुरक्षा जमा से 15,39,319/- रुपये की कटौती की जाती है तथा वर्तमान देयता के अंतर्गत प्रतिधारण सह कार्यालय भवन से भी इतनी ही राशि की कटौती की जाती है।

सुरक्षा जमा से 3,48,028/- रुपये की कटौती की जाती है तथा चालू परिसंपत्तियों के किराया जमा के अंतर्गत इसे जोड़ा जाता है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>बयाना राशि</td><td>पूर्व में अनजाने में 6,32,250/- रुपए ईएमडी के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। 6,32,250/- रुपए में से 39,250/- रुपए नई दिल्ली कार्यालय के पंजीकरण व्यय से संबंधित हैं, जिन्हें अनजाने में प्रशासनिक व्यय के बजाय चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
5,93,000/- रुपए (6,32,250 (-) 39,250 रुपए) की राशि ईएमडी की वापसी के भुगतान से संबंधित है, जो पूर्व में अनजाने में चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत ईएमडी में दर्ज की गई थी, जिसे वर्तमान देयताओं के विक्रेताओं से ईएमडी के अंतर्गत काटा जाना चाहिए था।</td><td>1) 39,250/- रुपए वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत ईएमडी से काटे जाते हैं तथा उतनी ही राशि पूंजी निधि से काटी जाती है।
2) 5,93,000/- रुपए वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत ईएमडी से काटे जाते हैं तथा उतनी ही राशि विक्रेताओं से ईएमडी के अंतर्गत देयताओं से काटी जाती है।</td></tr>
</table>

बी) आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाले नोट्स:

आय:

1) बिक्री और सेवाओं से आय (अनुसूची -12):

इसमें प्रमाणन/सलाह, प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क, फॉर्म की बिक्री, गैर-तरजीही जीएसपी/सत्यापन/प्रशिक्षण सेवा का समर्थन, बाजार अनुसंधान अध्ययन/सर्वेक्षण, पंजीकरण शुल्क, हैंडलूम मार्क योजना, जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रीज़ योजना से शुल्क, इंडिया हैंडलूम ब्रांड से शुल्क, संसाधन सहायता एजेंसी, विज्ञापन से आय, उत्पादन क्षमता मूल्यांकन और जूट मार्क इंडिया योजना के लिए सेवा शुल्क शामिल हैं। इस अनुसूची के तहत 32,35,95,387.72 रुपये की राशि का लेखा किया गया है।

2) अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची-13):

- ❖ इस अनुसूची के अंतर्गत 54,70,00,000/- रुपए की राशि दर्ज की गई है।

3) फीस/सदस्यता (अनुसूची-14):

- ❖ इसमें सेमिनार/कार्यक्रम फीस और परामर्श शुल्क शामिल हैं।
- ❖ इस अनुसूची के अंतर्गत 2,42,500/- रुपए की राशि दर्ज की गई है।

4) रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय (अनुसूची-16):

- ❖ इस अनुसूची के अंतर्गत 9,600/- रुपए की राशि दर्ज की गई है।

5) अर्जित ब्याज (अनुसूची-17):

- ❖ इस अनुसूची के अंतर्गत 6,35,56,407/- रुपए की राशि दर्ज की गई है।

6) अन्य आय (अनुसूची-18):

- ❖ इस अनुसूची के अंतर्गत 19,83,772.42 रुपए की राशि को शामिल किया गया है।

7) आस्थगित आय (परियोजनाएं) (अनुसूची-8):

- ❖ 31,32,053/- रुपए की अचल संपत्तियों (परियोजनाओं) पर संचित मूल्यह्रास को एएस-12 के अनुसार आस्थगित ऋण आय माना गया है।

व्यय:

- ❖ स्थापना व्यय और अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 20 और 21) को उपार्जन आधार पर लिया गया है।
- ❖ 2023-24 के दौरान स्थापना व्यय (अनुसूची 20) के संबंध में पिछले वर्ष की तुलना में 3,656.10 लाख रुपये की वृद्धि देखी गई है, जो मुख्य रूप से बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण) आदि के संबंध में प्रावधान रखने के कारण है।
- ❖ अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21) के संबंध में 77.55 लाख रुपए की वृद्धि मुख्य रूप से किराया, दर और कर, कार्यालय उपकरण की मरम्मत और रखरखाव, मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा और परिवहन, प्रयोगशाला का मान्यता, संपर्क अधिकारियों को मानदेय आदि के संबंध में वृद्धि के कारण हुई है।
- ❖ **मूल्यह्रास (अनुसूची-8):**
  - अचल संपत्तियों के साथ-साथ अचल संपत्तियों (परियोजनाओं) पर मूल्यह्रास ह्रासमान शेष विधि के अनुसार गणना की गई है और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार मूल्यह्रास की नवीनतम निर्धारित दरें ली गई हैं। मूल्यह्रास की गणना करते समय आयकर अधिनियम के नियम 5 को ध्यान में रखा गया है।

सी) सरकारी परियोजनाएँ:

- ❖ विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्तियों, व्यय और समापन शेष का विवरण अनुसूची संख्या 3 में **निर्धारित निधि** शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है।

डी) परियोजनाओं के लिए जीएसटी का भुगतान:

- ❖ परियोजनाओं के संचालन में आसानी और समय पर जीएसटी के भुगतान के लिए, आवश्यकतानुसार कपड़ा समिति के मुख्य खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

❖ **प्रकटीकरण**

❖ प्रधान कार्यालय, मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित शेष जीएसटी-आईटीसी का सेट ऑफ 2024-25 के दौरान किया जाएगा। इस संबंध में, आवश्यक लेखा उपचार, 2023-24 की लेखा पुस्तकों में प्रदान किया गया है।

❖ वस्त्र आयुक्त, मुंबई के कार्यालय की ओर से भारतीय स्टेट बैंक के साथ बैंक खाता-आईएसडीएस (टीएक्ससी/वीसी) बनाए रखा गया है। यह खाता बंद कर दिया गया है और शेष राशि 1,27,32,851.00 रुपये सरकार को भेज दी गई है।

❖ मंत्रालय की सलाह के अनुसार सरकारी राजस्व अनुदान को जमा करने के लिए एसबीआई, वर्ली नॉर्थ, मुंबई में वस्त्र समिति सीएनए खाता नामक एक अलग खाता खोला गया था और बाद में उनकी सलाह के अनुसार खाते पर अर्जित शेष ब्याज रुपये 1,54,738/- को सरकार को भेजने के बाद वर्ष 2023-24 में खाता बंद कर दिया गया था।

❖ वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (संशोधन अधिनियम, 1973) की धारा 5ए के अनुसार, वस्त्र समिति वस्त्र और वस्त्र मशीनरी के निर्माता से उपकर का आकलन और संग्रह करती थी और उसे भारत के समेकित कोष खाते में जमा करती थी (अब सरकार द्वारा 21.05.2016 को उपकर समाप्त कर दिया गया है)। लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए अनुसार, चालू देयताओं (अनुसूची संख्या 7) के तहत दर्शाई गई 61,55,527/- रुपये की उपकर राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	मूल्यांकनकर्ता का नाम	माननीय उच्च न्यायालय का नाम	न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार प्राप्त उपकर राशि
1	मेसर्स मदुरा गारमेंट्स (मेसर्स आदित्य बिड़ला निवो लिमिटेड का एक प्रभाग), बैंगलोर	कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर	रु.60,00,000.00
2	मेसर्स वूल कॉम्बर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता	कलकत्ता उच्च न्यायालय	रु.1,00,000.00
3	मेसर्स चामुंडी टेक्सटाइल्स सिल्क मिल्स लिमिटेड, बैंगलोर	कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर	रु.55,527.00
		कुल	**रु.61,55,527.00**

- **<u>पूंजी निधि का सृजन:</u>**

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान	**10,00,00,000**
2	घटाएँ: वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोग किया गया	**(2,51,60,000)**
3	घटाएँ: वर्ष 2023-24 के दौरान उपयोग किया गया	-
4	जमा शेष	**7,48,40,000**

- **<u>पूर्व अवधि के लेनदेन का प्रभाव</u>**:

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	पूर्व अवधि व्यय	2,82,68,865.82
2	पूर्व अवधि की आय	(77,82,348.57)
	पूर्व अवधि के कुल योग का शुद्ध योग	**2,04,86,517.25**

- लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार, एक एक्चुअरी फर्म को नियुक्त किया गया है और उनकी गणना के अनुसार (लेखा मानक-15 - संशोधित 2005) पेंशन और पेंशनरी टर्मिनल लाभों का प्रावधान लेखा पुस्तकों में रखा गया है, विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्त्तमान देयता का विवरण	राशि
1	पेंशन	29,36,48,099.00
2	ग्रेच्युटी	3,41,51,108.00
3	छुट्टी नकदीकरण	2,99,33,454.00

- **निर्धारित/अक्षय निधि**:

- हथकरघा मार्क योजना सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए **निर्धारित निधि** शीर्षक के अंतर्गत एक अलग अनुसूची संख्या 3 तैयार की गई है। (1) संसाधन सहायता एजेंसी (RSA) (2), जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग (3) एकीकृत कौशल विकास योजना (ISDS) (4) एकीकृत कौशल विकास योजना (TXC/VC) (5) वस्त्र समिति CNA के मामले में प्राप्ति और भुगतान खाता प्रत्येक निधि के लिए अलग से कैश बुक के आधार पर तैयार किया गया है ताकि वस्त्र समिति खाते में निधि मूल्य का सही और उचित चित्रण किया जा सके।

<u>क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक खातों की सूची</u>

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	31.03.2024 तक समापन शेष		क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	31.03.2024 तक समापन शेष
1	एसबीआई लुधियाना संग्रह खाता	2,30,621.00		18	एसबीआई हैदराबाद संग्रह खाता	22,789.61
2	एसबीआई हैदराबाद भुगतान खाता	1,11,313.00		19	एसबीआई जयपुर संग्रह खाता	10,754.73
3	एसबीआई बैंगलोर संग्रह खाता	10,544.12		20	एसबीआई जयपुर भुगतान बैंक खाता	2,850.00
4	एसबीआई करूर भुगतान खाता	66,945.00		21	एसबीआई जेएनपीटी संग्रह खाता	4,86,209.59
5	एसबीआई बैंगलोर भुगतान खाता	3,276.97		22	एसबीआई कन्नूर संग्रह खाता	10,000.00
6	एसबीआई इचलकरंजी संग्रह खाता	2,652.00		23	एसबीआई कन्नूर भुगतान खाता	11,526.00
7	एसबीआई करूर संग्रह खाता	10,695.93		24	एसबीआई कानपुर संग्रह खाता	42,671.30
8	एसबीआई इचलकरंजी भुगतान खाता	10,000.00		25	एसबीआई कानपुर भुगतान खाता	5,623.00
9	एसबीआई भुवनेश्वर भुगतान खाता	57,991.60		26	एसबीआई कोलकाता संग्रह खाता	15,045.00
10	एसबीआई चेन्नई संग्रह खाता	1,21,373.00		27	एसबीआई नागपुर संग्रह खाता	20,000.40
11	एसबीआई चेन्नई भुगतान खाता	6,207.30		28	एसबीआई सूरत संग्रह खाता	22,349.80
12	एसबीआई कोयंबटूर संग्रह खाता	9,36,158.19		29	एसबीआई तिरुपुर संग्रह खाता	10,000.00
13	एसबीआई कोयंबटूर भुगतान खाता	2,95,357.00		30	एसबीआई तिरुपुर भुगतान खाता	40,408.07
14	एसबीआई दिल्ली संग्रह खाता	29,710.92		31	एसबीआई तूतीकोरिन संग्रह खाता	10,000.00
15	एसबीआई अहमदाबाद संग्रह खाता	10,173.00		32	एसबीआई वाराणसी संग्रह खाता	10,736.50
16	एसबीआई अहमदाबाद भुगतान खाता	750.00		33	एसबीआई वाराणसी भुगतान खाता	1,155.08
17	एसबीआई दिल्ली भुगतान खाता	64,190.00				
		कुल (क्र.सं. 1 से 33)				**26,90,078.11**

अचल संपत्तियों (परियोजनाओं) का विवरण (अनुसूची 8 (सी)):

1. प्रयोगशाला कोचीन :

क्र.सं.	विवरण	दर	सकल ब्लाक				विवरण					निवल ब्लाक	
			01.04.2023 तक प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	01.04.2023 तक प्रारंभिक	01.04.2023 को प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	फर्नीचर और फिक्चर	10%	23,19,557.00	-	-	23,19,557.00	10,04,869.00	1,31,469.00	-	-	11,36,338.00	11,83,219.00	13,14,688.00
2	प्रयोगशाला के उपकरण	15%	1,66,31,880.00	-	-	1,66,31,880.00	93,11,165.00	10,98,107.00	-	-	1,04,09,272.00	62,22,608.00	73,20,715.00
3	कंप्यूटर सहायक उपकरण	40%	3,59,892.00	-	-	3,59,892.00	3,13,250.00	18,657.00	-	-	3,31,907.00	27,985.00	46,642.00
		कुल	**1,93,11,329.00**	**-**	**-**	**1,93,11,329.00**	**1,06,29,284.00**	**12,48,233.00**	**-**	**-**	**1,18,77,517.00**	**74,33,812.00**	**86,82,045.00**

2. प्रयोगशाला जेएनपीटी :

क्र.सं.	विवरण	दर	सकल ब्लाक				विवरण					निवल ब्लाक	
			01.04.2023 तक प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	01.04.2023 तक प्रारंभिक	01.04.2023 को प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	फर्नीचर और फिक्चर	10%	9,24,709.00	-	-	9,24,709.00	4,26,042.00	49,867.00	-	-	4,75,909.00	4,48,800.00	4,98,667.00
2	प्रयोगशाला के उपकरण	15%	1,79,63,896.00	-	-	1,79,63,896.00	1,00,67,744.00	11,84,423.00	-	-	1,12,52,167.00	67,11,729.00	78,96,152.00
3	कंप्यूटर सहायक उपकरण	40%	4,30,549.00	-	-	4,30,549.00	3,74,750.00	22,320.00	-	-	3,97,070.00	33,479.00	55,799.00
		कुल	**1,93,19,154.00**	**-**	**-**	**1,93,19,154.00**	**1,08,68,536.00**	**12,56,610.00**	**-**	**-**	**1,21,25,146.00**	**71,94,008.00**	**84,50,618.00**

3. हैंडलूम मार्क योजना का कार्यान्वयन :

क्र.सं.	विवरण	दर	सकल ब्लाक				विवरण					निवल ब्लाक	
			01.04.2023 तक प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	01.04.2023 तक प्रारंभिक	01.04.2023 को प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	कंप्यूटर सहायक उपकरण	40%	79,43,048.00	-	-	79,43,048.00	73,53,862.00	2,35,674.00	-	-	75,89,536.00	3,53,512.00	5,89,186.00
		कुल	**79,43,048.00**	**-**	**-**	**79,43,048.00**	**73,53,862.00**	**2,35,674.00**	**-**	**-**	**75,89,536.00**	**3,53,512.00**	**5,89,186.00**

4. स्वच्छता कार्य योजना :

क्र.सं.	विवरण	दर	सकल ब्लाक				विवरण					निवल ब्लाक	
			01.04.2023 तक प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	01.04.2023 तक प्रारंभिक	01.04.2023 को प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	फर्नीचर और फिक्चर	10%	8,29,009.00	34,132.00	-	8,63,141.00	2,20,060.00	60,895.00	1,707.00	-	2,82,662.00	5,80,479.00	6,08,949.00
		कुल	**8,29,009.00**	**34,132.00**	**-**	**8,63,141.00**	**2,20,060.00**	**60,895.00**	**1,707.00**	**-**	**2,82,662.00**	**5,80,479.00**	**6,08,949.00**

5. जूट मार्क इंडिया योजना :

क्र.सं.	विवरण	दर	सकल ब्लाक				विवरण					निवल ब्लाक	
			01.04.2023 तक प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	01.04.2023 तक प्रारंभिक	01.04.2023 को प्रारंभिक	जोड़ा वर्ष के दौरान	घटाया वर्ष के दौरान	31.03.2024 के अंत में	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	कंप्यूटर सहायक उपकरण	40%	1,29,980.00	13,55,550.00	-	14,85,530.00	25,996.00	41,594.00	2,87,340.00	-	3,54,930.00	11,30,600.00	1,03,984.00
		कुल	**1,29,980.00**	**13,55,550.00**	**-**	**14,85,530.00**	**25,996.00**	**41,594.00**	**2,87,340.00**	**-**	**3,54,930.00**	**11,30,600.00**	**1,03,984.00**

ह/-
(सुनील एस. चौहान)
मुख्य लेखा अधिकारी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वस्त्र समिति, मुंबई के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

हमने वस्त्र समिति, मुंबई के 31 मार्च 2024 तक के संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय लेखे तथा प्राप्तियां और भुगतान लेखे की वस्त्र समिति अधिनियम 1963 की धारा 13 (2) के साथ पठित नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की धारा 19 (2) (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण समिति के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की केवल टिप्पणियां शामिल हैं। वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन कानूनों, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

हमारी राय में, हमारी रिपोर्ट के योग्यता के आधार राय अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, वस्त्र समिति, मुंबई के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियों और निम्नलिखित पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामलों के साथ, 31 मार्च, 2024 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति और उसके वित्तीय निष्पादन और लेखाओं के एक समान प्रारूप के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं

योग्य राय का आधार

अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा संख्या ए.2.1 का संदर्भ ध्यानाकर्षित है। वस्त्र समिति ने लेखा मानक-15 के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों के दीर्घकालिक प्रावधानों के संबंध में ₹322.94 करोड़ का प्रावधान नहीं किया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ अनुभाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ

वस्त्र समिति, मुंबई, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए ज़िम्मेदार है । लेखाओं के एक समान प्रारूप के अनुसार, और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी, जैसा कि प्रबंधन निर्धारित करता है, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की भौतिक ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-नोट्स/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-

(विजय एन. कोठारी)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (नौवहन), मुंबई

स्थान: मुंबई

दिनांक: 25 जुलाई 2025

वस्त्र समिति, मुंबई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

ए. तुलन पत्र

ए.1. निर्धारित निधियाँ (अनुसूची 3)

ए.1.1. जूट मार्क इंडिया - ₹1,16,65,947

वस्त्र समिति को 2022-23 के दौरान जूट मार्क इंडिया (जेएमआई) योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड से ₹1.57 करोड़ (₹1.48 करोड़ + कर) की राशि प्राप्त हुई। 2022-23 के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना के अनुसार, ₹1.48 करोड़ की निधि ऑनलाइन मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के विकास, पंजीकरण, ऑनसाइट सत्यापन, लेबल/टैग जारी करने आदि के लिए आवंटित की गई थी, जिसमें से ₹73.50 लाख सॉफ्टवेयर विकास और ऑनलाइन सत्यापन पर खर्च किए जाने थे और ₹70 लाख कार्यान्वयन लागत के रूप में आय के रूप में लिए जाने थे। वस्त्र समिति ने वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की खरीद तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों पर क्रमशः ₹1.92 लाख और ₹14.03 लाख की राशि व्यय की और तदनुसार लेखांकन मानक 9 (राजस्व मान्यता) के अनुरूप वास्तविक व्यय के अनुपात में ₹15.20 लाख की आय को मान्यता दी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, वस्त्र समिति को वर्ष 2023-24 की कार्य योजना के लिए ₹97.23 लाख (₹14.84 लाख की जीएसटी राशि सहित) प्राप्त हुए, जिनमें से ₹10 लाख जूट मार्क लेबल की छपाई के लिए, ₹70 लाख कार्यान्वयन शुल्क के रूप में और ₹2.40 लाख आकस्मिक व्यय के रूप में थे। हालाँकि, यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, समिति ने योजना गतिविधियों के वास्तविक प्रदर्शन या प्रगति की परवाह किए बिना वर्ष के लिए ₹97.23 लाख की पूरी राशि को आय के रूप में मान्यता दी है।

इस प्रकार, समिति ने 2022-23 और 2023-24 में जेएमआई योजना के तहत आय को असंगत रूप से मान्यता दी। इसके अलावा, समिति ने अपने वित्तीय विवरणों में योजना-आधारित या परियोजना-आधारित अनुदानों से आय मान्यता के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण लेखा नीति का खुलासा नहीं किया है।

ए.1.2 वस्त्र समिति आरएसए - ₹6,96,15,902.64

(i) वस्त्र समिति को वर्ष के दौरान संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) के रूप में कार्य करने के लिए वस्त्र मंत्रालय से ₹7,48,64,000 की अनुदान राशि प्राप्त हुई। समिति ने इस अनुदान के विरुद्ध मूल्यांकन शुल्क के रूप में ₹7,48,62,898 का व्यय किया और ₹1102 की अव्ययित शेष राशि वापस कर दी।

हालाँकि, न तो प्राप्त अनुदान, न ही किए गए व्यय और की गई वापसी का लेखा-जोखा बही में दर्ज किया गया है। परिणामस्वरूप, आरएसए अनुदान से संबंधित प्राप्तियों, व्यय और वापसी का खुलासा वार्षिक लेखाओं की अनुसूची 3 (निर्धारित निधि) और आरएसए के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं किया गया है।

इस प्रकार, प्राप्त अनुदान, उसके विरुद्ध किए गए व्यय और अनुदान (आरएसए) के संबंध में अव्ययित शेष राशि की वापसी का लेखा-जोखा न देने से वित्तीय विवरणों और पारदर्शिता के सिद्धांत का वास्तविक रूप से गलत विवरण सामने आया है।

(ii) स्वीकृत, प्राप्त, उपयोग किए गए या लंबित अनुदानों का कोई समेकित रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार, यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि प्राप्त सभी अनुदानों और उससे किए गए व्यय का लेखा-जोखा लेखा-पुस्तकों में दर्ज किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कुछ अनुदान और उस अनुदान से किए गए व्यय को संबंधित खाता बही में दर्ज करने से छोड़ दिया गया था, जैसा कि उपरोक्त टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

ए.2 चालू देयताएँ और प्रावधान - 46.13 करोड़ (अनुसूची 7)

ए.2.1 लेखांकन मानक 15 (कर्मचारी लाभ) के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभों को परिभाषित लाभ दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इन दायित्वों का वर्तमान मूल्य (वर्तमान और गैर-वर्तमान दोनों भाग) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हालाँकि, वस्त्र समिति ने बीमांकिक मूल्यांकन से सेवानिवृत्ति लाभों के लिए केवल अल्पकालिक प्रावधान को मान्यता दी है और ₹32293.86 लाख की दीर्घकालिक देयता को मान्यता नहीं दी है, बल्कि इसे आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत प्रकट किया है। यह लेखांकन मानक 15 के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एक समान प्रारूप के अनुरूप नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं, व्यय और घाटे को ₹32293.86 लाख कम दर्शाया गया है।

ए.2.2 क्रिस्टल बिल्डिंग के मकान मालिक ने 2012 में पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद परिसर का कब्ज़ा वापस लेने और अनधिकृत कब्जे के लिए मध्यावधि लाभ का दावा करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की। वर्तमान में, यह मामला मुंबई के लघु वाद न्यायालय में लंबित है। वस्त्र समिति जून 2017 तक ₹33,782 प्रति माह किराया देती रही। चूँकि समिति किराया नहीं दे रही है, इसलिए देय किराए के लिए ₹27.36 लाख का प्रावधान (मार्च 2024 तक 81 महीनों के लिए) किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान, व्यय और घाटे को ₹27.36 लाख कम करके दर्शाया गया है।

इसके अलावा, समिति को मध्यावधि लाभ के लिए अनुमानित देयता का आकलन करना चाहिए और इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट करना चाहिए। हालाँकि, समिति ने अपने लेखा नोट्स में लंबित मुकदमे के संबंध में किसी भी आकस्मिक देयता का खुलासा नहीं किया है, जैसा कि लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ) के तहत आवश्यक है।

ए.3 निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधियों से निवेश - ₹ 77,42,575 (अनुसूची-9)

उपर्युक्त में प्रयोगशाला आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित निधि से किए गए निवेश के संबंध में ₹715 लाख और उक्त निवेश पर ब्याज के संबंध में ₹170.18 लाख शामिल नहीं हैं, जिसका अनुसूची 11 में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों आदि के अंतर्गत गलत खुलासा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित एवं

बंदोबस्ती निधियों से निवेश को कम दर्शाया गया है और चालू परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों आदि को ₹885.17 लाख अधिक दर्शाया गया है।

बी. आय और व्यय लेखा

बी.1 सेवाओं से आय - ₹32,35,95,387 (अनुसूची-12)
बाजार अनुसंधान अध्ययन/सर्वेक्षण - ₹1,53,13,796

(i) उपरोक्त में भौगोलिक पंजीकरण के अंतर्गत 30 उत्पादों के पंजीकरण हेतु ग्राम्य विकास निधि के अंतर्गत नाबार्ड से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान के संबंध में ₹9.87 लाख की राशि शामिल है, जो परियोजना लागत के 20% की पहली किस्त के रूप में है। चूँकि अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिए है, इसलिए इसे तुलन पत्र में निर्धारित निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था, हालाँकि, इसे आय के रूप में मान्यता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप 'सेवाओं से आय' को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, चालू वर्ष के 'घाटे' को कम करके दिखाया गया है और साथ ही 'निर्धारित निधि' को 9.87 लाख कम करके दिखाया गया है।

इसके अलावा, समिति ने इस संबंध में अलग से खाते नहीं बनाए हैं, जैसा कि स्वीकृति दस्तावेज़ में कहा गया है। इस प्रकार, अलग-अलग खाते न बनाए रखना स्वीकृति आदेश और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन की विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन है।

(ii) उपरोक्त में 2023-24 के दौरान 'वस्त्र एवं परिधान बाज़ार' पर अध्ययन के लिए वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त ₹61.95 लाख (जीएसटी सहित) की पहली किस्त शामिल है, इस शर्त के साथ कि कुल स्वीकृत राशि का 30% अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अनुमोदन के बाद जारी किया जाएगा। इस संबंध में ₹43.98 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है।

वस्त्र समिति को 2023-24 के दौरान किए गए व्यय के अनुपात में आय की पहचान करनी चाहिए थी, हालाँकि प्राप्त पूरी राशि ₹61.95 लाख (₹9.45 लाख जीएसटी सहित) को अध्ययन के पूरा होने के प्रतिशत या वर्ष के अंत तक किए गए व्यय पर विचार किए बिना समिति की पुस्तकों में आय के रूप में मान्यता दी गई, जो लेखांकन मानक 9 (राजस्व मान्यता) के अनुरूप नहीं है।

इसके अलावा, समिति ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 13(2) का पालन न करते हुए ₹9.45 लाख को जीएसटी देयता के रूप में मान्यता नहीं दी है, जिससे समिति पर ब्याज और जुर्माने का बोझ बढ़ गया है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप जीएसटी देयता ₹9.45 लाख कम, अग्रिम प्राप्त राशि (वर्तमान देयताएं और प्रावधान) ₹8.52 लाख कम और सेवाओं से आय अधिक और घाटे ₹17.97 लाख कम दर्शाई गई है। इसके अलावा, समिति ने इस संबंध में अलग-अलग खाते नहीं बनाए हैं, जैसा कि स्वीकृति दस्तावेज़ में कहा गया है। इस प्रकार, अलग-अलग खाते न बनाए रखना स्वीकृति आदेश की विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन है।

(iii) उपरोक्त राशि में वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त ₹271.73 लाख शामिल हैं, जो समिति द्वारा पिछले वर्षों में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये व्यय हैं: (i) अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत

हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के मानकीकरण हेतु अनुदान (₹18.95 लाख) और (ii) संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) कार्य योजना 2022-23 (₹252.78 लाख) जिन्हें पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था और आय एवं व्यय लेखे में पूर्व अवधि समायोजन के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था, हालाँकि इसे चालू वर्ष की आय के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, उपरोक्त राशि में वस्त्र मंत्रालय से प्राप्य आरएसए कार्य योजना 2023-24 की विभिन्न गतिविधियों के लिए चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में ₹261.55 लाख शामिल नहीं हैं।

इसके परिणामस्वरूप बिक्री एवं सेवाओं से आय ₹10.18 लाख अधिक दर्शाई गई,पूर्व अवधि की आय ₹271.73 लाख कम दर्शाई गई, परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूंजी निधि में किए गए घाटे को ₹261.55 लाख अधिक दर्शाया गया और वर्तमान परिसंपत्ति को ₹261.55 लाख कम दर्शाया गया।

बी.2 अन्य प्रशासनिक व्यय ₹6,98,22,391.46 (अनुसूची 21)

उपरोक्त में पिछले वर्षों से संबंधित आरएसए टीओटी शुल्क (₹43.50 लाख), लेखा परीक्षा शुल्क (₹4.05 लाख) पर हुए व्यय के संबंध में ₹47.55 लाख शामिल हैं, जिन्हें आय और व्यय लेखे में पूर्व अवधि समायोजन के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था, हालाँकि इसे चालू वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय में ₹47.55 लाख की अधिकता और लेखों पर टिप्पणियों में दर्शाए गए पूर्व अवधि व्यय में भी उतनी ही राशि की कमी दिखाई गई है।

सी. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें प्राधिकरण के ध्यान में उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से लाया गया है।

डी. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है।

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता (पीओएम-21)

वस्त्र समिति, मुंबई में कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विंग उपलब्ध नहीं है। हालाँकि,वस्त्र समिति का आंतरिक लेखा परीक्षा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह देखा गया है कि अंतिम आंतरिक लेखा परीक्षा 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए 2020 में की गई थी। यह भी देखा गया है कि वस्त्र समिति, मुंबई के लिए कोई स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया गया है।

(iii) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली (पीओएम -21)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2024-25 के दौरान किए गए अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं।

i. सामान्य वित्तीय विनियमन नियम 213 के अनुसार, अचल संपत्तियों का वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन किया जाना चाहिए। हालाँकि, वस्त्र समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भौतिक सत्यापन किया।

ii. भौतिक सत्यापन आधिकारिक लेखा अभिलेखों या अचल संपत्ति रजिस्टर के संदर्भ में नहीं किया गया था। इसके बजाय, गृह देखरेख विभाग द्वारा रखे गए अभिलेखों को भौतिक सत्यापन के लिए सत्यापन दल द्वारा आधार बनाया गया था, जो संपत्तियों के लेखांकन या वित्तीय अभिलेखों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। लेखाओं में दर्शाई गई अचल संपत्तियों से संबंधित मदवार सूची लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिए, लेखापरीक्षा अचल संपत्तियों के खातों में दिखाई गई शेष राशि की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है।

iii. सत्यापन में भूमि, भवन, मोटर कार और समिति के स्वामित्व वाले अन्य वाहनों जैसी प्रमुख संपत्ति श्रेणियां शामिल नहीं थीं।

iv. सामान्य वित्तीय विनियमन के नियम 215 के अनुसार, बीस हज़ार से अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालयों के मामले में पुस्तकों का पूर्ण भौतिक सत्यापन हर वर्ष किया जाना चाहिए। वस्त्र समिति के पास 15495 पुस्तकें थीं और वस्त्र समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन किया है। हालाँकि, रिपोर्ट में 31.03.2025 की स्थिति बताई गई है।

(iv) सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वस्त्र समिति के पास कोई सूची नहीं है।

(v) वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

अविवादित वैधानिक देय राशि के भुगतान में अनियमितता का कोई मामला (बी.1 (ii) में इंगित को छोड़कर) नहीं देखा गया।

ई. सहायता अनुदान

2023-24 के लिए सरकारी अनुदान का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में है:

(₹करोड़ में)

	आरंभिक शेष राशि 01.04.2023 तक	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त अनुदान	वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान पर अर्जित ब्याज	वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान का किया गया उपयोग	वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान ब्याज सहित सरकार को वापस किया जाएगा	31.03.2024 तक सरकारी अनुदान का अंतिम शेष
पूंजी						
i)जीआईए- पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन	7.48	-	-	-	-	7.48
ii) जीआईए- पूंजीगत अनुदान का सृजन (प्रयोगशाला आधुनिकीकरण टीआईईएस के अंतर्गत)	7.15	-	1.70	-	-	8.85
राजस्व						
i) जीआईए-वेतन	-	51.80	-	51.80	-	-
ii) जीआईए-सामान्य	0.02	2.90	-	2.90	0.02	-
iii) जीआईए-एसएपी	-	0.10	-	0.10	-	-
परियोजना						
i. मूल्यांकन और जिनिंग एवं प्रेसिंग	0.74	-	0.04	-	-	0.78
ii. एकीकृत कौशल विकास योजना	0.36	*0.01	-	-	-	0.37
iii. एकीकृत कौशल विकास योजना (टीएक्ससी /वीसी)	1.27	-	-	-	1.27	-
iv. आरएसए	2.59	6.19	-	0.61	1.21	6.96
v. हैंडलूम मार्क योजना	0.40	-	-	0.01	-	0.39
vi. प्रयोगशाला कोचीन बंदरगाह	0.04	-	-	-	-	0.04
vii. प्रयोगशाला जेएनपीटी बंदरगाह	0.04	-	-	-	-	0.04
viii.बाज़ार अन्य सर्वेक्षण पश्मीना	-	0.05	-	-	-	0.05
ix. बाज़ार सर्वेक्षण ऊल मार्क	-	0.05	-	-	-	0.05
x. जूट मार्क इंडिया	1.46	-	-	0.29	-	1.17
कुल	21.55	61.10	1.74	55.71	2.5	26.18

*एनआईसीएसआई से धन वापसी

TEXTILES COMMITTEE
(Government of India, Ministry of Textiles)

ANNUAL REPORT
2023 - 2024

P. BALU ROAD, PRABHADEVI CHOWK
PRABHADEVI, MUMBAI - 400 025
TEL NO. 022-66527507
Email: secy.tc@nic.in; secytc@gmail.com
Web site: www.textilescommittee.nic.in

TEXTILES COMMITTEE'S ANNUAL REPORT 2023 – 2024

INDEX

PART- I: ORGANIZATIONAL SET UP & FINANCE

1.0 OFFICES OF THE TEXTILES COMMITTEE

HEAD OFFICE, MUMBAI

Textiles Committee, P. Balu Road, Prabhadevi Chowk, Prabhadevi, Mumbai-400025.
Tel. No.: 022-66527507; **E-mail:** secy.tc@nic.in;
Web page: www.textilescommittee.nic.in

REGIONAL OFFICES

1. Textiles Committee, Ankur, Opp. Dinbai Tower, Mirzapur Road, Lal Darwaza, Ahmedabad- 380 001.
   Tel.No. 079-25507612, Email: abd.tc@nic.in

2. Textiles Committee, FKCCI, WTC Building, 1st Floor, Kempe Gowda Road, Bengaluru – 560 009.
   Tel.No.080-22261401, 22208010, Email: blr.tc@nic.in

3. Textiles Committee, C/O Weavers Service Centre Campus, Plot No. A/407, Shahid Nagar,
   Bhubaneshwar- 751 007 Tel.No. 0674-2548303, Email: bbs.tc@nic.in

4. Textiles Committee, 2nd floor, Tamil Nadu Urban Habitat Development Board Complex, 130, R. K Mutt Road, Mylapore, Chennai- 600 004.
   Tel.No. 044-24640740, 24610887, 24615901 Email: chennai.tc@nic.in

5. Textiles Committee, Raj chamber, 978-A, Thadagam Road, Coimbatore – 641 002
   Tel.No. 0422-2473094 Email: cbe.tc@nic.in

6. Textiles Committee, Office No.52, IV Floor, Marine Drive Commercial Complex (GCDA), Shanmugham Road,
   Cochin 682031 Tel. No.0497-2706390.

7. Textiles Committee, Sai Ram Complex, Door No. 25-1-9, Near Mastan Darga, G.T. Road,
   Guntur – 522 004 Tel.No. 0863-2218951 Email: gnt.tc@nic.in

8. Textiles Committee, 1st floor UNI Bldg. D.No. 10-1-1200, A C Guards, Masab Tank Road,
   Hyderabad – 500 004 Tel.No.040-23327153 Email: hyd.tc@nic.in

9. Textiles Committee, Hall No.1, Ward No.10, Rajaram Stadium, Near Shivaji Putala, Ichalkaranji – 416 115 Tel.No. 0230-2420838 Email: ichl.tc@nic.in

TEXTILES COMMITTEE

10. Textiles Committee, N/S/O/2, NGR-1, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur – 302 015 Tel.No.0141-2743456, 51052234, 4052664 Email: jpr.tc@nic.in

11. Textiles Committee, Inside Weaver's Service Centre, UNDP, Project Complex, Baghe Ali Mardan Khan, Nowshera, Srinagar – 190011 (Jammu & Kashmir) Tel. 0194-2411043

12. Textiles Committee, Platinum Centre, 2nd floor, Bank Road, Kannur – 670 001 Tel.No.0497-2706390 Email: kannur.tc@nic.in

13. Textiles Committee, 117/48, Sarvodaya Nagar, Gr.Floor & 1st floor, Near Bank of Baroda, Kanpur – 208 005
Tel.No.0512-2212548, 22440066 Email: kanpur.tc@nic.in

14. Textiles Committee, K V R Complex, 2nd floor, 21-J, 80 Feet road, Karur – 639 002 Tel.No.0432-4274871, 238610 Email: krr.tc@nic.in

15. Textiles Committee, Block G.N. Plot-38/3, Sector-V, Salt Lake city, Kolkata – 700 091 Tel.No. 033-46021338, 46021339 Email: kol.tc@nic.in

16. Textiles Committee, Sona Complex, 3rd floor, G.T Road, Miller Ganj, Ludhiana – 141 003 Tel.No. 0161-2530135, 2530165 Email: ldh.tc@nic.in

17. Textiles Committee, Apparel House, 5th floor, Institutional Area, Sector-44, Gurugram – 122 003 (Haryana) Tel.No. 0124-2544201, 2544202, 2544204
Email: ndl1.tc@nic.in

18. Textiles Committee, Brindavan, 1st Floor, 744, WHC Road, Dharam peth, Nagpur – 440 010 Tel.No. 0712-2561564 Email: ngr.tc@nic.in

19. Textiles Committee, Block No.2(A), 2nd floor, Resham Bhawan, Lal Darwaza, Surat-395 003. Tel.No. 0261-2423167 Email: surat.tc@nic.in

20. Textiles Committee, Plot no. 8 & 9, Thiruvika Nagar, 1st Floor, College Road, Tirupur – 641 602 Tel.No.0421-2202500, 2201402, 2237935 Email: tpr.tc@nic.in

21. Textiles Committee, No.52, Patel Nagar, 1st floor, Mint House, Nadesar, Varanasi – 221 002 Tel.No.0542-2500616 Email: var.tc@nic.in

22. Textiles Committee, 57/14, Muniasamypuram II, New Colony, Tuticorin – 628003 Email: tctuticorin@gmail.com

23. Textiles Committee, Ground Floor, Port Users Building, Jawaharlal Nehru Port Authority, (JNPA), Nhava Seva, Navi Mumbai – 400 707
Email: tclabjnpt@gmail.com

2.0 COMPOSITION OF TEXTILES COMMITTEE

1.	Chairperson **(Ms. Rachna Shah),** Secretary, Ministry of Textiles Udyog Bhavan **New Delhi-110 011**	:	Chairperson
2.	Textile Commissioner, **(Ms. Roop Rashi),** New C.G.O. Building, 48, New Marine Lines, **Mumbai - 400 020.**	:	Vice Chairperson
3.	Joint Secretary, **(Shri Rajeev Saxena),** Government of India, Ministry of Textiles, Udyog Bhavan, **New Delhi - 110 011.**	:	Member
4.	Deputy Secretary, **(Shri Dhirendra Kumar),** Internal Finance Wing, Government of India, Ministry of Textiles, Udyog Bhavan, **New Delhi - 110 011.**	:	Member
5.	Secretary, **(Shri Satya Prakash Verma),** Textiles Committee, P. Balu Road, Prabhadevi Chowk, Prabhadevi, **Mumbai - 400 025.**	:	Member Secretary
6.	Chairman, **(Shri Rakesh Mehra),** Confederation of Indian Textile Industry 6th floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, **New Delhi - 110 001.**	:	Member
7.	Chairman, **(Dr. S. K. Sundararaman),** Southern India Mills Association, 41, Race Course, **Coimbatore - 641 018.**	:	Member

8.	Chairman, **(Shri Vishwanath R. Agarwal),** Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL), GC-2, Ground Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Saki Naka, Andheri (East), **Mumbai – 400 072.**	**:**	Member
9.	Chairman, **(Shri Sunil Patwari),** Cotton Textiles Export Promotion Council, Engineering Centre, 5th Floor, 9, Mathew Road, **Mumbai - 400 004.**	**:**	Member
10.	Chairman, **(Shri Bhadresh M Dodhia),** Synthetics & Rayon Textiles Export Promotion Council, Resham Bhavan, Churchgate, **Mumbai - 400 020**.	**:**	Member
11.	President, **(Shri M. Sankar),** Textile Machinery Manufacturers' Association, 53, Mittal Chambers, 5thFloor, Nariman Point, **Mumbai - 400 021.**	**:**	Member
12.	Secretary General, **(Shri Chandrajit Banerjee),** Confederation of Indian Industry, 23, Institutional Area, Lodhi Road, **New Delhi - 110 003.**	**:**	Member
13.	Chairman, **(Shri Narendra Goenka),** Apparel Export Promotion Council, Apparel House, Institutional Area, Sector 44, **Gurgaon - 122 003.**	**:**	Member
14.	Chairman, **(Shri Romesh Khajuria),** Wool and Woollens Export Promotion Council, 614, Indra Prakash Building, 21, Barakhamba Road, **New Delhi - 110 001.**	**:**	Member
15.	President, **(Shri Bharat T. Gandhi),** Federation of Indian Art Silk Weaving Industry, SASMIRA, 3rd Floor, SASMIRA Marg, Worli, **Mumbai - 400 025**.	**:**	Member

3.0 ORGANIZATION CHART

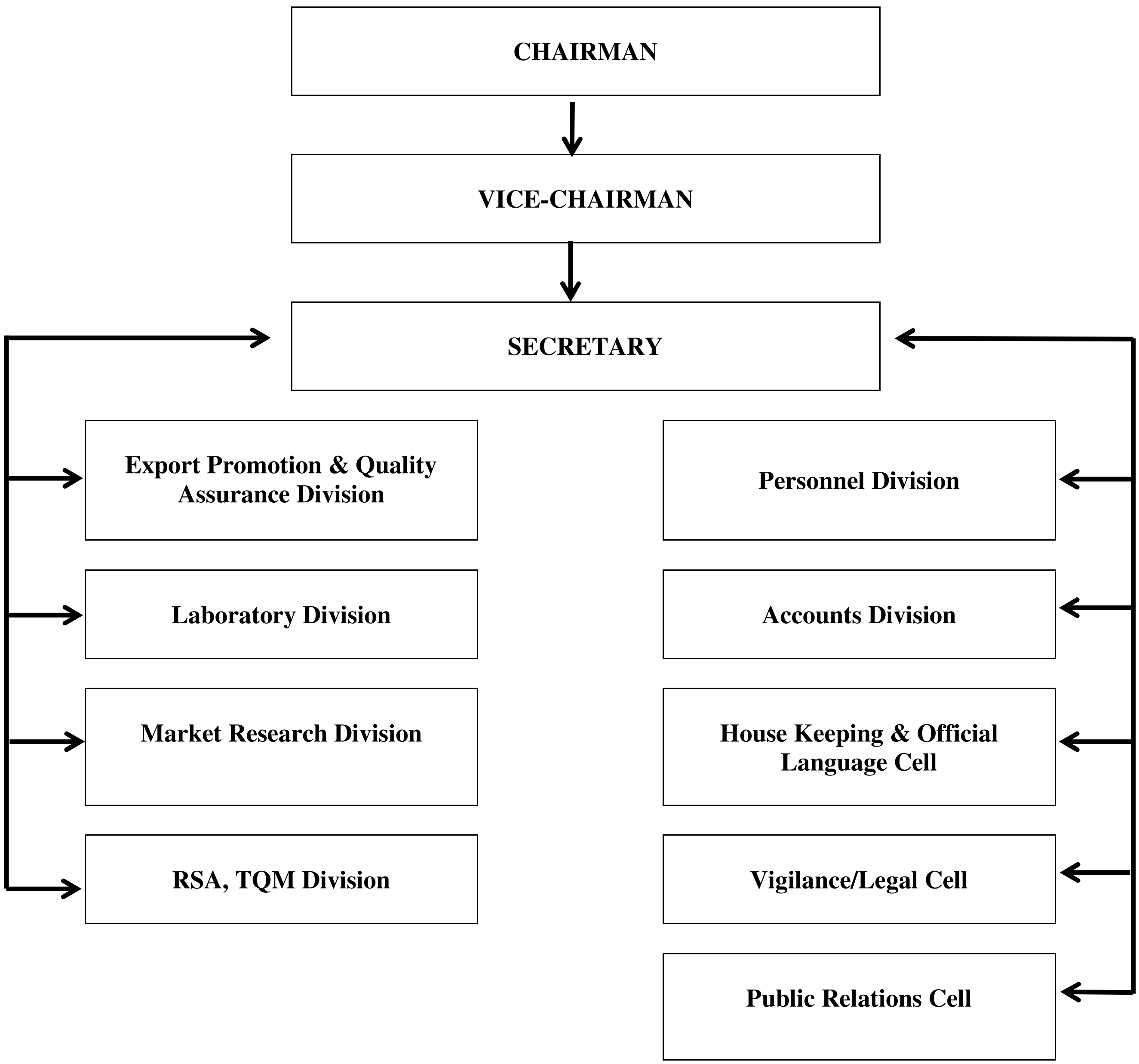

TEXTILES COMMITTEE

4.0 ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND SET UP

4.1 ESTABLISHMENT:

The Parliament in its 14th year of the Republic enacted the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), which received the President's assent on 3rd December 1963 and was published in the Gazette of India on 4th December 1963. The Textiles Committee, as an organization, started functioning from 22nd August 1964. By virtue of Section 3 of the Act, the Textiles Committee is a Statutory Body with perpetual succession. The Textiles Committee is under the administrative control of the Ministry of Textiles, Government of India.

4.2 FUNCTIONS:

The Textiles Committee's main objective is to ensure the quality of textiles and textile machinery both for internal consumption and export purposes. The Textiles Committee, as corollary to its main objective of ensuring the quality of textiles and textile machinery, has been entrusted with the following functions, under Section 4 of the Act:

- i) To undertake, assist and encourage, scientific, technological and economic research.
- ii) To establish standard specifications for textiles, textile machinery and the packing material.
- iii) To establish laboratories for the testing of textiles and textile machinery.
- iv) To provide training in the techniques of quality control.
- v) To provide for the inspection and examination of textiles and textile machinery.
- vi) To promote export of textiles
- vii) To collect statistics and
- viii) To advise the Central Government on all matters relating to textiles and textile machinery, etc.

4.3 MANAGEMENT:

The Committee is under the administrative control of the Ministry of Textiles, Government of India. The Textiles Committee is managed by a Committee comprising of 29 members as laid down under Section 3 (3) of the Textiles Committee Act, 1963 and Rule 3 of the Textiles Committee Rules, 1965. It comprises of a Chairman appointed by the Central Government, a Vice-Chairman, who shall be the Textile Commissioner (ex-officio), and a Secretary, who is the Chief Executive of the organization as the Member Secretary. There are 12 other ex-officio members representing various Textile Federations, Export Promotion Councils etc., and 14 other members representing almost all interests of the textile sector. The present composition of the Committee is given at para 2.0 above, which is valid till 24th March, 2024.

4.4 HEAD OFFICE AND OTHER OFFICES:

4.4.1 The Committee's headquarters is at Mumbai and there are 23 other offices in major textile manufacturing / exporting centres. Among PAN India offices of the Textiles

Committee, 17 have state-of-the-art textile testing laboratories including 11 eco parameters testing laboratories. Many of the laboratories are NABL accredited and well equipped with state of art infrastructure to serve the textile trade and industry effectively.

4.4.2 The offices at Mumbai, Kolkata, Ahmedabad and Jaipur are housed in Committee's own premises. The rest of the offices are in rented accommodations.

4.5 FUNCTIONAL DIVISIONS:

4.5.1 The functions of the Textiles Committee are handled by the following Divisions/Cells:-

1. Export Promotion & Quality Assurance Division
2. Laboratory Division
3. Market Research Division
4. RSA, TQM Division
5. Personnel Division
6. Accounts Division
7. House Keeping & Official Language Division
8. Vigilance/Legal Cell
9. Public Relations Cell

4.5.2 Apart from the above Divisions, the Textiles Committee also has a well-established Library in Mumbai, which has technical books and manuals on textiles and also subscribes to textile magazines and periodicals. In addition to the regular activities, the Textiles Committee has also been implementing various Schemes of the Govt. for the development of the sector as per the directions of the Ministry of Textiles (MoT) from time to time. At present, the Committee is implementing the Handloom Mark Scheme, India Handloom Brand (IHB) Scheme, Star Rating of Ginning and Pressing Factories and is appointed as Resource Support Agency (RSA) for SAMARTH Scheme.

TEXTILES COMMITTEE

5.0 DIVISION-WISE FUNCTIONS

5.1. EXPORT PROMOTION AND QUALITY ASSURANCE DIVISION

5.1.1 This Division attends to the following functions:

- (a) Conducting technical studies in the textile industry, under Section 4 (2) (a) of the Act.
- (b) Promotion of export of textiles, under Section 4 (2) (b) of the Act
- (c) Establishing, adopting and recognising standard specifications for textiles and packing material under Section 4 (2) (c) of the Act
- (d) Specifying the type of quality control or inspection for application to textiles, under Section 4 (2) (d) of the Act; and
- (e) Providing for inspection and examination of textiles and packing materials under Section 4 (2) (e) of the Act.

5.1.2 Under Section 4 (2) (j) of the Act:

- (a) Assigning 8 digits ITC HS Code for Specialty Fibres under National Fibre Policy.
- (b) Providing opinion on Technical Regulations.

5.1.3 Under Section 4 (2) (j) of the Act:

- (a) Formulation and implementation of Star Rating of Ginning & Pressing Factories.
- (b) Formulation of Star Rating Scheme for Handmade Carpet Industry.
- (c) Formulation of Handicraft Mark Scheme.

5.2 LABORATORY DIVISION

5.2.1 The Laboratory Division attends to the following functions:

- (a) Undertaking, assisting and encouraging scientific and technological research in textile industry, under Section 4 (2) (a) of the Act.
- (b) Rendering assistance in establishing or adopting or recognizing standard specifications for textiles, under Section 4 (2) (c) of the Act.
- (c) Establishing laboratories and test houses for the testing of textiles, under Section 4 (2) (f) of the Act.
- (d) Providing for testing textiles in laboratories and test houses, under Section 4 (2) (g) of the Act;

5.3 MARKET RESEARCH DIVISION

5.3.1 The Market Research Division attends to the following functions:

- (a) Undertake, assist and encourage economic research in textile industry and textile machinery, under Section 4 (2) (a) of the Act.
- (b) Promote export of textile and textile machinery and carry on propaganda for that purpose under Section 4 (2) (b) of the Act.
- (c) Rendering assistance in establishing or adopting or recognizing standard Specifications for textiles, under Section 4(2) (c) of the Act.

(d) Collect statistics from (i) manufacturers and dealers in textiles, (ii) manufacturers of textile machinery, and (iii) any other person for the development of the textile industry, under Section 4 (2) (h) of the Act.

(e) Advise on all matters relating to the development of textile industry; and production of textile machinery under Section 4 (2) (i) of the Act.

(f) Provide for such other matters as may be prescribed under Section 4 (2) (j) of the Act.

5.3.2 Under the Section 4 (2) (i) of the Act:

(a) Creation of sectoral database of the sector by organising industry specific studies, census and surveys

(b) Market Potential studies both in domestic and international market

5.3.3 Under the Section 4 (2) (j) and relevant provisions of the Act:

(a) Implementation of 'India Handloom Brand' Scheme

(b) Market Intelligence in Textiles (MIT) & preparation and notification of Quality Control Order (QCO) for the BIS developed standards and formulation of Technical Regulations (TR).

(c) Research on issues pertaining to globalization and World Trade Organization (WTO) including Tariff, Non-Tariff Barriers (NTBs), Regional Trade Agreements (RTA), Issues on World Trade Organization (WTO), etc.

(d) Sector specific and product level Competitiveness analyses in international market at 8 & 10-digit H S line basis.

(e) Activities pertaining to Intellectual Property Rights (IPR) protection through Geographical Indication (GI) Act, Trade Mark Act, etc.

(f) Post GI Initiatives for Brand Promotion, Market Linkage, Traceability of product and Containment of Infringement of GI registered products.

(g) Trade Related Capacity Building (TRCB) and training on various facets of Textiles Value Chain (TVC) including international trade & Competitiveness etc.

5.3.4 The department has rich experience in organizing research and studies on Textile Value Chain and manned by Researchers, Economists & Statisticians having expertise in research on textile trade, globalization, Intellectual Property Rights (IPR), Trade Facilitation like Tariff, Non-Tariff Barriers (NTBs) TR & QCOs, Regional Trade Agreement (RTA), Issues on World Trade Organization (WTO), etc.

5.3.5 One of the major research projects carried out on domestic consumption / Demand pattern of textiles called “National Household Survey: Market for Textiles and Clothing (MTC)”. The report estimates the demand of textiles in the household sector in addition to estimating the per capita demand / consumption, sectoral and regional preferences, market size on the basis of the fibres, yarn and products, gender etc. This is the only report of its kind available in the country.

5.3.6 Some of the major achievements of the Market Research Division:

(a) Successfully implemented the UNCTAD Project “Strategies & Preparedness on Trade & Globalization for Textiles & Clothing Sector” across the country.

(b) Organized more than 300 Trade Related Capacity Building (TRCB) Workshops/conference on IPR protection across the country during last fifteen years.

(c) Completed Market Potential Study of Lucknow Chikan Craft in South Africa

(d) Census on Textiles Engineering Industries of India

(e) Study on Technical Manpower & Training Infrastructure in Indian Apparel Industry.

(f) Census of Cotton Ginning and Pressing Units in India

(g) As a part of implementing the India Handloom Brand Scheme, 1998 products belonging to the 1786 applicants are registered since its inception in the year 2015. During 2023-24, 136 products belonging to 133 applicants have been registered under the scheme.

(h) Study on Indian Wool Sector on a pilot basis in Rajasthan.

(i) Study on Assessment of Indian Jute Industry & its linkages with Global Value Chain in collaboration with Food & Agriculture Organisation (FAO), National Jute Board, Govt. of India.

(j) Study To Promote Growth of Man-Made Fibre Textile Industry in India: Roadmap to Identify Gaps Suggest Measures.

(k) Assessment of the Impact of the Textile Sector Initiatives on Generation of Employment & Income.

(l) Developing a eco-system for IPR protection of cluster based unique textiles & handicraft products of the country through GI & initiating post GI initiatives in collaboration with the state government, central government and its agencies & civil society organisations.

5.4 TQM DIVISION

5.4.1 This Division attends to the following work:

Providing for training in the techniques of Quality Control, under Section 4 (2) (da) of the Act;

5.4.2 Under Section 4 (2) (j) of the Act:

(a) Imparting training under the ISO 9000 Quality Management Systems and ISO 14000 Environmental Management Systems.

(b) Consultancy services in implementation of ISO 9000 Quality Management Systems, ISO 14000 Environmental Management Systems, Social Accountability (SA) 8000 Standards, Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001, Preparation of audio-visual aids, model manuals, etc. and

(c) Conducting Awareness Programmes on Total Quality Management.

5.5 PERSONNEL DIVISION

5.5.1 This Division looks after the matters related to personnel, appointment, promotion, establishment, meetings of the Textiles Committee, etc.

5.5.2 The Government had reconstituted the Textiles Committee w.e.f. 25.03.2022 for a period of two years.

5.5.3 Ms. Roop Rashi continued to hold the post of Textile Commissioner and ex-officio Vice Chairperson of Textiles Committee throughout the year 2023-24.

5.5.4 Shri S. P. Verma continued to hold the additional charge of the post of Secretary, Textiles Committee throughout the year 2023-24.

5.5.5 The Textiles Committee follows the pay and allowances as admissible to the Central Government employees. It has also adopted the Pension Rules as applicable to Central Government employees. It follows the Central Government Rules in respect of TA/DA, Leave, Leave Travel Concession, etc. For the sake of administrative convenience, the Committee has adopted the Central Civil Services (Conduct) Rules and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.

5.5.6 The Committee has been providing reservation in recruitment for SC/ST/OBC/EWS/ Persons with Disabilities and other categories as per the orders applicable to the Central Government. Rosters as prescribed by the Central Government are also maintained and all recruitment are done as per the roster.

5.6 ACCOUNTS DIVISION

5.6.1 This Division attends to the following functions and duties:

(a) Budgeting and Financial Planning.
(b) Drawing and Disbursement of salary and various other payments.
(c) Maintenance of various books of Accounts and preparation of final Accounts as per Section 13 (1) of the Textiles Committee Act;
(d) Coordination with Regulatory CAG Audit as per section 13 (2) & (3) of the Textiles Committee Act.
(e) Managing the Textiles Fund as per the Section 7 of the Act.
(f) Assessment, Levy & Collection of Cess Duty as per Section 5A of the Act.
(g) Dealing with Legal Challenges arising in respect of Levy & Collection of the Textiles Committee Cess duty.
(h) Managing Funds and Investments under GPF/CPF Trust.
(i) Managing Funds under various projects and schemes.
(j) Compilation and submission of various statements/ reports and information to the concerned authorities from time to time.

5.7 HOUSEKEEPING & OFFICIAL LANGUAGE DIVISION

5.7.1 Housekeeping Division handles acquisition and maintenance of office and residential accommodations, purchase and supply of furniture, fixture, stationery, disposal of obsolete items, etc. Housekeeping Division organizes Swachh Bharat Abhiyan and also undertakes cleanliness drive at its Headquarters as well as Regional Offices.

5.7.2 Official Language Division handles the implementation of Hindi in the day-to-day working in the office as envisaged under the Official Language Act.

5.8 VIGILANCE / LEGAL CELL

5.8.1 This division handles matters relating to conduct and discipline of the employees of the Committee.

5.9 PUBLIC RELATIONS CELL

5.9.1 This division handles work relating to:

(a) Participation in National and International Exhibitions

(b) Booking of training Hall, Board Room & Auditorium for textile industry and other related organizations.

(c) Releasing of advertisements, press releases as part of promotion of Textiles Committee Activities.

(d) Protocol duties of VIPs & VVIPs.

6.0 RESOURCES, MANPOWER, FINANCE, LEGAL AND ACCOUNTS

6.1 The Committee's headquarters is at Mumbai and there are 23 other offices in major textile manufacturing / exporting centres. Among PAN India offices of the Textiles Committee, 17 have state-of-the-art textile testing laboratories including 11 eco parameters testing laboratories. As such, it has a well spread infrastructure to service the industry effectively.

6.2 Staff Strength

The Committee has a pool of qualified technical officials and other supporting ministerial staff. The sanctioned staff strength as on 31st March, 2024 is as shown below:

Sl. No.	Group	Technical	Non-Technical	Total
1.	A	70	10	80
2.	B	136	20	156
3.	C	59	221	280
Total		**265**	**251**	**516**

6.3 Finances: A Brief Background

Textiles Committee Act, 1963 while establishing the O/o. Textiles Committee also enabled it to collect required funds for its purpose through levy of Cess on manufacture of Textiles & Textile Machinery and the levy of fee & charges against the various services rendered by it. Accordingly, the Textiles Committee was getting the allocation of its budget from the Government against the levy & collection of the Cess duty w.e.f. 01.04.1975 to 31.05.2007. However, the Cess duty was exempted on all Textiles & Textile Machinery w.e.f. 01.06.2007 by the Government. Thereafter, its expenditure is covered through grant-in-aid received from the Government of India and internal revenues generated through various services rendered by the Textiles Committee.

6.4 The Grant-in-aid (Assistance) received from the Government.

(Rs. in lakh)

2023-24	2022-23
5480.00	**5979.00**

6.5 Internal Revenue

Presently the Committee earns internal revenue through Inspection & Certification services, laboratory testing, TQM consultancy, Market Research activities, implementation of various schemes/interventions, etc.

Year	2023-24	2022-23
Amount in Lakh	3893.88	2827.79

TEXTILES COMMITTEE

6.6 Expenditure:

6.6.1 The expenditure of the Committee is met out of funds released by the Government of India and partly from the internal revenue generated by the Committee. The accounting year of the Committee is April to March and is subject to audit by the CAG. The Annual Report of the Committee along with the audited accounts is placed before the Parliament.

6.6.2 The Budget Expenditure and Actual Expenditure is depicted below:

(Rs. in lakh)

S. No.	Particulars	2023-24	2022-23
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Budgeted Expenditure	8220.00	10425.00
2.	Actual Expenditure	7878.39	7892.64

Note: The difference between the amount received from the Govt. and the expenditure was met by the internal receipt of the Committee.

6.6.3 The office of the Comptroller & Auditor General of India has audited the Annual Accounts of the Committee for the year 2023-24. The Audited Annual Accounts & separate Audit Report thereof may be seen at **Appendix I and Appendix II** respectively. The CAG during the course of their auditing in the year 2012-13 had observed that liability exists for payment of income tax for the period from 2002-03 to 2011-12 on account of non-exemption of income of the Textiles Committee from the purview of Income Tax Act, 1961. The same was reiterated in the audit observation in 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23. The issue of seeking grant of exemption has been taken up with the Department of Revenue through the Ministry of Textiles and is under process.

6.7 Legal Activities: The Legal Cell of Textiles Committee assists the various divisions in handling legal matters/court cases etc.

6.8 Welfare Measures for SC/ST/Women And Persons With Disability:

The Textiles Committee has constituted the Internal Complaints Committee with a view to protect the interest of women working at the work place and to look after the complaints against any violation under the provision of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Encouragement of active participation of women working in office as well as in general public in the Swachhata Campaign / Yoga / Sports hosted by the Textiles Committee under the guidance of Ministry of Textiles.

Under Section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the requisite details for the period are as under:

No of cases filed	No of cases disposed
1	1

The number of persons with various disabilities in various posts in Group ‘A’, ‘B’, ‘C’ against the quota received under Section 33 of PwD Act is given below:

Group	Sanctioned Strength	No. of PwD
Group A	80	1
Group B	156	1
Group C	280	2

TEXTILES COMMITTEE

7.0 VIGILANCE ACTIVITIES

7.1 A separate vigilance cell has been established in the Committee in the year 1981, Textiles Committee comes under the jurisdiction of the Central Vigilance Commission on all vigilance matters relating to the employees of the Committee.

7.2 The Vigilance Cell implements various policies, directives, orders and guidelines issued by the government and CVC on all matters pertaining to the Vigilance including Integrity, Efficiency in public service and Anti-Corruption measures.

7.3 Due to the changed role of the Textiles Committee from regulatory to facilitation, the Vigilance sensitive activities in the organization in the recent past, has been reduced substantially.

7.4 During the period under report, the Textiles Committee has observed Vigilance Awareness Week at HQ and its Regional Offices from 30.10.2023 to 05.11.2023. This year the theme of observing Vigilance Awareness Week was **"Say No to Corruption; Commit to the Nation"**.

7.5 Details of the major/minor disciplinary proceedings at present are as under:

(a) Based on a report by a preliminary investigation team (PIT) constituted to investigate into the misappropriation of service charges collected during the financial year 2012-13, 2013-14 and 2014-15 in the Regional Office of the Textiles Committee, Naraina, New Delhi, the case has since been referred to Central Bureau of Investigation on 23.12.2016. CBI has registered an FIR No.RC-DAI-2017-A-0040 dated 20.12.2017 in this connection and CBI investigation report was submitted to Hon'ble Court. The case is under trial against 1 group B employee and 2 group C employees. Besides the above, the CBI recommended for Minor penalty against one Group B employee and the departmental proceeding is in progress.

(b) One Group-A employee, was Charge sheeted under Rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965 and Inquiry has been completed. Representation/reply on Inquiry report was received from Charged Officer. The case is in progress.

PART - II : PERFORMANCE OF DIVISIONS DURING 2023-24

8.0 PERFORMANCE OF EXPORT PROMOTION & QUALITY ASSURANCE (EP&QA) DIVISION:

8.1 The Export Promotion & Quality Assurance Division carries out the following functions:

i) Conducting technical studies in the textile industry, under Section 4(2)(a) of the Act

ii) Promotion of export of textiles, under Section 4(2)(b) of the Act.

iii) Establishing, adopting and recognizing standard specifications for textiles and packing materials under Section 4(2)(c) of the Act.

iv) Specifying the type of quality control or inspection need to be applied to textiles under Section 4(2)(d) of the Act.

v) Providing training on the techniques of quality control to be applied to textiles under Section 4(2)(da) of the Act.

vi) Providing for inspection and examination of textiles and packing materials used in the packing of textiles under Section 4(2)(e) of the Act.

vii) Advising on the matters relating to development of textile industry and providing for such other matters as may be prescribed by the Central Government under Section 4(2)(i) & 4(2)(j) of the Act, respectively.

8.2 This division is headed by a Director, assisted by Joint Directors, Deputy Directors, Assistant Directors and Quality Assurance Officers besides administrative staff posted at Headquarters, Mumbai and other Regional Offices. The Officers are qualified Textile Technologists.

8.3 Apart from carrying out quality inspection in aid of export promotion, the Division also issues the following Preferential and Non-Preferential certificates to the exporters as required under various unilateral / bilateral /multilateral agreements / schemes.

8.3.1. Preferential Certificates:

a) **Certificate of Origin under Generalized System of Preferences (GSP):** Under the scheme of Generalized System of Preferences (GSP), the Committee issues GSP Certificate in Form-A for textiles and textile articles to the exporters. Textiles committee has been issuing Certificate of Origin under GSP Scheme since 1971. This certificate enables the importers to claim duty preferences at the importing end.

b) **Certificate of Origin under Fifteen Trade Agreements for textiles & made-ups:** Textiles Committee is authorized to issue Certificate of Origin (CoO) for exports of Textile & Made-ups by the Directorate General of Foreign Trade

(DGFT) under Indo-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IJCEPA) vide Gazette Notification number 59/2009-2014(RE-2013) dated 15.05.2014. Subsequently, DGFT vide Public Notice No. 67/2015-2020 dated 30.03.2016, has authorized Textiles Committee to issue Certificate of Origin under eleven more trade Agreements for Textiles & Made-ups. As per various Public Notices of DGFT, Textiles Committee issue Certificates of Origin for 15 (Fifteen) FTA/PTA/CECA/CEPA for textiles and made-ups. All the CoO are being issued digitally through DGFT Online Portal.

8.3.2 Certificate of Origin (Non-Preferential): The Textiles Committee is also authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential) from July 2005 to enable the exporters to establish the country of origin of the material exported.

8.3.3. Handloom Certificate: Under the various bilateral agreements with developed countries, the Committee is issuing Handloom & Cottage Industry Certificates after conducting limited inspection for handloom textile items.

8.3.4 Monitoring of Import Quota:

i) **Tariff Rate Quota Certificate (TRQC) under ISFTA :** Government of India has authorized Textiles committee to monitor the quota for Import of Readymade garments from Sri Lanka under ISFTA. As per Procedural arrangement for import of apparel articles from Sri Lanka into India on Tariff Rate Quota (TRQ) under Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA), Textile Quota Board and Department of Commerce has been designated authority for issuance of Quota and Certificate of origin for export of apparel articles from Sri Lanka to India and in case of India the Textiles Committee has been nominated to monitor the tariff rate quota (TRQ) parameters.

ii) **Import of Acrylic yarn from Nepal under Indo-Nepal Trade Treaty:** As per the procedure for import of Acrylic yarn from Nepal under Indo-Nepal Trade Treaty, Textiles Committee is authorized as the monitoring agency for import of acrylic yarn into India.

8.3.5 Classification of Textiles: Textiles Committee offers services to the textile Industry & Trade on classification of Textiles & Textile articles under Harmonized System (H.S. Code). This service is mostly availed by the textile exporters, importers and Indian Customs Authorities.

8.3.6 Registered Exporter System (REX): A self certification scheme called 'Registered Exporter System (REX System)' has been introduced by the EU, Switzerland and Norway for certifying the origin of goods, replacing the Certificate of Origin Form-A under GSP. Under the scheme, exporters with a REX registration number self certify the "Statement on Origin" of their goods being exported to the EU, Switzerland and Norway on a commercial document such as invoice. The REX System was introduced in India vide DGFT Public Notice No. 51/(2015-2020) from 01.01.2017 onwards.

The Govt. of India has designated Textiles Committee as one of the Local Administrators for registration and the Regional Offices of Textiles Committee as Local Users (Registering Authority)for registering exporters of textiles and made ups under REX System. Accordingly, Textiles Committee has commenced the services of registering exporters of textiles and made-ups under REX System for availing self certification facility vide Circular No.A-869 & Trade Notice dated 16.01.2017.

So far 6250 Exporters have been registered under REX till March, 2024.

8.4 The quantum of work carried out by this Division during 2023-24 (April 2023 to March 2024) and 2022-23 (April 2022 to March 2023) are indicated below:

Sr. No.	Particulars	2023-24 (April 2023 To March 2024)	2022-23 (April 2022 To March 2023)
1.	Quality Inspection under ISO-17020 (No. of lots)	846	464
2.	No. of physical verification carried out under (FTA/PTA/CECA/CEPA)	1511	1276
3.	No. of GSP Certificates issued	11578	13764
4.	No. of Certificates of Origin (Non-Preferential) issued	7785	10598
5.	No. of FTA/PTA/CECA/CEPA Certificates issued	35665	25798
6.	No. of lots examined under limited inspection for loom origin for issue of Handloom certificates	67	56
7.	No. of handloom and other special certificates issued	141	136
8.	No. of samples classified for HS code, description, etc.	3946	3232
9.	No. of new exporters registered	698	831
10.	No. of registrations renewed	2414	2270
11.	Sale of Blank Certificate of Origin (Non-Preferential) Forms	2170	3128
12.	Sale of Coo (FTA/PTA/CECA/CEPA)	0	50
13.	Sale of Blank Certificates under Bilateral Agreement	198	241
14.	Endorsement on TRQC for monitoring import quota of RMG under ISFTA	455	775
15.	Endorsement on TRQC for monitoring import quota of Acrylic yarn under Indo-Nepal Trade treaty (in Metric Ton)	3491	4605
16.	No. of Units registered for rating of Ginning & Pressing Factories	14	28
17.	Formulation of Rating Scheme for Handmade Carpet Industry	One Project	One Project
18.	Formulation of Handicraft Mark Scheme.	One Project	One Project
19.	Khadi Mark Scheme – Verification of KIs	One Project	One Project
20.	Joint Inspection of Textile Units under various TUFS	189	308
21.	Total revenue generated for activities at S.N. 1 to 20 above. (Rs. in Crores)	**9.37**	**7.71**

8.5 The service-wise revenue generated during the year April 2023 to March 2024 by the Export Promotion and Quality Assurance Division is shown below:

Service Wise Revenue Generation
EP&QA Division (April 2023 to March 2024)

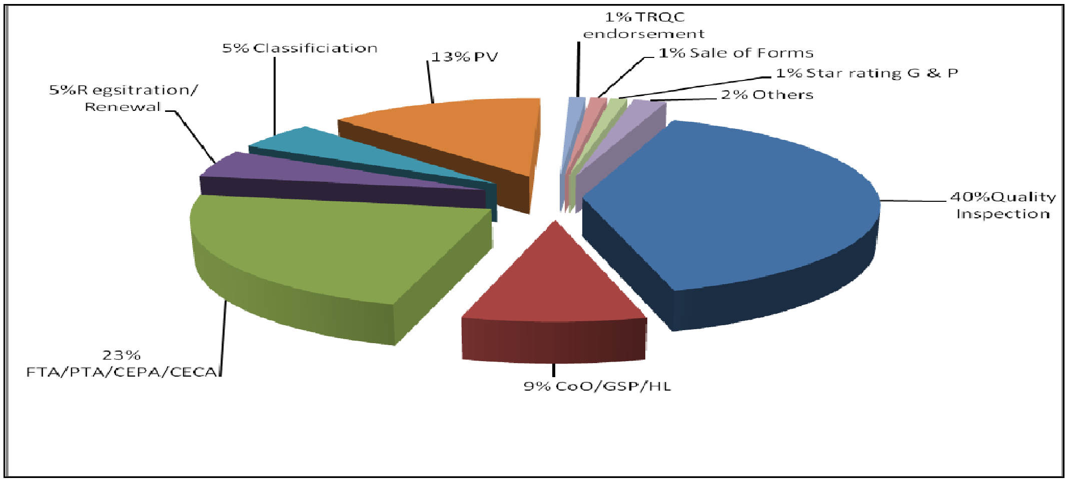

Quality inspection contributes for (40%), Contribution of issuance of certificates of origins under various FTA/PTA/CEPA/CEA is (23%), and GSP/CoO(NP)/Handloom Certificates contributes for (9%) of the total revenue collection. While revenue collection form registration & renewal fee accounts for (5%), Classification accounts for (5%), Assessment of Ginning & Pressing factories accounts for (1%), sale of various blank certificates is (1%), and other services Viz. TRQC Endorsement, Post Verification Visit (REX), NSIC, Rating Scheme for Handmade Carpet Industry etc. is (2 %) of total revenue during April 2023 to March 2024.

8.6 The Revenue generated by the EPQA Division from 2018-19 to 2023-24 is given in the following chart:

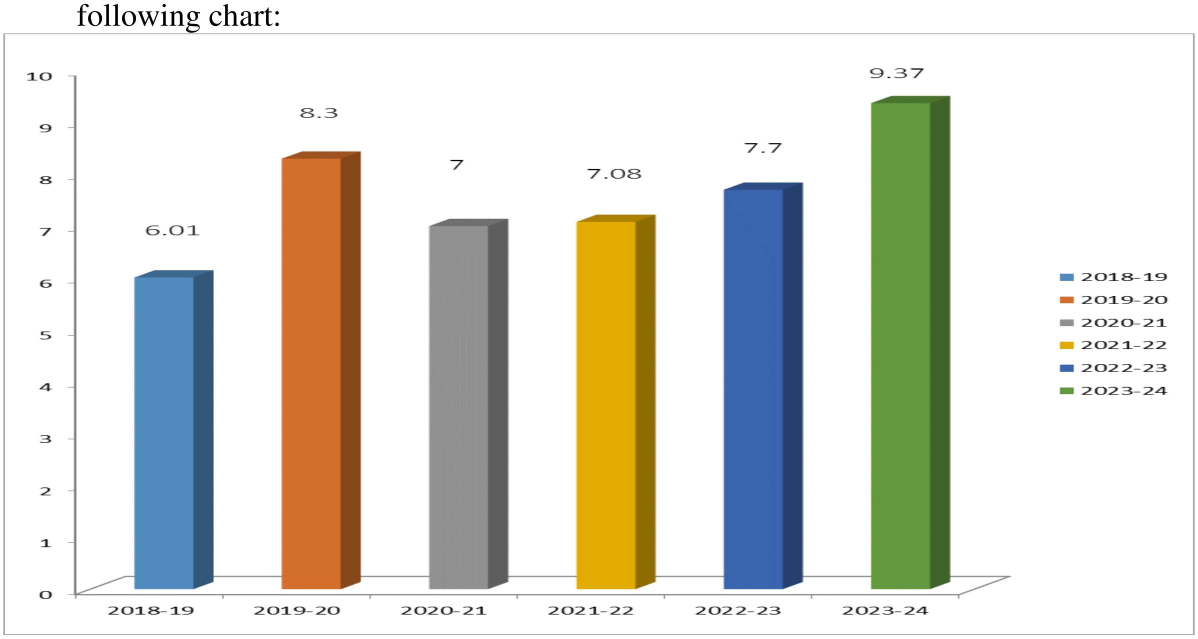

The above chart shows the trend in the revenue collection of the EPQA Division, from 2018-19 to 2023-24. During the last three financial years, the trend in the revenue generation of the Division over previous year is (+) 1.14% (2021-22), (+) 8.90% (2022-23) & (+)21.69% (2023-24) respectively.

8.7 Developmental Activities:

8.7.1 Scheme on Assessment & Rating of Ginning & Pressing Factories:-

The task of "Assessment & Rating of Ginning & Pressing Factories" was assigned to Textiles Committee by Ministry of Textiles vide letter dated 29.4.2008. The assessment of the units was started from November 2009. 1274 units were registered for rating and assessment of 1239 units has been completed.

Data on Assessment & Rating Status as on March 2024

Applications enrolled	1274
No. of units assessed	1239
No. of rated units	1239
5 star rated units - 85	
4 star rated units - 221	
3 star rated units - 345	
2 star rated units - 414	
Single star rated units - 53	
Single star (For Limited period) - 78	
No. of provisionally rated units - 43	

8.7.2 Rating Scheme for Handmade Carpet Industry:

a) O/o Development Commissioner (Handicrafts), through Ministry of Textiles, requested Textiles Committee to formulate a rating scheme for handmade carpet industries for a fee of Rs. 50 lakhs. An advance amount of Rs. 25,00,000/- was received from DC(Handicrafts).

b) Accordingly, Textiles Committee conducted a study at major carpet centers, formulated a Rating Scheme for Hand Made Carpet Industries and submitted the same to DC (HC).

c) The O/o DC(HC) vide letter No:K-12012/4/11/2016-17/R&D dated 04.10.2023 had conveyed the sanction of Rs.18,94,500/- as the 2nd & final installment towards the completed activities. Accordingly, the said amount was received by the Textiles Committee during the period 2023-24.

8.7.3 Handicraft Mark Scheme:

a) In the meeting held under the chairmanship of Hon'ble Minster of Textiles on 08.11.2016 for introducing Handicraft Mark, it was decided that further work on the proposed Handicraft Mark would be done by Textiles Committee in association with All India Artisans and Craft Workers Welfare Association (AIACA) and Export promotion Council of Handicrafts (EPCH) as knowledge partners.

b) O/o Development Commissioner (Handicrafts) requested Textiles Committee to prepare a proposal / action plan for the implementation of Handicraft Mark for the four products of Block print, Blue pottery of Jaipur, Wood carving of Pilakhua and Saharanpur and Stone carving in the first phase.

c) Accordingly, Textiles Committee submitted a concept proposal for the formulation of Handicraft Mark Scheme for the said four products in the first phase.

d) Subsequently, in the meeting convened on 23.03.2018 under the Chairmanship of Development Commissioner (Handicrafts), it was decided that Textiles Committee would submit a proposal for conceptualization of Handicraft Mark for the one craft of Wood Carving of Pilakhua and Saharanpur instead of four crafts.

e) Accordingly Textiles Committee submitted a proposal for the formulation of Handicrafts Mark Scheme for Wood Carving of Pilakhua and Saharanpur with financial implication of Rs.14,96,594/- and the same was approved by Development Commissioner (HC).

f) Rs.7,48,297/- has been received from Office of the Development Commissioner (Handicrafts) as the 1st installment of the sanctioned amount of Rs.14,96,594/- towards formulation of scheme for Handicraft Mark.

g) Experts having requisite knowledge, experience and expertise in the concerned craft was identified in consultation with the knowledge partners.

h) Field Study for the formulation of the Handicrafts Mark Scheme conducted along with the experts at Pilkhuwa, Saharanpur & New Delhi from 09.10.2018 to 12.10.2018.

i) Consultation was organized on 08.01.2019 with the knowledge partners and experts for conceptualization of the Handicrafts Mark Scheme.

j) Based on the Field study and consultation during the brain storming session, the draft Handicrafts Mark Scheme has been formulated and submitted to DC (Handicrafts).

8.7.4 Khadi Mark: Verification of KI

a) Government of India has notified the Khadi Mark Regulations, 2013 (hereinafter referred to as "said regulations") in order to regulate the production, sale or trading of Khadi and Khadi products in India.

b) The said regulations prohibit the sale of textiles by any person or Certified Khadi Institutions as Khadi or Khadi Products in any form or manner without it bearing a Khadi Mark tag or label issued under the said regulations.

c) In order to authenticate the product being produced or sold or traded by persons (as defined in the Regulations) as Khadi or Khadi product, Textiles Committee is engaged by KVIC as an accredited agency to verify the place of production, godown or sales outlet etc to undertake verification of production process and testing of khadi and khadi products before issue of Khadi Mark Registration. In this regard the Textiles Committee entered in to a MoU with KVIC on 1st March 2019 to implement various activities under Khadi Mark Scheme.

d) In line with the MoU the Textiles Committee commenced to organize and carry out the verification process by visiting and verifying the Khadi production units and ascertain the hand spinning, hand weaving and use of natural fibre viz. cotton, silk or wool either singly or in appropriate blends of such fibres. So far Textiles Committee has carried out verification of 511 Khadi Institutions and accordingly samples are drawn and tested.

e) During verification visits Textiles Committee officials assess the Khadi Mark Label entitlement of Khadi Institutions based on their production and sale. Samples are drawn at random from the Khadi Institution during the verification and tested at Textiles Committee laboratories for the required parameters.

f) The MoU ended by March 2024 and the same was not further renewed. A balance payment of Rs. 6,58,56,927/- is yet to be received from the KVIC against the service rendered during the MoU Period.

8.8 Empanelment with National Small Industries Corporation (NSIC) as Inspection Agency for registration of M&SMEs under single point Registration Scheme

The National Small Industries Corporation (NSIC), a Govt. of India Enterprises under the Ministry of MSME, registers Micro & Small Enterprises (MSE), through Single Point Registration Scheme (SPRS) as mandatory requirement to participate in government purchases through such M&SEs. In order to register M&SEs under Single Point Registration Scheme, physical inspection is required to be conducted by the empanelled inspection agencies of NSIC. Textiles Committee has been empanelled as one of the agency to carry out Physical Inspection of M&SE in the Textiles & Clothing sector on a Pan India basis. Physical inspection of 07 units were carried out for the period 2023-24.

8.9 Joint Inspection of Textile Units under various TUFS:

a) Under the MOTs flagship scheme viz. Technology Up-gradation Fund Scheme (TUFS) and its variants, subsidy are given to the eligible Textile units as per the relevant scheme guidelines. Decision has been taken by the Govt. to constitute Joint Inspection Teams to verify and inspect the beneficiaries of MTUFS, RTUFS and RRTUFS as per the protocol developed by the O/o the Textile Commissioner.

The JIT shall comprise of one Technical Official with textile background to be drawn from Textiles Committee/Central Silk Board and an Official from Banks and industry association.

b) Suitable training was imparted to the shortlisted Technical Officials of the Textiles Committee to carry out Joint inspection Team (JIT). 189 Joint inspection were carried out for the period 2023-24. For meeting the expenses in connection with the physical inspection to be carried out, charges @ Rs.10,000/- plus GST per man-day for local JIT and Rs.15,000/- plus GST per man-day for outstation JIT was approved. A total of 243 man-days were utilized from 01.04.2023 to 31.03.2024.

8.10 De-Nova Registration of the core machinery manufacturers under CSAPM Scheme of National Jute Board (NJB):

a) Based on the National Jute Board (NJB)'s request, the Textiles Committee (TC) has agreed to take up the assignment of De-Novo Registration of the core machinery manufacturers / vendors under CSAPM (Capital Subsidy for Acquisition of Plant and Machinery Scheme) for Jute Diversified Products of the NJB, Kolkata.

b) The charges for the verification were fixed at Rs. 10,000 + GST per man day for verification of local units, where there is no tour involved and Rs. 15,000 +GST per man day for verification of units where there is tour involved.

c) A Training program on De- novo registration of vendors under CSAPM Scheme was conducted for 14 officials from 06.04.2022 to 08.04.2022 at Kolkata.

d) As on 31 March 2024, the verification of 11 units have been completed.

e) Subsequently, the NJB has requested the TC to carry out the preparation of Technical Appraisal Report (TAR) under the CSAPM scheme, accordingly, so far 13 TAR have been completed.

8.11 Training of TC officials on Japanese style inspection

a) The Association of the Overseas Technical co-operations and Sustainable partnership (AOTS) under the 'Japan – India partnership in industrials competitiveness' in association with M/s. Nissenken Quality Evaluation Centre, Japan had organized a series of training programme to the officials of the TC on 'Japanese Style Inspection' of textile apparels.

b) The first batch of training was conducted for twenty officials at Mumbai from 10th to 13th January 2023, second batch of training was conducted for four officials at Kolkata on 20th February 2023 and the third batch at Tirupur for twelve officials on 22nd February 2023.

c) In the November 2023, Textiles Committee in collaboration with AOTS, Japan arranged a consultative meet at ROTC Kolkata with trade and industry stakeholders to explore the possibility of setting up of Japanese style Inspection Center in the premises of ROTC Kolkata

d) AOTS, Japan arranged for training to Textiles Committee officials at Mumbai from 29.01.2024 to 30.01.2024 on Japanese style inspection and Needle detection methods. Further, Textiles Committee in collaboration with AOTS, Japan arranged for Industry visit to the Japanese delegation including H/L clusters and a second stakeholder consultation meet at Kolkata from 01.02.2024 to 07.02.2024 to explore the possibility of setting up of Japanese style Inspection Center in the premises of ROTC Kolkata under PPP mode.

TEXTILES COMMITTEE

9.0 PERFORMANCE OF LABORATORY DIVISION:

9.1 Laboratories of the Textiles Committee

9.1.1 The Textiles Committee is offering Regulatory and Non-Regulatory testing services to Textile Trade and Industry through its 17 Laboratories including 11 Eco-Laboratories at important textile centers across India.

9.1.2 The laboratory was set up at the Head Quarters of Textiles Committee at Mumbai during 1969. Subsequently, 18 more Laboratories were set up at important textile centers at Ahmedabad, Bengaluru, Kannur, Chennai, Coimbatore, Kochi, Guntur, Hyderabad, Jaipur, JNPT, Kanpur, Karur, Kolkata, Ludhiana, Madurai (under PPP mode), Delhi (NCR), Panipat and Tirupur. Under PM's initiative for Ease of Doing Business, two Laboratories at JNPT and Kochi were opened during 2017. However, due to non-performance and commercially being unviable, the Laboratories at Panipat and Kochi were closed. The Laboratories at Bengaluru, Chennai, Coimbatore, Delhi (NCR), Kanpur, Kolkata, Ludhiana, Karur, Mumbai, and Tirupur are accredited by NABL as per ISO/IEC-17025. The Laboratories at Bengaluru, Kannur, Chennai, Jaipur, JNPT, Kolkata, Ludhiana, Karur, Mumbai, Delhi (NCR) and Tirupur are having facilities for eco-testing.

9.1.3 During the year 2004, all the equipment of ROTC Madurai was handed over to Textile Testing and Development Centre (TTDC) under Public Private Partnership (PPP) mode. Under this, all the recurring expenses are borne by the Trust comprising various Textile Associations in and around Madurai. The profit generated by the center is shared between the Textiles Committee and Trust in the ratio of 60:40.

9.1.4 The organizational structure of the Laboratory Division comprises Director assisted by Joint Directors, Deputy Director, Assistant Directors, Quality Assurance Officers, Junior Quality Assurance Officers and other administrative staff.

9.1.5 The Laboratories of the Textiles Committee has assisted in framing specifications of Cotton T-shirt for CRPF, Tracksuits for Directorate General of Ordnance Services of Defense(Army), Government of India and school uniform specification for Government school under Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad, Mumbai.

9.2 Performance of Laboratories of Textiles Committee during 2023-24

9.2.1 **Testing activities:** Laboratories are catering to testing needs of Government organizations like State, Central, PSUs, Railways, RITES &Customs, Importers, Exporters, Manufacturers, Traders and other agencies dealing in textiles for improving quality of textiles mainly under commercial testing scheme by levying scheduled service charges.

9.2.2 Samples are received mainly under two categories such as (1) Regulatory and (2) Non-regulatory. The performance of the Laboratories during the year 2023-24 in terms of total revenue for Regulatory and Non-regulatory as against the performance for the previous year (2022-23) are as under:

Sl. No.	Laboratory	Achievement 2023-24 (Rs. in lakh)	Achievement 2022-23 (Rs. in lakh)	(%) change (+/-)
1	Ahmedabad	11.39	9.23	23.40
2	Bengaluru	101.08	82.81	22.06
3	Kannur	4.47	20.64	**-78.34**
4	Chennai	145.62	101.89	42.92
5	Coimbatore	133.37	91.13	46.35
6	Guntur	11.00	3.55	209.86
7	Hyderabad	47.33	77.00	**-38.53**
8	Jaipur	30.76	18.14	69.57
9	Kanpur	53.20	50.27	5.83
10	Karur	10.08	10.17	**-0.88**
11	Kolkata	69.09	40.20	71.87
12	Ludhiana	42.40	38.34	10.59
13	Mumbai (H.Q.)	219.20	116.25	88.56
14	JNPT	519.14	312.77	65.98
15	Delhi (NCR)	151.01	150.18	0.55
16	Tirupur	64.26	68.36	**-6.0**
	Total	**1613.40**	**1190.93**	**35.47**

Revenue received by testing samples under various schemes by Laboratory Division and by TTDC Madurai are as under:

Sr. No.	Name of Scheme	Revenue received during 2023-24 (Rs. in lakh)
1	India Handloom Brand (IHB)	15.67
2	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	Nil
3	TTDC Madurai (PPP based model)	11.53
	Total	**27.20**

9.2.3 Total revenue generated during 2023-24 by the Laboratories is Rs. 1613.40 lakh (excluding KVIC and IHB), which is 35.47 % higher than the revenue of Rs. 1190.93 lakh generated during 2022-23. The performance of all laboratories except Kannur, Hyderabad, Karur and Tirupur are positive. The laboratories with negative performance were instructed to take necessary action for improving their revenue generation

9.2.4 **India Handloom Brand:** As a part of promoting a premium brand for the handloom sector by ensuring quality in handloom products and also promoting the production of high-end products for increasing earning of the weavers', the Hon'ble Prime Minister had launched the "India Handloom Brand" scheme on 7th August 2015. The 'India Handloom Brand' is based on high quality, socially and environmentally compliant product for catering to the needs of the high-end consumers looking for handmade products. The Textiles Committee Laboratories are testing the quality of the handloom products. Once the product complies all the quality parameters, then certificate is issued by the Textiles Committee. During 2023-24 Laboratories have tested 294 samples and generated revenue of Rs.13.23 lakh towards test charges.

9.2.5 **Testing of Khadi samples for Khadi Mark:** The Textiles Committee Laboratories are testing Khadi samples to ascertain quality of Khadi product for Khadi Mark. During 2023-24 Laboratories have tested 1578 samples and generated revenue of Rs.21.49 lakh as test charges.

9.2.6 **Performance of Laboratories with share of Revenue:** Performance of the laboratories as percentage share of total revenue generated during 2023-24 is shown in the following chart.

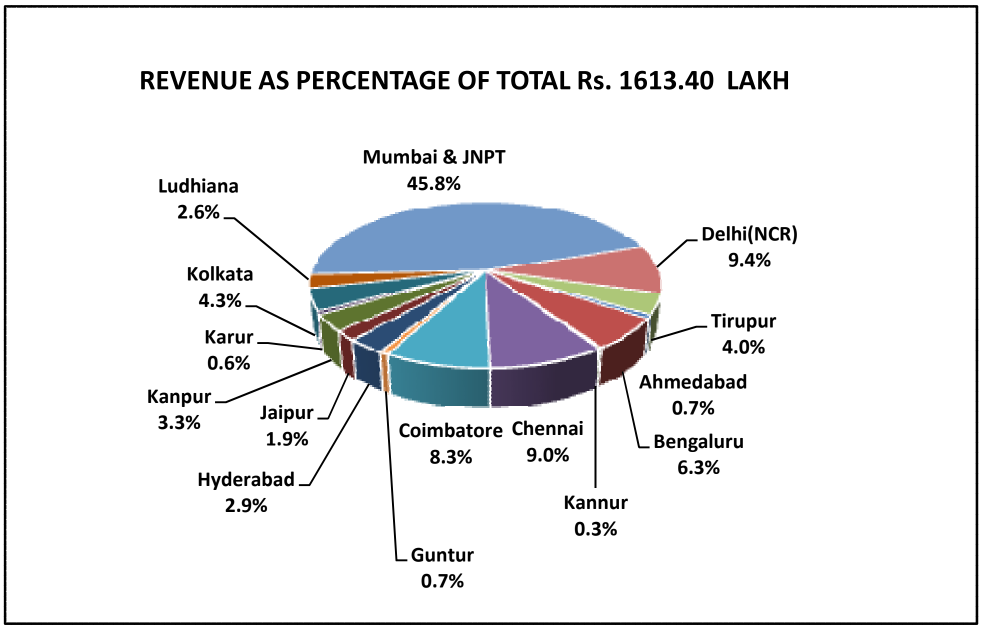

Total Revenue generated during 2023-24 through non-regulatory and regulatory testing by Laboratories of the Textiles Committee is Rs. 1613.40 lakh (excluding KVIC and IHB). Mumbai & JNPT Laboratories is in top in terms of share of total revenue with a contribution of 45.8% followed by Delhi-NCR(9.4%), Chennai(9.0%), Coimbatore(8.3%), Bengaluru(6.3%), Kolkata (4.3%), Tirupur (4.0%), Kanpur(3.3%), Hyderabad (2.9 %), Ludhiana (2.6%), Jaipur (1.9%). The revenue contribution of Laboratories at Ahmedabad, Guntur Karur, and Kannur are less than 1% as shown in the pie chart above.

9.2.7 **Growth in Revenue:** The achievement in terms of Non-regulatory and Regulatory testing by the laboratories of the Textiles Committee during the period 2004-05 to 2023-24 is shown below:

- Revenue generated through **Non-regulatory** testing:

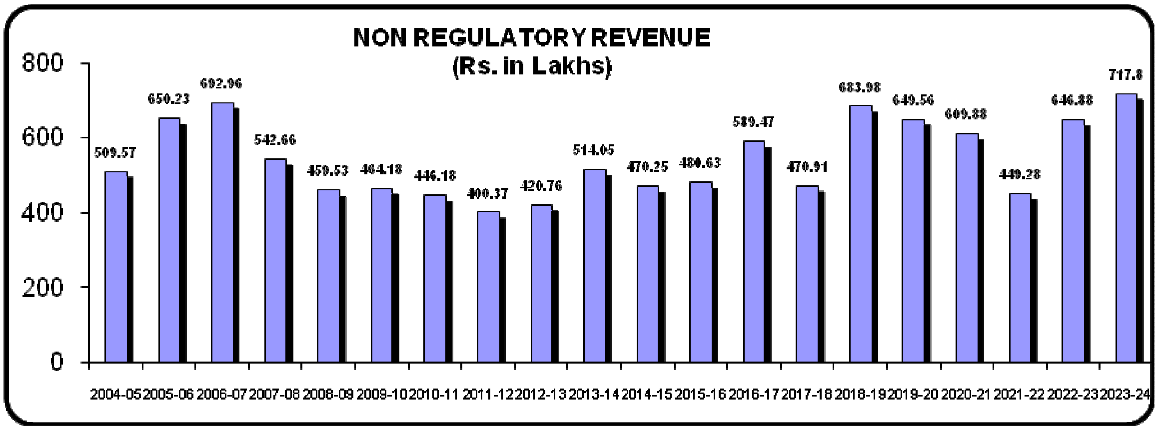

- Revenue generated through **Regulatory** testing:

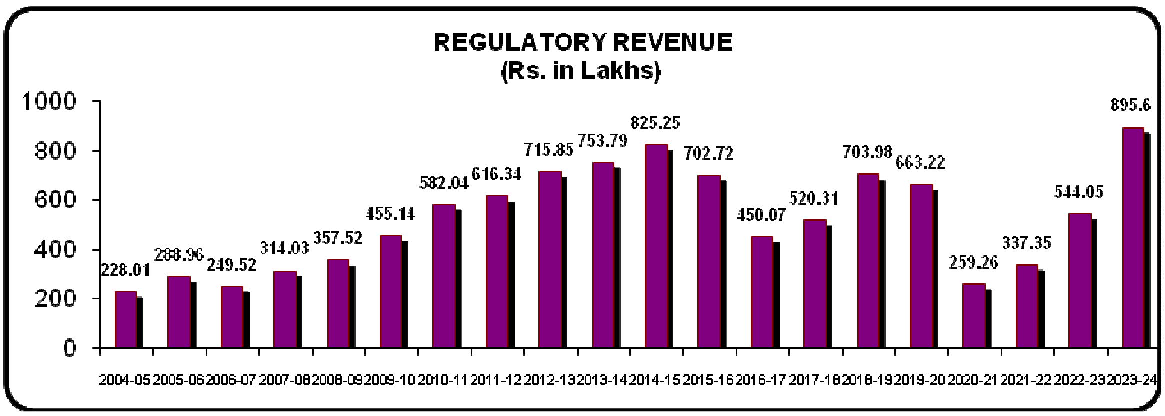

- Revenue generated through **Regulatory and Non-regulatory** testing:

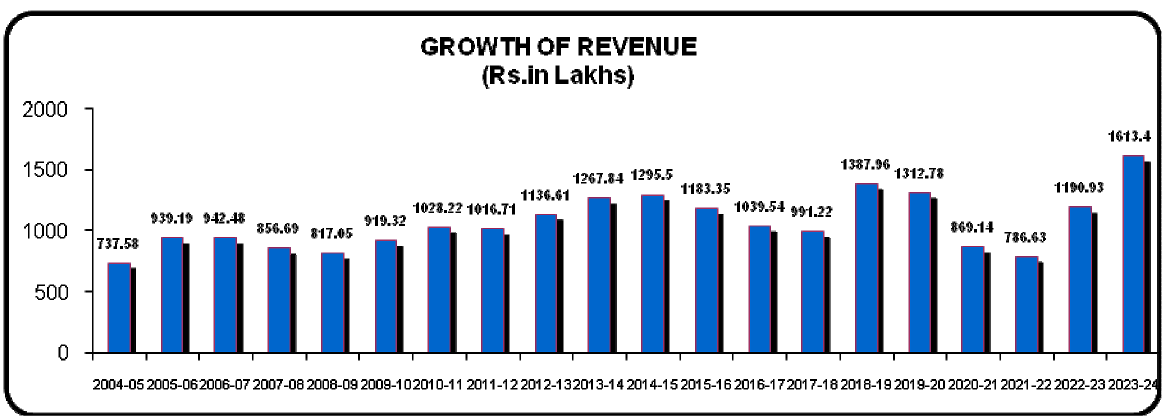

9.2.8 Performance of laboratories in terms of volume of samples and parameters tested: The performance of Laboratories during the year 2023-24 in terms of samples and No. of test parameters including both Regulatory and Non-regulatory as against the performance for the previous year 2022-23 are as under:

Sl. No.	Laboratories	No. of samples tested			No. of parameters tested		
		2023-24	2022-23	% (+/-)	2023-24	2022-23	% (+/-)
1	Ahmedabad	387	305	26.89	789	336	134.82
2	Bengaluru	3811	2958	28.84	18897	18764	0.71
3	Kannur	1122	1443	**-22.25**	3145	5208	-39.61
4	Chennai	3214	2987	7.60	11532	10986	4.96
5	Coimbatore	8027	7455	7.67	35442	35013	1.22
6	Guntur	3353	892	275.90	6339	2532	150.35
7	Hyderabad	3783	3690	2.52	8045	16872	-52.32
8	Jaipur	1782	1523	17.01	10994	5829	88.61
9	Kanpur	2655	2048	29.64	17594	14646	20.13
10	Karur	1352	1428	**-5.32**	3240	3581	-9.52
11	Kolkata	3135	1983	58.09	13347	11623	14.83
12	Ludhiana	2382	1728	37.85	9483	7984	18.78
13	Mumbai	9831	6401	53.59	33754	24676	36.78
14	JNPT	7779	7520	3.44	90663	67869	33.58
15	Delhi (NCR)	5392	4220	27.77	8319	9168	-9.26
16	Tirupur	4008	4458	-10.09	14319	12356	15.89
	Total	**62013**	**51039**	**21.50**	**285902**	**247443**	**15.54**

There is an overall 21.5% increase in number of samples tested for the year 2023-24 over the year 2022-23.

9.3 Other Activities:

9.3.1 Training on Textile Testing: Laboratories of the Textiles Committee are conducting various training programmes for the benefit of textile trade & industry and academic institutions. During the year 2023-24, four training programs on textile testing was conducted, wherein a total143participants were trained and realised an amount of Rs.0.98 lakh.

9.3.2 Accreditation: The Laboratories of the Textiles Committee at Bengaluru, Chennai, Coimbatore, Delhi (NCR), Kanpur, Karur, Kolkata, Ludhiana, Mumbai and Tirupur are accredited by NABL. During 2023-24, the re-assessment audit of 4 Laboratories at Chennai, Ludhiana, Karur, Kolkata and Tirupur was carried out by Quality Council of India (Board: NABL) and recommended for continuation of accreditation as per ISO/IEC 17025-2017. Subsequently, Mumbai Laboratory submitted Desktop Surveillance audit report and same was recommended by NABL for continuation of accreditation status.

9.3.3 Consultancy on Laboratory Management System: The Laboratory is offering consultancy for Laboratory accreditation as per ISO/IEC-17025:2017 to M/s. White Gold Cotton Testing Laboratory, Ahmedabad for implementing Laboratory Management System.

9.3.4 Participation in BIS meetings: During the year 2023-24, the Laboratory officials attended various meetings organised by BIS for formulation of new product/methods standards related to Textiles & Textile Articles and review of existing standards viz. Technical Textile for Meditech Applications, Chemical Methods of Tests, Wool, Wool Products and Textile Floor Coverings, Industrial Fabrics, Digital Grading Instrument for Jute, Physical Methods of Test, Textiles Specialty Chemicals & Dyestuffs etc.During the year 2023-24, Laboratories at Bengaluru, Kannur, Chennai, Coimbatore, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Karur, Kolkata, Ludhiana, Delhi (NCR), Mumbai and Tirupur were empaneled with BIS-Laboratory Information Management System (LIMS).

9.3.5 Participation in Proficiency Testing: Proficiency Testing is the evaluation of participant performance against pre-established criteria by means of inter-laboratory comparisons. It is a way to assess the technical competence of a laboratory to carry out specific tests. As per the requirement of ISO/IEC 17025-2017 and NABL 163, it is mandatory for all the accrediated Laboratories to participate in Inter-laboratory Proficiency Testing (ILPT) program through NABL accredited PT (as per ISO/IEC 17043) for all the parameters covered in scope of Mechanical & Chemical parameter atleast once as per 2 year PT plan.

Accordingly, for ensuring the validity of results 8 Textiles Committee, Laboratories has participated in Mechanical Scheme and 4 Textiles Committee, Laboratories in Chemical Scheme conducted by the SASMIRA and the performance of the all the Laboratories were found to be satisfactory.

9.3.6 Memorandum of Understanding (MoU) between Textiles Committee and M/s. Nissenken Quality Evaluation Centre, Japan: As per the approval of Union Cabinet chaired by Hon'ble Prime Minister in its meeting held on 2nd September, 2020, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Textiles Committee and M/s. Nissenken Quality Evaluation Centre, Japan on 27th January, 2021 with main objective to provide a framework for partnership arrangement between the Textiles Committee, India and M/s. Nissenken Quality Evaluation Centre, Japan for ensuring coordinated efforts to strengthen the network of services related to quality and compliance for growth of bilateral trade in Textile and Article sector including technical textiles between both the countries. This MoU will provide valuable services to the textile trade and industry of both the countries through collaborative efforts in the areas of Quality Assurance through Testing, Inspection & Conformity Assessment, Training & Capacity Building, Research & Development (R&D) and Consultancy. As per Article 6 (Time period, Termination and Amendment) of MoU, the period is extended automatically for another 3 years on very same terms and conditions to serve the textile trade and industry of both the countries.

TEXTILES COMMITTEE

9.3.7 Memorandum of Agreement (MoA) signed between the TC and NBRI, Lucknow during Bharat Tex. 2024 : A Tripartite Memorandum of Agreement (MoA) was signed between Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) - National Botanical Research Institute (NBRI), Ministry of Textiles, and Textiles Committee for "Development of Genetic Markers for Cotton Testing" on 28th February, 2024 with the main objective of standardization of genomic DNA extraction protocol from mature cotton fiber and cotton textile samples at different stages of cotton textile i.e. short and long staple fiber, yarn, gray fabric, unbleached fabric, bleached fabric, printed fabric, finished dyed fabric for differentiating the banned varieties of cotton fibers like PIMA,GIZA etc., and sequence software for analysis of purity and adulteration in textile samples.

9.3.8 Ease of Doing Business: The laboratories take all measures to report the samples received from Customs well within the stipulated timelines for speedy clearance of goods. The Laboratory at JNPT was opened under Ease of Doing Business initiatives to reduce the turnaround times for clearing the import consignments. The Laboratories at Mumbai and JNPT participated in the National Time Release Study of Customs 2024 a performance measurement tool of release of goods recommended by the Word Trade Organisation under the Trade Facilitation Agreement.

a) Risk Management System (RMS) software ICS is developed in line with FSSAI by M/s. Logisoft International Pvt Ltd in consultation with Asian Development Bank (ADB) and logistics division of Department of Commerce for the speedy clearance of import consignments after assessing the risk factor of the imported goods. The ICS software is yet to be launched by DoC.

10.0 PERFORMANCE OF MARKET RESEARCH DIVISION:

10.1 The Market Research Wing has been on the forefront of undertaking Textile Economic Research (TER) for preparing database and undertaking sectoral and competitive analysis of international trade in Textiles & Clothing (T&C) Sector. The Wing undertakes extensive research on issues relating to globalisation, international trade, Technical Regulations and Quality Control Orders (QCO), WTO negotiations, Intellectual Property Rights (IPR) Protection of the unique products, sector, database creation of MSME's besides publishing domestic demand estimate study i.e. "Market for Textiles and Clothing" on a regular basis. Keeping the changes in global trade scenario in mind, the division has also been taken up new initiatives in the arena of Market Intelligence in Textiles (MIT), Technical Regulations (TR), Competitiveness analysis, Research on implication of Non-Tariff Barriers (NTBs) and Technical Barriers to Trade (TBT) on India's exports, Trade Facilitation, Research on Free Trade Agreements (FTAs)/Regional Trade Agreements (RTAs)/ Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA), etc pertaining to Textiles Value Chain (TVC).

10.2 Progress of Activities:

10.2.1 Market for Textiles and Clothing Survey (MTC): This is the major research project carried out by the division on a continual basis since 1969. The national level sample survey generates data on the domestic demand and monitors the trend in preference pattern of consumers. The report "National Household Survey Market for Textiles and Clothing (MTC) 2024" is prepared.

10.2.2 IPR protection through Geographical Indication (GI) Act: Textiles Committee is in the forefront of facilitating IPR protection of unique textiles and handcrafted products in the country through registration under the Geographical Indication of Goods (Registration & Protection) Act, 1999. During 2023-24, the activities for facilitating the registration are as follows:

a) As part of facilitating the registration of textile and handicraft products under Part-A of the GI Act, 1999, Textiles Committee has organised the Study and Documentation of products in 7 states Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, West Bengal, Odisha, and Kerala.

b) In addition the documentation studies were conducted for eleven products namely Metal Crafts of Mannar from Kerala, Amritsar Shawl of Punjab, Suvin Cotton of TN, Rabari Embroidery of Gujarat, Banjara Embroidery of Maharashtra, Gond print of Maharashtra, Tribal Jewellery of Karmula from Jharkhand, Mayurbanj Saree of Odisha, Karni Shawl of Jharkhand, Tribal Jewellery and cane & Bamboo craft of Jharkhand, Copper Bell of Bhuj from Gujarat.

c) Capacity Building & Awareness creation programmes were also organised in the states of Odisha, Kerala, M.P, Rajasthan & Maharashtra. . The product clusters covered are Kantilo, Mannar, Jhabua, Alirajpur, Jodhpur, Maniabandha, Dhenkenal, & Palghar.

d) GI Applications of 12 products have been filed.

Sr. No.	Products	State
i)	Metal Crafts of Mannar	Kerala
ii)	Killimangalam Kora Grass Mats	Kerala
iii)	Rabari Embroidery	Gujarat
iv)	Budhni Lacquer Ware Toys	Madhya Pradesh
v)	Kuppadam Dhoti	Andhra Pradesh
vi)	Ashavali Saree	Gujarat
vii)	Jamdani Saree	West Bengal
viii)	Kantilo Brass & Bell Metal Craft	Odisha
ix)	Tholpavakoothu of Palakkad	Kerala
x)	Tribal Phuta Saree	Odisha
xi)	Jagatsinghpur Cotton Saree	Odisha
xii)	Banjara Embroidery and Mirror Work	Maharashtra

e) Post GI initiatives taken up for one product, i.e. Maheswari Saree products through Part - B registrations for 45 authorised users.

f) During the period two proposals submitted to NABARD Haryana & Export Promotion Bureau, Uttar Pradesh for the protection of IPR of traditional handicraft and handlooms of Haryana & Uttar Pradesh. Two proposals were submitted to SIDBI & NABARD Odisha for Post GI initiatives under the Part -B of GI act for three handloom products of Odisha.

g) A Coffee Table Book "Virasat se Vikasit Bharat" a repository of GI tagged textiles and textile crafts was prepared and released on 28th February, 2024 during Bharat Tex 2024 event held at New Delhi by Smt. Darshana, V Jardosh, Hon'ble Minister of State for Textiles, Govt of India.

h) During the period, seven products namely Kutch Rogan craft, Kutch Bandhani & Garchola craft of Gujarat, Narasapur Crochet Lace of Andhra Pradesh, Patch work of Rampur from Uttar Pradesh & Dungaria Kondh Shawl, Painting of Lanjai Saura from Odisha have been granted GI Registration.

10.2.3 India Handloom Brand: Drawing inspiration from the Hon'ble Prime Minister's clarion call to the nation for "Make in India" brand development based on "Zero Defect Products and Zero Effect on environment", the Ministry of Textiles has put forward a programme to differentiate and brand the high value added, unique handloom products to caters to the niche market through India Handloom Brand (IHB) Scheme. This ensures the quality in terms of yarn, weaving design and other brand parameters to the best satisfaction of the customers. Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modiji has launched India Handloom Brand Scheme on the occasion of the first Handloom Day on 7th August 2015**. During 2023-24, 255 applications were received for registration of 295 samples under the scheme, out of which 136 products belonging to 133 applicants were registered under the scheme.** A dedicated website has also been developed and hosted along with payment-gate-way under the scheme for on-line registration and to provide the status of the application etc.

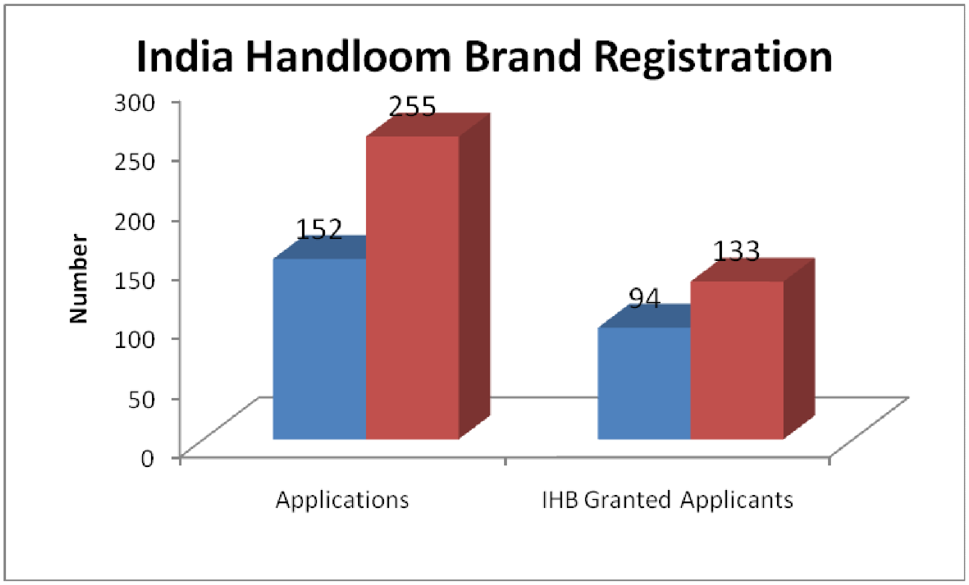

10.2.4 Market Intelligence in Textiles (MIT):

(A) The MIT acts as a reference point on various issues pertaining to the T&C Sector and undertakes macro & micro research & dissemination level information on Production, Domestic Demand, Export & Import, Price & its Mechanism, Competitiveness & Competitors, Cost Benchmarking, Government Policy Mechanism, Tax Structure, NTB's, TBT's, QCOs, RTAs/PTAs, Infrastructure and other related issues to the industry stakeholders and policy makers. As a part of the Market Intelligence in Textiles (MIT), the division has successfully undertaken the following actions.

(B) Study To Promote Growth of Man-Made Fibre Textile Industry in India: Roadmap to Identify Gaps Suggest Measures: Background note on MMF Sector for submission to the Standing Committee on Labour has been prepared and submitted to Ministry

(C) Assessment of the Impact of the Textile Sector Initiatives on Generation of Employment & Income: The final report is prepared and submitted to the Ministry.

(D) Trade & Competitive Reports Prepared :

a. The country report for USA for 2022 has been prepared
b. Country Report on EU market for T&A sector prepared
c. Successfully completed the study on MMF textile value chain (TVC) by analysing the different facets of the value chain including production, trade, competitiveness, fiber scenario at aggregate & product level, regarding constraints experienced by the sector in terms of Tariff, Non Tariff Barriers (NTB's) etc. The study also mapped the domestic value chain and examined its linkage to the global value chain with emphasis on export destinations in addition to estimating the market potential of the products originating from India both at Macro end product level (8

digit Hs level). The study also estimated the global market scenario by 2030 and India's position in the MMF TVC to provide a futuristic overview for the trade & industry and policy matters

10.2.5 Development & Implementation of Quality Control Order (QCO) Technical Regulations / QCOs.

The Quality Control Order (QCO) are regulatory measures to establish quality standards for products and product categories. These orders are designed to ensure that products meet certain prescribed quality, safety, and performance requirements before they can be manufactured, imported, stored, or sold in the country. The main objective of QCOs is to promote quality culture in the domestic production and import of quality product into the domestic market so as to ensure that domestic customers have access to quality products that meet the necessary standards.

a) Recommendations on 2 standards on carpets, 3 cotton apparel Standards, Viscose Spun Yarn sent to Ministry.
b) Quality Control Order as well as TBT notification for WTO with respect to (i) Knitted & crocheted fabrics of synthetic fibres and (ii) Viscose Rayon Cut Staple (Spun) Yarn submitted to MoT.
c) Organized 1st Meeting of the combined Working Group of Technical Regulations on Cotton & MMF Textiles on 26th July, 2023 for review of 3 BIS standards on Saree, Shirting & Suiting.
d) Letter sent to BIS to develop standards and provide comments on development of Technical Regulations on 7 products.
e) Reply on Indonesia's comment on India's response's regarding Viscose Staple Fibres QCO, 2022 sent to MoT.
f) Activities for organizing Working Group meeting on (i) IS 15852:2009 (Amended In 2012 & 2014) "Textiles-Polyester Blended Woven Shirting for Uniforms" and (ii) IS 15853:2009 (Amended In 2012 & 2014) "Textiles-Polyester Blended Woven Suiting for Uniforms" initiated.
g) Letter furnishing of comments sent to MoT on TBT Notification on (i) Lifejackets and Personal floating devices, (ii) *disposable protective clothing for medical use* and (iii) *mask for medical use*
h) Letter forwarding comments on BIS certification on HSN code 540233 viz Polyester Oriented Yarn (POY) sent to Ministry of Textiles.

10.2.6 Participation & submission of comments to core-committee on TBT constituted by the Ministry of Commerce & Industry on regular basis.

10.2.7 Preparation of Project Proposals:

a. Concept note containing scope and objectives, Terms of Reference, approach and methodology for conducting baseline study on powerloom sector prepared and sent to the Ministry of Textiles along with draft questionnaire. On suggestion of the

DDG, the OM on constitution of Technical Committee (Working Group) for organizing baseline study of powerloom industries prepared.

b. Presentations on the proposals sent to CWDB viz, (i) Comprehensive Study on Indian Wool Sector & its Competitive position in Global Market vis-à-vis other Competing Countries and (ii) Development of Kaleen Mark had been prepared for evaluation before Technical Committee.
c. Amended proposal on Kaleen mark Submitted to CWDB.
d. Concept note containing scope and objectives, Terms of Reference, approach and methodology for conducting Baseline & Gap Analyses study of the Textile Machinery industry of India prepared and sent to Ministry. Presentation on the proposal for conducting Baseline & Gap Analysis study of the textile machinery industry of India made to Ministry of Textiles.
e. Concept note containing scope and objectives, Terms of Reference, approach and methodology for conducting Baseline study of Sustainable and Circular TVC submitted to Ministry of Textiles.

10.2.8 Sustainability and Circularity in Textiles.

a) Database on EU's Regulations on Sustainability & Circularity prepared.
b) During Bharat Tex 2024, Textiles Committee, Navi Mumbai Municipal Corporation, SBI Foundation Limited, IDH India Hub Private Limited & Tisser Artisan Trust Signed a Memorandum of Understanding (MoU) on 28th February, 2024 to undertake pilot project "Sustainability and Circularity in Textiles Value Chain (TVC) through management of post-consumer Textiles" to reduce the social and environmental impact of TVC and strengthen the Textile and Apparel (T&A) sectors contribution to achieve the Sustainable Development Goal (SDG). The letters of intent were signed with Grasim Limited and Reliance Limited to channelize & convert the textile waste to wealth through Recycling & Up cycling.
c) Identified technology for segregation of clothes on the basis of fibre.
d) Organised three meetings with the stakeholders for development of the Standard Operating Procedures (SOP).

10.2.9 Resource Support Agency (RSA).

a) Commissioned the study on “Concurrent Evaluation of Samarth Scheme” through third party agency.
b) Three PM&EC meetings were organized on 19th December 2023, 28th December, 2024 and 27th March 2024 for evaluation of the draft report submitted by the Consultancy agency.

10.2.10 Correspondence with Ministry: Preparation of replies to MoT on the issues of

10.2.10.1 Domestic Textile Industry

i. Brief Information on various schemes of Ministry of Textiles for flyers/pamphlets prepared.

ii. Reply on Final action taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development sent to MoT.

iii. Information on Made in India branding prepared.

iv. Letter furnishing our comments on Re-assignment of duties of Textile Commissioner sent to MoT.

10.2.10.2 Parliament Questions

The division has also been preparing the reply to parliamentary questions for the Organisation.

- Inputs on framing replies to 31 Parliament questions sent to MoT.

10.2.10.3 Bilateral/Multilateral Issues

i. Reply on 2nd India-Belarus Joint Working Group (JWG) and tentative agenda points prepared and sent to Ministry of Textiles

ii. Letter on Discussion points and issues for visit of a delegation led by Commerce Secretary to Brazil, Peru and Chile sent to Ministry of Textiles.

iii. Letter furnishing inputs on India Sri Lanka FTA pertaining to Apparel quota under TRQC and a note sent to Ministry of Textiles.

iv. Reply on IGSC 2024 between India and Nepal submitted to Ministry of Textiles.

10.2.11: Other Activities

As a part of World Café session, under the aegis of 81st ICAC plenary at BKC, Mumbai, a round table interactive session on “Cotton and Sustainability Driven by Fashion design and Communication” was organized on 4th December 2023 and summary of the discussions prepared and submitted.

11.0 PERFORMANCE OF TQM DIVISION:

11.1 Consultancy services:

The Textiles Committee is rendering consultancy in ISO-9000 quality management systems, ISO-14000 Environmental Management systems, SA-8000 (Social Accountability Management Systems) and OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) to the textile units on meagrely chargeable basis. The Committee also render consultancy to Industry to comply with the requirements of the system such as WRAP, BSCI, C-TPAT & SEDEX. During the period under review Textiles Committee has given consultancy to 1 unit for ISO 9000, 2 unit for Project & 3 units under Post Certification services. The revenue generated from consultancy services is Rs. 2,92,500/-.

11.2 HANDLOOM MARK SCHEME:

The Textiles Committee has been appointed as Implementing Agency (IA) by the Office of the Development Commissioner (Handlooms) for implementation of Handloom Mark (HLM) Scheme. The HLM scheme was launched on 28.06.2006. As per the Scheme Textiles Committee register the Handloom weavers, master weavers and societies under the scheme and issues labels to registered users as per their entitlement. Textiles committee has developed online portal for activities of HLM like registration, verification, issuance of labels. New QR coded HLM are being issued to registered users.

The various activities related to the Handloom Mark Scheme are as follows:

11.2.1 Registration and label sales:

Sr. No.	Handloom Mark		April 2023 to March 2024
1.	No. of Registrations allotted		744
2.	No. of Labels sold		3,15,52,782
3.	Promotional Activities	Cluster Level Seminar	0
		Handloom Covered	7423
		Expo	6
		Training conducted	0

11.3 JUTE MARK INDIA SCHEME:

The National Jute Board (NJB) under the Min. of Textiles, Govt. of India has launched “Jute Mark India” (JMI) Scheme on 9th July 2022. Textiles Committee, Min. of Textiles, Govt. of India implements the JMI scheme across India. JMI Scheme enables the registered users to avail JMI Labels on jute products containing minimum 50% jute fibre. The Unique QR coded JMI labels provides a collective identity to the Jute and Jute Diversified Products. These labels can be used not only for popularizing the jute products but also serve as an assurance for the buyers. All involved in manufacture, crafts (artisans), entities like Artisans, Apex Co-op Societies & Development Corporations, Traders, Retailer, Manufacturer Exporter, Merchant Exporter, Central Govt. and State Govt. sponsored body, Self Help Groups (SHGs), Individual entrepreneurs, etc can register under JMI scheme. During the period under review Textiles committee has registered 81 entities under JMI Scheme.

As part of digitalization program the online portal for JMI Scheme developed by the Textiles Committee was launched on February 28, 2024, during Bharat Tex 2024 by the Hon'ble Minister of State for Textiles and is now operational. Under this scheme, QR-coded labels are issued to address the need for traceability.

12.0 RESOURCE SUPPORT AGENCY:

12.1. COURSE CONTENT DEVELOPMENT & TRAINING:

(i) The RSA received a letter (DO letter to Smt. Rachana Shah, Secretary (Textiles)) No. D.O.No. H-2011/2/2014-SDE(Vol-IV)/E&P dated 24th March, 2023 from MoT regarding under consideration to build evidence on cost norms for government funded short duration skill programs under the aegis of the common norms committee. In this regard, the RSA asked to major IPs about their views and after receiving it, the RSA has submitted inputs to MoT vide email dated 6th April, 2023.

(ii) As per MoT direction and MO No. 11/4/2023, the RSA has developed and sent a new common course of 'Steps Towards Sustainability In Textiles Value Chain' along with modified version of exiting Soft Skill Course vide letter No. 600/CAT/17/171/MoT /2018-Vol II(1) dated 11th April, 2023.

(iii) MoT directed RSA to analyse course-wise analysis on need of the high / long duration courses / need of hybrid mode / less demand or no demand / any modification. Accordingly, RSA conducted the online meetings with all the Stakeholders/IPs and provide the inputs to MoT by referring followings letters:

Sr. No.	Letter No	RSA reply letter number	Related to matter
i.	No.11/06/2018-ISDS dated 11.04.2023	No.600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II dated 20.04.2023	Course-wise analysis - any changes / merger in courses, req. of Hybrid / blended learning, Midterm evolution
ii.	No.11/06/2018-ISDS dated 26.06.2023	No.600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II dated 08.07.2023	Course-wise analysis – less demand or no demand (RSA suggested to may drop the 63 courses)
iii.	No.11/06/2018-ISDS dated 04.08.2023, F.No.21/01/2021-SAMARTH dated 25.08.2023 and No. 11/06/2018-ISDS dated 02.02.2024,	No.600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II(1) dated 12.02.2024	Action taken report on EC decisions held on 11.07.2023 (Skill gap study, course-wise analysis, need of High-end / long duration courses, merging etc.)

(iv) The RSA has received an email dated 27th April, 2023 from NCVET regarding alignment of 5 new courses (F.Y. 2022-23) wherein NCVET suggested that the RSA may send a Letter of Intent to NCVET initially, seeking AB recognition followed by application as per the AB guidelines of NCVET OR the RSA may bring their qualifications through any of the recognized ABs for NSQF alignment and approval.

(v) RSA incorporated the necessary changes in newly developed module on Sustainability (Soft skill – Part-I & Part-II) as per MoT direction. The same is shared with MoT vide letter No. 600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II(1) dated 04th May, 2023.

(vi) The RSA has developed a new course module on sustainability "Crafting of Sustainable Products from Textiles Scraps" and same is shared with the MoT via letter No. 600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II(1) dated 16th June, 2023 for further necessary direction.

(vii) The RSA has received the letter No. CWDB/HRD-Gen.matters/2023-24/787 dated 11th July, 2023 from Central Wool Development Board (CWDB) regarding development of training courses for skill upgradation in wool sector under SAMARTH. In this reply the RSA has sent a letter No. SAMARTH/RSA-CAT/18/2018(3) Dated 20th July, 2023 to CWDB wherein the RSA has shared the list of already developed courses in Wool Sector under SAMARTH.

(viii) The RSA conducted a meeting on dated 03rd August, 2023 regarding finalisation of cost category for 03 RSA courses. After approval, RSA shared the cost category with MoT via email dated 03rd August, 2023.

(ix) The PMU scheduled a online meeting with RSA regarding availability of RSA offered courses under SAMARTH on dated 22nd August, 2023. As per discussion the RSA had shared the updated Vs old courses list and their availability status on NQR (National Qualification Register) website with MoT/PMU.

(x) RSA released the ToT training payment of Rs. 80,36,980/- to ToT agencies (Rs. 36,50,920/- released to ATDC & Rs.43,86,060/- released to Gunina Solution) against invoice raised for ToT training undertaken during F.Y. 2022-23.

(xi) RSA provided the validation cum comments on the Textiles Sector Skill Councils' (TSC) newly development 2 NOSs viz 'Woven Fabric Testing – Physical' and 'Weaving Process Evaluation' on 18.10.2023.

(xii) RSA shared the revised list of 114 RSA courses (entry level) after including 3 HCSSC courses as requested by EPCH (which was removed earlier) to MoT & PMU.

(xiii) The RSA has received total 1017 nominations of candidates for ToT (CET, CNT, Re-ToT & CT). The same were scrutinised and eligible candidates were nominated for ToT.

(xiv) The RSA has conducted total 107 batches (94 CNT, 07 CET & 6 CT Batches) for ToT in this F. Y. 2023-24. Total 925 Trainers have been accredited and distributed ToT certificated for the same.

(xv) The RSA has distributed total 1128 ToT Certificates to concerned IPs in this year.

(xvi) The RSA received Sub-Agency (SA) account details for 39 Skill projects from different IP'S.

(xvii) RSA sent the details of 43 IPs to SBI bank for bank linking with PFMS.

(xviii) RSA received the Rs. 98,17,62,335.00 fresh grant in Aid for IP from MoT in CNA account.

(xix) RSA accorded the withdrawal permission for □. 136,80,03,269.00 from CNA account against 299 withdrawal letters received from MoT as per revised process flow of funds. Accordingly, necessary steps were taken.

(xx) RSA coordinated with Implementing Partners (IP) and SBI for resolving the issues of CNA for linking and Mapping of SA Account with PFMS.

12.2 ASSESSMENT & CERTIFICATION

(i) Under Samarth scheme during the Year 2023-24 the empanelled assessment agencies of RSA conducted the assessment of 1,28,514 trainees of Entry Level and 5475 trainees of post training assessment of Up-skilling/ Re-skilling.

(ii) RSA conducted Four (4) online and Thirty Two (32) offline ToA and CEPs and 445 assessors were accredited through these CEPs.

(iii) RSA conducted 101 surprise checks at assessment location through various ROTC. RSA conducted 955 physical verifications training centre infrastructure through various ROTCs across India.

(iv) Total 806 Training Centres were allotted for the verification.

(v) RSA released the payments of Rs. 7,54,70,805.49/- to Assessment Agencies in Year 2023-2024 against the invoices submitted for the assessment of candidates under the Samarth scheme.

(vi) RSA verified 1022 no of batches on sample basis for adherence of assessment process to approved protocol.

(vii) RSA processed 5105 invoices assessment fee comprising 97,238 trainees which include 23958 trainees belong to SC, 9501 no of trainees belong to ST and 63779 no of trainees of general category.

(viii) RSA through its verification process imposed penalty on 16 no of AA for not following the scheme guidelines.

(ix) The RSA vide letter Ref. Samarth/RSA-AAC/06/2018(5) dated 11th April, 2023 submitted the Action Plan for the FY 2023-24 to the MoT.

TEXTILES COMMITTEE

(x) The MoT vide Ref.No.01/29/2013-TP(Pt) dated 16th August, 2023 directed RSA that the unspent balance of funds released prior to the implementation of CNA system is to be deposited in CNA account of the scheme. Accordingly the RSA has transferred an amount of Rs. 1,09,48,096/- (unspent balance of RSA action plan 2021-22) and Rs. 11,78,560.57/- (unspent balance from the Assessment fee release) to CNA account and the same is communicated to MoT vide email dated 22.08.2023.

(xi) The MoT vide its' letter No. F.No. 01/29/2013-टी.पी. dated 31st August, 2023 has conveyed for sanction of an amount of Rs. 1,09,48,096/- as part of overall approved funds of Rs. 2,95,67,731/- through re-assigning of Rs. 1,09,48,096/- being unspent amount of RSA Action plan FY 2021-22 for the FY 2022-23. Accordingly, RSA, transferred the fund of Rs. 1,09,48,096/- from CNA account (A/c No.: 41225382614, A/c Name: TEXTILES COMMITTEE SAMARTH CNA) to Textiles Committee main account (A/c No.: 10865756128) against RSA Action Plan 2022-23.

(xii) The MoT vide its' letter No. F.No. 01/29/2013-TP(V)(26) dated 04th October, 2023 has conveyed for sanction of an amount of Rs. 1,86,19,635/- as part of overall approved funds of Rs. 2,95,67,731/-Accordingly, RSA, transferred the fund of Rs. 1,86,19,635/- from CNA account (A/c No.: 41225382614, A/c Name: TEXTILES COMMITTEE SAMARTH CNA) to Textiles Committee main account (A/c No.: 10865756128) against RSA Action Plan 2022-23.

(xiii) The RSA vide letter Samarth/RSA-AAC/24/2018 dated 08th December, 2023 submitted Utilization Certificate against MoT sanctions towards activities of RSA under Samarth for the F.Y 2022-23

(xiv) The MoT vide email dated 13.10.2023 conveyed the sanction of Rs. 7,36,85,439/- against sanction no. 01/29/2013-TP(IIIA)(20) dated 29.09.2023 for the release of assessment fee to the Assessment Agencies. Further the MoT vide email dated 18.10.2023 conveyed the reassignment of unspent balance funds of Rs. 11,78,561/- to RSA vide letter Ref.01/29/2013- TP dated 18th October 2023. With this the total amount available for release with RSA for disbursement of assessment fee is Rs. 7,48,64,000/-

(xv) The RSA has submitted the Utilization Certificate vide letter Ref. No. SAMARTH/RSA-AAC/29/2022(1) dated 14.03.2024 against the MoT sanction order vide Ref. No.01/29/2013-TP (IIIC) (20) dated 29.09.2023 and No.01/29/2013-TP dated 18.10.2023 released the by the MoT for the disbursement of Assessment fees to Assessment Agencies.

(xvi) The MoT vide its letter 25/04/2022-Samarth dated 19th January, 2024 assigned the task of conducting the Skill Gap Study in Textile Sector is assigned to RSA, Textiles Committee.

(xvii) Empowered Committee Meetings were conducted during the Year 2023-24. The details of the same is as under:

Sr. No.	EC Decisions pertaining to RSA	Action taken by RSA
i	Empowered Committee Meeting dated 27.04.2023 Action Point: EC directed Textiles Committee to have a focused approach and review the courses in consultation with stakeholders working in different sectors separately. EC directed RSA to complete the Physical Verification of training centres of newly empanelled IPs within three weeks.	RSA has conducted online meeting on dated 05th July, 2023 regarding Analysis of courses offered under SAMARTH and collected the data as survey regarding no demand of courses. Accordingly, RSA has sent a letter No. 600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II(1) dated 08th July, 2023 to MoT wherein the RSA has informed about 63 adopted courses which have no demand may be dropped. The RSA completed the Physical Verification activity within stipulated time as per the EC directions.
ii	Empowered Committee Meeting dated 11.07.2023 Action Point: EC directed RSA to identify the need of the high end and longer duration of courses in consultation with the industry in alignment with the NCVET norms. Also possibility of the merging/revision courses as per the industry needs, designing the new courses in technical textiles and middle management level courses may be examined by the RSA.	RSA vide letter No. 600/CAT/17/171/MoT/2018-Vol-II(1) dated 12th February, 2024 informed MoT about (i) RSA has dropped out said 63 courses. which have no conducted online meeting. (ii) RSA conducted online on dated 05th July, 2023 regarding Analysis of courses offered under SAMARTH and collected the data as survey regarding no demand of courses.
iii	Empowered Committee Meeting dated 19.02.2024 EC inter-alia directed Textiles Committee to expedite the process of conducting the Skill Gap Study.	The same is under process.

TEXTILES COMMITTEE

13.0 OFFICIAL LANGUAGE ACTIVITIES:

13.1 Hindi meetings: During the year four Hindi quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee, Mumbai were held regularly and action was taken on the decisions recommended for implementation of Hindi.

13.2 Hindi Workshops: All India level Hindi workshop was organized on Translation Tool Kanthastha 2.0 on 15-12-2023. 50 officers/employees from the headquarters and regional offices were participated in the workshop.

13.3 Celebration of Hindi Fortnight: Hindi Fortnight was celebrated from 16 to 30 September, 2023. During this period various Hindi competitions like Hindi speech, Hindi typing, Hindi noting/drafting & translation, Hindi essay-writing were conducted and Winners of the competitions were given prizes.

13.4 Translations

(i) The book titled 'Sustainability and Circularity in Textile Value Chain' was translated in Hindi.

(ii) Annual Administrative Report 2022-23 covering more than 100 pages including accounts matter has been translated in Hindi.

(iii) Besides, translation of routine work, other material received from Sections and ROs' from time to time were translated.

13.5 Official Language Inspection by Ministry of Textiles

Ministry of Textiles conducted the Official Language Inspection of Headquarters, Mumbai on 14-06-2023 and action was taken on the issues pointed out during the inspection and follow-up action report was sent to the Ministry.

Order was issued for immediate action on the inspection report sent by the Ministry of Textiles to Regional Office, Ludhiana which Official Language Inspection was held on 06-04-2023.

13.6 Official Language Inspection by Parliamentary Official Language Committee

The third sub-committee of the Parliamentary Official Language Committee conducted the official language inspection of the Textiles Committee, Mumbai on 12-09-2023. During this, immediate action was taken on the "Points to be noted" document submitted by the said committee and its follow-up action report was sent to the Ministry of Textiles.

13.7 Participations in Conference/Seminar

(i) Participated in the meeting of Hindi Advisory Committee held on 03-10-2023.

(ii) Participated in the meeting of Town Official Language Implementation Committee held on 18-10-2023.

(iii) Participated in the special meeting organized by the Ministry of Textiles on 31-10-2023 regarding implementation of Official Language.

(iv) Participated in the Translation Tool Kanthastha, 2.0 training program organized in New Delhi on 29-11-2023.

13.8 Other activities:

(i) Various reports and information required by the MOT were prepared and forwarded in time to time.

(ii) Check points have been made for Hindi works.

(iii) Hindi software were installed on various PCs of the Textiles Committee.

(iv) Employees of the Hqrs, Mumbai as well as Regional Offices were guided from time to time in use of Hindi in their day to day official work.

14.0 LEGAL CELL:

14.1 The Legal Cell in the Textiles Committee defends the interest of the Textiles Committee and the Government of India in the various court cases filed against the Textiles Committee. As of now, there are 2 Mesne Profit Suits (Mumbai), 1 Tenancy & Ejection Suit for vacation of premises at Worli, Mumbai are filed against Textiles Committee. Apart from these, 1 Service Matter in Supreme Court, 7 Service Matters in CATs, 4 Service Matters, property related 2 Contempt petition and 1 Writ petition in Bombay High Court and 1 Service Matter in Labour Court are being contested by the Legal Cell of Textiles Committee. Apart from this there are matters relating to Cess Collections handled by Accounts Division, which are going on in various legal forums.

14.2 During the year 2023-2024, 1 service matter related writ petition in High Court have been adjudicated.

PART - III: SUMMARY OF PERFORMANCE AND SALIENT POINTS OF 2023-24

(Rs. In Lakhs)

I	**REVENUE COLLECTIONS**			
Sr. No.	**Sources/kind of revenue**		**April 2023 - March 2024**	**April 2022 - March 2023**
1	Cess (remitted to Ministry of Textiles)		**3.71**	**2.62**
Internal Receipts				
Sr.No.		**Head of the Accounts**	**2023-2024**	**2022-2023**
A.		**SERVICE CHARGES**		
1		**Certification & others**		
	a	Registration	46.27	48.45
	b	G.S.P. Service Charges	0.00	83.98
	c	Certificate of Origin(NP)/Verification	695.40	346.56
	d	Other Certification Charges Handloom	0.80	0.85
	e	Certification fees on Acrylic Yarn/Indo Nepal Treaty/Bangladesh/Srilanka	0.00	0.00
	f	Rating fees, Assessment fees, Registration charges, Surveillance fees, Renewal & Revisit fees of Ginning & Pressing Factories	11.70	15.75
	g	Ch. For Asst. & Certification of candidate under ISDS Component-II	0.00	0.00
	h	India Handloom Registration Fee	2.52	1.67
	i	Handicrafts Mark Scheme	0.00	0.00
	j	Production Capacity Assessment	5.10	3.70
		Sub Total:	**761.79**	**500.96**
2		**Quality Inspection**		
	a	Quality Appraisal	122.99	201.77
	b	Classification of Knitted Garment/RMG Authentication	0.00	3.71
		Sub Total:	**122.99**	**205.48**
3		**Laboratory Testing**		
	a	Sample Testing Charges	1604.57	1213.80
	b	Lab. Consultancy Fees	1.01	0.50
		Sub Total:	**1605.58**	**1214.30**
4		**TQM**		
	a	ISO 9000 Consultancy	2.43	4.12
	b	ISO 14000 Consultancy	0.00	0.00
	c	SA 8000 Consultancy	0.00	0.00
	d	OHSAS 18001	0.00	0.00
		Sub Total:	**2.43**	**4.12**

5		**Market Research Studies**	**153.14**	**35.42**
6		**Sale of Publications**		
	a	T.C. Publications	0.10	3.33
		Sub Total:	**0.10**	**3.33**
7		**Training**	**0.00**	**1.65**
		Sub Total:	**0.00**	**1.65**
8		**Sale of Forms**		
	a	G.S.P.	0.28	0.93
	b	Handloom	0.00	0.00
	c	Certification of Origin (NP)	0.00	0.00
	d	Others	0.00	0.00
		Sub Total:	**0.28**	**0.93**
		Total of A	**2646.30**	**1966.19**
B		**Interest on F.D.R.**	634.92	425.03
		Total of B	**634.92**	**425.03**
C		**Recoverable**		
	a	Recoverable Advance	0.64	1.68
	b	Refund of Loan/advance from Rent	0.00	0.00
		Total of C	**0.64**	**1.68**
D		**Misc. income**		
	a	Other Receipts	8.30	21.34
	b	Insurance Claim	0.00	0.00
	c	Income from own property	0.00	0.00
	d	Handloom Mark Scheme	144.11	152.56
	e	TTDC Madurai	11.54	6.00
	f	TRQC	9.71	13.86
		Total of D	**173.66**	**193.76**
E	a	ISDS	0.00	0.00
	b	RSA	325.63	240.72
	c	Hand-Made Carpet	0.00	0.00
	d	Income from Advertisement	1.50	0.25
	e	Jute Mark Scheme	111.22	0.16
		Total of E	**438.35**	**241.13**
		Grand total of A + B + C + D + E	**3893.88**	**2827.79**

II.	**CONSULTANCY SERVICES**				
Sr. No.	**Consultancy for implementation of**	**April 2023 to Mar 2024**		**April 2022 to Mar 2023**	
		New	**Certified**	**New**	**Certified**
1.	ISO 9000	1	0	2	0
2.	ISO 14000	0	0	0	0

3.	SA 8000	0	0	0	0
4.	OHSAS 18001	0	0	0	0
5.	Project	2	0	4	0
	Total	3	0	6	0

III	**HANDLOOM MARK**		
Sr. No.	**Particulars**	**April 2023 to March 2024**	**April 2022 to March 2023**
1.	No. of Registrations	744	928
2.	No. of Labels sold (PTL)	3,15,52,782	1,07,54,338
3.	Handloom Covered	7423	5489
4.	Cluster Level Awareness Programme	0	5
5.	Expo	6	8

IV	**JUTE MARK**			
Sr. No.	**Particulars**		**April 2023 to March 2024**	**April 2022 to March 2023**
1.	No. of Registrations allotted		81	11
2.	No. of Labels sold		0	0
3.	Promotional Activates	Awareness meet	0	1

V	**EXPORT PROMOTION AND QUALITY ASSURANCE DIVISION**		
	Total No. of Exporters registered under REX - 6250		
Sr. No.	**Particulars**	**April 2023 to March 2024**	**April 2022 to March 2023**
1.	Quality Inspection under ISO-17020 (No. of lots)	846	464
2.	No. of physical verification carried out under (FTA/PTA/CECA/CEPA)	1511	1276
3.	No. of GSP Certificates issued	11578	13764
4.	No. of Certificates of Origin (Non-Preferential) issued	7785	10598
5.	No. of FTA/PTA/CECA/CEPA Certificates issued	35665	25798
6.	No. of lots examined under limited inspection for loom origin for issue of Handloom certificates	67	56
7.	No. of handloom and other special certificates issued	141	136
8.	No. of samples classified for HS code, description, etc.	3946	3232
9.	No. of new exporters registered	698	831
10.	No. of registrations renewed	2414	2270
11.	Sale of Blank Certificate of Origin(Non-Preferential) Forms	2170	3128
12.	Sale of Coo (FTA/PTA/CECA/CEPA)	0	50
13.	Sale of Blank Certificates under Bilateral Agreement	198	241
14.	Endorsement on TRQC for monitoring import quota of RMG under ISFTA	455	775

15.	Endorsement on TRQC for monitoring import quota of Acrylic yarn under Indo-Nepal Trade treaty (in Metric Ton)	3491	4605
16.	No. of Units registered for rating of Ginning & Pressing Factories	14	28
17.	Formulation of Rating Scheme for Handmade Carpet Industry	One Project	One Project
18.	Formulation of Handicraft Mark Scheme.	One Project	One Project
19.	Khadi Mark Scheme – Verification of KIs	One Project	One Project
20.	Joint Inspection of Textile Units under various TUFS	189	308
21.	Total revenue generated for activities at S.N. 1 to 20 above. (Rs.in Crores)	**9.37**	**7.71**

VI	**MARKET RESEARCH STUDIES/SURVEYS/CENSUS**	
Sr. No.	**Surveys / Studies**	**Status**
1. **New Initiatives:**		
i.	**Market Intelligence in Textiles (MIT):** In order to bridge the data gap on Competitiveness at product levels for the textiles industry, the Committee has initiated Market Intelligence in Textiles (MIT).	A. The MIT acts as a reference point on various issues pertaining to the T & C Sector and provides macro level information on Production, Domestic Demand, Export & Import, Price & its Mechanism, Competitiveness & Competitors, Cost Benchmarking, Government Policy Mechanism, Tax Structure, RTAs/PTAs, Infrastructure and other related issues to the industry stakeholders and policy makers. (i) Enhancing Sustainability and Circularity in Textiles - UNEP project • Final substantial and financial report sent to UNEP and completed the project. (ii) Organising study "Assessment of the Impact of the Textile Sector Initiatives on Generation of Employment and Income" • A note on the growth rates as provided in the study vis-à-vis PLFS estimates prepared. B. Sustainability & Circularity in Textiles Value Chain through management of post consume textile. i. Database on EU's Regulations on Sustainability & Circularity prepared.

		ii. During Bharat Tex 2024, Textiles Committee, Navi Mumbai Municipal Corporation, SBI Foundation Limited, IDH India Hub Private Limited & Tisser Artisan Trust Signed a Memorandum of Understanding (MoU) on 28th February, 2024 to undertake pilot project "Sustainability and Circularity in Textiles Value Chain (TVC) through management of post-consumer Textiles" to reduce the social and environmental impact of TVC and strengthen the Textile and Apparel (T&A) sectors contribution to achieve the Sustainable Development Goal (SDG). The letters of intent were signed with Grasim Limited and Reliance Limited to channelize & convert the textile waste to wealth through Recycling & Up cycling. iii. Identified technology for segregation of clothes on the basis of fibre. iv. Process for development of the Standard Operating Procedures (SOP) initiated.
2.	**Preparation of Project Proposal:**	**Baseline Study on Powerloom sector** i. Concept note containing scope and objectives, Terms of Reference, approach and methodology for conducting baseline study on powerloom sector prepared and sent to the Ministry of Textiles. Draft questionnaire to be used under the study prepared ii. As per the suggestion of MoT, the draft OM on constitution of Technical Committee (Working Group) for organizing baseline study of powerloom industries prepared. **Development of Indian Wool & Pashmina Mark** iii. Presentations on the proposals sent to CWDB viz. (i) Comprehensive Study on Indian Wool Sector & its Competitive position in Global Market vis-à-vis other Competing Countries and (ii) Development of Kaleen Mark had

		been prepared for evaluation before Technical Committee. iv. Sanction order for implementation of two proposals viz (i) Development of Indian Wool Mark and (ii) Development of Pashmina Mark received from the Central Wool Development Board. Pre receipts and other related documents as required by the CWDB submitted to CWDB. v. Draft Standard Operating Procedures for implementation of the Indian Wool Mark prepared. **Baseline & Gap Analysis study of Textile Machinery Industry** vi. Concept note containing scope and objectives, Terms of Reference, approach and methodology for conducting Baseline & Gap Analyses study of the Textile Machinery industry of India prepared and sent to Ministry. vii. Draft presentation on the proposal for conducting Baseline & Gap Analysis study of the textile machinery industry of India prepared and trade data compiled **Baseline study of Sustainable and Circular TVC** viii. Concept note containing scope and objectives, Terms of Reference, approach and methodology for conducting Baseline study of Sustainable and Circular TVC prepared.
3.	**Development of Standards & Technical Regulations and Notification of QCO:**	i. Recommendations on 2 standards on carpets, 3 cotton apparel Standards, Viscose Spun Yarn sent to Ministry. ii. Quality Control Order as well as TBT notification for WTO with respect to (i) Knitted & crocheted fabrics of synthetic fibres and (ii) Viscose Rayon Cut Staple (Spun) Yarn submitted to MoT.

		iii. Organized 1st Meeting of the combined Working Group of Technical Regulations on Cotton & MMF Textiles on 26th July, 2023 for review of 3 BIS standards on Saree, Shirting & Suiting. iv. Letter sent to BIS to develop standards and provide comments on development of Technical Regulations on 7 products. v. Reply on Indonesia's comment on India's response's regarding Viscose Staple Fibres QCO, 2022 sent to MoT. vi. Activities for organizing Working Group meeting on (i) IS 15852:2009 (Amended In 2012 & 2014) "Textiles-Polyester Blended Woven Shirting for Uniforms" and (ii) IS 15853:2009 (Amended In 2012 & 2014) "Textiles-Polyester Blended Woven Suiting for Uniforms" initiated. vii. Letter furnishing of comments sent to MoT on TBT Notification on (i) Lifejackets and Personal floating devices, (ii) *disposable protective clothing for medical use* and (iii) *mask for medical use*. viii. Letter forwarding comments on BIS certification on HSN code 540233 viz Polyester Oriented Yarn (POY) sent to Ministry of Textiles
4.	**IPR protection through Geographical Indication (GI) Act**	i. MoA signed with SIDBI for taking up Part - B GI registrations as post GI initiatives for Handloom artisans of Bargarh. ii. MOU Signed between TC & Department of Cottage and Rural Industries, Govt. of M.P. and NABARD for initiating GI & Post GI activities. iii. A Coffee Table Book "Virasat se Vikasit Bharat" a repository of GI tagged textiles and textile crafts was prepared and released by released on 28th February, 2024 during Bharat Tex 2024 Event.

VII	RESOURCE SUPPORT AGENCY (SAMARTH)		
Sr No.	**Particulars**	**Cumulative (Apr, 23- Mar, 24)**	**Overall**
1	No. of Courses Developed	0	80
2	No. of Courses Adopted (Entry level)	0	34
3	No. of Courses Adopted (Up-Skilling/Re-Skilling)	0	6
4	No. of ToT batches Conducted	107	409
5	No. of ToT Trainers Accredited	925	3562
6	No. of ToA Conducted	37	248
7	No. of Assessor Accredited	364	4186
8	No. of Assessment done (Entry level)	128560	270104
9	No.of Post training Assessment Done (Up-Skilling/Re-Skilling)	5475	17077
10	No. of PV conducted	794	3664
11	No. of TC's alloted for PV	806	4537
12	Assesment Que. Sets for No. of Courses	6	128
13	Amout Received (CAT) Rs.	64,03,800	3,07,15,760
14	Amout Received (AAC) Rs.	21,75,340	2,18,23,080
15	No. of Empanelled ToT Agency	0	4
16	No. of Empanelled AAs	0	35
17	No. of Surprise Checks of Assessment	101	394
18	Assessment fee Released to AAs Rs.	7,54,70,805.49	15,41,56,643.5
19	Unspent Balance from IP's and RSA Escrow to CNA Rs.	4,73,79,822.77	55,82,50,738.06
20	Fresh grant in Aid for IP from MoT Rs.	98,17,62,335.00	1,19,52,99,956.00
21	Withdrawal limit Proposed Rs.	1,36,80,03,269.00	1,68,89,63,102.00

VIII	PAYMENT RECEIVED - RESOURCE SUPPORT AGENCY (SAMARTH)		
Sr No	**Service**	**Quantity**	**Total value @ Rs.**
ToT			
1	CNT Accreditation fee - fresh (5000+GST)	981	57,87,900
2	CNT Accreditation fee - fresh (5000 + Without GST)	04	20,000
3	CET Accreditation fee (2000+GST)	17	40,120
4	Re-Assessment fee- (2000+GST)	99	2,33,640
5	IP Transfer Accreditation fee (1000+GST)	73	86,140
6	CT Accreditation fee (upskilling)- fresh (12000+GST)	15	2,12,400
7	MT Renewal Accreditation Fee (1000+GST)	20	23,600
Assessment & Certification			
1	Assessor Accreditation(2000+GST)	634	14,96,240
2	Assessor Accreditation(2000+GST)	11	25,960

3	Addition of Sub sector(1000+GST)	40	47,200
4	Empanelment Renewal fees(15000+GST)	35	6,19,500
		Total	**85,92,700**

वस्त्र समिति

(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)

TEXTILES COMMITTEE

(GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF TEXTILES)

वार्षिक लेखा

ANNUAL ACCOUNTS
2023-2024

पी. बालू रोड, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025

P. Balu Road, Prabhadevi Chowk, Prabhadevi, Mumbai – 400 025

ई-मेल/e-mail: secy.tc@nic.in वेबसाईट/Website: www.textilescommittee.nic.in

INDEX

ANNUAL ACCOUNTS OF THE TEXTILES COMMITTEE FOR THE YEAR 2023-24

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF TEXTILES)
BALANCE SHEET
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	SCHEDULE	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CORPUS / CAPITAL FUND	1	90,42,98,523.73	1,09,36,51,026.00
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	18,67,74,678.64	14,05,29,723.00
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS & BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	1,66,92,411.00	1,84,34,782.00
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	46,13,36,639.27	15,07,31,849.00
CESS A/c Closing Balance		9,410.00	10,000.00
TOTAL		**1,56,91,11,662.64**	**1,40,33,57,380.00**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	9,15,80,983.00	9,67,11,864.00
FIXED ASSETS (PROJECTS)		1,66,92,411.00	1,84,34,782.00
INVESTMENTS - FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	9	77,42,575.00	73,77,992.00
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES, ETC.	11	1,45,30,95,693.64	1,28,08,32,742.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		-	-
(to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		**1,56,91,11,662.64**	**1,40,33,57,380.00**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF TEXTILES)
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	SCHEDULE	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
INCOME			
INCOME FROM SALES & SERVICES	12	32,35,95,387.72	23,64,63,970.00
GRANTS / SUBSIDIES	13	54,70,00,000.00	59,69,00,000.00
FEES / SUBSCRIPTIONS	14	2,42,500.00	5,76,900.00
INCOME FROM INVESTMENTS (From Earmarked/Endow Funds. Funds Transferred to Funds)	15	-	-
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION, ETC.	16	9,600.00	3,32,900.00
INTEREST EARNED	17	6,35,56,407.00	4,40,07,759.00
OTHER INCOME	18	19,83,772.42	27,12,215.00
INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK-IN-PROGRESS	19	-	-
DEFERRED CREDIT INCOME (PROJECTS)	8	31,32,053.00	33,98,741.00
TOTAL (A)		**93,95,19,720.14**	**88,43,92,485.00**
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	1,07,10,34,297.43	70,54,23,807.00
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES, ETC.	21	6,98,22,391.46	6,20,67,685.00
EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES, ETC.	22	-	-
INTEREST	23	-	-
DEPRECIATION (NET TOTAL AT THE YEAR END)	8	88,30,524.00	98,84,522.00
DEPRECIATION (NET TOTAL AT THE YEAR END) - (PROJECTS)		31,32,053.00	33,98,741.00
TOTAL (B)		**1,15,28,19,265.89**	**78,07,74,755.00**
BALANCE BEING EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME (A-B)		(21,32,99,545.75)	10,36,17,730.00
PRIOR PERIOD ITEMS		2,04,86,517.25	-
TRANSFER TO SPECIAL RESERVE		-	-
TRANSFER TO / FROM GENERAL RESERVE		-	-
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		(19,28,13,028.50)	10,36,17,730.00
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF TEXTILES)
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23	PAYMENTS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
I. OPENING BALANCE			**I. EXPENSES**		
a) Cash in Hand (Ro's)	46,600.00	-	a) Establishment Expenses	74,81,93,782.43	70,17,33,905.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	6,06,89,049.46	5,77,55,893.00
i) State Bank of India (Main A/c 10865756128)	6,95,89,274.00	5,00,20,074.00			
ii) State Bank of India (Cess A/c 10865756151)	10,000.00	10,000.00	**II. PAYMENTS MADE AGAINST FUNDS FOR VARIOUS PROJECTS**	-	-
iii) Balances with Regional Offices	42,16,440.43	-			
			III. INVESTMENTS AND DEPOSITS MADE		
II. GRANTS RECEIVED			a) Out of Earmarked / Endowment Funds	-	-
A) From Government of India			b) Out of Own Funds (Investment - Others)	74,15,00,000.00	42,05,00,000.00
i) Recurring Grant from GOI (Salary & General)	54,70,00,000.00	59,69,00,000.00	c) Other Deposits-Other /EMD	-	-
ii) Creation of Capital Assets - TIES	-	-	d) Other Deposits-Rent	1,39,568.00	1,90,472.00
iii) Creation of Capital Assets	-	-	e) Other Deposits-Electricity	28,000.00	2,74,244.00
III. INCOME ON INVESTMENTS FROM			**IV. EXPENDITURE ON FIXED ASSETS & CAPITAL WORK-IN-PROGRESS**		
a) Earmarked / Endow. Funds	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	37,16,577.00	31,49,945.00
b) Own Funds (Other Investment)	-	-	b) Expenditure on Capitall Work in progress	-	2,51,60,000.00
IV. INTEREST RECEIVED			**V. REFUND OF SURPLUS MONEY / LOANS**		
a) On Bank Deposit	6,81,72,842.00	4,25,02,884.00	a)To the Government of India	-	-
b) Loans & Advances	-	1,68,217.00	b) To the State Government	-	-
V. OTHER INCOME			**VI. FINANCE CHARGES (INTEREST)**	-	-
a) Fees & Consultancy	2,42,500.00	5,76,900.00			
b) Income from Services	35,11,92,782.38	23,95,30,977.00	**VII. OTHER PAYMENTS**	7,53,35,212.12	15,08,44,146.00
VI. AMOUNT BORROWED	-	-	**VIII.CLOSING BALANCES**		
			a) Cash in Hand (Ro's)	45,600.00	-
VII. ANY OTHER RECEIPTS	67,44,29,367.05	49,94,98,827.00	**b) Bank Balances**		
			i) State Bank of India (Main A/c 10865756128)	8,25,52,528.74	6,95,89,274.00
			ii) State Bank of India (Cess A/c 10865756151)	9,410.00	10,000.00
			iii) Balances with Regional Offices	26,90,078.11	-
Total	**1,71,48,99,805.86**	**1,42,92,07,879.00**	**Total**	**1,71,48,99,805.86**	**1,42,92,07,879.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE PROVIDENT FUND, MUMBAI
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)	PAYMENTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)
To Opening Balance:	1,65,87,777.31	61,34,481.51	By Advance	1,84,73,000.00	1,24,16,000.00
To Subscriptions	2,64,57,700.00	3,08,37,500.00	By Final Settlements	7,59,59,490.00	5,65,45,373.00
To Committee'S Contribution	-	-	By Investments	20,23,45,162.54	-
To Interest On Investments	2,28,66,201.58	2,00,35,789.80	By Bank Commission	21,202.38	-
To Investments Matured	24,40,13,576.00	2,85,41,379.00	By Premium Paid to Seller	21,81,598.00	-
			By Accrued Interest Paid	13,48,029.46	-
			By Closing Balance :	95,96,772.51	1,65,87,777.31
TOTAL	**30,99,25,254.89**	**8,55,49,150.31**	**TOTAL**	**30,99,25,254.89**	**8,55,49,150.31**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE PROVIDENT FUND, MUMBAI
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rs.)

EXPENDITURE	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)	INCOME	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)
TO INTEREST ON SUBSCRIPTION	1,65,23,109.00	1,95,26,120.00	**BY INTEREST ON :**		
TO INTEREST ON CONTRIBUTION	-	-	A) SAVING BANK A/C	3,67,549.00	2,77,911.00
TO BANK COMMISSION CHARGES	21,202.38	-	B)GOVT. SECURITIES	2,24,30,674.78	1,96,89,901.00
TO PREMIUM PAID FOR INVESTMENT PURCHASE	21,81,598.00	-	C) POST OFFICE DEPOSIT	-	-
TO ACCRUED INTEREST PAID	13,48,029.46	-	D)SPECIAL DEPOSIT	67,977.80	67,977.80
			E) INTEREST ON AUTO RENEWAL OF FIXED	-	-
			Add:- Accrued interest for 2023-24	28,65,281.00	5,69,857.00
			Less:- Accrued interest for 2022-23	5,69,857.00	9,26,613.33
TO SURPLUS :	50,87,686.74	1,52,913.47	BY DEFICIT:	-	-
(Income over Expenditure)			*(Expenditure over Income)*		
TOTAL	**2,51,61,625.58**	**1,96,79,033.47**	**TOTAL**	**2,51,61,625.58**	**1,96,79,033.47**

-

(VENKATA RAMANA G.)	(SUNIL S. CHAUHAN)	(KARTIKAY DHANDA)
ACCOUNTS OFFICER	CHIEF ACCOUNTS OFFICER	SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE PROVIDENT FUND, MUMBAI
BALANCE SHEET
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

LIABILITIES	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)	ASSETS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)
SUBSCRIPTION:			**1] INVESTMENTS:**		
OPENING BALANCE	27,73,23,315.00	29,59,21,068.00	OPENING	25,91,27,667.00	28,76,69,046.00
ADD: DURING THE YEAR			**ADD:** MADE DURING THE YEAR	20,23,45,162.54	-
1) SUBSCRIPTION	2,64,57,700.00	3,08,37,500.00	**ADD:** AUTO RENEWAL OF FIXED DEPOSIT	-	-
2) INTEREST	1,65,23,109.00	1,95,26,120.00	**LESS:** MATURED DURING THE YEAR	24,40,13,576.00	2,85,41,379.00
			[1]	**21,74,59,253.54**	**25,91,27,667.00**
LESS:					
1) ADVANCES	1,84,73,000.00	1,24,16,000.00	**2] COMMITTEE'S CONTRIBUTION:** [2]	-	-
2) FINAL SETTLEMENT	7,59,59,490.00	5,65,45,373.00	(including interest)		
[A]	**22,58,71,634.00**	**27,73,23,315.00**	3] ACCRUED INTEREST ON INVESTMENT	28,65,281.00	5,69,857.00
COMMITTEE'S CONTRIBUTION:					
OPENING BALANCE	-	-	[3]	**28,65,281.00**	**5,69,857.00**
ADD: 1) CONTRIBUTION FOR THE YEAR	-	-			
2) INTEREST FOR THE YEAR	-	-			
LESS: 1) FINAL SETTLEMENT DURING THE YEAR	-	-			
			4] SUBSCRIPTION DUE FROM TEXTILES COMMITTEE	-	-
[B]	-	-			
			5] CLOSING BALANCE:		
INCOME & EXPENDITURE A/C:			CASH AT BANK [4]	**95,96,772.51**	**1,65,87,777.31**
OPENING BALANCE	(10,38,013.69)	(11,90,927.16)			
ADD/(LESS): CURRENT YEAR SURPLUS / (DEFICIT)	50,87,686.74	1,52,913.47			
[C]	**40,49,673.05**	**(10,38,013.69)**			
TOTAL ([A]+[B]+[C])	**22,99,21,307.05**	**27,62,85,301.31**	TOTAL([1]+[2]+[3]+[4])	**22,99,21,307.05**	**27,62,85,301.31**

(VENKATA RAMANA G.)	(SUNIL S. CHAUHAN)	(KARTIKAY DHANDA)
ACCOUNTS OFFICER	CHIEF ACCOUNTS OFFICER	SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
RESOURCE SUPPORT AGENCY(RSA)
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)	PAYMENTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)
TO OPENING BALANCE:			***BY PRINTING OF COURSE MATERIALS***	-	-
BALANCE WITH BANK	2,59,03,984.00	11,21,67,251.00			
			BY RESEARCH & STUDY :		
TO GRANT RECEIVED FROM GOI	6,18,93,337.00	-	1) WORKSHOP/SEMINAR	-	-
TO EMD RECEIVED	-	-	2) ORGANISING SKILL GAP ANALYSIS	-	-
TO REVERSED ENTRY OF PAYMENT DUE TO CANCELLATION	-	-	3) ASSESSMENT & CERTIFICATION	6,07,920.00	6,53,26,228.00
TO REFUND OF VARIOUS ADVANCES	786.00	9,367.00	4) CONSULTANCY	-	1,00,00,000.00
TO RECEIVED FROM TC MAIN A/C (ADJUSTMENT)	-	-			
TO REFUND OF ADVANCE (TEXTILE INDIA)	-	-	***BY RESOURCE FOR CONSULTANT AND TECHNICAL & SUPPORT STAFF***	13,32,183.00	19,50,446.00
TO REIMBURSEMENT OF STAKEHOLDERS MEETING-SAMARTH	-	-			
TO REFUND/REVERSED OF ASSESSMENT & CERTIFICATION	-	13,66,169.00	***COURSE DEVELOPMENT AND ADOPTION COST***	-	70,18,000.00
			BY TRAINING AND OTHER RECURRING EXPENDITURE		
			1) TRAVEL,LODGING,BOARDING	5,45,442.00	3,18,460.00
			2) TRAINING TO RSA PERSONNEL	-	-
			3) PARTICIPATION IN CONFERENCE/SEMINAR/MEETING	-	-
			4) HIRING OF MANPOWER RESOURCES	27,98,740.00	29,15,991.00
			5) CONTINGENCY EXPENDITURE I.E. OFFICE STATIONERY,MAINTENANCE,HOUSEKEEPING ETC.	39,007.00	1,09,678.00
			BY COMPUTER & PERIPHERALS	-	-
			BY OFFICE EQUIPMENT		
			1) PHOTOCOPIER MACHINE	-	-
			BY REFUND OF EMD	-	-
			BY EXPENDITURE OF STAKEHOLDERS MEETING-SAMARTH	7,32,256.00	-
			BY REFUND TO GOI	1,21,26,657.00	-
			BY CLOSING BALANCE:		
			BALANCE WITH BANK	6,96,15,902.00	2,59,03,984.00
TOTAL*(Round off)*	**8,77,98,107.00**	**11,35,42,787.00**	**TOTAL***(Round off)*	**8,77,98,107.00**	**11,35,42,787.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE

(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)

ASSESSMENT & GRADING OF GINNING & PRESSING UNITS

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT

FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)	PAYMENTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)
TO OPENING BALANCE:			BY BANK CHARGES	-	649.00
BALANCE WITH BANK	27,312.00	27,961.00	BY REIMBURSEMENT OF EXPENDITURE *(Transfer of amount to Textiles Committee Main A/c)*	-	-
TO FEES RECEIVED (ASSESSMENT,REGISTRATION, RENEWAL & SURVILLANCE) FROM G & P UNITS	-	-	BY Transfer to Textiles Committee Main A/c *(being adjustment entry for Service Tax and G & P Fees etc.)*	-	-
TO FIXED DEPOSIT MATURED	-	-	BY FIXED DEPOSIT WITH SBI	-	-
TO INTEREST ON FIXED DEPOSIT	-	-	BY ADVERTISEMENT EXPENSES	-	-
TO MISC. INCOME	-	-	BY PRINTING & STATIONERY	-	-
TO REFUND OF VARIOUS ADVANCES	-	-	BY EXHIBITION EXPENSES	-	-
TO RECEIPT AGAINST BOUNCED CHEQUE	-	-	BY TRAVELLING & CONVEYANCE	-	-
			BY MISC. EXPENSES	-	-
			BY PROGRAMME EXPENSES	-	-
			BY TRSF.TO TEXTILES COMMITTEE MAIN A/C BEING GOI SHARE	-	-
			BY TRANSFER OF FFES TO TEXTILES COMMITTEE MAIN A/C	-	-
			BY ITEMS TO EXPERT	-	-
			BY WEBSITE DEVELOPMENT EXPENSES	-	-
			BY FIXED ASSETS - COMPUTER HARD	-	-
			BY PAYMENT OF TDS	-	-
			BY REVERSED OF CHEQUE BOUNCED	-	-
			BY CLOSING BALANCE :		
			BALANCE WITH BANK	27,312.00	27,312.00
TOTAL*(Rounded off)*	**27,312.00**	**27,961.00**	TOTAL*(Rounded off)*	**27,312.00**	**27,961.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
INTEGRATED SKILL DEVELOPMENT SCHEME
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)	PAYMENTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)
TO OPENING BALANCE			BY ADMINISTRATIVE OVERHEADS	-	-
BALANCE WITH BANK	35,56,202.00	46,83,769.00	BY FURNITURE & FIXTURES	-	-
TO GRANT RECEIVED FROM GOI (MOT)	-	-	BY ELECTRICAL & ELECTRONICS	-	-
TO TRAINING FEES RECEIVED	-	-	BY LOGISTICS	-	-
TO ADVANCES REFUND RECEIVED FROM VARIOUS REGIONAL OFFICES	-	-	BY PRINTING EXPENSES	-	-
			BY COURSE DEVELOPMENT	-	-
TO REFUND OF BALANCE AMT.PAID TOWARDS VIDEO CONFERENCE FACILITIES FROM NICSI	62,913.00	-	BY OTHER /VIDEO CONF.	-	11,26,918.00
TO REFUND OF SECURITY DEPOSIT OF RENT	-	-	BY RENT EXPENSES	-	-
TO REFUND OF TDS	-	-	BY SUNDRY ADJUSTMENTS WITH TC MAIN A/C	-	-
TO ADJUSTMENTS WITH TC MAIN A/C AND RSA A/C	-	-	BY TC MAIN A/C (S.Tax Adjustment)	-	-
			BY BANK CHARGES	-	649.00
TO ADVANCES REFUND RECEIVED FROM HEAD OFFICE	-	-	BY TRAINERS & SUPPORT STAFF SALARY	-	-
TO RETURNED OF CANCELLED CHEQUE	-	-	BY CONTINGENCY & MISC.	-	-
			BY ADVERTISEMENT EXPENSES	-	-
			BY REVERSED OF CHEQUE BOUNCED	-	-
			BY CLOSING BALANCE C/F		
			BALANCE WITH BANK	36,19,115.00	35,56,202.00
TOTAL*(Rounded off)*	**36,19,115.00**	**46,83,769.00**	**TOTAL***(Rounded off)*	**36,19,115.00**	**46,83,769.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
INTEGRATED SKILL DEVELOPMENT SCHEME - TXC/VC
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)	PAYMENTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)
TO OPENING BALANCE	**1,27,29,606.00**	**1,27,30,255.00**	***BY TRSF TO PSC UNDER VARIOUS HEADS:***		
TO REFUND OF INFRASTRUCTURE FACILITY (PAID DURING LAST YEAR)	-	-	1) COMPUTER & PERIPHERALS	-	-
TO REFUND OF BANK CHARGES	3,245.00	-	2) CONSULTANCY SERVICES	-	-
			3) ELECTRIC/ELECTRONIC	-	-
			4) FURNITURE & FIXTURES	-	-
			5) MODIFICATION OF INFRA.FACILITY	-	-
			6) PLANT & MACHINERY	-	-
			7) PRINTING & STATIONERY	-	-
			8) RENOVATION & MAINTENANCE	-	-
			9) TELEPHONE EXPENSES	-	-
			10)TRAINING PROGRAMME	-	-
TO GRANT RECEIVED FROM GOI	-	-	BY REFUND TO GOI	1,27,32,851.00	-
			BY BANK CHARGES	-	649.00
			BY CLOSING BALANCE :		
			BALANCE WITH BANK	**-**	**1,27,29,606.00**
TOTAL*(Rounded off)*	**1,27,32,851.00**	**1,27,30,255.00**	**TOTAL***(Rounded off)*	**1,27,32,851.00**	**1,27,30,255.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
TEXTILES COMMITTEE CNA
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)	PAYMENTS	CURRENT YEAR (2023-24)	PREVIOUS YEAR (2022-23)
TO OPENING BALANCE	**1,54,738.00**	-	BY TRANSFER TO TEXTILES COMMITTEE MAIN A/C	-	47,29,00,000.00
TO GRANT RECEIVED FROM GOI	-	47,29,00,000.00			
TO INTEREST RECEIVED	-	1,54,738.00	BY REFUND TO GOI	1,54,738.00	-
			BY CLOSING BALANCE :		
			BALANCE WITH BANK	**-**	**1,54,738.00**
TOTAL*(Rounded off)*	**1,54,738.00**	**47,30,54,738.00**	**TOTAL***(Rounded off)*	**1,54,738.00**	**47,30,54,738.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE

(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:		
Balance as at the beginning of the year	1,09,36,51,026.00	89,77,79,899.00
Additions:		
i) Contribution towards Corpus /Capital Fund	-	-
ii) Balance of net income/(expenditure) transferred from Income & Expenditure Account	(19,28,13,028.50)	10,36,17,730.00
iiii) Pension Contribution of Deputationist	-	2,14,769.00
iv) Adjustment Entry For Last Year	-	10,00,00,000.00
v) Adjustment Entry For Depreciation On Building (Ownership Flat)	-	15,26,736.00
vi) GST Input Tax Credit(Cash Ledger)	34,60,526.23	41,28,559.00
vii) Adjustment Entry For TTDC Madurai	-	12,85,032.00
viii) Adjustment Entry For NPS Arrears	-	1,39,049.00
TOTAL (A)	90,42,98,523.73	1,10,86,91,774.00
Deductions:		
i) Adjustment Entry for earlier period	-	1,47,80,500.00
ii) Adjustment Entry For Depreciation On Building (Ownership Flat)	-	2,60,248.00
TOTAL (B)	-	1,50,40,748.00
BALANCE AS AT THE YEAR - END (A - B)	**90,42,98,523.73**	**1,09,36,51,026.00**

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
Schedule 2 :- RESERVES & SURPLUS	-	-
Total	-	-

(VENKATA RAMANA G.)	(SUNIL S. CHAUHAN)	(KARTIKAY DHANDA)
ACCOUNTS OFFICER	CHIEF ACCOUNTS OFFICER	SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
FUND WISE BREAK UP
SCHEDULE 3 : EARMARKED FUNDS

Cont..

PARTICULARS	ASSESSMENT AND GRADING OF GINNING & PRESSING UNITS	INTEGRATED SKILL DEVELOPMENT SCHEME	INTEGRATED SKILL DEVELOPMENT SCHME TXC/VC	TEXTILES COMMITTEE RSA	HANDLOOM MARK SCHEME	LABORATROY AT COCHIN PORT	LABORATROY AT JNPT MUMBAI	MARKET OTHER SURVEY PASHMINA	MARKET SURVEY WOOL MARK
a) Opening Balance of Funds	74,05,304.00	35,56,202.00	1,27,29,606.00	2,59,03,984.00	39,72,130.00	3,65,882.00	3,53,266.00	-	-
b) Additions to the Funds									
i) Donations /Grants	-	-	-	6,18,93,337.21	-	-	-	5,00,000.00	5,00,000.00
ii) Income from Investments made on account of funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Other Additions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Refund from NICSI	-	62,913.00	-	-	-	-	-	-	-
b) Reimbursement Of Stakeholders Meeting-Samarth	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bank Interest	3,64,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Bank Charges Refund			3,245.00						
Total (a+b)	**77,69,887.00**	**36,19,115.00**	**1,27,32,851.00**	**8,77,97,321.21**	**39,72,130.00**	**3,65,882.00**	**3,53,266.00**	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**
c) Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds									
i) Capital Expenditure									
Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (i)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Revenue Expenditure									
Salaries Wages and allowances etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rent	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Administrative Expenses	-	-	-	60,54,761.57	1,05,016.00	-	-	-	-
Transfer to Textiles Main A/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refund of Surplus/ Balance Amount to GoI	-	-	1,27,32,851.00	1,21,26,657.00	-	-	-	-	-
Total (ii)	-	-	**1,27,32,851.00**	**1,81,81,418.57**	**1,05,016.00**	-	-	-	-
Total (c)	-	-	**1,27,32,851.00**	**1,81,81,418.57**	**1,05,016.00**	-	-	-	-
Net Balance as at the Year end (a+b-c)	**77,69,887.00**	**36,19,115.00**	-	**6,96,15,902.64**	**38,67,114.00**	**3,65,882.00**	**3,53,266.00**	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**

Venkat

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

Sschauhan

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
FUND WISE BREAK UP
SCHEDULE 3 : EARMARKED FUNDS

PARTICULARS	SWACHHTA ACTION PLAN	CREATION OF CAPITAL GRANT (LAB MODERNISATION UNDER TIES)	JUTE MARK INDIA	TEXTILES COMMITTEE CNA	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
a) Opening Balance of Funds	-	7,15,00,000.00	1,45,88,611.00	1,54,738.00	14,05,29,723.00	23,97,32,924.00
b) Additions to the Funds						
i) Donations /Grants	10,00,000.00	-	-	-	6,38,93,337.21	47,39,00,000.00
ii) Income from Investments made on account of funds	-	-	-	-	-	3,64,583.00
iii) Other Additions	-	-	-	-	-	-
a) Refund from NICSI	-	-	-	-	62,913.00	-
b) Reimbursement Of Stakeholders Meeting-Samarth	-	-	-	-	-	-
c) Bank Interest	-	1,70,17,565.00	-	-	1,73,82,148.00	1,54,738.00
d) Bank Charges Refund						
Total (a+b)	**10,00,000.00**	**8,85,17,565.00**	**1,45,88,611.00**	**1,54,738.00**	**22,18,71,366.21**	**71,41,52,245.00**
c) Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds						
i) Capital Expenditure						
Fixed Assets	34,132.00	-	14,02,750.00	-	**14,36,882.00**	**17,13,308.00**
Others	-	-	-	-	-	-
Total (i)	**34,132.00**	**-**	**14,02,750.00**	**-**	**14,36,882.00**	**17,13,308.00**
ii) Revenue Expenditure						-
Salaries Wages and allowances etc.	-	-	-		-	-
Rent	-	-	-	-	-	-
Other Administrative Expenses	9,65,868.00	-	620.00	-	71,26,265.57	9,90,09,214.00
Transfer to Textiles Main A/c	-	-	15,19,294.00	-	15,19,294.00	47,29,00,000.00
Refund of Surplus/ Balance Amount to GoI	-	-	-	1,54,738.00	2,50,14,246.00	-
Total (ii)	**9,65,868.00**	**-**	**15,19,914.00**	**1,54,738.00**	**3,36,59,805.57**	**57,19,09,214.00**
Total (c)	**10,00,000.00**	**-**	**29,22,664.00**	**1,54,738.00**	**3,50,96,687.57**	**57,36,22,522.00**
Net Balance as at the Year end (a+b-c)	-	**8,85,17,565.00**	**1,16,65,947.00**	-	**18,67,74,678.64**	**14,05,29,723.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
Schedule 4 :- SECURED LOANS & BORROWINGS	-	-
Schedule 5 :- UNSECURED LOANS & BORROWINGS	-	-

Schedule 6 :- DEFERRED CREDIT LIABILITIES		
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others:		
i) Fixed Assets (Projects)	1,66,92,411.00	1,84,34,782.00
Total	**1,66,92,411.00**	**1,84,34,782.00**
Note: Amounts due within one year.		

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances		
i) Cess Collection to be Transferred to CESS A/c	61,55,527.00	61,55,527.00
ii) Earnest Money Deposit	55,89,549.00	85,67,067.00
2. Sundry Creditors		
i) For Goods & Services	98,062.90	-
3. Advances Received		
i) Advances from Customers for Services	56,18,989.22	-
ii) Implementing Partner (RSA) Collection	-	24,61,100.00
iii) Branch & Division Recoupment to Ro's	34,723.00	-
4. Interest accrued but not due on:		
i) Secured Loans / Borrowings	-	-
ii) Unsecured Loans / Borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities :		
i) Professional Tax Payable	65,708.00	40,308.00
ii) Group Insurance Scheme	53,628.00	7,028.00
iii) GST Payable	48,78,589.00	57,35,784.00
iv) TDS Payable	15,60,348.15	-
6. Other Current Liabilities		
i) License Fees	13,384.00	3,540.00
ii) Retention Money on Account of Office Cum Lab Building	3,59,035.00	18,98,354.00
iii) Contribution Of Nps Payable To Subscriber	-	5,81,985.00
iv) Estate Manager (GPRA)	18,144.00	18,144.00
TOTAL - A	**2,44,45,687.27**	**2,54,68,837.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	3,41,51,108.00	21,59,355.00
3. Superannuation/Pension	29,36,48,099.00	2,47,93,024.00
4. Accumulated Leave Encashment	2,99,33,454.00	22,60,022.00
5. Trade Warranties / Claims	-	-
6. Outstanding Others:	-	
i) Salary (Including DA Arrears) & Wages	2,06,81,875.00	2,85,00,224.00
ii) Contribution to New Pension Scheme	6,83,706.00	13,98,470.00
iii) Commutation on Retirement	21,39,618.00	-
iv) Rent & Taxes (Inclusive of Water Charges)	39,48,648.00	20,39,702.00
v) Electricity	11,43,461.00	6,31,323.00
vi) Telephone & Postage	1,61,882.00	1,86,753.00
vii) Printing & Stationery	2,688.00	12,30,161.00
viii) Mesne Profit	-	1,41,06,000.00
ix) Property Tax	4,15,00,674.00	3,77,00,990.00
x) Travelling & Conveyance	8,83,759.00	19,37,142.00
xi) Repair & Maintenance	4,65,420.00	5,87,814.00
xii) Accreditation of Lab	-	1,88,473.00
xiii) Consumables, Chemicals & Glassware	58,347.00	33,743.00
xiv) Vehicle Running & Maintenance	60,549.00	41,050.00
xv) Staff Welfare Expenses	-	36,916.00
xvi) Leave Travel Concession	58,097.00	2,99,494.00
xvii) Honararium to Liason Officers	17,54,400.00	8,13,500.00
xviii) Reimbursement of Medical Expenses	-	25,41,232.00
xix) Tution Fees	28,00,000.00	30,00,000.00
xx) Audit Fees	2,10,400.00	1,60,000.00
xxi) Seminar Fees	-	7,791.00
xxii) Accreditation Inspection Scheme	-	1,15,273.00
xxiii) Leave Salary & Pension Contribution (Deputation)	-	4,94,560.00
xxiv) GPF Employee Contributions & Advance Recovery Payable	19,00,600.00	-
xxv) Benevolent Fund Contribution Payable	540.00	-
xxvi) Society Loan Recovery From Employees Payable	4,21,423.00	-
xxvii) Society Subscription by Employee Payable	2,21,000.00	-
xxviii) LIC Payable	61,204.00	-
TOTAL (B)	43,68,90,952.00	12,52,63,012.00
TOTAL (A+B)	46,13,36,639.27	15,07,31,849.00

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE

(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)

SCHEDULES TO BALANCE SHEET:

SCHEDULE NO. 8 : FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

SR. NO.	DESCRIPTION	RATE	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
			OPENING AS AT 1/4/2023	ADDITIONS DURING THE YEAR	DEDUCTIONS DURING THE YEAR	CLOSING AS AT 31/3/2024	OPENING AS AT 1/4/2023	ON OPENING BALANCE AS ON 1/4/2023 (NET BLOCK)	ON ADDITIONS DURING THE YEAR	ON DEDUCTIONS DURING THE YEAR	CLOSING AS AT 31/3/2024	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
(A)													
1	LAND (FREEHOLD)	0%	18,43,366.00	15,91,050.00	-	34,34,416.00	-	-	-	-	-	**34,34,416.00**	**18,43,366.00**
2	BUILDING (OWENERSHIP FLATS)	5%	61,78,117.00	-	-	61,78,117.00	39,83,415.00	1,09,735.00	-	-	40,93,150.00	**20,84,967.00**	**21,94,702.00**
3	BUILDING (FREEHOLD)	10%	19,11,04,129.00	-	-	19,11,04,129.00	16,48,09,991.00	26,29,414.00	-	-	16,74,39,405.00	**2,36,64,724.00**	**2,62,94,138.00**
4	MOTOR CAR & OTHER VEHICLES	15%	36,05,152.00	-	-	36,05,152.00	29,77,435.00	94,158.00	-	-	30,71,593.00	**5,33,559.00**	**6,27,717.00**
5	FURNITURE & FIXTURES	10%	10,60,34,403.00	1,90,719.00	-	10,62,25,122.00	9,08,34,585.00	15,19,982.00	19,840.00	-	9,23,74,407.00	**1,38,50,715.00**	**1,51,99,818.00**
6	LABORATORY EQUIPMENTS	15%	30,17,62,404.00	14,59,837.00	-	30,32,22,241.00	28,12,24,438.00	30,80,695.00	2,06,319.00	-	28,45,11,452.00	**1,87,10,789.00**	**2,05,37,966.00**
7	COMPUTER & PERIPHERALS	40%	2,50,10,169.00	1,70,603.00	-	2,51,80,772.00	2,32,54,542.00	7,02,251.00	59,376.00	-	2,40,16,169.00	**11,64,603.00**	**17,55,627.00**
8	ELECTRICALS & ELECTRONIC EQUIPMENTS	10%	2,99,41,188.00	2,84,633.00	31,956.00	3,01,93,865.00	2,69,55,572.00	2,99,554.00	56,140.00	15,022.00	2,72,96,244.00	**28,97,621.00**	**29,85,616.00**
9	LIBRARY BOOKS	40%	1,33,92,482.00	19,735.00	-	1,34,12,217.00	1,32,79,568.00	45,166.00	7,894.00	-	1,33,32,628.00	**79,589.00**	**1,12,914.00**
	TOTAL (CURRENT YEAR) *(Rounded off)*		**67,88,71,410.00**	**37,16,577.00**	**31,956.00**	**68,25,56,031.00**	**60,73,19,546.00**	**84,80,955.00**	**3,49,569.00**	**15,022.00**	**61,61,35,048.00**	**6,64,20,983.00**	**7,15,51,864.00**
	TOTAL (PREVIOUS YEAR)*(Rounded off)*		67,65,86,785.00	31,49,945.00	8,65,320.00	67,88,71,410.00	59,82,35,739.00	90,90,876.00	7,93,646.00	8,00,715.00	60,73,19,546.00	7,15,51,864.00	
(B) CAPITAL WORK IN PROGRESS :													
1	CAPITAL WORK IN PROGRESS (BUILDING)		2,51,60,000.00	-	-	2,51,60,000.00	-	-	-	-	-	**2,51,60,000.00**	**2,51,60,000.00**
	TOTAL (B)		2,51,60,000.00	-	-	2,51,60,000.00	-	-	-	-	-	**2,51,60,000.00**	**2,51,60,000.00**
	TOTAL (A+B)		70,40,31,410.00	37,16,577.00	31,956.00	70,77,16,031.00	60,73,19,546.00	84,80,955.00	3,49,569.00	15,022.00	61,61,35,048.00	**9,15,80,983.00**	**9,67,11,864.00**
(C) PROJECTS:													
1	LAB COCHIN		1,93,11,329.00	-	-	1,93,11,329.00	1,06,29,284.00	12,48,233.00	-	-	1,18,77,517.00	**74,33,812.00**	**86,82,045.00**
2	LAB JNPT		1,93,19,154.00	-	-	1,93,19,154.00	1,08,68,536.00	12,56,610.00	-	-	1,21,25,146.00	**71,94,008.00**	**84,50,618.00**
3	IMPLEMENTATION OF HANDLOOM MARK SCHEME		79,43,048.00	-	-	79,43,048.00	73,53,862.00	2,35,674.00	-	-	75,89,536.00	**3,53,512.00**	**5,89,186.00**
4	SWACCHATA ACTION PLAN		8,29,009.00	34,132.00	-	8,63,141.00	2,20,060.00	60,895.00	1,707.00	-	2,82,662.00	**5,80,479.00**	**6,08,949.00**
5	JUTE MARK INDIA SCHEME		1,29,980.00	13,55,550.00	-	14,85,530.00	25,996.00	41,594.00	2,87,340.00	-	3,54,930.00	**11,30,600.00**	**1,03,984.00**
	TOTAL (CURRENT YEAR) (Rounded off)		**4,75,32,520.00**	**13,89,682.00**	-	**4,89,22,202.00**	**2,90,97,738.00**	**28,43,006.00**	**2,89,047.00**	-	**3,22,29,791.00**	**1,66,92,411.00**	**1,84,34,782.00**
	TOTAL (PREVIOUS YEAR)*(Rounded off)*		**4,58,19,212.00**	**17,13,308.00**	-	**4,75,32,520.00**	**2,56,98,997.00**	**32,48,047.00**	**1,50,694.00**	-	**2,90,97,738.00**	**1,84,34,782.00**	

(VENKATA RAMANA G.)	(SUNIL S. CHAUHAN)	(KARTIKAY DHANDA)
ACCOUNTS OFFICER	CHIEF ACCOUNTS OFFICER	SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
Schedule 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED & ENDOWMENT FUNDS		
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others:		
a) Assessment & Grading of Ginning & Pressing Units	73,77,992.00	70,13,409.00
Add: Auto Renewed Interest Amount	3,64,583.00	3,64,583.00
TOTAL	77,42,575.00	73,77,992.00

Schedule 10 - INVESTMENT - OTHERS	-	-

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 11-CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.		
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories:		
a) Stores & Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock in Trade	-	
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors / Receivables:		
a) Sundry Debtors	10,40,835.21	-
3. Cash Balances in hand		
Petty Cash With Ro's	45,600.00	46,600.00
4. Bank Balances:		
a) Scheduled Banks:-		
-On Current Accounts		
State Bank of India (Main A/c 10865756128)	8,25,52,528.74	6,95,89,274.00
State Bank of India (Cess A/c 10865756151)	9,410.00	10,000.00
State Bank of India (G&P 31671502745)	27,312.00	27,312.00
State Bank of India (ISDS 31685564897)	36,19,115.00	35,56,202.00
State Bank of India (ISDS TXC-VC A/c 32383907616)	-	1,27,29,606.00
State Bank of India (RSA A/c)	6,96,15,902.64	2,59,03,984.00
State Bank of India All ROTC	26,90,078.11	-
-On Savings Accounts		
State Bank of India CNA(41698590259)	-	1,54,738.00
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
State Bank of India	1,26,49,09,848.00	1,15,05,91,596.00
b) With non-Scheduled Banks:		
-On Current Accounts	-	-
-On Deposit Accounts	-	-
-On Savings Accounts	-	-
5. Post Office Savings Accounts	-	-
TOTAL (A)	1,42,45,10,629.70	1,26,26,09,312.00

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. **Loans:**		
a) Staff		
i) LTC Advance	1,04,029.00	-
ii) Tour Advance	5,91,515.00	-
iii) Scooter	-	-
iv) House Building	-	-
v) Computer	-	-
vi) Car	-	-
vii) Other Advances to Sections	8,87,000.00	-
2. **Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:**		
a) Prepaid Expenses		
i) Prepaid Expenses (AMC)	-	-
ii) Pre-paid Insurance	64,703.00	10,961.00
b) Accounts Receivable		
i) Resource Support Agency (RSA)	8,85,000.00	-
ii) GST TDS Receivable	2,73,649.00	-
iii) Tax on Advance - GST	12,31,499.50	-
iv) Group Insurance Scheme	11,400.00	12,800.00
v) GST Input Tax Credit	70,25,231.00	21,47,291.00
vi) Stakeholders Meeting-Samarth	-	5,37,256.00
vii) TTDC Madurai	8,00,000.00	12,85,032.00
viii) Recovery Of NPS Arrears	1,156.00	1,39,049.00
ix) TDS Receivable	23,30,546.44	-
TOTAL (B)	**1,42,05,728.94**	**41,32,389.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
c) **Security Deposits:**		
i) For Office Accomodation		
- Kakad Chamber	18,750.00	18,750.00
- Crystal Building	62,929.00	62,929.00
- Andheri Office	-	4,650.00
- Regional Office (Rent)	61,81,575.00	36,18,812.00
ii) With Authorities		
- Telephone Department	59,677.00	1,78,705.00
- BEST	7,18,738.00	3,81,466.00
- Electricity Department (RO's)	9,26,597.00	10,66,405.00
- Railway Authority	5,000.00	5,000.00
- Bombay Sub. Electricity	600.00	600.00
- BMC (Air Pollution)	8,000.00	8,000.00
- Gas Authorities	77,200.00	81,297.00
iii) Other Deposits		
- Petrol Deposit	46,852.00	16,852.00
- Deposit for FAX	1,300.00	1,300.00
- Security	1,92,910.00	20,80,257.00
- Earnest Money Deposit	-	6,32,250.00
3. Income Accrued		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds	-	-
b) On Investments- FDR	60,79,207.00	59,33,768.00
c) On Loans and Advances	-	-
d) Others	-	-
TOTAL (B)	2,85,85,063.94	1,82,23,430.00
TOTAL (A + B)	**1,45,30,95,693.64**	**1,28,08,32,742.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES / SERVICES		
1. Income from Sales	-	-
2. Income from Services		
i) Services Charges for Certification/Advises	1,33,49,213.00	2,20,18,726.00
ii) Lab Testing Charges / Consultancy Charges	16,05,58,469.42	12,14,30,468.00
iii) Sale of Forms	28,090.00	93,429.00
iv) Endorsement of GSP	-	83,97,758.00
v) Endorsement of Non Preferential GSP/ Verification/ Training Services	6,95,40,437.27	3,46,55,524.00
vi) Market Research Studies /Surveys	1,53,13,796.00	35,41,696.00
vii) Registration Charges	46,27,299.60	48,45,380.00
viii) Income from Own Property	-	-
ix) Handloom Mark Scheme	1,44,10,490.93	1,52,55,519.00
x) Fees from Ginning & Pressing Factories Scheme	11,70,000.00	15,75,000.00
xi) Fees from India Handloom Brand	2,52,000.00	1,67,000.00
xii) Resource Support Agency	3,25,63,300.00	2,40,72,420.00
xiii) Income from Advertisement	1,50,000.00	25,000.00
xiv) Production Capacity Assessment	5,10,000.00	3,70,000.00
xv) Jute Mark Scheme	1,11,22,291.50	16,050.00
TOTAL	32,35,95,387.72	23,64,63,970.00

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES		
1) Central Government	54,70,00,000.00	59,69,00,000.00
2) State Government(s)	-	-
3) Institutions / Welfare Bodies	-	-
4) International Organisations	-	-
5) Others	-	-
TOTAL	54,70,00,000.00	59,69,00,000.00

SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS		
1. Entrance Fees	-	-
2. Annual Fees / Subscriptions	-	-
3. Seminar / Programme Fees	-	1,65,000.00
4. Consultancy Fees	2,42,500.00	4,11,900.00
5. Others	-	-
TOTAL	2,42,500.00	5,76,900.00

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE

(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)	-	-

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.		
1. Income from Royalty	-	-
2. Income from Publication	9,600.00	3,32,900.00
3. Others	-	-
TOTAL	**9,600.00**	**3,32,900.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED		
1. On term Deposits:		
a) With Scheduled Banks	6,34,92,257.00	4,38,39,542.00
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
2. Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	-	-
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) Post Office Savings Accounts	-	-
d) Others	-	-
3. On Loans:		
a) Employees / Staff		
i) Scooter	-	-
ii) House Building	55,510.00	1,22,239.00
iii) Computer	2,993.00	11,548.00
iv) Car	-	34,430.00
b) Others	5,647.00	-
4. Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
TOTAL	6,35,56,407.00	4,40,07,759.00

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 18 - OTHER INCOME		
1. Profit on Sale / disposal of Assets:		
a) Own assets	-	3,361.00
b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2. Disposal of Wastage, Scrap and other items	2,68,815.61	-
3. Guest House Rent	90,000.00	-
4. Sale of Ramnant (Textiles) Samples	2,64,706.16	-
5. TTDC Madurai	11,53,661.65	-
6. Recoveries from employees	2,00,918.00	-
7. Miscellaneous	5,671.00	27,08,854.00
TOTAL	19,83,772.42	27,12,215.00

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 19 :- INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	-	-

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES		
i) Salary & Wages	30,17,96,772.43	32,13,69,821.00
ii) Allowances & Bonus	-	-
iii) Contribution to Provident Fund	-	-
iv) Retirement & Terminal Benefits	75,01,64,419.00	35,97,92,251.00
v) Reimbursement of Medical Expenses	44,65,087.00	56,38,578.00
vi) Leave Travel Concession	10,57,784.00	42,24,421.00
vii) Staff Welfare Expenses	75,643.00	1,58,552.00
viii) New Pension Scheme	97,82,642.00	1,00,81,141.00
ix) Leave Salary & Pension Contribution (Deputation)	-	11,34,043.00
x) Tution Fees	28,00,000.00	30,15,000.00
xi) Profession Tax (Tax On Employment-Appt)	1,250.00	10,000.00
xii) Leave Encashment on LTC	8,90,700.00	-
TOTAL	**1,07,10,34,297.43**	**70,54,23,807.00**

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
1) Electricity & Power	79,55,656.54	76,76,695.00
2) Rent Rates & Taxes (Including Water Charges)	2,04,62,149.44	1,71,14,440.00
3) Property Tax (BMC)	-	-
4) Insurance Premium	20,242.00	14,012.00
5) Repair & Maintenance of Office Equipment	23,33,019.08	14,96,326.00
6) Vehicle Running & Maintenance	5,89,196.34	7,24,751.00
7) Postage, Telephone & Communication	17,52,510.49	15,69,958.00
8) Printing & Stationery	52,69,100.43	32,64,827.00
9) Travelling & Conveyance	84,27,013.00	73,37,664.00
10) Software Development Charges	48,080.92	1,13,209.00
11) Professional Charges	7,06,911.00	12,41,669.00
12) Implementation of National Language (Hindi)	4,76,294.00	66,056.00
13) Renovation /Maintenance of Office Building	5,99,159.67	22,41,012.00
14) Miscellaneous	82,304.82	20,79,041.00
15) Seminar/Workshop/Training	3,74,633.00	8,96,682.00
16) Advertisement, Publicity & Fairs	23,388.32	2,54,322.00
17) Consumables, Chemicals & Glassware	13,61,012.23	7,79,585.00
18) Accreditation of Lab	18,46,602.43	10,27,488.00
19) Freight & Forwarding & Packing Charges	-	2,26,670.00
20) Other Surveys /Studies	-	7,79,597.00
21) Honorarium to Liason Officers	61,88,545.00	47,25,475.00
22) GI Registration	1,56,923.00	10,54,867.00
23) Goods & Service Tax	45,924.00	21,29,461.00
24) Website Expenses	1,74,873.00	2,46,535.00
25) Accreditation Inspection Scheme	1,88,975.40	4,63,113.00
26) GST on Reverse Charge	47,133.00	1,35,805.00
27) Property Tax	38,67,744.00	37,89,590.00
28) Loss On Sale of Fixed Assets	10,832.00	42,713.00
29) Audit Fees	5,22,444.00	5,76,122.00
30) Lab Testing from Outside	4,02,904.03	-
31) Bank Charges	24,254.26	-
32) Project Work - MR UNEP	2,35,000.00	-
33) RSA TOT Fee A/c	45,86,960.00	-
34) Meeting Expenses	2,13,086.00	-
35) Hospitality Expneses	3,95,335.06	-
36) Contingency Expenses	4,34,185.00	-
TOTAL	**6,98,22,391.46**	**6,20,67,685.00**

(VENKATA RAMANA G.)	(SUNIL S. CHAUHAN)	(KARTIKAY DHANDA)
ACCOUNTS OFFICER	CHIEF ACCOUNTS OFFICER	SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE	TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(GOVT. OF INDIA,MINISTRY OF TEXTILES)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	CURRENT YEAR 2023-24	PREVIOUS YEAR 2022-23
Schedule 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	-	-
SCHEDULE 23- INTEREST	-	-

(VENKATA RAMANA G.)
ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
TEXTILES COMMITTEE

(KARTIKAY DHANDA)
SECRETARY
TEXTILES COMMITTEE

TEXTILES COMMITTEE
(Govt. of India, Ministry of Textiles)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (SCHEDULE-24):

1. ACCOUNTING CONVENTION:

- The financial statements are prepared under double entry system on the basis of historical cost convention and Going Concern Concept following the accrual method of accounting, unless otherwise stated in Uniform format of Central Autonomous Bodies.

2. INVESTMENTS:

- Investments are made in the form of fixed deposits with State Bank of India, Worli (N), Mumbai.
- No Investments are made by the organization in any tradable securities.
- Investments are valued at cost or fair value whichever is lower.

3. FIXED ASSETS:

- Fixed assets are stated at their original cost including freight, duty, customs and other incidental expenses relating to acquisition and Installation less accumulated depreciation.
- The assets which are unserviceable /condemned or out of use are disposed off/written off only after approval of the Competent Authority of the organization.
- The Assets are acquired out of the budgetary sanction of the organisation.
- Fixed Assets created out of Government Grants have been presented in Financial Statements in accordance with Accounting Standard -12 (Accounting of Government Grants).

4. DEPRECIATION:

- Depreciation on Fixed Assets is charged as per diminishing balance method and the latest prescribed rates of depreciation has been taken as per Income Tax Act, 1961. Rule 5 of Income Tax Act has been considered while calculating the depreciation.
- The depreciation is charged at **100%** rate prescribed if the asset is acquired on or before 30th September and **50%** of the rate prescribed if it is acquired after 30th September of the concerned year.
- Provision for full depreciation is charged on Fixed Assets costing of Rs.5000/- or less.
- In order to ascertain proper value of Fixed Assets which are created out of Government Grants Accounting treatment as prescribed under AS-12 has been followed.

5. GOVERNMENT GRANT:

- Government Grant pertaining to incurring the expenditure of the organisation is accounted for in the books of accounts of the organization on receipt basis.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTION:

- Transactions denominated in foreign currency, if any, are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

7. RETIREMENT BENEFITS:

- The provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, and the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time, shall apply to all the whole-time and regular employees of the Textiles Committee. The retirement benefits viz. Death-cum-Retirement Gratuity, leave encashment, commutation are calculated as per Central Government Rules (FR & SR).

8. REVENUE RECOGNITION:

- Interest earned on fixed deposits with the bank is accounted for as and when due on accrual basis and is recognized as income of the Organization. Sale of old discarded assets/items etc. are accounted for on receipt basis and the profit /loss arise out of sale is accounted in the Income and Expenditure Account.

9. LEASE:

- Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

BASIC OF ACCOUNTING:

- The Committee maintains books of Accounts i.e. Receipts & Payments Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet in pursuance to section 13(1) of Textiles Committee Act 1963 as amended in 1973.
- The Committee is following Central Govt. Rules (FR & SR) in respect of Pay & Allowances, Pension, Gratuity, TA/DA etc. of the employees.
- The Committee follows Textiles Committee Employees (Medical Benefits) Regulations, 1968 as amended from time to time (latest amendment in 2000) to reimburse the medical expenses to their employees.
- Purchases of various items of Capital & Revenue in nature are made by the Committee by virtue of the delegation of financial power delegated to the Secretary, Vice Chairman and Chairman of the Committee.

- ❖ The Budget Estimates and the Revised Estimates of the Committee are sent to Ministry duly approved by the Textiles Committee for sanction in pursuant to Rule 29 of the Textiles Committee Rules 1965.
- ❖ Internal receipts of the Committee are being adjusted against the budgetary grant as it is an integral part of Budgetary Support.
- ❖ The Committee is maintaining the Provident Fund Account and other related books of record, as per the Provident Fund Regulation, as approved & notified by the Govt.
- ❖ Provident Fund money is being invested as per the pattern prescribed by the Govt. from time to time.
- ❖ The Committee collected the Cess Duty from the Textiles & Textiles Machinery Mfrs., being Govt. revenue as provided under Section 5A(1) in the Textiles Committee Act & Cess Rules and the same has been remitted to the Consolidated Fund of India. However, the Govt. has exempted all the Textiles & Textiles Machinery Mfrs. from levy of Cess vide Notification No.12020/2/2002-A&MMT dtd. 1st June, 2007 as published in the Gazette of India Extraordinary Part II- Section-3-Sub Section-(ii) No.657 dtd.1st June, 2007.

❖ **SCHEDULE -25 :CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (ILLUSTRATIVE)**

❖ **Contingent Liabilities:**

1. Claim against the Entity not acknowledged as debts Rs.841.24 Lakhs [Mesne Profit (Rs.189.69 Lakhs + Rs.651.55 Lakhs)] being disputed demand.

2. The Assessment and Collection Department of Municipal Corporation of Greater Mumbai had issued the outstanding property bill in respect of Textiles Committee office, P. Balu Road, Prabhadevi, Mumbai 400025 from the year 1998 to 2020 for a total amount of Rs. 33.89 crore. Subsequently every year the amount of Rs.1.04 crore is added with the total outstanding amount and shown under the head Contingent Liabilities as per advice of the CAG Audit. Accordingly an amount of Rs.37.36 crore was shown in the Books of Account for FY 2022-23. During the year 2023-24 the total amount comes to Rs.38.40 Crore (37.36 +1.04) which has been shown as Contingent Liabilities.

3. The CAG during the course of their auditing in the year 2012-13 had observed that liability exists for payment of income tax for the period from 2002-03 to 2011-12 on account of non-exemption of income of the Textiles Committee from the purview of Income Tax Act 1961. The same was reiterated in the audit observation in 2017-18. On receipt of the Audit observation a Professional CA firm, Mumbai was engaged and as per their opinion Textiles Committee has pursued the issue of exemption Income from the Income Tax to the Ministry of Textiles from time to time. The Ministry in turn, has taken up the issue with the Ministry of Finance, lately, a reminder letter dated 24.12.2024 has been forwarded to the Ministry of Textiles for getting exemption of Income Tax.

4. In accordance with Audit observation, an Actuary firm has been engaged and as per their calculation (Accounting Standard-15-Revised 2005) the provision of Current Liability in respect of Pension & Pensionary Terminal Benefits for the year 2023-24 has been accounted for in the Books of Account. The Non-Current Liability of Pension & Pensionary Benefits as worked out by the Actuary is given below for showing the same as Contingent Liability.

SNo	Particulars of Non- Current Liability	Amount
1	Pension	2,99,35,69,122.00
2	Gratuity	14,44,82,128.00
3	Leave Encashment	9,13,34,383.00
	Total	**3,22,93,85,633.00**

Schauhan

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER

TEXTILES COMMITTEE
(Govt. of India, Ministry of Textiles)

NOTES ON ACCOUNTS: 2023-24 (SCHEDULE-25):

A) NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET:

I) CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS (SCHEDULE – 7)

A. CURRENT LIABILITIES:

- Earnest Money Deposit & Retention Money as shown under Sr. No. A.1.(ii) & A.6.(ii) is mainly pertaining to Laboratory Equipments for HQ & Various Regional Offices of Textiles Committee & Retention Money for Office Building respectively.
- The amount shown at Sr. No. A.5 (i &ii), A.6 (i & iv) is pertaining to Textiles Committee employees & this will be paid during 2024-25.
- Goods & Service Tax : An amount of Rs. 48,78,589/- has been shown under Sr. No. A.5.(iii) will be paid during 2024-25.
- Tax Deducted at Source: An amount of Rs.15,60,348.15 has been shown under Sr. No. A.5.(iv) will be paid during 2024-25.
- Advances from Customers for Services: An amount of Rs.56,18,295.22 has been shown under Sr. No. A.3.(i) for which services will be rendered in ensuing years.
- **Entries have been accounted for under Schedule No.7 -A 1 (ii) & 6 (ii) :**

In order to depict true & fair view of the financial statements of the Committee in respect of Current Liability as per audit observation, necessary compilation /reconciliation have been carried out in respect of following heads and accordingly shown in the Books of Accounts for F.Y. 2023-24:

Sr No.	Current Liability Head	Description	Rectification entries made through Accounting Treatment
1	Retention money on account of office-cum-lab building	An amount of Rs.15,39,319/- (Rs.10,12,011/- refunded to M/s. Ensemble, Mumbai in F.Y. 2004-05 and Rs.5,27,308/- refunded to M/s. National Project Corporation of India Ltd. Kolkata for building construction in F.Y. 2007-08) pertains to actually retention money for office-cum-lab building. This amount should have been accounted by deducting from the liabilities side of retention money on office building but erroneously entered under Security Deposit head of Current Assets. Now the same amount is deducted from Retention money on account of office-cum-lab building and the same amount is deducted from Security Deposit under Current Assets.	Rs.15,39,319/- is deducted from Security Deposit under Current Assets and the same amount is deducted from retention cum office building under current liability.
2	Earnest Money Deposit from Vendor	The amount of Rs.5,93,000/-(Rs.6,32,250 (-) 39,250) is pertaining to the payment of refund of EMD to vendors, inadvertently taken in EMD under current Assets, which is now deducted under the head EMD from vendors of Current Liabilities.	Rs.5,93,000/- is deducted from EMD under Current Assets and the same amount is deducted from Liabilities under EMD from vendors.

B. PROVISIONS:

- Expenses shown at Sch.7.B.(2),(3),(4),(6)(i,ii,,iii,xxiv,xxv,xxvi, xxvii) under the head Gratuity, Superannuation/pension, Accumulated Leave Encashment, Salary & Wages, Contribution to New Pension Scheme, Commutation on retirement, GPF Employee Contributions & Advance Recovery Payable, Benevolent Fund Contribution Payable, Society Loan Recovery From Employees Payable, Society Subscription by Employee Payable are pertaining to 2023-24 & will be paid during 2024-25.
- Expenses shown at Sch. 7.B.(6)(iv to vii, x, xi, xiii, xvii) under the head Rent, Electricity, Telephone , Printing & Stationery, TA/DA ,Honorarium to Liaison Officer Repair/Maintenance, consumables, chemicals & glassware, staff welfare expenses etc. are pertaining to 2023-24 & will be paid during 2024-25.
- Provision for Property Tax at Sch.7.B.(6)(ix) has been made for Textiles Committee, Mumbai Office from 2013-14 to 2023-24.

II) ASSETS:

1) FIXED ASSETS (SCHEDULE -8) :

- An amount of Rs.6,64,20,983/- & Rs. 2,51,60,000/- has been shown under Fixed Assets Schedule 8(A) & Fixed Assets (Capital Work in Progress) Schedule 8(B) respectively.

  An amount of Rs.1,66,92,411/- has been shown in Fixed Assets (Projects) under Schedule 8(C) under various capital heads as net block, as per prescribed format after deducting accumulated depreciation from the gross block.

2) INVESTMENTS - FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS (SCHEDULE -9):

- As per Audit observation, a separate **SCHEDULE No. 9** has been provided under the **"Investment-From Earmarked/Endowment Funds"** towards the head Fixed deposit of Rs.77,42,575/- (Rs.73,77,992/- + 3,64,583/- interest amount Auto renewed) of Assessment and Grading of Ginning & Pressing Units. The same amount has been included in the Balance Sheet with earmarked fund (**SCHEDULE -3**). No new investment has been made during the year from the rest of the earmarked funds.

3) CURRENT ASSETS , LOANS & ADVANCES (SCHEDULE -11) :

- The details of Rs.1,45,31,05,317.64 has been shown under respective heads.
- **Entries have been accounted for under Schedule No.11 (B- 2(C) - i ,ii & iii) :**

In order to depict true & fair view of the financial statements of the Committee in respect of few heads of Current Assets as per audit observation, necessary compilation /reconciliation have been carried out in respect of following heads and accordingly shown in the Books of Accounts 2023-24:

<table>
<tr><th>Sr No.</th><th>Current Assets Heads</th><th>Description</th><th>Rectification entries made through Accounting Treatment</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Office Accommodation (Andheri Office)</td><td>It is found from the Rent Agreement that the Accommodation was taken on Rent @1550/- PM. Hence the three months rent comes Rs.4,650/-which was inadvertently booked under Current Assets instead of expenditure.</td><td>Reduction of Rs.4,650/- from Capital Fund & Current Assets respectively.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Regional Office Rent</td><td>All related documents/records pertaining to rent deposit of Regional Offices have been collected , compiled and the amount under head Rent Deposit comes to Rs.61,81,575/-.
<u>Summary:</u>
<table>
<tr><td>Rent Deposit (a)</td><td>36,18,812.00</td></tr>
<tr><td>Add: Actually this is Rent Security Deposit, erroneously taken in Security Deposit, now it is rectified by clubbing with Rent Deposit (b)</td><td>(+)3,48,028.00</td></tr>
<tr><td>Add: Coimbatore rent deposit paid in 23-24(c)</td><td>(+)1,39,568.00</td></tr>
<tr><td>Less: Panipat office rent deposit received (d)</td><td>(-)1,89,846.00</td></tr>
<tr><td>Add: The amount is added in Rent deposit under current Assets since inadvertently earlier this amount was booked under administrative expenditure under rent payment. (e)</td><td>(+)22,65,013.00</td></tr>
<tr><td>Regional Office Rent Deposit Total (f=a+b+c-d+e)</td><td>61,81,575.00</td></tr>
</table>
</td><td>Rs.22,65,013/- is added in Capital Fund head and under Current Assets of Rent deposit.

Rs.3,48,028/- is deducted from security deposit and is added under rent deposit of current assets.</td></tr>
</table>

Sr No.	Current Assets Heads	Description	Rectification entries made through Accounting Treatment
3	Telephone Department	On checking from all the ROs, It is found that the total amount of Telephone deposit should be Rs.59,677/- instead of Rs.1,78,705/-. Previously inadvertently an amount of Rs.1,19,028/- (Rs.1,78,705 (-) Rs.59,677/-) was booked under current assets instead of booking under Administrative expenditure.	Rs 1, 19,028/- is reduced from capital Fund and Current Assets respectively.
4	BEST	It is found from the BEST bill, Mumbai that the Security Deposit amount should be Rs.7,18,738.00 (for H.O., Mumbai Rs.7,13,658 + for Poonam Apartment, Mumbai Rs.5,080). Previously inadvertently the deposit amount of Rs.3,37,272/- has been booked under head of deposit with electricity dept. for ROs instead of BEST deposit. Hence, rectification entry is made by adding Rs. 3,37,272/-under the head BEST Deposit & by reducing the same amount from electricity deposit of ROs. **Summary:** Rs.3,81,466.00 + Rs. 3,37,272.00=Rs.7,18,738.00	Rs. 3,37,272/- is added under BEST Deposit & by reducing the same amount from electricity deposit of ROs.
5	Electricity Department(ROs)	The Electricity deposit of all ROs as on March,2024 is found as Rs 9,26,597.00. Previously inadvertently Rs.3,37,272/- has been booked under electricity deposit with ROs instead of BEST Deposit, Mumbai. Rs.169464/- was inadvertently booked under administrative expenditure instead of current assets under electricity deposit ROs . Hence, now Rs.1,69,464/- is added to Electricity deposit of ROs **Summary:** Rs.10,66,405 (-) Rs.3,37,272 + Rs.1,69,464+ 28,000(JNPT) = Rs. 9,26,597.00	Rs. 3,37,272/- is added under BEST Deposit & reduced the same amount from electricity deposit of ROs. Both Current Assets and capital fund is increased by Rs.1,69,464/-.
6	Gas Authorities	The total Gas Deposit should be Rs.77,200/- Instead of Rs.81, 297/-. Previously inadvertently an amount of Rs.4,097/- (Rs. 81,297 (-) Rs.77,200) was booked under current Assets instead of Administrative expenses.	Rs.4097/- is reduced from both Current Assets and Capital Fund.

<table>
<tr><th>Sr No.</th><th>Current Assets Heads</th><th>Description</th><th>Rectification entries made through Accounting Treatment</th></tr>
<tr><td>7</td><td>Petrol Deposit</td><td>Previously inadvertently an amount of Rs.30,000/- pertains to petrol deposit was booked as administrative expenditure during 2020-21., which was required to be booked actually under current assets of petrol deposit. Now it is rectified.</td><td>Rs.30,000/- is increased in both Current Assets and Capital Fund.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Security Deposit</td><td>The details of Security Deposit of Rs.20,80,257/-.

<u>Summary:</u>
<table>
<tr><td>Security Deposit (a)</td><td>20,80,257.00</td></tr>
<tr><td>Less: Actually retention money of Office cum Lab building previously erroneously taken in Security Deposit (b)</td><td>(-)15,39,319.00</td></tr>
<tr><td>Total(c=a-b)</td><td>5,40,938.00</td></tr>
<tr><td>Less: The amount is added under rent deposit which was erroneously taken in Security Deposit (d)</td><td>(-)3,48,028.00</td></tr>
<tr><td>Security Deposit other than rent Deposit for running Mumbai Laboratory and Water connection Deposit (Rs.65,000+Rs.27,910+Rs.1,00,000=Rs.1,92,910)
Total (e=c-d)</td><td>1,92,910.00</td></tr>
</table></td><td>Rs.15,39,319/- is deducted from Security Deposit under Current Assets and the same amount is deducted from retention cum office building under current liability.

Rs.3,48,028/- is deducted from security deposit and is added under rent deposit of current assets.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Earnest Money Deposit</td><td>Previously inadvertently Rs.6,32,250/- was booked under EMD. Out of Rs.6,32,250/-, an amount of Rs.39,250/- is pertaining to Registration expenses for New Delhi Office, which was inadvertently booked under current assets instead of administrative expenditure.

The amount of Rs.5,93,000/-(Rs.6,32,250 (-) 39,250) is pertaining to the payment of refund of EMD, Previously inadvertently taken in EMD under current Assets, which should have been deducted under the head EMD from vendors of Current Liabilities.</td><td>1) Rs.39,250/- is deducted from EMD under Current Assets and the same amount is deducted from capital fund.

2) Rs.5,93,000/- is deducted from EMD under Current Assets and the same amount is deducted from Liabilities under EMD from vendors.</td></tr>
</table>

B) NOTES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT :

INCOME:

1) INCOME FROM SALES & SERVICES (SCHEDULE -12):

It is comprised of Services Charges for Certification/Advises, Lab Testing Charges, Sale of Forms, Endorsement of Non Preferential GSP/ Verification/Training Service , Market Research Studies /Surveys, Registration Charges, Handloom Mark Scheme, Fees from Ginning & Pressing Factories Scheme, Fees from India Handloom Brand, Resource Support Agency, Income from Advertisement, Production Capacity Assessment & Jute Mark India Scheme. An amount of Rs.32,35,95,387.72 has been accounted under this Schedule.

2) GRANTS / SUBSIDIES (SCHEDULE -13):

- An amount of Rs.54,70,00,000/- has been accounted under this Schedule.

3) FEES / SUBSCRIPTIONS (SCHEDULE -14):

- It is comprised of Seminar / Programme Fees & Consultancy Fees.
- An amount of Rs.2,42,500/- has been accounted under this Schedule.

4) INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION, ETC. (SCHEDULE -16):

- An amount of Rs.9,600/- has been accounted under this Schedule.

5) INTEREST EARNED (SCHEDULE -17):

- An amount of Rs.6,35,56,407/- has been accounted under this Schedule.

6) OTHER INCOME (SCHEDULE -18):

- An amount of Rs.19,83,772.42 has been accounted under this Schedule.

7) DEFERRED INCOME (PROJECTS) (SCHEDULE -8):

- Accumulated Depreciation on Fixed Assets (Projects) of Rs.31,32,053/- have been treated as Deferred Credit Income as per AS-12.

EXPENDITURE:

- ❖ Establishment Expenses and Other Administrative Expenses (Schedule 20 & 21) have been taken on accrual basis.
- ❖ Increase of Rs.3,656.10 lakh is seen in respect of Establishment Expenditure (Schedule 20) during 2023-24 comparing to previous year mainly due to keeping provision in respect of Retirement & Terminal Benefits (Pension, Gratuity & Leave Encashment) etc. based on the actuarial valuation.
- ❖ Increase of Rs.77.55 Lakh in respect of Other Administrative expenses (Schedule – 21) mainly due to increase in respect of Rent, Rate & Taxes, Repair & Maintenance office Equipment, Printing & stationery, Travelling & conveyance, Accreditation of Lab, Honorarium to Liason Officers etc.
- ❖ **Depreciation (Schedule-8):**
  - ♦ Depreciation on Fixed Assets as well as Fixed Assets (Projects) has been worked out as per Diminishing Balance Method and the latest prescribed rates of depreciation have been taken as per Income Tax Act, 1961. Rule 5 of Income Tax Act has been considered while calculating the depreciation.

C) GOVT. PROJECTS:

- ❖ The details of receipts, expenditure and closing balance for the year 2023-24 pertaining to various projects has been shown under the head **Earmarked Fund** in Schedule No.3.

D) PAYMENT OF GST FOR PROJECTS:

- ❖ For ease of operation & timely payment of GST in respect of Projects, the same are effected through Textiles Committee's Main A/c as and when required.

❖ DISCLOSURE:

- ❖ The Set off of remaining GST-ITC pertaining to Head Office, Mumbai and Regional Offices would be carried out during 2024-25. Necessary accounting treatment, in this respect, has been provided in the Books of Accounts 2023-24.
- ❖ Bank Account-ISDS (TXC/VC) has been maintaining with State Bank of India on behalf of the office of the Textile Commissioner, Mumbai. This Account has been closed and the remaining balance amount of Rs.1,27,32,851.00 has been remitted to the Government.
- ❖ As per advice of the Ministry a separate account namely Textiles Committee CNA Account was opened in SBI ,Worli North, Mumbai for crediting the Government Revenue Grant and subsequently as per their advice the account was closed in the year 2023-24 after remitting the balance interest earned on the Account of Rs. 1,54,738/- to the Government.
- ❖ In accordance with Section 5A of the Textiles Committee Act,1963 (Amendment Act, 1973), Textiles Committee used to assess & collect Cess from the manufacturer of Textiles and Textiles Machinery and remitted the same to the Consolidated Fund of India Account (now the cess abolished by the Government on 21.05.2016). As suggested by audit, the details of Cess amount of Rs.61,55,527/- shown under Current Liabilities (Schedule No.7) are given below:

Sr. No.	Name of the Assesse	Name of Hon'ble High Court	Cess Amount received as per Interim order of the Court
1	M/s Madura Garments (A Division of M/s Aditya Birla Nivo Ltd.), Bangalore	High Court of Karnataka at Bangalore	Rs.60,00,000.00
2	M/s Wool Combers of India Ltd, Calcutta	High Court at Calcutta	Rs.1,00,000.00
3	M/s Chamundi Textiles Silk Mills Ltd, Bangalore	High Court of Karnataka at Bangalore	Rs.55,527.00
		TOTAL	**Rs.61,55,527.00**

❖ **Creation of Capital Fund:**

Sr No.	Particulars	Amount
1	Grant Received during 2020-21	**10,00,00,000**
2	Less: Utilized during the year 2022-23	**(2,51,60,000)**
3	Less: Utilized during the year 2023-24	-
4	Closing Balance	**7,48,40,000**

❖ **Effect of Prior period transactions** :

Sr No.	Particulars	Amount
1	Prior Period Expenditure	2,82,68,865.82
2	Prior Period Income	(77,82,348.57)
	Net of Prior Period Total	**2,04,86,517.25**

❖ In accordance with Audit observation, an Actuary firm has been engaged and as per their calculation (Accounting Standard-15 – Revised 2005) the provision of Pension & Pensionary Terminal Benefits have been kept in the Books of Account, the details are as follows:

Sr No.	Particulars of Current Liability	Amount
1	Pension	29,36,48,099.00
2	Gratuity	3,41,51,108.00
3	Leave Encashment	2,99,33,454.00

❖ **EARMARKED/ENDOWMENT FUND:**

❖ A separate Schedule No.3 under the head **Earmarked Fund** has been prepared for various projects including Handloom Mark Scheme. The Receipt & Payment A/c in case of (1) Resource Support Agency (RSA) (2), Assessment and Grading of Ginning & Pressing Units (3) Integrated Skill Development Scheme (ISDS) (4) Integrated Skill Development Scheme (TXC/VC) (5) Textiles Committee CNA have been prepared separately for each fund based on Cash Book in order to depict true & fair view of the fund value in Textiles Committee A/c.

List of Regional Offices Bank Accounts

Sr. No.	Regional Offices	Closing Balance as on 31.03.2024		Sr. No.	Regional Offices	Closing Balance as on 31.03.2024
1	SBI Ludhiana Collection A/c	2,30,621.00		18	SBI Hyderabad Collection A/c	22,789.61
2	SBI Hyderabad payment A/c	1,11,313.00		19	SBI Jaipur Collection A/c	10,754.73
3	SBI Bangalore Collection A/c	10,544.12		20	SBI Jaipur Payment bank A/c	2,850.00
4	SBI Karur payment A/c	66,945.00		21	SBI JNPT Collection A/c	4,86,209.59
5	SBI Bangalore Payment A/c	3,276.97		22	SBI Kannur Collection A/c	10,000.00
6	SBI Ichalkaranji Collection A/c	2,652.00		23	SBI Kannur Payment A/c	11,526.00
7	SBI Karur Collection A/c	10,695.93		24	SBI Kanpur Collection A/c	42,671.30
8	SBI Ichalkaranji Payment A/c	10,000.00		25	SBI Kanpur Payment A/c	5,623.00
9	SBI Bhubaneswar payment A/c	57,991.60		26	SBI Kolkata Collection A/c	15,045.00
10	SBI Chennai Collection A/c	1,21,373.00		27	SBI Nagpur Collection A/c	20,000.40
11	SBI Chennai payment A/c	6,207.30		28	SBI Surat Collection A/c	22,349.80
12	SBI Coimbatore Collection A/c	9,36,158.19		29	SBI Tirupur Collection A/c	10,000.00
13	SBI Coimbatore payment A/c	2,95,357.00		30	SBI Tirupur Payment A/c	40,408.07
14	SBI Delhi Collection A/c	29,710.92		31	SBI Tuticorin Collection A/c	10,000.00
15	SBI Ahmedabad Collection A/c	10,173.00		32	SBI Varanasi Collection A/c	10,736.50
16	SBI Ahmedabad Payment A/c	750.00		33	SBI Varansi payment A/c	1,155.08
17	SBI Delhi payment A/c	64,190.00				
		Total (Sr. No. 1 to 33)				**26,90,078.11**

DETAILS OF FIXED ASSETS (PROJECTS)(SCHEDULE 8 (C)) :

1. Lab Cochin:

Sr No.	Description	Rate	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
			Opening As at 01.04.2023	Addition During the year	Deduction During the Year	Closing as at 31.03.2024	Accumulated Opening as at 01.04.2023	On Opening as on 01.04.2023	On Addition During the Year	On Ded. During the Year	Closing As At 31.03.2024	As At 31.03.2024	As At 31.03.2023
1	Furniture & Fixture	10%	23,19,557.00	-	-	23,19,557.00	10,04,869.00	1,31,469.00	-	-	11,36,338.00	11,83,219.00	13,14,688.00
2	Laboratroy Equipments	15%	1,66,31,880.00	-	-	1,66,31,880.00	93,11,165.00	10,98,107.00	-	-	1,04,09,272.00	62,22,608.00	73,20,715.00
3	Computer & Peripherals	40%	3,59,892.00	-	-	3,59,892.00	3,13,250.00	18,657.00	-	-	3,31,907.00	27,985.00	46,642.00
		TOTAL	**1,93,11,329.00**	-	-	**1,93,11,329.00**	**1,06,29,284.00**	**12,48,233.00**	-	-	**1,18,77,517.00**	**74,33,812.00**	**86,82,045.00**

2. Lab JNPT:

Sr No.	Description	Rate	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
			Opening As at 01.04.2023	Addition During the year	Deduction During the Year	Closing as at 31.03.2024	Accumulated Opening as at 01.04.2023	On Opening as on 01.04.2023	On Addition During the Year	On Ded. During the Year	Closing As At 31.03.2024	As At 31.03.2024	As At 31.03.2023
1	Furniture & Fixture	10%	9,24,709.00	-	-	9,24,709.00	4,26,042.00	49,867.00	-	-	4,75,909.00	4,48,800.00	4,98,667.00
2	Laboratroy Equipments	15%	1,79,63,896.00	-	-	1,79,63,896.00	1,00,67,744.00	11,84,423.00	-	-	1,12,52,167.00	67,11,729.00	78,96,152.00
3	Computer & Peripherals	40%	4,30,549.00	-	-	4,30,549.00	3,74,750.00	22,320.00	-	-	3,97,070.00	33,479.00	55,799.00
		TOTAL	**1,93,19,154.00**	-	-	**1,93,19,154.00**	**1,08,68,536.00**	**12,56,610.00**	-	-	**1,21,25,146.00**	**71,94,008.00**	**84,50,618.00**

3. IMPLEMENTATION HANDLOOM MARK SCHEME:

Sr No.	Description	Rate	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
			Opening As at 01 04.2023	Addition During the year	Deduction During the Year	Closing as at 31.03.2024	Accumulated Opening as at 01.04.2023	On Opening as on 01.04.2023	On Addition During the Year	On Ded. During the Year	Closing As At 31.03.2024	As At 31.03.2024	As At 31.03.2023
1	Computer & Peripherals	40%	79,43,048.00	-	-	79,43,048.00	73,53,862.00	2,35,674.00	-	-	75,89,536.00	3,53,512.00	5,89,186.00
		TOTAL	**79,43,048.00**	-	-	**79,43,048.00**	**73,53,862.00**	**2,35,674.00**	-	-	**75,89,536.00**	**3,53,512.00**	**5,89,186.00**

4. SWACCHATA ACTION PLAN:

Sr No.	Description	Rate	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
			Opening As at 01.04.2023	Addition During the year	Deduction During the Year	Closing as at 31.03.2024	Accumulated Opening as at 01.04.2023	On Opening as on 01.04.2023	On Addition During the Year	On Ded. During the Year	Closing As At 31.03.2024	As At 31.03.2024	As At 31.03.2023
1	Furniture & Fixture	10%	8,29,009.00	34,132.00	-	8,63,141.00	2,20,060.00	60,895.00	1,707.00	-	2,82,662.00	5,80,479.00	6,08,949.00
		TOTAL	**8,29,009.00**	**34,132.00**	-	**8,63,141.00**	**2,20,060.00**	**60,895.00**	**1,707.00**	-	**2,82,662.00**	**5,80,479.00**	**6,08,949.00**

5. JUTE MARK INDIA SCHEME:

Sr No.	Description	Rate	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
			Opening As at 01.04.2023	Addition During the year	Deduction During the Year	Closing as at 31.03.2024	Accumulated Opening as at 01.04.2023	On Opening as on 01.04.2023	On Addition During the Year	On Ded. During the Year	Closing As At 31.03.2024	As At 31.03.2024	As At 31.03.2023
1	Computer & Peripherals	40%	1,29,980.00	13,55,550.00	-	14,85,530.00	25,996.00	41,594.00	2,87,340.00	-	3,54,930.00	11,30,600.00	1,03,984.00
		TOTAL	**1,29,980.00**	**13,55,550.00**	-	**14,85,530.00**	**25,996.00**	**41,594.00**	**2,87,340.00**	-	**3,54,930.00**	**11,30,600.00**	**1,03,984.00**

SSchauhan

(SUNIL S. CHAUHAN)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Textiles Committee, Mumbai for the year ended 31 March 2024

We have audited the financial statements of Textiles Committee, Mumbai, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2024 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 13(2) of Textiles Committee Act, 1963.

The Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit Observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Section of our report, the accompanying financial statements of Textiles Committee, Mumbai read together with the accounting policies and Notes thereon and other matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, give **a true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2024 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts.

Basis for Qualified Opinion

A reference is invited to Para no. A.2.1 of the Separate Audit Report. Textiles Committee has not made provisions of ₹322.94 crore in respect of long term provisions of the retirement benefits in accordance with Accounting Standard-15.

We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations/standards/ manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor 's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements Section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Responsibilities of Management for the financial statements

The Textiles Committee, Mumbai is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts, and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/ guidance-notes/orders/circulars etc.

For and on behalf of the CAG of India

V.N. Kothari

(Vijay N. Kothari)
Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai

Dt: 15 July 2025

Separate Audit Report on the Accounts of Textiles Committee, Mumbai

A. Balance Sheet

A.1. Earmarked Funds (Schedule 3)

A.1.1 Jute Mark India - ₹1,16,65,947

Textiles Committee received an amount of ₹1.57 crore (₹1.48 crore plus taxes) from National Jute Board for implementation of Jute Mark India (JMI) Scheme during 2022-23. As per the action plan for Implementation of the Scheme for 2022-23, the fund of ₹ 1.48 crore was allocated for development of online module software, undertaking registration, onsite verification, issue of label/tags etc., of which ₹ 73.50 lakh was to be incurred on software development and online verification and ₹ 70 lakh was to be charged as income as implementation cost. Textiles Committee incurred an amount of ₹1.92 lakh and ₹14.03 lakh towards purchase of Computer and Peripherals & other administrative expenses during 2022-23 and 2023-24 respectively and accordingly recognized ₹15.20 lakh as income, in proportion to the actual expenditure incurred aligning with Accounting Standard 9 (Revenue Recognition).

During 2023-24, Textiles Committee received ₹ 97.23 lakh (including GST amounting to ₹ 14.84 lakh) for the action plan of 2023-24 of which ₹ 10 lakh was for printing of Jute mark label, ₹ 70 lakh as implementation charges and ₹ 2.40 lakh as contingency expenditure. It was however, observed that during the year 2023-24, the committee has recognized the entire amount of ₹97.23 lakh as income for the year without regard to the actual performance or progress of the scheme activities.

Thus, the Committee recognized income under the JMI Scheme inconsistently across 2022–23 and 2023–24. Further, the Committee has also not disclosed any significant accounting policy regarding income recognition from scheme-based or project-based grants in its financial statements.

A.1.2 Textile Committee RSA – ₹ 6,96,15,902.64

(i) Textile Committee received a grant amounting of ₹7,48,64,000 from Ministry of Textiles during the year for functioning as Resource Support Agency (RSA). The Committee incurred an expenditure of ₹7,48,62,898 towards assessment fee against this grant and refunded the unspent balance of ₹1102.

However, neither the grant received nor the expenditure incurred and refund made have been accounted for in the books of accounts. As a result, the receipts, expenditure, and refund related to the RSA grant have not been disclosed in Schedule 3 (Earmarked Funds) of the annual accounts as well as in Receipt and Payment Account of RSA.

Thus, failure to account for the grant received, expenditure incurred there against and refund of unspent balance in respect of grant (RSA) has led to material misstatement of the financial statements and principle of transparency.

(ii) There is no consolidated record of grants sanctioned, received, utilized, or pending utilization. Thus, it cannot be verified that all the grants received and expenditures incurred there against have been accounted for in the books of accounts. During the audit, it has been observed that some grants and expenditure incurred against that grant were omitted from recording in respective ledger accounts, as mentioned in the above comment.

A.2 Current Liabilities and Provisions – 46.13 Crore (Schedule 7)

A.2.1 As per Accounting Standard 15 (Employee Benefits), retirement benefits are classified as defined benefit obligation and the present value of these obligations (both current and non-current portions) should be recognized in the financial statements based on actuarial valuation. However, the Textile Committee has recognized only a short-term provision for retirement benefits from the actuarial valuation and not recognized the long-term obligation amounting to ₹32293.86 lakhs, instead disclosed it under contingent liabilities. This is not in compliance with Accounting Standard 15 as well as Uniform format of Accounts for Central Autonomous bodies prescribed by Government of India. This has resulted in understatement of Current Liabilities, Expenditure and Deficit by ₹32293.86 lakhs.

A.2.2 The landlord of Crystal building initiated legal proceedings to reclaim possession of the premises and to claim mesne profits for the unauthorized occupation following the expiry of the lease in 2012. Currently, the case is pending before the Small Causes Court, Mumbai. The Textiles Committee continued to pay rent of ₹33,782 per month till June 2017. Since the Committee has not been paying rent, a Provision for rent payable amounting to ₹27.36 Lakh (for 81 months upto March 2024) should have been made. This has resulted in understatement of Provisions, Expenditure and an understatement of Deficit by ₹27.36 lakh.

Further, the Committee should assess the estimated liability for mesne profit and disclose it as contingent liability. However, the Committee has not disclosed any contingent liability in respect of the pending litigation in its notes to accounts, as required under Accounting Standard 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets).

A.3 Investments from Earmarked & Endowment Funds – ₹ 77,42,575 (Schedule-9)

Above does not include ₹715 lakh in respect of investment made from Earmarked Fund for Lab Modernization Under Ties and ₹170.18 lakh in respect of interest on said investment which has been incorrectly disclosed under Current Assets, Loans, Advances etc. in Schedule 11. This has resulted in understatement of Investments from Earmarked & Endowment Funds and overstatement of Current Assets, Loans, Advances etc. by ₹885.17 lakh.

B. Income and Expenditure Account

B.1 Income from Services – ₹32,35,95,387 (Schedule- 12)
Market Research Studies/Surveys -₹ 1,53,13,796

(i) The above includes an amount of ₹9.87 lakh in respect of unspent grant received from NABARD under Gramya Vikas Nidhi for registration of 30 products under Geographical Registration as first installment of 20% of the project cost. Since the grant is for specific purpose, it should have been shown as Earmarked Fund in the Balance Sheet, however, the same has been recognized as income. This has resulted into overstatement of 'Income from Services', understatement of current year 'deficit' as well as understatement of 'Earmarked Funds' by ₹ 9.87 lakh.

Further, Committee has not maintained separate accounts in this regard as stated in the sanction document. Thus, failure to maintain separate accounts violates the specific terms of the sanction order and MoU with NABARD.

(ii) Above includes an amount of ₹61.95 lakh (including GST) received from Ministry of Textiles towards study on 'Market for Textile & Clothing' during 2023-24 as first installment with the condition that 30% of the total sanctioned amount will be released on submission and approval of the final report. In this regard an amount of ₹43.98 lakh has been spent.

The Textile Committee should have recognized income in proportion to the expenditure incurred during 2023-24, however entire amount received amounting to ₹ 61.95 lakh (including GST of ₹ 9.45 lakh) was recognized as income in the books of Committee without considering the percentage of completion of the study or expenditure incurred till the end of the year which is not in compliance with Accounting Standard 9 (Revenue Recognition).

Further, Committee has not recognized ₹9.45 lakh as GST liability in non-compliance to Section 13(2) of the CGST Act, exposing the Committee to interest and penalties. Thus, this has resulted into understatement of GST liability by ₹9.45 lakh, understatement of advance received (current liabilities and provisions) by ₹8.52 lakh and overstatement of income from services and understatement of deficit by ₹17.97 lakh. Further, the Committee has not maintained separate accounts in this regard as stated in the sanction document .Thus, failure to maintain separate accounts violates the specific terms of the sanction order.

(iii) Above includes ₹271.73 lakh received from Ministry of Textiles as reimbursement of expenditure incurred by Committee in earlier years in respect of (i) Grant for Standardization of Handmade Carpet Industry under R&D scheme (₹18.95 lakh) and (ii) Resource Support Agency (RSA) Action Plan 2022-23 (₹252.78 lakh) which should have been booked as prior period income and should have been shown as prior period adjustment in Income and Expenditure Account, however the same has been recognized as current year income.

Further, above does not include ₹261.55 lakh in respect of reimbursement for expenditure incurred during current financial year (2023-24) against various activities of RSA Action Plan 2023-24 which is receivable from Ministry of Textiles.

This has resulted in overstatement of Income from Sales & Services by ₹10.18 lakh, understatement of prior period income by ₹271.73 lakh, consequently overstatement of deficit carried to Corpus/Capital Fund by ₹261.55 lakh and understatement of Current Asset by ₹261.55 lakh.

B.2 Other Administrative Expenses ₹6,98,22,391.46 (Schedule 21)

Above includes ₹47.55 lakh in respect of expenditure incurred on RSA TOT fee (₹43.50 lakh), Audit fee (₹4.05 lakh) pertaining to the earlier years which should have been shown as prior period adjustment in Income and Expenditure Account, however the same has been recognized as current year expenditure. This has resulted in overstatement of Other Administrative Expenditure by ₹47.55 lakh as well as understatement of prior period expenditure as shown in Notes on Accounts by the same amount.

C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Authority through a Management letter issued separately for remedial/corrective action.

D. Assessment of Internal Control

(i) Adequacy of Internal Control System

Internal control is adequate.

(ii) Adequacy of Internal Audit System (POM-21)

There is no separate Internal Audit Wing available at Textile Committee, Mumbai. However, Internal Audit of Textile Committee is done by Ministry of Textile, Govt. of India. It has been observed that last Internal Audit was done in 2020 for the period 2018-19 to 2019-20. It has also been observed that there is no independent auditor appointed for Textile Committee, Mumbai.

(iii) System of physical verification of fixed assets (POM-21)

Following deficiencies were noticed in Physical verification of fixed assets carried out for F.Y. 2023-24 during 2024-25.

i. As per GFR Rule 213 fixed assets should be verified at least once in a year. However, Textile Committee conducted Physical verification for the F.Y. 2023-24 during F.Y. 2024-25.

ii. Physical Verification was not carried out with reference to the official Accounts Records or the fixed asset register. Instead, records maintained by the House keeping Department were taken as the base by the verification team for physical verification, which may not fully represent the accounting or financial records of the assets. Item-wise list relating to fixed assets shown in the Accounts was not furnished to the Audit .Hence, audit is not in the position to vouch safe the balance appearing in the accounts for Fixed Assets.

iii. Verification did not include major asset categories such as Land, Buildings, Motor Car, and other vehicles owned by the Committee.

iv. As per rule 215 of GFR, Complete physical verification of books should be done every year in case of libraries having not more than twenty thousand volumes. Textiles committee had 15495 books and Textile Committee has conducted physical verification of the Library books for F.Y. 2023-24. However, the report states the position as on 31.03.2025.

(iv) System of physical verification of inventory

The Textile committee does not have any inventory.

(v) Regularity in payment of statutory dues

No instances (except pointed out in **B.1 (ii)**) of irregularity in payment of undisputed statutory dues were noticed.

E. Grants in aid

Details of Government Grant for the 2023-24 in the format mentioned below:

(₹in Crore)

	Opening Balance as on 01.04.2023	Grant received during the year 2023-24	Interest earned on Grant during the year 2023-24	Grant utilized during the year 2023-24	Grant along with Interest refunded to the Govt. during the year 2023-24	Closing Balance of Govt Grant as on 31.03.2024
Capital						
i) GIA-Creation of Capital Assets	7.48	-	-	-	-	7.48
ii) GIA-Creation of Capital Grant (lab Modernization Under TIES)	7.15	-	1.70	-	-	8.85
Revenue						
i) GIA –Salaries	-	51.80	-	51.80	-	-
ii) GIA-General	0.02	2.90	-	2.90	0.02	-
iii) GIA-SAP	-	0.10	-	0.10	-	-
Project:						
i. Assessment and Ginning & Pressing	0.74	-	0.04	-	-	0.78
ii. Integrated Skill Development Scheme	0.36	*0.01	-	-	-	0.37
iii. Integrated Skill Development Scheme TXC/VC	1.27	-	-	-	1.27	-
iv. RSA	2.59	6.19	-	0.61	1.21	6.96
v. Handloom Mark Scheme	0.40	-	-	0.01	-	0.39
vi. Laboratory at Cochin Port	0.04	-	-	-	-	0.04
vii. Laboratory at JNPT	0.04	-	-	-	-	0.04
vii. Market Other Survey Pashmina	-	0.05	-	-	-	0.05
viii. Market Survey Wool Mark	-	0.05	-	-	-	0.05
ix. Jute Mark India	1.46	-	-	0.29	-	1.17
Total	21.55	61.10	1.74	55.71	2.5	26.18

*Refund from NICSI

Spin or trade
But go only by our grade

Textiles Committee assesses and grades modernized ginning and pressing factories in India. The assessment and rating scale ranges from 1 star to 5 star. This enables you as a spinning mill owner or a cotton trader to select your supply sources for buying cotton that matches your quality requirements. Thus, nothing comes between you and your credibility once you purchase cotton from the ginning and pressing factories rated by Textiles Committee.

वस्त्र समिति
(भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय)
TEXTILES COMMITTEE
(Government of India, Ministry of Textiles)

पी.बालू रोड,प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025. टेली : 022-66527507, ई-मेल : secy.tc@nic.in, secytc@gmail.com, वेबसाईट : www.textilescommittee.nic.in

P. Balu Road, Prabhadevi Chowk, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. Tel : 022-66527507, Email : secy.tc@nic.in, secytc@gmail.com, Website : www.textilescommittee.nic.in